मानकः पथप्रदर्शकः

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2015-16

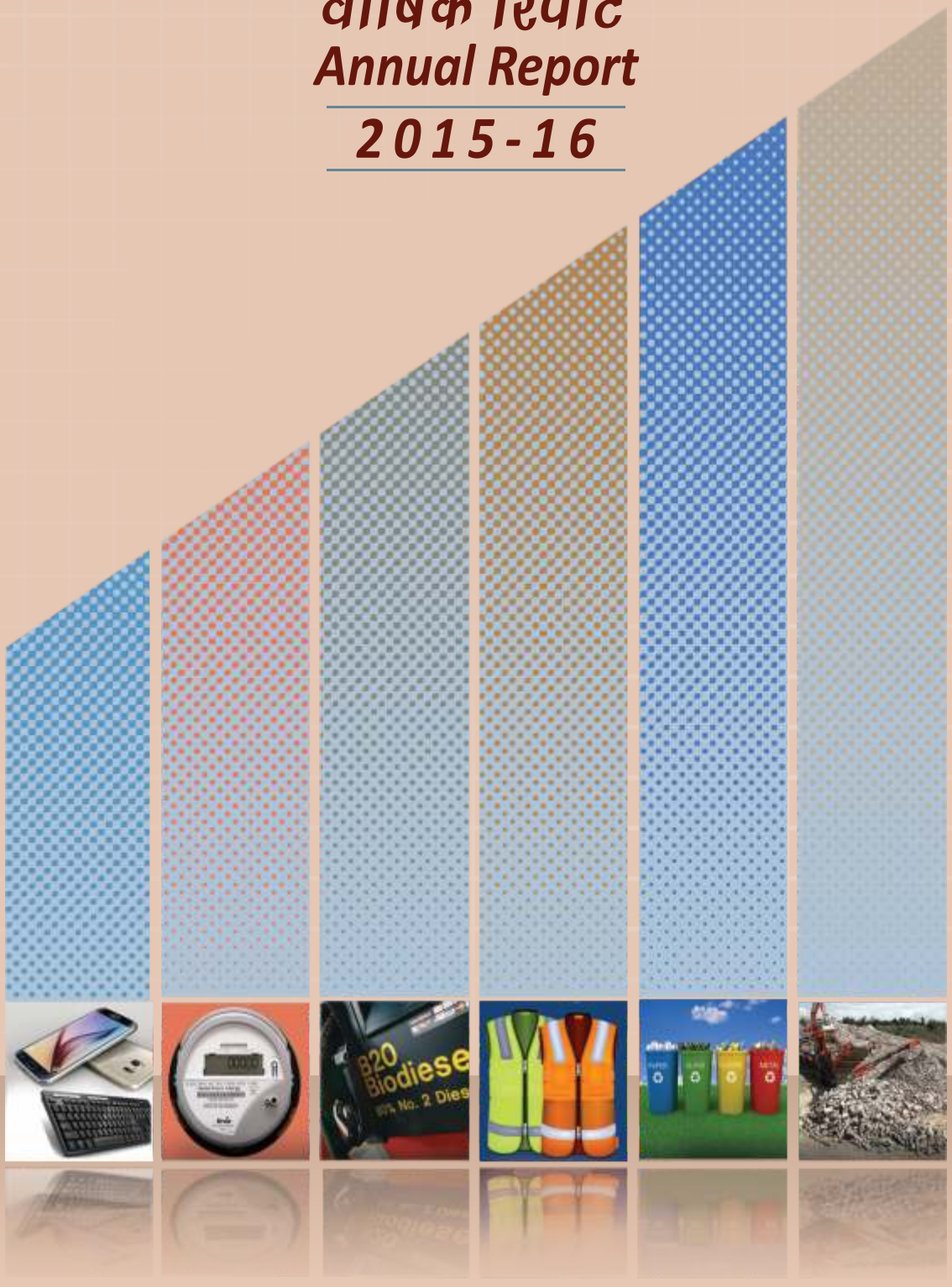

ब्यूरो के प्रधान अधिकारी, कार्यकारिणी समिति और महानिदेशालय (31मार्च 2016 को)
PRINCIPAL OFFICERS OF BUREAU, EXECUTIVE COMMITTEE AND THE DIRECTORATE GENERAL (as on 31 March 2016)

भारतीय मानक ब्यूरो	**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**		
अध्यक्ष	**President**	**श्री राम विलास पासवान** केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री	**Shri Ram Vilas Paswan** Union Minister for Consumer Affairs Food and Public Distribution
अध्यक्षा, कार्यकारिणी समिति	**Chairperson, Executive Committee**	**श्रीमती अलका पंडा** महानिदेशक, बीआईएस	**Smt. Alka Panda** Director General, BIS
महानिदेशक	**Director General**	**श्रीमती अलका पंडा**	**Smt. Alka Panda**
अपर महानिदेशक	**Additional Director General**	**श्री सी बी सिंह**	**Shri C. B. Singh**
मुख्य सतर्कता अधिकारी	**Chief Vigilance Officer**	**श्री आलोक शर्मा**	**Shri Alok Sharma**
उपमहानिदेशक (गतिविधि)	**Deputy Director General (Activity)**		
प्रमाणन	Certification	श्री सी.के. माहेश्वरी	Shri C. K. Maheshwari
मानकीकरण	Standardization	श्री डी.के. नैय्यर	Shri D. K. Nayyar
उपभोक्ता मामले	Consumer Affairs	श्रीमती परमिन्दर बजाज	Smt. Parminder Bajaj
प्रशिक्षण संस्थान	Training Institute	श्री पी.के. बत्रा	Shri P. K. Batra
परियोजना प्रबंधन एवं कार्य	Project Management and Works	श्री आर के मित्तल	Shri R. K. Mittal
नीति, योजना एवं समन्वय	Policy, Planning & Co-ordination	श्री आर के मित्तल	Shri R. K. Mittal
हॉलमार्किंग	Hallmarking	श्री राहुल कुमार	Shri Rahul Kumar
प्रबंधन पद्धतियाँ	Management Systems	श्री देश दीपक	Shri Desh Deepak
प्रयोगशाला	Laboratory	श्री अनिल कुमार	Shri Anil Kumar
वित्त	Finance	श्री एच.आर. आहूजा	Shri H. R. Ahuja
प्रशासन	Administration	कैप्टन अनुज कुमार	Captain Anuj Kumar
उपमहानिदेशक (क्षेत्रीय)	**Deputy Director General (Region)**		
उत्तरी क्षेत्र	Northern Region	श्री ए.के. सैनी	Shri A.K. Saini
दक्षिणी क्षेत्र	Southern Region	श्री ई. देवेन्दर	Shri E. Devendar
मध्य क्षेत्र	Central Region	श्री राहुल कुमार	Shri Rahul Kumar
पूर्वी क्षेत्र	Eastern Region	श्री राकेश कुमार	Shri Rakesh Kumar
पश्चिमी क्षेत्र	Western Region	श्री आर के शर्मा	Shri R. K. Sharma

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2015-16

मानकः पथप्रदर्शकः

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक भवन, 9 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110 002
Manak Bhavan, 9 Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110 002

वेबसाइट / website: www.bis.org.in

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सिंहावलोकन	1
2.	मानकीकरण	8
3.	प्रमाणन	17
4.	प्रयोगशाला सेवाएँ	20
5.	हॉलमार्किंग	22
6.	प्रबंध पद्धति प्रमाणन	24
7.	अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां और तकनीकी सूचना सेवाएँ	27
8.	प्रशिक्षण सेवाएँ	33
9.	उपभोक्ता मामले	35
10.	प्रचार	38
11.	मानकों और अन्य प्रकाशनों की बिक्री	40
12.	हिंदी गतिविधियाँ	41
13.	योजनागत परियोजनाएँ	43
14.	सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ	44
15.	परियोजना प्रबंधन और कार्य	47
16.	सतर्कता गतिविधियाँ	51
17.	मानव संसाधन विकास, प्रशासन एवं सामान्य सेवाएँ	52
18.	वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा	55

सिंहावलोकन

1947 में देश को आजादी मिलने से बहुत पहले देश, निर्माण क्षेत्र में मानकीकरण की भूमिका, सार्थकता और महत्त्व को बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। प्रारंभिक निर्माण उद्योग उस समय की विशिष्टियों और गुणता नियंत्रण मानदंडों का पालन करता था। भारतीय मानक संस्था (ISI) 6 जनवरी 1947 को अस्त्वि में आयी। आईएसआई की स्थापना मानकीकरण और गुणता नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आईएसआई ने अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक समुदाय के विभिन्न पक्षों, अर्थात् उद्योगों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों और उपभोक्ताओं को लेकर मानकों का निर्धारण किया और गुणता प्रदान की। आईएसआई ने सहमति द्वारा स्टेकहोल्डरों के सभी न्यायसंगत हितों को शामिल किया।

मानक निर्धारण के विस्तार से अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार के उत्पादों के निर्माण में आई तीव्र गति के परिणामस्वरूप प्रमाणन मुहर योजना की आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए प्राधिकार आईएसआई (प्रमाणन मुहर) अधिनियम 1952 से लिए गए। प्रमाणन मुहर योजना 1955 में आरंभ की गई थी। इस योजना की प्रगति और लोकप्रियता के कारण बाजार की शक्तियों ने अनैतिक तरीके अपना कर लोकप्रिय आईएसआई मुहर का दुरूपयोग किया। इस संकट से निपटने के लिए अनैतिक कार्य करने वालों को भयभीत करने या उन्हें दंड देने की शक्ति कानूनी और नियामक ढांचे में नहीं थी। इस ढांचागत कमजोरी के कारण *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,* 1986 का अधिनियमन किया गया जिसमें आईएसआई मुहर के दुरूपयोग को रोकने के लिए इसके अधिदेश के कार्यक्षेत्र को व्यापक किया गया और शक्तियों को बढ़ाया गया। भारतीय मानक ब्यूरो ने पूर्व भारतीय मानक संस्था (आईएसआई) के कर्मचारियों, परिसम्पत्तियों, देयताओं और प्रकार्यों को ग्रहण किया। *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,* 1986 मुख्य रूप से वस्तुओं तथा अन्य संबद्ध मामलों के मानकीकरण एवं मुहरांकन के सुसंगत विकास, गुणता प्रमाणन पर केन्द्रित है।

देश में 1990 में अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई और बाद में वित्तीय एवं वास्तविक क्षेत्र में हुए सुधारों से घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई तथा आर्थिक विकास में तेजी आई। इसके कारण मानकीकरण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लेने, सर्वोत्तम रीतियों के प्रसार तथा नए बाज़ार में प्रवेश करने का सामान्य साधन बनता चला गया।

अपने वर्तमान स्वरूप में ब्यूरो एक संगठित निकाय है, जिसमें 25 सदस्य हैं जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, संसद सदस्य, उद्योग, वैज्ञानिक तथा अनुसंधान संस्थान, उपभोक्ता संगठन और व्यावसायिक निकाय शामिल हैं। केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, ब्यूरो के अध्यक्ष और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री ब्यूरो के उपाध्यक्ष हैं।

गवर्निंग बॉडी की 25 वीं बैठक 23 सितम्बर 2015 को हुई। बीआईएस की नई नीतियों/निर्देशों के कार्यान्वयन में बीआईएस को सलाह देने वाली कार्यकारिणी समिति की 2015-16 के दौरान चार बैठकें हुई।

भारतीय मानक ब्यूरो की गवर्निंग बॉडी की 25 वीं बैठक

केन्द्र सरकार ने 22 मार्च 2016 को *बीआईएस अधिनियम* 2016 को अधिसूचित कर दिया है जिससे बीआईएस घरेलू उत्पादन और व्यापार के विकास को गति प्रदान करने के लिए अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में एकरूपता लाने में सक्षम होगा। इसके अतिरिक्त *बीआईएस अधिनियम* 2016 की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

i) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रुप में स्थापना;

ii) अनुरुपता मूल्यांकन योजना के बहु प्रकारों को स्वीकृति देना;

iii) सरकार को ऐसे सामान, वस्तुओं, प्रक्रिया पद्धतियों अथवा सेवाओं को अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत लाने के लिए सक्षम बनाना, जिनको वह जनहित, मानव, पशुओं या वनस्पति, स्वास्थ्य, पर्यावरण की सुरक्षा, गलत व्यापार रीतियों की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक मानती है;

iv) सरकार को बहुमूल्य धातु के अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए सक्षम बनाना;

v) उन उत्पादों को वापिस करवाना, जिन पर मानक चिह्न हो, किंतु जो संबद्ध भारतीय मानक के अनुरुप नहीं हैं; और

vi) दंडात्मक प्रावधान को सुदृढ़ बनाना, अपराधों को कम्पाउंड करने पर कार्यवाही करना, और कुछ अपराधों का संज्ञान लेना।

बीआईएस ने वैश्विक विकास के अनुरुप उत्पादन एवं पद्धतियों के लिए विभिन्न योजनाएँ आरंभ की हैं। वर्ष 2000 और 2005 में क्रमशः स्वर्ण तथा चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग योजना भी प्रारंभ की गई।

बीआईएस के अधिदेश

गुणतापरक माल और सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना बीआईएस का अधिदेश है।

बीआईएस के उद्देश्य

- मानकीकरण, मुहरांकन एवं सामान के गुणता प्रमाणन के क्रियाकलापों का सुसंगत विकास करना।
- उद्योगों की प्रगति एवं विकास के लिए मानकीकरण और गुणता नियंत्रण को गति देना और इसके साथ उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना।

संगठनात्मक नेटवर्क

बीआईएस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता (पूर्व), चेन्नई (दक्षिण), मुंबई (पश्चिम), चंडीगढ़ (उत्तर) और दिल्ली (मध्य) में स्थित हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन 27 स्थानों पर 32 शाखा कार्यालय स्थित हैं। ये कार्यालय हैं अहमदाबाद, बंगलूरू, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बत्तूर, देहरादून, दिल्ली, दुर्गापुर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जमशेदपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, परवाणु, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट और विशाखापत्तनम। ये शाखा कार्यालय क्षेत्र की राज्य सरकारों, उद्योगों, तकनीकी संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों के बीच प्रभावी संपर्क का काम करते हैं।

गतिविधियाँ

बीआईएस की गतिविधियों को मुख्यतः निम्नलिखित शीषर्कों में समूहबद्ध किया जा सकता है:

क) मानक निर्धारण

ख) प्रमाणन : उत्पाद, हॉलमार्किंग तथा प्रबंध पद्धति

ग) प्रयोगशाला सेवाएँ

घ) उपभोक्ता मामले

ङ) अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

च) प्रशिक्षण गतिविधियाँ

छ) सतर्कता

ज) प्रचार

झ) भारतीय मानक एवं अन्य प्रकाशनों की बिक्री

ञ) सूचना प्रोद्यौगिकी सेवाएँ

ट) प्रशासन

ठ) परियोजना प्रबंधन एवं कार्य

ड) वित्त एवं लेखा

2015-16 के दौरान बीआईएस की विशिष्ट उपलब्धियाँ- विशेषताएँ

व्यापक विषयों को शामिल करते हुए वर्ष में 609 भारतीय मानक बनाए गये। इस अवधि में निर्धारित कुछ महत्त्वपूर्ण मानक निम्नलिखित हैं:

- ए.सी. स्थैतिक सीधा जुड़ा वाटआवर स्मार्ट मीटर वर्ग 1 व 2 (आईएस 16444:2015)
- कृषि वस्त्रादि -तम्बाकू हारवेस्टर के लिए नॉयलन के बुने हुए बिना सीवन के दस्ताने (आईएस 16390:2015)

- कृषि वस्त्रादि -कृषि बागवानी प्रयोजनों के लिए कीट जाल (आईएस 16513:2016)
- बायोडीजल, डीज़ल ईंधन मिश्रण (बी 6 से बी 20 के लिए) (आईएस 16531:2016)
- हाइड्रोमीटरी -हाइड्रोमीट्रिक आंकड़े की संचरण प्रणालियां -प्रणालियों की आवश्यकताओं की विशिष्टि (आईएस 16274:2015)
- निर्माण करने वाले कामगारों के आवास और कल्याण अपेक्षाओं पर भारतीय मानक -मार्गदर्शी सिद्धांत
- निर्माण परियोजना प्रबंधन -मार्गदर्शी सिद्धांत- भाग 12 - संघटन प्रबंधन [(आईएस 15883 (भाग 12):2016]
- भवन निर्माण में संवहनीयता- सामान्य सिद्धांत
- सड़क परिवहन और यातायात टेलीमैटिक्स -विद्युत शुल्क संग्रहण (ईएफसी) - ऑपरेटरों के बीच क्लीयरिंग हेतु इंटरफेस की विशिष्टि (आईएस/आईएसओ/टीएस 14904:2002)
- इलैक्ट्रॉनिक शुल्क संग्रहण - वाहनों से संबंधित टॉलिंग के लिए आर्किटेक्चर पद्धति (आईएस/आईएसओ 17573:2010)
- इलैक्ट्रॉनिक शुल्क संग्रहण - सुरक्षा संरक्षण प्रोफाइल के मार्गदर्शी सिद्धांत (आईएस/आईएसओ 17574:2009)
- जैविक उत्पादन प्रणाली एवं जैविक रूप से उत्पादित उत्पादों की लेबलिंग भाग 1: फसल आधारित [(आईएस 16550 (भाग 1):2016]
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन - घरेलू/सामुदायिक स्तर पर पृथक्करण, संग्रह, एवं उपयोग-मार्गदर्शी सिद्धांत (आईएस 16557:2016)

■ 31 मार्च 2016 तक 18 781 मानक लागू थे। कुल 5 119 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया गया।

■ भारत सरकार ने इलैक्ट्रॉनिक और आईटी की 30 वस्तुओं को अनिवार्य पंजीकरण योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया है। 31 मार्च 2016 तक विश्व में निर्माताओं को दिए गए पंजीकरणों की संख्या 4 279 थी।

■ वर्ष के दौरान, 3 555 उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए। 31 मार्च 2016 को प्रचालित उत्पाद प्रमाणन लाइसेंसों की संख्या 31 347 थी।

■ वर्ष के दौरान उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 27 उत्पादों को पहली बार शामिल किया गया। ये उत्पाद इस प्रकार हैं :

- आईएस 11928 (भाग 1 और 2):1987 सामान्य सेवा के लिए मैन मेड रेशों से बने राउंडस्लिंग;
- आईएस 12866:1989 तापदृढ़ पोलिएस्टर रेजिन (कांच रेशा प्रबलित) से बनाई गई प्लास्टिक की पारभासी चद्दर;
- आईएस 6365:1971 प्रयोगशाला हेतु बिजली के ओवन;
- आईएस 6419:1996 संरचना इस्पात की गैस परिरक्षित आर्क वेल्डिंग के लिये वेल्डिंग छड़ें और अनावृत इलेक्ट्रोड-विशिष्टि;
- आईएस 6911:1992 स्टेनलैस इस्पात की प्लेट, चद्दरें तथा पत्तियाँ;

- आईएस 1170:1992 फैरोक्रोमियम;
- आईएस 7898:2001 मानव-चालित चारा काटने की मशीन;
- आईएस 1180 (भाग 1):2014 बाह्य-रंग तेल इम्मर्सड वितरण ट्रांसफार्मर 2500 kVA, 33kV तक;
- आईएस 15532:2004 फलों एवं सब्जियों के लिए प्लास्टिक क्रेटस;
- आईएस 5522:2014 बर्तनों के लिए स्टैनलेस इस्पात चद्दरें और पत्तियाँ;
- आईएस 13692:1993 मेटॉलेक्सिल मैन्कोजेब डब्ल्यूपी;
- आईएस 16111:2013 इलास्टिक पट्टी;
- आईएस 14613:1998 भुने हुए चने का आटा (चना सत्तू);
- आईएस 7123:1993 केश तेल;
- आईएस 11241:1985 वाष्प दाब पर प्रचालित सुवाह्य पोर्टेबल द्रवित पैट्रोलियम गैस साधित्र स्टोव;
- आईएस 4505:2015 सोडियम फोरमलडिहाइड सलफोआक्जिलेट;
- आईएस 952:1986 फायर ब्रिगेड में प्रयोग होने वाले फॉग नौजल;
- आईएस 902:1992 अग्नि शमन कार्यों के लिए चूषण होज युग्मन;
- आईएस 907:1984 अग्नि शमन प्रयोजनों के लिए बेलनाकार प्रकार का चूषण स्ट्रेनर;
- आईएस 6312:1994 सामग्रियों के परिवहन के लिए पॉलिइथाइलीन धारक;
- आईएस 73:2013 खंडजा डालने के लिए डामर;
- आईएस 4761:1968 बिना सपोर्ट वाला पीवीसी बरसाती कपड़ा;
- आईएस 15965:2012 पूर्व-रोगन की गई एल्यूमिनियम जिंक मिश्र धातु लेपित इस्पात पत्ती एवं चादरें (सादा);
- आईएस 2185 (भाग 1):2005 कंक्रीट की चिनाई वाली इकाइयाँ -खोखले एवं ठोस कंक्रीट ब्लॉक;
- आईएस 16186:2014 वस्त्रादि 50 किग्रा खाद्यान्न पैक करने के लिए हल्के भार वाले पटसन के बोरे;
- आईएस 10264:1982 अस्पतालों और औद्योगिक कैंटीनों के लिए, ट्रॉली, गर्म खाना;
- आईएस 5035:1969 निर्जर्मक, कटोरा और बर्तन (पेडल टाइप);

■ विदेशी निर्माता प्रमाणन योजना (एफएमसीएस) के अंतर्गत 68 लाइसेंस जारी किए गए, जिससे 73 भारतीय मानकों के लिए दिए जाने वाले प्रचालनाधीन लाइसेंसों की कुल संख्या 511 हो गई और ये निर्माता 44 देशों के हैं ।

■ 31 मार्च 2016 तक स्वर्ण एवं रजत हॉलमार्किंग के लिए कुल स्वर्ण एवं रजत के लाइसेंसों की संख्या क्रमशः 14 820 और 1 067 थी। बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रचालनाधीन एसेयिंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों की संख्या 370 थी। वर्ष के दौरान लगभग 3.49 करोड़ स्वर्ण और रजत आभूषणों/शिल्प वस्तुओं पर हॉलमार्क लगाया गया।

■ वर्ष के दौरान 43 गुणता प्रबंध पद्धति (क्यूएमएस) प्रमाणन लाइसेंस, 8 पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन (ईएमएस) लाइसेंस, 18 व्यावसायिक स्थलों पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति (ओएचएसएमएस) प्रमाणन लाइसेंस, 2 खाद्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति (एफएसएमएस) प्रमाणन लाइसेंस, 37 सेवा गुणता प्रबंध पद्धति (एसक्यूएमएस) प्रमाणन लाइसेंस और 6 ऊर्जा प्रबंध पद्धति (ईएनएमएस) प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए। 31 मार्च 2016 तक वर्ष के दौरान प्रमाणन के लिए प्रदान किए गये प्रबंध पद्धति प्रमाणन के अंतर्गत प्रचालित लाइसेंसों की संख्या 1 336 थी।

- बीआईएस ने 2013 में आईएस/आईएसओ 50001 के अनुसार ईएनएमएस शुरू की। इस योजना के कार्यान्वयन से कोई भी संगठन अनिवार्यतः ऑप्टिमम ऊर्जा की प्राप्ति एवं उपयोग करने एवं इसे बनाये रखने में समर्थ होता है, इसके द्वारा संगठन में ऊर्जा लागत एवं पर्यावरण पर विपरीत प्रभावों में कमी आती है। 31 मार्च 2016 को 12 ऊर्जा प्रबंध पद्धति लाइसेंस प्रचालन में थे।

- बीआईएस प्रयोगशालाओं में 18 374 नमूनों का परीक्षण किया गया। चैन्नई की स्वर्ण रेफरल एसेयिंग प्रयोगशाला ने 2 559 परीक्षण रिपोर्टें जारी कीं। इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएँ (अनिवार्य पंजीकरण की अपेक्षाएँ) आदेश 2012 के तहत आईटी उत्पादों के परीक्षण के लिए शामिल 23 प्रयोगशालाओं सहित, बीआईएस द्वारा मार्च 2016 तक मान्यता प्राप्त बाहरी प्रयोगशालाओं की संख्या 160 थीं।

- वर्ष के दौरान, 166 उपभोक्ता जागरुकता कार्यक्रम, 49 औद्योगिक जागरुकता कार्यक्रम और मानकों के शैक्षिक उपयोग के लिए 30 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवधि में 51 शिकायतें मिलीं और 35 शिकायतों का निपटान किया गया।

- बीआईएस ने मानक मुहर का दुरूपयोग करने वाली कंपनियों के विरुद्ध पूरे भारत में 128 तलाशी एवं जब्तियाँ कीं और ऐसे उत्पाद जब्त किए गए। अदालत में दोषियों के विरुद्ध समय से अभियोजन दायर करने के प्रयास किये गये।

- वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (निट्स) ने प्रबंध पद्धति पर 12वें अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, मानकीकरण एवं गुणता आश्वासन पर 48वें अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धति (एलक्यूएमएस) पर छठे अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में विभिन्न विकासशील देशों के 87 सहभागियों ने हिस्सा लिया।

- बीआईएस ने नई दिल्ली में दिनांक 04 से 08 मई 2015 तक 38वीं पैसिफिक एरिया स्टैंडर्डस कांग्रेस (पीएएससी) बैठक आयोजित की। पीएएससी एक क्षेत्रीय मानकीकरण निकाय है, जिसमें मुख्यतः पैसिफिक रिम से 24 सदस्य हैं। यह सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में गुणता एवं मानकीकरण क्षमता के सुधार के लिए समर्पित है।

- बीआईएस ने नई दिल्ली में 04 से 09 अक्तूबर 2015 के दौरन आईएसओ/टीसी 61 'प्लास्टिक्स' इसकी उपसमितियाँ, कार्यकारी समूहों की बैठक एवं संबद्ध परिसंवाद आयोजित किये। आईएसओ/टीसी 61 प्लास्टिक्स तकनीकी समिति, रबड़ एवं लाख को छोड़कर, प्लास्टिक के क्षेत्र में नामावली, परीक्षण-पद्धतियों एवं सामग्रियों एवं उत्पादों पर लागू विशिष्टियों पर आईएसओ मानकों के विकास के क्षेत्र में कार्यरत है।

- राष्ट्रीय भारतीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) का पुनरीक्षण - यह एक विशेष प्रकाशन है जो बिल्डिंग रेगूलेटरी अथोरिटी, सरकारी निर्माण विभाग एवं अन्य निर्माण एजेंसियों द्वारा अपनाने एवं प्रयोग के लिए एक मॉडल संहिता के रूप में है एवं ये बिल्डिंग प्लानिंग, डिजाइन एवं निर्माण इत्यादि से जुड़े सभी के लिए उपयुक्त है।

- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने डाटा सिक्योरिटी कांउसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) के सहयोग से दिनांक 26 से 30 अक्तूबर 2015 के दौरान जयपुर में वैश्विक मानकों पर कार्यकारी समूह बैठक आईएसओ/आईईसी/जेटीसी 1/एससी 27 बैठक की मेजबानी की।

- बीआईएस ने 26 से 27 अक्तूबर 2015 के दौरान नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी) के सहयोग से एलवीडीसी संबंधी प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय काफ्रेंस आयोजित की।

- भारतीय मानक ब्यूरो एवं मिनिस्ट्री ऑफ इकॉनोमी ऑफ किर्गिस्तान; किर्गिस्तान के बीच मानकों के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर माननीय प्रधानमंत्री की किर्गिस्तान की यात्रा के दौरान 12 जुलाई 2015 को हस्ताक्षर किये गये।

- दिनांक 28 जुलाई 2015 को भारतीय मानक ब्यूरो और स्लोवाक ऑफिस ऑफ स्टैंडर्डस, मैट्रोलॉजी एंड टेस्टिंग (एसओएसएमटी), स्लोवाक रिपब्लिक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।
- वित्त मंत्रालय ने दिनांक 5 नवंबर 2015 को स्वर्ण मौद्रीकरण योजना शुरु की। बीआईएस ने आर्थिक मामले विभाग एवं भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से स्वर्ण मौद्रीकरण योजना को अन्तिम रूप देने एवं इसके कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहली बार, गोल्ड बुलियन का प्रमाणन अक्तूबर 2015 में शुरू किया गया।
- बीआईएस की हरित पहल के भाग के रूप में, ऊर्जा अपेक्षाओं के अनुरूप बीआईएस मुख्यालय में 100 कि.वॉट क्षमता, चेन्नई में दक्षेका प्रयोगशाला में 100 कि.वॉट क्षमता, मुम्बई में पक्षेका में 40 कि. वॉट क्षमता एवं निट्स, नोएडा में 50 कि.वॉट क्षमता के रूफटॉप सौर ऊर्जा पॉवर संयंत्र स्थापित किये गये।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) की स्थापना के उपलक्ष्य में 14 अक्तूबर 2015 को विश्व मानक दिवस मनाया गया। इस वर्ष विश्व मानक दिवस की थीम 'मानक - विश्व की आम भाषा' थी।
- बीआईएस के मुख्यालय और इसके सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में 26 से 31 अक्टूबर 2015 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया।
- बीआईएस के मुख्यालय और उसके सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में 14 से 28 सितम्बर 2015 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसके दौरान निबंध लेखन, स्लोगन लेखन एवं वाद-विवाद जैसी हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।
- वर्ष के दौरान वैज्ञानिक-बी के पद के लिए 71 वैज्ञानिक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए । 31 मार्च 2016 तक बीआईएस में कुल 1 532 कर्मचारी थे।
- भारतीय मानक ब्यूरो ने वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों में संतोषजनक प्रगति बनाए रखी। ब्यूरो ने लगभग 390.83 करोड़ की कुल आय (निवेश पर ब्याज छोड़कर) अर्जित की और पिछले वर्ष की कुल आय रु. 345.43 लाख की तुलना में 2015-16 में आय में लगभग 13.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ब्यूरो लगातार सत्ताइसवें वर्ष भी अपनी व्यय तथा अन्य देयताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर रहा।

महानिदेशक

मानकीकरण

मानक निर्धारण

मानक सतत् प्रोटोकॉल स्थापित करके वस्तुओं, सामान, प्रक्रियाओं, प्रणाली तथा सेवाओं के विकास का मूलभूत आधार हैं, जो वैश्विक आधार पर समझे और अपनाए जाते हैं।

बीआईएस का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि वह उद्योगों तथा उपभोक्ताओं को समयबद्ध तरीके से आवश्यकता के आधार पर बने उपयुक्त भारतीय मानक,जो वैश्विक रूप से भी संगत हों, उपलब्ध कराए । ऐसे मानकों के निर्धारण हेतु बीआईएस संबंधित विभागीय परिषदों के अंतर्गत विषय विशेष के लिए बनी विषय समितियों, उपसमितियों और पैनल के लिए बनी तकनीकी समितियों के माध्यम से कार्य करता है। इन तकनीकी समितियों में संगठित उपभोक्ता, उपभोक्ता निकाय, नियामक व अन्य सरकारी निकाय, उद्योग, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद्, परीक्षण संगठन और विशेषज्ञों जैसे विभिन्न संबंधित प्रतिनिधि रहते हैं। इन समितियों में बीआईएस के संबद्ध अधिकारी भी होते हैं।

बीआईएस की उपयुक्त विषय समिति मानक निर्धारण के लिये विषय, प्रस्ताव के आधार पर लेती है। यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय, राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रशासकों, उपभोक्ता संगठनों, औद्योगिक इकाइयों, औद्योगिक संगठनों, व्यावसायिक संगठनों, ब्यूरो के सदस्यों और उसकी तकनीकी समितियों के सदस्यों द्वारा संबंधित विभागीय परिषद् के अनुमोदन से दिया जा सकता है।

मानक मसौदों एवं संबंधित तकनीकी प्रलेखों पर विस्तार से विचार करने के लिए 2015-2016 के दौरान तकनीकी समितियों की कुल 264 बैठकें हुईं। बीआईएस की यह नीति है कि वह उभरती प्रौद्योगिकियों पर मानक बनाता है और अप्रचलित मानकों को वापिस लेता है।

वर्ष के दौरान 609 (336 नए और 273 पुनरीक्षित) मानकों का निर्धारण किया गया। 31 मार्च 2016 को कुल 18 781 मानक लागू थे।

मानकों की समीक्षा

यथा आवश्यक होने पर भारतीय मानकों की समीक्षा की जाती है, लेकिन पांच वर्ष में कम से कम एक बार यह निश्चित किया जाता है कि ये मानक अभी भी प्रासंगिक हैं और इन्हें पुनर्पुष्ट करने, पुनरीक्षण, उनमें संशोधन जारी करने, अप्रचलित घोषित करने अथवा वापिस लेने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

सुमेलन

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में मानकों की भूमिका और व्यापार में नॉन-टैरिफ अवरोधों के रूप में कार्य करने की क्षमता की भूमिका को अधिक व्यापक रूप से मान्यता मिल रही है। विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि भारतीय मानकों को यथासंभव अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) तथा अंतर्राष्ट्रीय विद्युत-तकनीकी आयोग (आईईसी) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए । इसके अतिरिक्त, भारत व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) पर डब्लूटीओ करार पर हस्ताक्षरकर्ता है। करार के अनुसार, डब्लूटीओ के सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित करना आवश्यक हैं। तथापि, किसी देश को स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रामक रीतियों को लेकर विशेष चिंता है, तो राष्ट्रीय मानक निर्धारण करते समय उसे ध्यान में रखा जा सकता है/सम्मिलित किया जा सकता है। बीआईएस जहाँ कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय मानक विद्यमान हैं, उन्हें मानकों को बनाने का आधार मानता है। वर्ष के दौरान 129 भारतीय मानकों

को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया गया। अब तक कुल 5 119 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया गया जा चुका है, जो उपलब्ध संगत मानकों का 83 प्रतिशत है।

2015-16 के दौरान निर्धारित महत्त्वपूर्ण मानक

1. **आईएस 16444:2015 ए. सी. स्थैतिक सीधा जुड़ा वाटआवर स्मार्ट मीटर वर्ग 1 व 2-** इस मानक में एकल फेज़ और तीन फेज के संतुलित और असंतुलित लोड के 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा वाली सक्रिय विद्युत ऊर्जा के मापन हेतु वर्ग 1 व 2 के स्थैतिक वाटआवर स्मार्ट मीटरों की विशिष्टि दी गई है। पॉवर क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रम में स्मार्ट मीटर बहुत महत्त्वपूर्ण घटक हैं।

2. **आईएस 16390:2015 कृषि वस्त्रादि - तम्बाकू हारवेस्टर के लिए नॉयलन के बुने हुए बिना सीवन के दस्ताने** -इस मानक में नॉयलन के धागे से बुने बिना सीवन के दस्तानों का बनावटगत विवरण और कार्यकारिता अपेक्षाएँ दी गई हैं। इस मानक में पाँच विभिन्न साइजों को लिया गया है जिन्हें 0 से 4 साइज़ में अभिनामित किया गया है। तम्बाकू की फसल बोते और काटते समय इन दस्तानों का प्रयोग करने वाले कामगारों को हरित तम्बाकू (green tobacco) से होने वाली बीमारी से काफी हद तक बचाया जा सकता है।

3. **आईएस 16513:2016 कृषि वस्त्रादि - कृषि व बागवानी प्रयोजनों लिए कीट जाल** - इस मानक में फसल को एफाइड, व्हाइटफ्लाई, कैरट फ्लाई, कैबेज रूट फ्लाई तथा सूंडी (caterpillar) से बचाने के लिए कृषि एवं बागवानी प्रयोजनों के लिए कीट जाल (insect net) की संरचनात्मक तथा अन्य अपेक्षाएँ दी गई हैं। जाली के आधार पर टाइप I व टाइप III के कीट जालों को इस मानक में लिया गया है।

4. **आईएस 16531:2016 बायोडीज़ल ईंधन मिश्रण (बी 6 से बी 20 के लिए)** - इस मानक में डिलीवरी दिए जाने के स्थान और समय पर बी 6 से बी 20 के बायोडीज़ल मिश्रण की अपेक्षाएँ, नमूने लेने की प्रक्रिया तथा परीक्षण पद्धतियां दी गई हैं। व्यावसायिक बी 6 से बी 20 के मिश्रण के गुणधर्म इस्तेमाल की गई परिष्करण रीतियों और आसुत तेल ईंधन की प्रकृति तथा जैविक डीज़ल का उत्पादन किससे किया गया है, उस पर निर्भर हैं। यह ईंधन सभी वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं है। तद्नुसार, बी 6 से बी 20 के डीजल ईंधन की अपेक्षाओं को उन वाहनों के लिए उपयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है जो वाहन इस मानक में दिए गए भारत स्टेज III और भारत स्टेज IV के उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करते हैं।

5. **आईएस 16274:2015 हाइड्रोमीट्रिक आंकड़ों की संचरण प्रणालियाँ - प्रणालियों की आवश्यकताओं की विशिष्ट**-इस मानक में वे अपेक्षाएँ दी गई हैं जो हाइड्रोमीटरी आंकड़ा संचरण प्रणाली तथा उन प्रणालियों के लिए आवश्यक कार्यात्मकता के डिजाइन और संचालन में होनी चाहिए। हाइड्रोमीटरी डाटा संचरण प्रणाली जल संसाधन के रोजमर्रा के प्रबंधन और बाढ़, सूखे के पूर्वानुमान एवं चेतावनी तथा जल की गुणता और जन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली स्थितियों के लिए आंकड़े प्रदान करती है।

6. **आईएस 16601:2016 निर्माण करने वाले कामगारों के आवास और कल्याण अपेक्षाओं पर भारतीय मानक -मार्गदर्शी सिद्धांत**-इस मानक का उद्देश्य उपयोगकर्त्ताओं, परामर्शदाताओं, ग्राहकों और निर्माण करने वाले संगठनों को निर्माण करने वाले कामगारों के निवास के प्रावधानों पर लागू प्रक्रिया तथा मानदंडों के बारे में व्यावहारिक मार्गदर्शन देना है। इस मानक में निर्माण करने वाले कामगारों के आवास एवं कल्याण की अपेक्षाओं के सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं।

7. **आईएस 15883 (भाग 12):2016 निर्माण परियोजना प्रबंधन - मार्गदर्शी - सिद्धांतः भाग 12 - संघटन प्रबंधन** - इस मानक में इंटीग्रेशन प्रबंधन कार्यात्मकता के पक्ष दिए गए हैं जिसका प्रयोजन परियोजना के सभी स्टेकहोल्डरों को समन्वय की आवश्यक प्रक्रियाएँ प्रदत्त करना है। इस मानक के अनुपालन से परियोजना में शामिल विभिन्न घटकों, जैसे सिविल, आर्किटेक्ट, यांत्रिक और विद्युत इत्यादि के बीच तालमेल करना आसान हो जाता है। इसके साथ परियोजना के अन्य कार्य, जैसे कार्यक्षेत्र प्रबंधन, समय प्रबंधन, लागत प्रबंधन, गुणता प्रबंधन और प्रोक्योरमेंट प्रबंधन इत्यादि के बीच समन्वय करना सरल हो जाता है।

8. **आईएस/आईएसओ 15392:2008 भवन निर्माण में संवहनीयता पर भारतीय मानक - सामान्य सिद्धांत** - इस मानक में भवन निर्माण में संवहनीयता के सामान्य सिद्धांतों की पहचान की गई है और उन्हें स्थापित किया गया है। यह निरंतर विकास की अवधारणा पर आधारित है क्योंकि यह भवनों के जीवन चक्र और अन्य निर्माण कार्यो में उनके आरंभ से लेकर अंत तक कार्यान्वित होता है। यह मानक भवनों और अन्य निर्माण कार्यो के साथ-साथ भवनों तथा अन्य निर्माण के जीवन चक्र से संबंधित सामग्री, उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं पर लागू होता है।

9. **आईएस/आईएसओ/टीएस 14904:2002 सड़क परिवहन और यातायात टैलीमेटिक्स- विद्युत शुल्क संग्रहण (ईएफसी) - ऑपरेटरों के बीच क्लीयरिंग हेतु इंटरफेस की विशिष्टि** -इस मानक में ऑपरेटरों के बीच क्लीयरिंग के लिए इंटरफेस निर्दिष्ट किए गए हैं और यह मानक इंटरफेस में प्रयुक्त होने वाले सामान्य संदेश ढांचा और आंकड़ों घटकों के लिए फ्रेमवर्क देता है।

10. **आईएस/आईएसओ 17573:2010 इलैक्ट्रॉनिक शुल्क संग्रहण - वाहनों से संबंधित टोलिंग के लिए सिस्टम आर्किटेक्चर**-यह मानक उस टोल प्रणाली परिवेश का आर्किटेक्टर परिभाषित करती है, जिसमें एक कान्ट्रेक्ट से ग्राहक, वाहन को अलग-अलग टोल क्षेत्र में उपयोग करता है और प्रत्येक टोल क्षेत्र के लिए भिन्न टोल चार्जर का उपयोग कर सकता है।

11. **आईएस/आईएसओ 17574:2009 इलैक्ट्रॉनिक शुल्क संग्रहण - सुरक्षा संरक्षण प्रोफाइल के मार्गदर्शी सिद्धांत** -इस मानक में सुरक्षा अपेक्षाओं को विशिष्ट बनाने और मूल्यांकन के मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं, जो आईसओ/आईईसी 15408 सीरिज और आईएसओ/आईईसी टीआर 15446 में सुरक्षा प्रोफाइल (पीपी) के रूप में उल्लिखित है। सुरक्षा प्रोफाइल से अभिप्राय उन उत्पादों या पद्धतियों के संवर्ग की सुरक्षा अपेक्षाओं से हैं, जो विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

12. **आईएस 16550 (भाग 1) : 2016 जैविक उत्पादन प्रणाली एवं जैविक रूप से उत्पादित उत्पादों की लेबलिंग : भाग 1 फसल आधारित** -इस मानक में निर्यात तथा घरेलू बाज़ार के लिए फसल आधारित जैविक रूप से उत्पादित फसल उत्पादों की एक समान अपेक्षाएँ दी गई हैं।

13. **आईएस 16557:2016 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन - घरेलू/सामुदायिक स्तर पर पृथक्करण, संग्रह, एवं उपयोग-दिशानिर्देश** -इस मानक में घरेलू और/अथवा सामुदायिक स्तरों पर निकलने वाले अपशिष्ट कचरे को अलग करने, संग्रह तथा उसके उपयोग की मार्गदर्शिका दी गई है। स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा करने की दृष्टि से ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन पर यह मानक अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

2015-16 के दौरान संशोधित महत्त्वपूर्ण मानक

1. **आईएस 15351:2015 कृषि वस्त्रादि - वाटर प्रूफ लाइनिंग के लिए उच्च घनत्व वाले लेमिनेटित पॉलीइथाइलीन (एचडीपीई) के बुने जियो मेम्ब्रेन (*दूसरा पुनरीक्षण*)** -इस मानक में निम्न घनत्व वाले पॉलीइथाईलीन (एलडीपीई) अथवा एलडीपीई और एलएलडीपीई के उपयुक्त मिश्रण से लेमिनेटित उच्च

घनत्व वाले पॉलीइथाइलीन (एचडीपीई) के बुने जियो मेम्ब्रेन की अपेक्षाएँ दी गई हैं, जिनका प्रयोग नहरों, तालाबों तथा जलाशयों में लाइनिंग के तौर पर रिसाव को रोकने के लिए किया जाता है। एचडीपीई बुने जियो मेम्ब्रेन की मोटाई और द्रव्यमान के आधार पर मानक में इसकी चार किस्में (टाइप I से टाइप IV) शामिल की गई हैं।

2. **आईएस 16008 (भाग 1) : 2016 एग्रो वस्त्रादि - कृषि और बागवानी प्रयोजनों के लिए छाया देने वाले जालः भाग 1 टेप धागों से निर्मित जाल** (***पहला पुनरीक्षण***) -इस मानक में कृषि एवं बागवानी प्रयोजनों के लिए टेप धागा निर्मित सिंथेटिक एग्रो शेड जाल की संरचनागत और अन्य कार्यकारिता संबंधी अपेक्षाएँ दी गई हैं। इन जालों का प्रयोग वातावरण की स्थितियों को आंशिक रूप से नियंत्रित करके फसल को सुरक्षित करने/बढ़ाने के लिए होता है। पड़ने वाली छाया के प्रतिशत के आधार पर 50, 75 और 90 प्रतिशत छाया वाले जालों को मानक में शामिल किया गया है।

3. **आईएस 16046:2015/आईईसी 62133:2012 सेकेंडरी सैल और अल्कलाइन युक्त बैटरियाँ अथवा अन्य गैर-अम्लीय इलैक्ट्रोलॉइट- पोर्टेबल अनुप्रयोगों में प्रयुक्त होने वाले पोर्टेबल सील्ड सेकेंडरी सैल और उनसे बनी बैटरियों की सुरक्षा अपेक्षाएँ** (***पहला पुनरीक्षण***) -इस मानक में पोर्टेबल सील्ड सेकेंडरी सैल और अल्कलाइन युक्त बैटरियों (बटन को छोड़ कर) या अन्य गैर-अम्लीय इलैक्ट्रोलाइट के वांछित प्रयोग और संभावित दुरूपयोग को देखते हुए इनकी अपेक्षाएँ तथा सुरक्षित प्रचालन हेतु परीक्षण दिए गए हैं। इस प्रकार की बैटरियों का प्रयोग लैपटॉप, पॉवर बैंक इत्यादि में व्यापक रूप से किया जाता है ।

4. **आईएस 14534:2016 प्लास्टिक - प्लास्टिक कचरे की रिकवरी और पुनर्चक्रण के मार्गदर्शी सिद्धांत** (***पहला पुनरीक्षण***) - इस मानक में प्लास्टिक कचरे/कबाड़ को चुनने, अलग करने और उसे प्रोसेस करने के मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं। मानक में उपभोक्ता के पास पहुँचने से पूर्व और उपभोक्ता के यहाँ से निकलने के बाद प्लास्टिक कचरे की रिकवरी के विभिन्न विकल्प दिए गए हैं।

5. **आईएस/आईएसओ 9001:2015 गुणता प्रबंध पद्धति** (***चौथा पुनरीक्षण***) -इस मानक में गुणता प्रबंध पद्धति की वे अपेक्षाएँ निर्दिष्ट की गई हैं, जो किसी संगठन के लिए तब आवश्यक होती हैं, जब वह संगठन अपने उत्पादों और सेवाओं की निरंतरता से देने की क्षमता को प्रदर्शित करना चाहता है और जो उपभोक्ताओं तथा लागू सांविधिक और नियामक अपेक्षाओं को पूरा करते हों। इस मानक में दी गई सभी अपेक्षाएँ जेनरिक हैं और सभी संगठनों के लिए हैं, चाहे उनका आकार कुछ भी हो अथवा वे कौन सा उत्पाद बना रहे हैं या सेवाएँ दे रहे है।

6. **आईएस 616/आईईसी 60065:2014 ऑडियो, वीडियो एवं समान इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर - सुरक्षा अपेक्षाएँ** (***पाँचवां पुनरीक्षण***) - यह मानक सामान्य उपयोग, मुख्य रूप से घरेलू तथा समान उपस्करों के लिए हैं। मेन्स, आपूर्ति उपस्कर से, बैटरी से अथवा रिमोट पॉवर फीडिंग से चलने वाले विद्युत के उपकरणों और ऑडियो, वीडियो और संबद्ध सिग्नलों के रिसेप्शन, उत्पत्ति, रिकार्डिंग या पुनरोत्पादन के लिए तैयार किया गया है।

7. **आईएस/आईएसओ/आईईसी 27001:2013 सूचना प्रौद्योगिकी - सुरक्षा तकनीकें - सूचना सुरक्षा प्रबंध पद्धतियाँ - अपेक्षाएँ** (***पहला पुनरीक्षण***) -इस मानक में किसी संगठन के अंदर सूचना सुरक्षा प्रबंध पद्धति को स्थापित, कार्यान्वित तथा उसका रख-रखाव करने और उसमें निरंतर सुधार करने की अपेक्षाएँ निर्दिष्ट की गई हैं। इस मानक में निर्दिष्ट की गई अपेक्षाएँ जैनरिक प्रकृति की हैं और ये सभी प्रकार के

संगठनों पर लागू हैं, चाहे उनका प्रकार, साइज तथा प्रकृति कुछ भी हो ।

8. **आईएस 383 : 2016 कंक्रीट के लिए मोटा तथा महीन मिलावा (*तीसरा पुनरीक्षण*)** - इस पुनरीक्षण में गुणता अपेक्षाओं के बारे में प्रावधान शामिल किए गए हैं और ये प्रावधान लोहा धातुमल, इस्पात धातुमल, तांबा धातुमल तथा तापीय पॉवर संयंत्र से निकली बोटम राख, पुनःचक्रित मिलावा (आरसीए), पुनःचक्रित कंक्रीट मिलावा की उपयोगिता की सीमा से संबद्ध हैं और इसमें उनकी उपयोगिता से संबंधित आवश्यक प्रावधान भी शामिल हैं। आरसीए और आरए को निर्माण और ढहाने से निकले मलबे से भी बनाया जा सकता है।

9. **आईएस 3024:2015 ग्रेन ओरिएन्टिड विद्युत इस्पात चद्दर और पट्टी (*तीसरा पुनरीक्षण*)** - इस मानक में चपटी वेल्लित, पूर्णतः संसाधित (अंतिम अनीलित अवस्था में) ग्रेन ओरिएन्टिड विद्युत इस्पात चद्दर और पट्टी की अपेक्षाएँ शामिल की गई हैं, जो वाणिज्यिक पॉवर फ्रीक्वेन्सी तथा अन्य चुम्बकीय परिपथों में मध्यम से लेकर उच्च प्रेरण पर प्रचालित होने वाले ट्रांसफार्मर क्रोडों के निर्माण के लिए वांछित हैं। इस मानक में जिन विद्युत इस्पात ग्रेडों का विवरण दिया गया है, उनमें 1.7 टेसला, 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक परीक्षित की गई पारम्परिक और उच्च पारगम्यता वाली ग्रेन ओरिएन्टिड विद्युत इस्पात चद्दरें शामिल हैं।

विशेष प्रकाशन

भारत की भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) का पुनरीक्षण - यह एक विशेष प्रकाशन है, जो भवन निर्माण नियामक प्राधिकरणों, सरकार के निर्माण संबंधी विभागों तथा अन्य निर्माण से जुड़ी एजेंसियों द्वारा अपनाने और उपयोग करने के लिए एक आदर्श संहिता है और यह संहिता भवन की आयोजना, डिजाइन तथा निर्माण आदि से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी है। भारत की भवन निर्माण संहिता - 2005 का पुनरीक्षण एक बहुत बड़ा कार्य था, जिससे लगभग 1 000 विशेषज्ञ जुड़े हुए थे। भारत की भवन निर्माण संहिता के मसौदे को जब अंतिम रूप दिया गया तो उसमें दिव्यांग व्यक्तियों तथा वृद्धजनों के लिए बाधारहित वातावरण बनाने के लिए, आधुनिक हाई-राइज भवनों की अग्नि से सुरक्षा के अधिक विस्तृत प्रावधान शामिल किए गए, पूर्व संविरंचित संरचना कार्य पर अधिक ध्यान दिया गया, भवन तथा प्लंबिंग सेवाओं पर विस्तृत प्रावधान तथा संरचनात्मक ग्लेजिंग, आईटी इनेबल्ड भवन, ठोस कचरा प्रबंधन और परिसम्पत्तियाँ तथा सुविधा प्रबंधन पर नए अध्याय जोड़े गए ।

आयोजित संगोष्ठियाँ/सम्मेलन

बीआईएस भारतीय मानकों के बारे में जागरूकता फैलाने, वर्तमान मानकों के बारे में फीडबैक प्राप्त करने और मानकीकरण के नए क्षेत्रों की पहचान करने में निर्माता, उपयोगकर्त्ता, अनुसंधान तथा विकास और वैज्ञानिक संगठनों, सरकारी निकायों तथा व्यावसायिक संस्थानों इत्यादि, जैसे स्टेकहोल्डरों को शामिल करते हुए अभिज्ञात क्षेत्रों में सम्मेलन/संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ आयोजित करता है। वर्ष के दौरान बीआईएस ने कई संगोष्ठियाँ/ कार्यशालाएँ आयोजित कीं। इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ इस प्रकार हैं:

1. **'तकनीकी वस्त्रादि में मानकीकरण - गेटवे टू मेक इन इंडिया'** - बीआईएस द्वारा 20 जुलाई 2015 को एक संगोष्ठी आयोजित की गई। उपर्युक्त संगोष्ठी में तकनीकी वस्त्रादि उद्योग, व्यापार, नियामक निकायों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, सरकारी तथा महत्त्वपूर्ण उपयोगकर्त्ताओं के 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी में कई महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की गईं - जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पर्यावरण संबंधी सरोकारों को ध्यान में रखते हुए इसमें जियोटैक, एग्रोटेक, मेडटैक, प्रोटैक, पैकटैक, तकनीकी वस्त्रादि क्षेत्रों में वस्त्रादि मंत्रालय तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से घनिष्ठ संपर्क रखते हुए फास्ट ट्रेक हेतु रोडमेप बनाना शामिल था ।

2. **'तकनीकी वस्त्रादि-स्मार्ट भविष्य की दिशा में' टैक्नोटैक्स 2016 का कर्टन रेजर** - टैक्नोटैक्स 2016 (मुम्बई में 21-23 अप्रैल 2016 को) का कर्टन रेजर 29 जनवरी 2016 को नई दिल्ली में आयोजित किया

गया। इस समारोह में माननीय वस्त्रादि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने एग्रो वस्त्रादि पर राष्ट्रीय महत्त्व के 5 मानकों का विमोचन किया।

'तकनीकी वस्त्रादि में मानकीकरण-गेटवे टू मेक इन इंडिया' पर संगोष्ठी- कर्टन रेजर

3. **'तकनीकी वस्त्रादि में ज्वाला विमंदन के मानकीकरण पर कार्यशाला'** - बीआईएस और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII) के साथ संयुक्त रूप से नई दिल्ली में 1 सितम्बर 2015 को एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में अग्नि विमंदन उद्योग, व्यापार, नियामक निकायों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, सरकारी तथा महत्त्वपूर्ण उपयोगकर्त्ताओं के 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष अग्नि विमंदक वस्त्रादि वस्तुओं के लिए मानक मुहर के अनिवार्य उपयोग हेतु 'अग्नि विमंदक वस्त्रादि सामग्री (गुणता नियंत्रण) आदेश' के मसौदे के कार्यान्वयन पर स्टेकहोल्डरों के बीच सहमति बनाना था ।

4. **तकनीकी वस्त्रादि में व्यापार संभावना पर इंडो-जर्मन राउंड टेबल संगोष्ठी** - मुम्बई में 30 सितम्बर 2015 को मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और उत्पाद सुरक्षा में सहयोग के लिए गुणता अवसंरचना पर इंडो-जर्मन वर्किंग ग्रुप के अंतर्गत राउंड टेबल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह राउंड टेबल संगोष्ठी जीआईजेड और बीआईएस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई। इसके सहभागी (लगभग 50) एसएमई तथा बहुराष्ट्रीय स्तर के तकनीकी वस्त्रादि के निर्माता, व्यापारी, जर्मनी और भारतीय पक्ष से संबंधित संस्थाएँ, अनुसंधान संस्थान तथा परीक्षण संस्थानों से थे। राउंड टेबल संगोष्ठी में गुणता अवसंरचना की भूमिका और तकनीकी वस्त्रादि में इंडो-जर्मन व्यापार में मानकीकरण पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया ।

5. **'खाद्यान्न पैक करने के लिए एचडीपीई/पीपी के बुने हुए बोरे के निर्माताओं' की उद्योग बैठक** - अहमदाबाद में 20 फरवरी 2016 को उद्योग बैठक आयोजित की गई । इस बैठक में एचडीपीई/पीपी के बुने हुए बोरों के उद्योग, परीक्षण प्रयोगशालाओं, जीएआईएल तथा आईओसीएल जैसी कच्ची सामग्री के आपूर्तिकर्त्ताओं के 60 सहभागियों ने भाग लिया। उद्योग बैठक में एचडीपीई/पीपी के बुने हुए बोरे के मानकीकरण और प्रमाणन की स्थिति पर प्रस्तुतीकरण दिए गए। संगोष्ठी के दौरान यह तथ्य निकला कि एचडीपीई/पीपी के बुने हुए बोरे के मानकों का कार्यान्वयन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, ताकि खाद्यान्न और चीनी इत्यादि जैसी अनिवार्य वस्तुओं का भण्डारण सुनिश्चित किया जा सके ।

6. **'पर्यटन क्षेत्र के मानकों' पर संगोष्ठी** - बीआईएस के प्रबंध पद्धति विभाग ने 29 मार्च 2016 को नई दिल्ली में इस संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में विभिन्न उद्योग संस्थाओं, सरकार तथा टूर ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 45 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी में इस क्षेत्र में मानकों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया गया, राष्ट्रीय मानक बनाने के लिए टूरिज़्म क्षेत्र के

संभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए स्टेकहोल्डरों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया और बीआईएस ने इस क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों मानकों को बनाने की प्रक्रिया में स्टेकहोल्डरों से सक्रिय रूप से भाग लेने का अनुरोध किया।

7. **आईएसओ/आईईसी/जेटीसी 1/एससी 27 की 'आईटी सुरक्षा तकनीकों' पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक** - बीआईएस ने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) के साथ मिलकर वैश्विक मानक 'आईटी सुरक्षा तकनीकें' आईएसओ/आईईसी/जेटीसी 1/एससी 27 वर्किंग ग्रुप की बैठकें जयपुर में 26-30 अक्टूबर 2015 के दौरान आयोजित कीं। पहली बार सूचना सुरक्षा मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक भारत में आयोजित की गई। आईएसओ/आईईसी/जेटीसी 1/एससी 27 सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा तकनीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निकायों - आईएसओ तथा आईईसी की संयुक्त तकनीकी समिति है। इंटरनेट ऑन थिंग्स (आईओटी) क्लाउड कंप्यूटिंग तथा कई अन्य समसामयिक प्रौद्योगिकियों में प्राइवेसी, सुरक्षा तथा जोखिम प्रबंधन पर फोरगोइंग अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर 5 दिन की बैठकों में लगभग 300 विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे ।

आईटी सुरक्षा तकनीकें आईएसओ/आईईसी/जेटीसी 1/एससी 27 के वर्किंग ग्रुप की बैठक तथा साइबर सुरक्षा तथा प्राइवेसी मानकों पर जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

8. **साइबर सुरक्षा तथा प्राइवेसी मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन** - जयपुर में 30 अक्टूबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया । इस सम्मेलन में 30 से अधिक देशों ने भाग लिया । इनमें आईएसओ/आईईसी/जेटीसी 1/एससी 27 के वर्किंग ग्रुप 1 के कन्वीनर प्रोफेसर एडवर्ड हमफ्रेज तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के नेशनल साइबर सिक्योरिटी को-आर्डिनेटर डॉ. गुलशन राय भी शामिल थे। यह संगोष्ठी वैश्विक साइबर सुरक्षा मानकों की आवश्यकता से विभिन्न स्टेकहोल्डरों को परिचित कराने में सफल रही और इसमें वर्तमान फ्रेमवर्क में इसे कार्यान्वित करने के विभिन्न उपायों पर भी चर्चा की गई ।

9. **'ऊर्जा संरक्षण के लिए मानकीकृत पंप' पर संगोष्ठी** - बीआईएस द्वारा अहमदाबाद में 03 सितम्बर 2015 को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में पंप निर्माता, उपभोक्ता, बीआईएस पंप लाइसेंसधारी, संबंधित सरकारी विभागों जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डरों तथा बीआईएस के अधिकारियों सहित 60 से अधिक लोगों ने भाग लिया। संगोष्ठी के दौरान, इस विषय पर कई आलेख प्रस्तुत किए गए, जैसे वर्तमान

पंपसेटों की हाइड्रोलिक तथा विद्युत कार्यकारिता में सुधार के लिए वैकल्पिक तकनीकें, कृषि पंपिंग प्रणाली में ऊर्जा संरक्षण, विश्लेषणों के माध्यम से ऊर्जा दक्ष मोटरों तथा पंपों के डिजाइन को श्रेष्ठ बनाना ।

10. **स्मार्ट ग्रिड : मानकीकरण तथा कार्यान्वयन अनुभव पर कार्यशाला** - इंडो-जर्मन सहयोग के एक भाग के रूप में जीआईजेड के सहयोग से स्मार्ट ग्रिड : मानकीकरण तथा कार्यान्वयन अनुभव पर कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला 14 मार्च 2016 को नई दिल्ली में स्मार्ट ग्रिड मानकों के क्षेत्र में हुए अद्यतन विकासों से उद्योग, शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों तथा विभिन्न सरकारी निकायों को परिचित कराने के लिए आयोजित की गई।

14 मार्च 2016 को नई दिल्ली में स्मार्ट ग्रिड मानकीकरण पर आयोजित कार्यशाला

11. **लो वोल्टेज डारेक्ट करेंट (एलवीडीसी) - बिजली को पुनर्परिभाषित करने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-** बीआईएस ने नई दिल्ली में 26-27 अक्टूबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय विद्युत-तकनीकी आयोग (आईईसी) के सहयोग से एलवीडीसी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। एलवीडीसी नई अवधारणा/उभरती हुई प्रौद्योगिकी है जो यथासंभव सीमा तक सौर तथा पवन, जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से बिजली पैदा करने और उसके वितरण, दोनों के लिए डारेक्ट करेंट (डीसी) की संभावना को एक्सप्लोर करती है। विद्युत ऊर्जा की लगातार बढ़ती मांग, क्षय होता जीवाश्म -ईंधन, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण तथा स्वच्छ पर्यावरण जैसे बढ़ते सरोकारों पर ध्यान केंद्रित करने की इसमें अत्यधिक संभावना के कारण विश्व के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का ध्यान अभी हाल ही में एलवीडीसी की ओर आकृष्ट हुआ है।

12. **खाद्यान्न भण्डारण गोदामों के मानकों पर संगोष्ठी** - बीआईएस ने 07 अक्टूबर 2015 को नई दिल्ली में खाद्यान्न भण्डारण गोदामों के मानकों पर संगोष्ठी आयोजित की। यह संगोष्ठी खाद्यान्न भण्डारण से संबंधित भारतीय मानकों, विशेष रूप से आईएस 16144:2014 'खाद्यान्न भण्डारण गोदाम - रीति संहिता' के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के बीआईएस के संवर्धन अभियान के रूप में आयोजित की गई थी। यह संगोष्ठी खाद्यान्न भण्डारण गोदामों के क्षेत्र में, वैज्ञानिक खाद्यान्न भण्डारण संरचनाओं के निर्माण को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं, देश में वेयर हाउसिंग को नियंत्रित करने वाले विनियमों पर बीआईएस द्वारा विकसित किए गए मानकों के बारे में संक्षिप्त विवरण देने पर केन्द्रित थी।

13. **'रिसाव क्षति का आकलन और नहरों के अस्तर' पर संगोष्ठी** - 22 जनवरी 2016 को गुवाहाटी में बीआईएस के जल संसाधन विभाग ने ब्रह्मपुत्र के सहयोग से रिसाव क्षति का आकलन और नहरों के अस्तर पर संगोष्ठी आयोजित की। यह संगोष्ठी उत्तर-पूर्व क्षेत्र में आयोजित इस प्रकार की पहली संगोष्ठी थी, जिसका उद्देश्य नहरों के अस्तर के वर्तमान मुद्दों पर वैज्ञानिक समुदाय के विविध समूहों और संबंधित फील्ड इंजीनियरों के बीच विचार और जानकारी के आदान-प्रदान का अवसर उपलब्ध कराना था। यह संगोष्ठी उन्नत पहलों के क्षेत्र में नए मानक बनाने और वर्तमान मानकों को अपडेट करने, उत्कृष्ट रीतियों के विकास और सम्प्रेषण में सहायता प्रदान करने पर विचार करने के लिए थी।

गुवाहाटी में 'रिसाव क्षति का आकलन और नहरों के अस्तर' पर आयोजित संगोष्ठी

मानकों का प्रकाशन

बीआईएस अपने प्रकाशन विभाग के माध्यम से भारतीय मानकों और संशोधनों के इलैक्ट्रॉनिक प्रकाशन और राजपत्र में प्रकाशित मानकों और संशोधनों की अधिसूचना का कार्य करता है। वर्ष के दौरान 327 नए मानक, 128 पुनरीक्षित मानक और 169 संशोधन प्रकाशित किए गए।

प्रमाणन

उत्पाद प्रमाणन

बीआईएस उत्पाद प्रमाणन योजना का प्रचालन करता है, जो *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,* 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों द्वारा नियंत्रित की जाती है। उत्पाद पर मानक मुहर (आईएसआई के रूप में लोकप्रिय) का लगा होना यह दर्शाता है कि उत्पाद संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप है। बीआईएस किसी निर्माता को लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व निर्माता के पास आवश्यक अवसंरचना तथा क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित करता है और संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप बने उत्पाद की सतत् रूप से जाँच करता है। उत्पादन स्थल और बाज़ार से भी नमूने लिए जाते हैं और स्वतंत्र प्रयोगशाला में संबद्ध भारतीय मानक से उनकी अनुरूपता की जाँच सुनिश्चित की जाती है।

प्रमाणन योजना मूलतः स्वैच्छिक प्रकृति की है, परंतु जनहित में बहुत से उत्पादों को सरकार ने विभिन्न वैधानिक प्रावधान, जैसे *खाद्य निरापदता तथा मानक अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, भारतीय विस्फोटक सामग्री अधिनियम, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, शिशुओं हेतु दुग्ध विकल्पी आहार, दूध पिलाने की बोतल और शिशु आहार अधिनियम* और *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम* आदि के माध्यम से इसे अनिवार्य बनाया गया है। अनिवार्य प्रमाणन योजना में शामिल कुछ वस्तुएँ, जैसे एलपीजी सिलिंडर, दूध पाउडर, संघनित दूध, शिशुओं के लिए धान्य से बने आहार, मलाई रहित दूध पाऊडर, शिशुओं के लिए दूध विकल्पी आहार, हैक्सेन खाद्य ग्रेड, डॉक्टरी थर्मामीटर, पैकेजबंद पेयजल, पैकेजबंद प्राकृतिक खनिज जल, बिजली की इस्तरी और निमज्ज्य वाटर हीटर की सुरक्षा अपेक्षाएँ, केबल, स्विच, बिजली के बल्ब तथा सीएफएल, सर्किट ब्रेकर, ऊर्जा मीटर, शुष्क बैटरियां, इस्पात ट्यूब, तेल दाब स्टोव, एक्सरे उपकरण, दूध पिलाने की प्लास्टिक की बोतलें, सीमेंट, इस्पात एवं इस्पात के उत्पाद, मोटर वाहनों के लिए हवा भरे टायर एवं ट्यूब, केंद्रीकृत कास्ट डक्टाइल आयरन प्रैशर पाइप, प्रैशर पाइपों के लिए डक्टाइल आयरन फिटिंगें, बिजली के ट्रांसफार्मर इत्यादि हैं।

वर्ष के दौरान 3 555 नए लाइसेंस प्रदान किए गए, जिसमें 27 उत्पाद इस योजना के अंतर्गत पहली बार शामिल किए गए। ये उत्पाद आईएस 11928 (भाग 1 और 2):1987 - सामान्य सेवा के लिए मानव द्वारा निर्मित रेशे के बने राउंड स्लिंग; आईएस 12866:1989 - थर्मोसेटिंग पॉलिएस्टर रेजिन (ग्लास रेशा प्रबलित) से बनी प्लास्टिक की पारभासी चद्दरें; आईएस 6365:1971 - प्रयोगशाला विद्युत ओवन; आईएस 9419:1996 - संरचनात्मक इस्पात के गैस शील्डयुक्त आर्क वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग की छड़ें और नंगे इलेक्ट्रोड्स; आईएस 6911:1992 - स्टैनलेस इस्पात की प्लेट, चद्दरें और पत्तियाँ) आईएस 1170:1992 - फेरोक्रोमियम; आईएस 7898:2001 - मानव चलित चारा काटने की मशीन; आईएस 1180 (भाग 1): 2014 - बाह्य रंग तेल इम्मर्सड वितरण ट्रांसफार्मर 2 500 kVA, 33 kV तक, आईएस 15532:2004 - फलों एवं सब्जी के लिए प्लास्टिक के क्रेटस; आईएस 5522:2014 - बर्तनों के लिए स्टैनलेस इस्पात की चद्दरें और पत्तियाँ, आईएस 13692:1993 मेटॉल्शॉइल मेन्कोजेब (8+64)% डब्ल्यूपी; आईएस 16111:2013 - इलास्टिक पट्टी; आईएस 14613:1998 - भुने चने का आटा (चने का सत्तू); आइएस 7123:1993 - केश तेल; आईएस 11241:1985 वाष्प दाब पर प्रचालन के सुवाह्य द्रवित पैट्रोलियम गैस स्टोव उपकरण; आईएस 4505:2015 - सोडियम फार्माल्डीहाइडी सल्फोक्सीलेट; आईएस 952:1986 फायर ब्रिगेड में प्रयोग होने वाले फॉग नोजल; आईएस 902:1992 - अग्नि शमन कार्यों के लिए चूषण हौज युग्मक; आईएस 907:1984 - अग्नि शमन प्रयोजनों के लिए सिलिंडर टाइप अवचूषण स्ट्रेनर; आईएस 6312:1994 - सामग्रियों के परिवहन के लिए पॉलिइथाइलीन के धारक; आईएस 73:2013 - खड़ंजा डालने का डामर; आईएस 4761:1968 - बिना सपोर्ट वाला पीवीसी बरसाती कपड़ा; आईएस 15965:2012 - पूर्व रोगन की गई एल्युमिनियम जिंक मिश्रधातु लेपित इस्पात की पत्ती और चद्दर (सादा); आईएस 2185 (भाग 1):2005 कंक्रीट चिनाई वाली इकाईयाँ - खोखले और

ठोस-कंक्रीट ब्लॉक; आईएस 16186:2014 50 किग्रा खाद्यान्न पैक करने के लिए हल्के भार वाले पटसन के बोरे; आईएस 10264:1982 अस्पताल और औद्योगिक कैंटीन के लिए ट्राली, गर्म खाना; आईएस 5035:1969 निर्जर्मक, कटोरा और बर्तन (पेडल टाइप) हैं।

बीआईएस प्रमाणन मुहर योजना के अंतर्गत शामिल भारतीय मानकों की कुल संख्या 941 है। 31 मार्च 2016 को प्रचालन लाइसेंसों की कुल संख्या 31 347 थी।

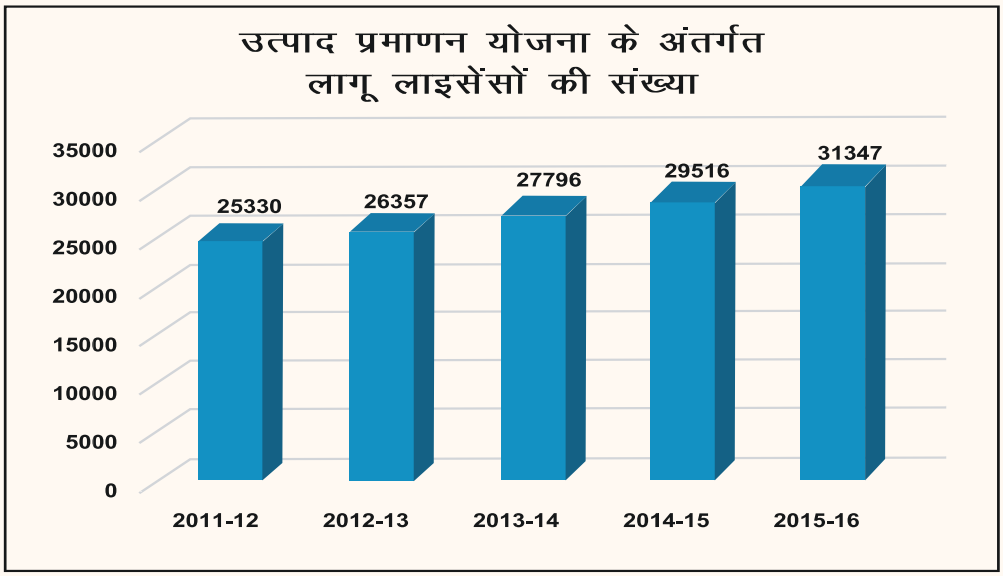

निगरानी और लाइसेंसधारियों की बैठक

लाइसेंसों के प्रचालन को मॉनीटर करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान कुल 11 763 निरीक्षण किए गए और 6 665 लॉट निरीक्षण किए गए। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र परीक्षण के लिए (बाजार से खरीदे नमूनों सहित) 22 288 नमूने लिए गए।

भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणन मुहर योजना के प्रचालन के बारे में फीडबैक प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से लाइसेंसधारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान, लाइसेंसधारियों के साथ 49 समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें पैकेजबन्द पेयजल; दूध एवं दूध के उत्पाद; बिजली के उपकरण, सीमेंट, पम्प, पीवीसी उत्पाद, इस्पात तथा प्लास्टिक उत्पाद, पूर्व ढलित कंक्रीट उत्पाद; प्लाईवुड उत्पाद, सिंचाई उपस्कर; पीवीसी रोधी केबल; ट्रांसफार्मर; एल पी जी सिलिन्डर; वाल्व एवं रेगुलेटर इत्यादि क्षेत्र शामिल हैं।

त्रिसूर में आयोजित लाइसेंसी बैठक

विदेशी विनिर्माता प्रमाणन योजना (एफएमसीएस)

बीआईएस विदेशी विनिर्माताओं के लिए अलग योजना का प्रचालन करता आ रहा है। इस योजना के अंतर्गत विदेशी विनिर्माता भारतीय मानक ब्यूरो की मुहर अपने उत्पाद(दों) पर लगाने के लिए बीआईएस से प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं । 2015-2016 के दौरान, एफएमसीएस के अंतर्गत 68 लाइसेंस जारी किए गए, जिससे 73 भारतीय मानकों के लिए लागू लाइसेंसों की संख्या बढ़कर 511 हो गई। लगभग 45 देशों को प्रदान किए गए लाइसेंसों में इस्पात एवं इस्पात उत्पाद; सीमेंट; पीवीसी रोधी केबल; ऑटोमोबाइल वाहनों के लिए टायर एवं ट्यूब; प्लास्टिक की दूध पिलाने की बोतलें; स्विचगियर उत्पाद; प्लग एवं सॉकेट-आउटलेट और स्विच; एचडीपीई एवं यूपीवीसी पाइप; शिशुओं हेतु खाद्य आहार फार्मूला; एसी स्थैतिक ऊर्जा मीटर इत्यादि जैसे विभिन्न उत्पाद शामिल हैं।

अनिवार्य पंजीकरण योजना

बीआईएस के साथ परामर्श करके इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) ने 03 अक्तूबर 2012 को **''इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएँ (अनिवार्य प्रमाणन की अपेक्षाएँ) आदेश, 2012''** अधिसूचित किया गया जिसमें 15 इलैक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पादों को भारतीय मानकों से अनुरूपता के आधार पर बीआईएस से अनिवार्य पंजीकरण के लिए अधिदेश दिया। 13 नवम्बर 2014 को दूसरा आदेश अधिसूचित किया गया, जिसमें 15 और इलैक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पादों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया। यह अनिवार्य प्रमाणन योजना बीआईएस द्वारा, *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम*, 1986 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्रचालित की जाती है।

इस योजना की शुरूआत अनिवार्य प्रमाणन की वैकल्पिक व्यवस्था है, जिससे कि आईटी जैसे तेजी से विकसित होते सेक्टर की प्रगति को आसान बनाया जा सके और उपभोक्ताओं को नकली तथा घटिया आयात से बचाया जा सके।

इस योजना में इस का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का निर्माण अथवा आयात अथवा बिक्री अथवा वितरण नहीं करेगा, जो निर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं हैं और जिन पर **'स्वघोषणा - आईएस.... के अनुरूप'** शब्द अंकित नहीं है। ऐसी वस्तुओं का आयात ब्यूरो से पंजीकरण की प्राप्ति के बाद ही किया जा सकता है।

इस योजना के अंतर्गत मुख्य उत्पाद निम्नलिखित हैं :

- एलईडी फिक्सचर, लैम्प और ड्राइवर
- मोबाइल फोन, पोर्टेबल पावर बैंक
- पुनः चार्जेबल सैल/बैटरियाँ
- 5 केवीए और कम क्षमता का यूपीएस और इनवर्टर
- माइक्रोवेव ओवन
- 32'' स्क्रीन साइज और अधिक के प्लाज्मा/एलसीडी/एलईडी टीवी/दृश्य डिसप्ले इकाई/मॉनीटर
- आईटी, एवी एवं इलैक्ट्रानिक उत्पादों के लिए एडेप्टर
- बिक्री टर्मिनल प्वांइट, एडीपी मशीन
- लेपटॉप/नोटबुक/टेबलेट
- प्रिंट और प्लोटर, फोटोकॉपियर, स्कैनर
- सेट टॉप बाक्स

बीआईएस द्वारा पहला पंजीकरण 12 जून 2013 को प्रदान किया गया था । 31 मार्च 2016 को बीआईएस ने विभिन्न देशों के निर्माताओं को 4 279 पंजीकरण प्रदान किए गए। अवधि के दौरान पंजीकरण प्रदान करने की प्रणाली को कारगर और सरल बनाया गया। व्यवसाय को आसान बनाने के लिए फार्म और प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया गया और पंजीकरण प्रदान करने के समय को कम करके लगभग 12 दिन तक लाया गया है।

प्रयोगशाला सेवाएँ

उत्पाद प्रमाणन मुहर योजना के कार्यों के लिए बीआईएस की उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले नमूनों के परीक्षण की आवश्यकता पूरा करने के लिए ब्यूरो ने देश में आठ प्रयोगशालाएँ स्थापित कीं। आरंभ में 1962 में साहिबाबाद में केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना की गई । इसके बाद मोहाली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ और पटना, बंगलौर और गुवाहाटी स्थित शाखा कार्यालयों में तीन प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई। भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में रसायन, सूक्ष्म जैविकीय, विद्युत और यांत्रिक क्षेत्र के उत्पादों के परीक्षण की सुविधाएँ हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीआईएस की प्रयोगशालाएँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे विकास के साथ गति बनाए रखें, इसलिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मोहाली और साहिबाबाद की प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएस/आईएसओ/आइईसी 17025 के अनुसार राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं अंशशोधन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा प्रत्यायित कराया गया है।

बीआईएस प्रयोगशालाओं में 374 भारतीय मानकों के लिए पूर्ण परीक्षण सुविधाएँ हैं और इसके अतिरिक्त 362 भारतीय मानकों के लिए आंशिक परीक्षण की सुविधाएँ हैं। वर्ष के दौरान बीआईएस प्रयोगशालाओं ने उत्पाद प्रमाणन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उत्पादों के 15 815 नमूनों का परीक्षण किया। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान स्वर्ण और रजत आभूषण/शिल्पवस्तुओं की हॉलमार्किंग योजना में सहायता करने के लिए चेन्नई की गोल्ड रेफरल एसेयिंग प्रयोगशाला ने 2 559 परीक्षण रिपोर्टें जारी कीं।

परीक्षण सुविधाओं का सृजन/उन्नयन

बीआईएस प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने तथा अपग्रेड करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान बीआईएस प्रयोगशालाओं द्वारा कई मुख्य परीक्षण उपस्करों की खरीद की गई। इनमें ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर तथा आयन क्रोमेट्रोग्राफ शामिल हैं। मोहाली प्रयोगशाला में लकड़ी के उत्पादों के लिए पूर्ण परीक्षण सुविधाएँ दी गईं और इन्हें फंक्शनल बनाया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान चेन्नई में रैफरल एसेयिंग प्रयोगशाला में स्वर्ण के परीक्षण की सुविधा दोगुना कर दी गई हैं ।

गुणता आश्वासन गतिविधियाँ

बीआईएस की प्रयोगशालाओं में गुणता आश्वासन, परीक्षण का नियमित अंग है, जिसके द्वारा परीक्षण की गुणता सुनिश्चित की जाती है। अवधि के दौरान, बीआईएस प्रयोगशालाओं में गुणता आश्वासन गतिविधियों के अंतर्गत 885 नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें दक्षता परीक्षण/अन्तर प्रयोगशाला तुलना कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान परीक्षित नमूने भी शामिल हैं।

प्रशिक्षण

क) बीआईएस प्रयोगशालाओं में श्रमशक्ति को नवीनतम विकास से अवगत कराने के लिए उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। अवधि के दौरान, बीआईएस प्रयोगशाला के छह अधिकारियों को मूल्यांकन और हॉलमार्किंग में प्रशिक्षित कराया गया। बीआईएस के 14 अधिकारियों को आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025 प्रयोगशाला गुणता प्रबंध के लिए प्रशिक्षित किया गया।

ख) वर्ष के दौरान, बीआईएस प्रयोगशालाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के लिए 14 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

प्रयोगशाला मान्यता योजना

उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत आने वाले नमूनों के परीक्षण का कार्यभार बीआईएस की प्रयोगशालाओं में उपलब्ध क्षमता से कहीं अधिक होने के कारण बीआईएस ने बाहरी प्रयोगशालाओं (ओएसएल) को मान्यता देने के लिए प्रयोगशाला मान्यता योजना (एलआरएस) प्रारंभ की है। ऐसी प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ बीआईएस प्रयोगशालाओं में आर्थिक दृष्टि से परीक्षण सुविधाएँ विकसित करना व्यावहारिक न हो अथवा बीआईएस प्रयोगशालाओं में बड़ी संख्या में नमूने इकठ्ठे हो जाएँ। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025:2005 पर आधारित है और प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा अपनाए गए मानदंड के अनुरूप है। बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त बाहरी प्रयोगशालाओं को संबद्ध क्षेत्र में एनएलएबीएल से प्रत्यायित होना चाहिए और संबद्ध भारतीय मानक के अनुसार पूर्ण परीक्षण करने की सुविधा तथा भारतीय मानकों के अनुसार उत्पादों के परीक्षण में भी सक्षम होना अपेक्षित है।

वर्ष के दौरान 27 नई प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गई व 7 प्रयोगशालाओं की मान्यता समाप्त की गई। 31 मार्च 2016 के दौरान बीआईएस से मान्यता प्राप्त 160 प्रयोगशालाएँ प्रचालन में थीं, जिनमें अनुसंधान एवं विकास संगठन, तकनीकी संस्थान, सरकारी प्रयोगशालाएँ एवं निजी सैक्टर की प्रयोगशालाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बीआईएस द्वारा जब कभी आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न उत्पादों के लिए विशेष प्रकृति की 47 सरकारी प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग भी किया जाता है।

आरंभ की गई नई बीआईएस पंजीकरण योजना की सहायता के लिए इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्तु (अनिवार्य पंजीकरण की अपेक्षाएँ) आदेश, 2012 के अंतर्गत आईटी उत्पादों के परीक्षण के लिए अभी तक 23 बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई।

हॉलमार्किंग

स्वर्ण/चाँदी के आभूषण की हॉलमार्किंग योजना

(i) आभूषणों की हॉलमार्किंग योजना

बीआईएस में स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग योजना अप्रैल 2000 में शुरू की गई, इसका उद्देश्य स्वर्णाभूषणों की शुद्धता के लिए उपभोक्ताओं को तीसरे पक्ष के रूप में आश्वासन देना था। चाँदी के आभूषणों/शिल्प वस्तुओं की हॉलमार्किंग योजना अक्तूबर 2005 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत ज्वैलर को हॉलमार्क लगे आभूषण बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है तथा एसेयिंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों को लाइसेंस प्राप्त ज्वैलर द्वारा दिए गए आभूषणों की शुद्धता के मूल्यांकन और उन आभूषणों, जो संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप हों, पर हॉलमार्क लगाने के लिए मान्यता दी जाती है।

31 मार्च 2016 को स्वर्ण एवं चॉदी के आभूषण की हॉलमार्किंग के चालू लाइसेंसों की संख्या क्रमशः 14 820 और 1 067 थी। प्रचालन के अंतर्गत बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों की संख्या 370 थी। वर्ष के दौरान, 3.49 करोड़ रूपये मूल्य के स्वर्ण एवं चॉदी के आभूषणों/शिल्प वस्तुओं पर हॉलमार्क लगाया गया।

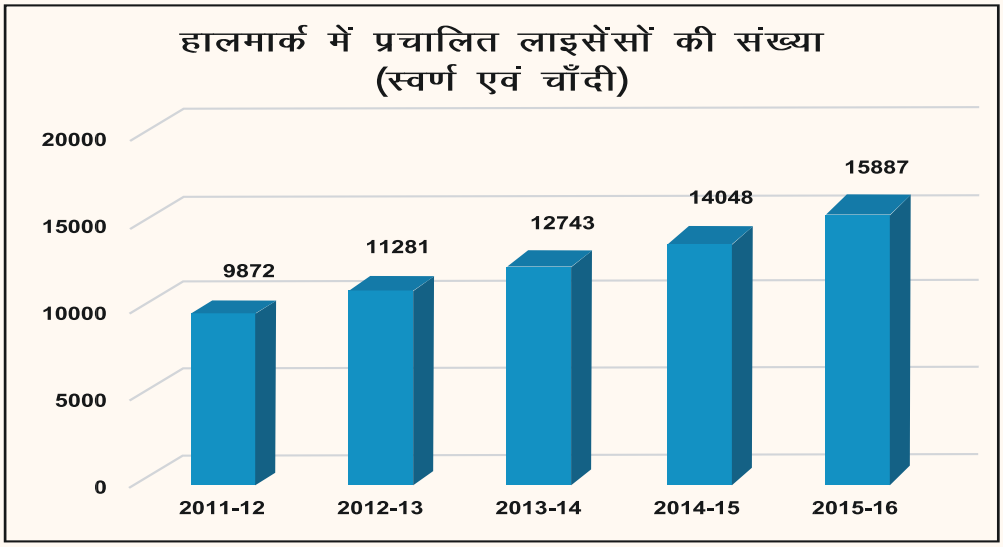

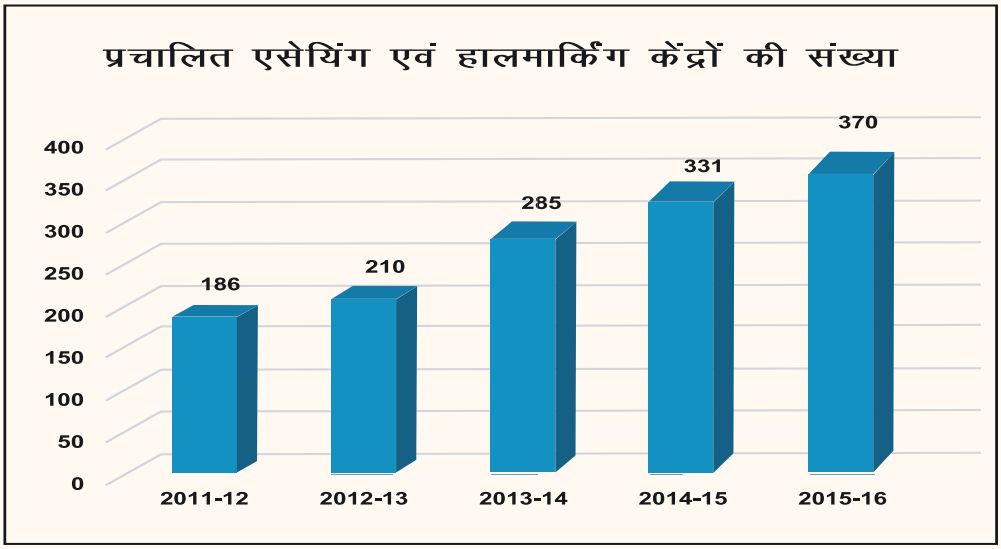

(ii) हॉलमार्किंग को प्रोत्साहन

देश में स्वर्ण आभूषणों के व्यापार में स्वर्ण के आभूषणों की हॉलमार्किंग से उपभोक्ताओं को प्रभावी सुरक्षा देने हेतु बीआईएस ने देश भर में अपने क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से ज्वैलरों/उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। वर्ष के दौरान, ज्वैलरों के लिए ऐसे 36 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये।

(iii) स्वर्ण मौद्रीकरण योजना

वित्त मंत्रालय ने 5 नवम्बर 2015 को स्वर्ण मौद्रीकरण योजना प्रारंभ की है। बीआईएस ने आर्थिक मामले विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ स्वर्ण मौद्रीकरण योजना को अंतिम रूप देने और इसके कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के अंतर्गत बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त एसेइंग एवं हालमार्किंग केन्द्र, संग्रहण और शुद्धता परीक्षण केन्द्र (सीपीटीसी) के रूप में कार्य करने के लिए अर्हता प्राप्त हैं तथा सीपीटीसी द्वारा एकत्रित किया गया स्वर्ण, बीआईएस की लाइसेंसधारी रिफाइनरी द्वारा परिष्कृत किया जाता है। अब तक 47 एसेइंग एवं हालमार्किंग केन्द्र और एक जवैलर को सीपीटीसी के रूप में कार्य करने की अर्हता प्राप्त है। जीएमएस के अंतर्गत स्वर्ण को परिष्कृत करने के लिए आठ रिफाइनरियों को भी लाइसेंस प्रदान किया गया है।

जीएमएस लागू करने के लिए बीआईएसद्वारा नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार किए गए ताकि एसेइंग एवं हालमार्किंग केन्द्र और ज्वैलर सीपीटीसी के रूप में कार्य कर सकें। जीएमएस के अंतर्गत रिफाइनरियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार और कार्यान्वित किए गए। अक्टूबर 2015 में देश में पहली बार बीआईएस द्वारा स्वर्ण बुलियन का प्रमाणन प्रारंभ किया गया।

(iv) भारतीय स्वर्ण सिक्का

माननीय प्रधानमंत्री ने 5 नवम्बर 2015 को पहली बार राष्ट्रीय स्वर्ण सिक्के को रिलीज किया, जिसमें एक तरफ अशोक चक्र का राष्ट्रीय प्रतीक और दूसरी ओर महात्मा गॉधी का चेहरा अंकित था। यह बीआईएस के लिए गर्व की बात है कि सिक्के पर बीआईएस का हॉलमार्क अंकित है। 999 शुद्धता के इस हॉलमार्क लगे सिक्के का निर्माण करने के लिए, आरंभ में भारत सरकार की टकसाल, मुम्बई और बाद में भारत सरकार की टकसाल, कोलकाता को आईएस 1417:1999 के अनुसार लाइसेंस प्रदान किए गए। यह भारतीय स्वर्ण सिक्का कई मायने में अनूठा है क्योंकि यह उन्नत नकलरोधी विशेषता से युक्त है और इसकी पैकेजिंग टेम्पर-प्रूफ है तथा इस पर अनूठी क्रम संख्या भी है।

प्रबंध पद्धति प्रमाणन

बीआईएस ने संगत मानकों के अनुसार निम्नलिखित प्रबंध पद्धति प्रमाणन सेवाएँ जारी रखीं और इनके विकास की गति स्थिर रही ।

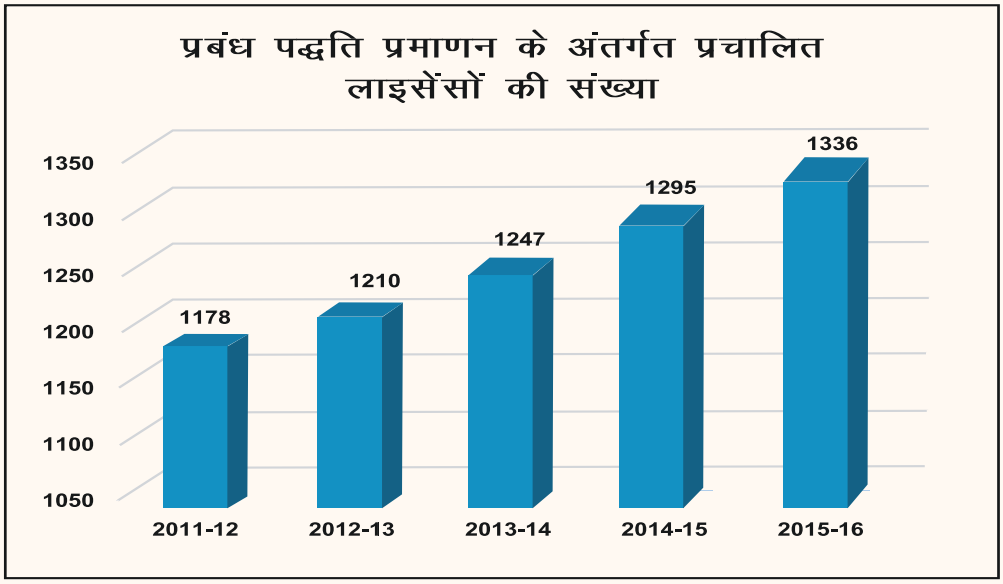

क) आईएस/आईएसओ 9001:2015 के अनुसार गुणता प्रबंध पद्धति (क्यूएमएस) प्रमाणन योजना

बीआईएस में गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (क्यूएमएससीएस) सितम्बर 1991 में आरंभ की गई थी। यह योजना आईएसओ/आईईसी 17021 'अनुरूपता मूल्यांकन - प्रबंध पद्धतियों का ऑडिट और प्रमाणन प्रदान करने वाले निकायों की अपेक्षाएँ' के अनुसार प्रचालित की जाती है।

वर्ष के दौरान 43 नये क्यूएमएससीएस लाइसेंस स्वीकृत किए गए। इस प्रकार 31 मार्च 2016 को क्यूएमएससीएस प्रचालन के अधीन लाइसेंसों की कुल संख्या 893 हो गई इसमें रसायन, धातु एवं धातु उत्पाद, सीमेंट, निर्माण, डेयरी संयंत्र, शिक्षा, विद्युत उत्पादन, इंजीनियरिंग सेवाएँ, खनन, मशीनरी, पैट्रोलियम, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, वस्त्रादि जैसे औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। वित्तीय क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, परिवहन इत्यादि जैसे सेवा क्षेत्रों द्वारा भी क्यूएमएससीएस लाइसेंस लिए गए हैं।

ख) आईएस/आईएसओ 14001:2004 के अनुसार पर्यावरण प्रबंध प्रमाणन (ईएमएस) पद्धति योजना

बीआईएस द्वारा आईएस/आईएसओ 14001 के अनुसार पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (ईएमएस) प्रारंभ की गई थी और आईएसओ/आईईसी 17021 में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार इसका प्रचालन किया जा रहा है। वर्ष के दौरान 8 नए ईएमएस लाइसेंस प्रदान किए गए, जिससे प्रचालन के अंतर्गत लाइसेंसों की संख्या 205 हो गई। इन लाइसेंसों में एकीकृत इस्पात संयंत्र, ताप पावर संयंत्र, विमान उद्योग, परमाणु बिजली, वैगन वर्कशाप, फार्मस्यूटिकल, मशीनरी, खनन, लोक प्रशासन इत्यादि शामिल हैं।

ग) आईएस/आईएसओ 18001:2007 के अनुसार व्यावसायिक स्थलों पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति (ओएचएसएमएस) प्रमाणन योजना

बीआईएस ने आईएस 18001 के अनुसार व्यावसायिक स्थलों पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति (ओएचएसएमएस)

प्रमाणन योजना आरंभ की है। यह प्रमाणन योजना किसी भी संगठन को विधायी अपेक्षाओं और ऐसे उल्लेखनीय जोखिमों और खतरों, जिन्हें संगठन नियंत्रित कर सकता है, की सूचना को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों, जिनका स्वास्थ्य और सुरक्षा, संगठन की गतिविधियों से प्रभावित हो सकती है, को बचाने के उद्देश्य से कोई संगठन, नीतियों और उद्देश्यों का प्रबंधन कर सकता है। वर्ष के दौरान, 18 नये ओएचएसएमएस लाइसेंस प्रदान किए गए। इस प्रकार 31 मार्च 2016 को कुल प्रचालित लाइसेंसों की संख्या 98 हो गई। इन लाइसेंसों में ताप पॉवर संयंत्र, सिरेमिक उद्योग, साइकिल उद्योग, गैस पॉवर स्टेशन और स्वास्थ्य सेवाएँ तथा कर्मचारी विकास केन्द्र, वस्त्रादि, प्लास्टिक, सीमेंट, निर्माण, विद्युत एवं दूरसंचार केबल, पैट्रोलियम रिफाइनरी, कीटनाशक, औद्योगिक और विस्फोटक रसायन, रेलवे आदि तकनीकी क्षेत्र शामिल हैं।

घ) आईएस 15000:1998 के अनुसार खाद्यजनित हानि विश्लेषण तथा क्रांतिक नियंत्रण बिन्दु (एचएसीसीपी) योजना

बीआईएस आईएस 15000 : 1998 के अनुसार स्टैंड एलोन एचएसीसीपी प्रमाणन योजना भी प्रदान करता है। 31 मार्च 2016 को दो एचएसीसीपी स्टैंड एलोन लाइसेंस तथा क्यूएमएस के साथ एकीकृत 39 लाइसेंस प्रचालन में थे।

ङ) आईएस/आईएसओ 22000:2005 के अनुसार खाद्य निरापदता प्रबंध पद्धति (एफएसएमएस) प्रमाणन योजना

बीआईएस ने आईएस/आईएसओ 22000 : 2005 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (एफएसएमएस) प्रारंभ की थी। इस पद्धति को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के संगठन खाद्य निरापदता प्रबंध पद्धति को क्रियान्वित कर सकते हैं। 31 मार्च 2016 को 10 एफएसएमएस लाइसेंस प्रचालन में थे।

च) आईएस 15700:2005 के अनुसार सेवा गुणता प्रबंध पद्धति (एसक्यूएमएस) प्रमाणन योजना

सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन (एसक्यूएमएस) योजना अप्रैल 2007 में आरंभ की गई थी। यह आईएस 15700:2005 'गुणता प्रबंध पद्धतियाँ - जन सेवा संगठनों द्वारा सेवा देने की गुणता अपेक्षाएँ' पर आधारित है। यह मानक जन सेवा संगठनों द्वारा एक्रॉस द काउंटर गुणतायुक्त सेवा की सुपुर्दगी पर बल देता है और जो संगठन इस मानक को कार्यान्वित कर रहे हैं उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। 2015-2016 अवधि के दौरान 37 नए लाइसेंस स्वीकृत किए गए। 31 मार्च 2016 को कुल 77 लाइसेंस प्रचालन में थे।

छ) आईएस 50001:2011 के अनुसार ऊर्जा प्रबंध पद्धति (ईएनएमएस) प्रमाणन योजना

बीआईएस ने आईएस 50001 : 2011 के अनुसार ऊर्जा प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना 2013 में प्रारंभ की। इस योजना को कार्यान्वित करके कोई भी संगठन अनुकूलतम ऊर्जा प्राप्त कर सकता है और उसका उपयोग कर सकता है, जिससे वह ऊर्जा की लागत को न्यूनतम कर सकता है तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकता है। 31 मार्च 2016 को 12 ईएनएमएस लाइसेंस प्रचालन में थे ।

ज) क्यूएमएस और ईएमएस का प्रत्यायन

बीआईएस की गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन और पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजनाएँ, प्रमाणन निकायों हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) और भारतीय गुणता परिषद् (क्यूसीआई) द्वारा अनेक क्षेत्रों के लिए प्रत्यायित हैं।

झ) प्रबंध पद्धति प्रमाणन का संवर्धन

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन (एसक्यूएमएस) के संवर्धन के लिए रक्षा लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली, जहाजरानी

महानिदेशालय, मुम्बई, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास परिषद्, नई दिल्ली और विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के साथ बैठकें आयोजित की गईं ।

बीआईएस द्वारा नई दिल्ली में एसक्यूएमएस लाइसेंसधारियों के लिए आईएस 15700 पर एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें उन्हें आईएस 15700 के पुनरीक्षित संस्करण में हुए परिवर्तनों के बारे में जानकारी दी गई।

ञ) ऑडिटरों की बैठकें

इस अवधि के दौरान मध्य, पूर्वी, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालयों तथा दक्षिण एवं पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालयों - प्रत्येक में एक-एक बैठक आयोजित की गई। इन बैठकों में पद्धति प्रमाणन ऑडिट करने के लिए पंजीकृत बाहरी ऑडिटरों और बीआईएस के अधिकारियों ने भाग लिया ।

ट) लाइसेंसधारियों की समीक्षा बैठक

बीआईएस लाइसेंसधारियों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से तथा प्रबंध पद्धति लाइसेंसधारियों की समीक्षा तथा बीआईएस की सेवाओं के बारे में लाइसेंसधारियों से फर्स्टहैंड प्रत्यक्ष फीडबैक प्राप्त करने के लिए प्रबंध पद्धति लाइसेंसधारियों के साथ 5 समीक्षा बैठकें मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय और पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित की गईं।

7 मार्च 2016 को बंगलुरू में आयोजित प्रबंध पद्धति लाइसेंसधारियों की बैठक

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ और तकनीकी सूचना सेवाएँ

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में बीआईएस अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) और अंतर्राष्ट्रीय विद्युत-तकनीकी आयोग (आईईसी) का सदस्य है तथा इन अंतर्राष्ट्रीय निकायों की गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेता है। ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में विभिन्न तकनीकी समितियों और उप-समितियों के भागीदारी (पी) सदस्य या पर्यवेक्षक (ओ) सदस्य के रूप में; और कार्यकारी समूहों में तकनीकी विशेषज्ञों को नामित करके सक्रिय योगदान देता है। 31 मार्च 2016 तक बीआईएस/आईएसओ की 418 तकनीकी समितियों/उपसमितियों और आईईसी की 80 तकनीकी समितियों/उपसमितियों का 'पी' सदस्य है तथा आईएसओ की 224 तकनीकी समितियों/उपसमितियों का और आईईईइसी की 76 तकनीकी समितियों/उपसमितियों का 'ओ' सदस्य है। बीआईएस इन अंतर्राष्ट्रीय मानक निकायों की विभिन्न नीति-निर्धारण बैठकों में भी भाग लेता है और वह आईएसओ की तीन नीति निर्धारक समितियों (सीएएससीओ, सीओपीओएलसीओ और डीईवीसीओ) का 'पी' सदस्य है। बीआईएस के पास आईएसओ की कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण समितियों का सचिवालय भी है जिनसे भारत का व्यापारिक हित जुड़ा है। भारत आईईसी के मानक प्रबंधन बोर्ड (एसएमबी) का सदस्य है और 1 जनवरी 2013 से 31 दिसम्बर 2015 के दौरान आईएसओ के तकनीकी प्रबंधन बोर्ड (आईएसओ टीएमबी) का सदस्य था। ये दोनों बोर्ड आईईसी और आईएसओ में मानकीकरण से संबंधित नीति विषयक मामलों का काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में बीआईएस की इस तरह की भागीदारी से भारतीय व्यापार और उद्योग के हितों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।

बीआईएस पेसिफिक एरिया स्टैण्डर्डस कांग्रेस (पीएएससी) के कार्य में भी सक्रिय भूमिका का निर्वाह करता रहा है तथा साउथ एशियन रीजनल स्टैण्डर्डस आर्गेनाइजेशन (एसएआरएसओ) के अंतर्गत सार्क देशों के लिए क्षेत्रीय मानकों तथा अनुरूपता आकलन योजनाओं के निर्धारण एवं कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है। बीआईएस मानकीकरण, प्रमाणन, परीक्षण, प्रशिक्षण इत्यादि से जुड़े क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय कार्यक्रमों में भी सक्रिय है। बीआईएस ने विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानक निकायों के साथ अब तक 28 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और 5 परस्पर मान्यता करारों (एमआरए) पर हस्ताक्षर किए हैं और वह 15 अन्य देशों के साथ इस प्रकार के समझौतों की प्रक्रिया में है।

आईएसओ में भागीदारी

- सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग के नेतृत्व में तीन सदस्यों के शिष्टमंडल ने 15-18 सितम्बर 2015 तक सियोल, दक्षिण कोरिया में आईएसओ महासभा (जीए) और संबंधित बैठकों में भाग लिया। आईएसओ की महासभा 2015 के दौरान डीईवीसीओ (विकासशील देशों के मामलों पर आईएसओ की समिति) की बैठकों और महासभा में भाग लिया। इसके साथ ब्रिटिश स्टैण्डर्डस इंस्टीट्यूट (बीएसआई), अमेरिकन नेशनल स्टैण्डर्डस इंस्टीट्यूशन (एएनएसआई), एसोशिएशन फांसेस डी नोर्मलाइजेशन (एएफएनओआर), फ्रांस एवं सऊदी स्टैंड्डर्स, मेट्रोलॉजी एण्ड क्वालिटी आर्गेनाइजेशन (एसएएसओ) जैसे राष्ट्रीय मानक निकायों के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए बैठकें की गईं।

- बीआईएस ने आईएसओ/टीसी 207 'पर्यावरण प्रबंध तकनीकी समिति', उसकी उपसमितियों, कार्यकारी समूहों और तदर्थ समूहों तथा आईएसओ/टीसी 207 की 22वीं प्लेनरी मीटिंग, संबंधित अन्य समूहों के लिए 04 से 12 सितम्बर 2015 तक नई दिल्ली में आयोजित की। आईएसओ/टीसी 207 पर्यावरण प्रबंध पद्धति के क्षेत्र में आईएसओ मानकों तथा उन उपायों को विकसित करता है जिसमें ग्रीनहाउस गैस, जीवन चक्र आकलन, पर्यावरण लेबलिंग तथा फुटप्रिंट अपेक्षाओं का सम्प्रेषण इत्यादि जैसे विषय शामिल हैं। बैठक में पर्यावरण प्रबंध पद्धति तथा संवहनीय विकास में सहायक उपायों पर चर्चा की गई।

- बीआईएस ने 04 से 09 अक्तूबर 2015 तक नई दिल्ली में आईएसओ/टीसी 61 'प्लास्टिक', उसकी उपसमितियों, कार्यकारी समूहों की बैठकों तथा संबंधित विषयों पर विचार-गोष्ठी का आयोजन किया। आईएसओ/टीसी 61 प्लास्टिक तकनीकी समिति, प्लास्टिक के क्षेत्र में, रबड़ एवं लाख को छोड़ कर, सामग्री एवं उत्पादों के लिए प्रयुक्त होने वाली नामावली, परीक्षण पद्धतियों तथा विशिष्टियों के लिए आईएसओ मानकों को बनाने का कार्य करती है।

- आईएसओ के कुछ विकासशील सदस्य देशों हेतु इसकी कार्ययोजना के ढांचे के भीतर आईएसओ विकासशील देशों के लिए संस्थागत दृढ़ीकरण परियोजना 2011-15 चला रहा है। उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत नेपाल ब्यूरो ऑफ स्टैड्डर्स एण्ड मैट्रोलॉजी (एनबीएसएम) के दो कार्मिकों ने 03 से 07 अगस्त 2015 के दौरान पाँच दिन के परामर्श कार्यक्रम में भाग लिया।

- बीआईएस ने आईएसओ/आईईसी/जेटीसी/एससी 27 'सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा तकनीकें' के अंतर्गत डाटा सिक्यूरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) के साथ संयुक्त रूप से 26 से 30 अक्तूबर तक जयपुर, राजस्थान में कार्यकारी समूह की बैठकें आयोजित कीं।

आईईसी में भागीदारी

- महानिदेशक, बीआईएस के नेतृत्व में तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने 15 से 16 अक्तूबर 2015 तक मिंस्क, बेलारूस में आईईसी जीएम 2015 में भाग लिया। आईईसी की बैठक के अतिरिक्त, फ्रेंच राष्ट्रीय समिति के साथ मानकों तथा अनुरूपता आकलन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए गौणरुप से बैठक आयोजित की गई।

- 30 सितम्बर 2015 को नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय समिति (आईएनसी)-आईइसी की 13वीं बैठक आयोजित की गई। यह बैठक मिंस्क, बेलारूस में 12-16 अक्तूबर 2015 के दौरान होने वाली आईईसी की महासभा से पूर्व आईईसी से संबंधित विषयों पर चर्चा एवं विचार-विमर्श करने के लिए की गई।

- 08 मई 2015 को नई दिल्ली में आईईसी-बीआईएस-आईईईएमए के सीईओ की दूसरी राउंडटेबल बैठक हुई। बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई कि 'उभरते उद्योगों की आवश्यकताओं पर आईईसी कैसे प्रतिक्रिया दे और आईईसी के कार्य में भारतीय उद्योग की भूमिका को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है।'

- बीआईएस द्वारा 26-27 अक्तूबर 2015 को नई दिल्ली में ''एलवीडीसी; रिडिफाइंनिंग इलैक्ट्रिसिटी'' पर आईईसी-बीआईएस का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

- बीआईएस द्वारा 28-29 अक्तूबर 2015 को नई दिल्ली में ''एलवीडीसी फॉर इलैक्ट्रिसिटी एक्सेस'' पर आईईसी-एसईजी 4/डब्लूजी 6 की बैठक आयोजित की गई।

आईएसओ/आईईसी तकनीकी समिति की बैठकों में भागीदारी

- बीआईएस के तकनीकी सदस्यों ने आईएसओ/आईईसी की विभिन्न तकनीकी समितियों की बैठकों में हिस्सा लिया तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में प्रभावी योगदान दिया। भारत के विशेषज्ञ उन क्षेत्रों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के कार्य को संचालित करने के लिए विभिन्न कार्यकारी समूहों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो भारत के हितों से जुड़े हैं।

क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रमों में भागीदारी

- बीआईएस ने 04-08 मई 2015 तक नई दिल्ली में 38वीं पेसिफिक एरिया स्टैण्डर्ड्स कांग्रेस (पीएएससी) की बैठक आयोजित की। पीएएससी एक क्षेत्रीय मानकीकरण संगठन है जिसमें 24 सदस्य हैं। ये सदस्य देश

प्रशान्त क्षेत्र संकुल के हैं, जो सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में मानकीकरण की गुणता और क्षमता को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2015 में पीएएससी की विषय-वस्तु ''सेवाओं के लिए पीएएससी मानकीकरण कार्य-नीतिः वर्तमान कार्य एवं भविष्य की पहल'' थी। बीआईएस के अधिकारियों के अतिरिक्त डब्लूटीओ, आईएसओ एवं आईईसी के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न भारतीय स्टेकहोल्डरों सहित 68 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। पीएएससी की बैठक के दौरान 04 मई 2015 को एक दिन की कार्यशाला भी आयोजित की। यह कार्यशाला शिक्षा, पर्यटन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), लॉजिस्टिक के सेवा क्षेत्रों तथा फुटकर सेवाओं में मानकीकरण की स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित की गई।

- भारतीय शिष्टमंडल ने 16 सितम्बर 2015 को पीएएससी कार्यकारी समिति, जो आईएमओजीए के समय गौण रूप से आयोजित की गई थी, में भी भाग लिया ।
- भारतीय शिष्टमंडल ने मई 2015 में कोलम्बो, श्रीलंका में 'खाद्य एवं कृषि उत्पादों तथा रसायन एवं रसायन उत्पाद' पर हुई एसएआरएसओ सेक्टोरल तकनीकी समिति (एसटीसी) की बैठकों में भाग लिया।
- एसएआरएसओ एसटीसी की पटसन, वस्त्रादि एवं चमड़े की चौथी बैठक 23-24 जून 2015 को नोएडा में हुई। निदेशक, एमईए (सार्क मंडल), निदेशक, सार्क सचिवालय, नेपाल एवं उप निदेशक एसएआरएसओ सचिवालय, बांग्लादेश के साथ भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने भी एसएआरएसओ एसटीसी की बैठक में भाग लिया।
- वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संचालित भारत-ईयू की परियोजना ''व्यापार विकास के लिए क्षमता निर्माण पहल (ईयू-सीआईटीडी)'' के अंतर्गत 16-28 नवम्बर 2015 को नई दिल्ली में बीआईएस और अन्य निर्धारित लाभार्थियों, जिनकी पहचान की गई, को ''मानक निर्धारण में ईयू की सर्वोत्तम रीतियाँ-क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण'' पर प्रशिक्षण दिया गया।
- बीआईएस के प्रतिनिधि ने 12 दिसम्बर 2015 को ढाका, बांग्लादेश में साउथ एशियन रीजनल स्टैण्डर्ड्स आर्गेनाइजेशन (एसएआरएसओ) के तकनीकी प्रबंधन बोर्ड (टीएमबी) की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान एसएआरएसओ के निर्देशों के भाग I व II के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया तथा एसएआरएसओ सेक्टोरल की संबंधित तकनीकी समिति द्वारा बिस्कुट, परिष्कृत चीनी के लिए सार्क मानकों के मसौदे तथा डेयरी क्षेत्र के लिए स्वास्थ्यकर अवस्थाओं, टाट, कॉटन ट्विल और कॉटन ड्रिल एवं पटसन की सुतली की रीति संहिताओं के मसौदे को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। 14-15 दिसम्बर 2015 को ढाका, बांग्लादेश में हुई एसएआरएसओ के गवर्निंग बोर्ड की चौथी बैठक में भी बीआईएस के प्रतिनिधि ने एसएआरएसओ टीएमबी के अध्यक्ष के रूप में भाग लिया। भारत सार्क देशों के बीच सहयोग और क्षेत्रीय मानकीकरण गतिविधि का कार्य सक्रियता से कर रहा है जो क्षेत्र के भीतर व्यापार को सरल बनाने के माध्यमों में से एक है।

द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों में भागीदारी

बीआईएस ने वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के निकट सहयोग से जर्मनी, जापान, बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ओमान, स्लोवाकिया, ताइवान और किर्गिस्तान जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए कार्य करना जारी रखा। अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक हुए महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

- 3 जून 2015 को मिंस्क, बेलारूस में बीआईएस और बेलारूस गणराज्य की स्टेट स्टैण्डर्डाइजेशन कमेटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- 6 जून 2015 को बीआईएस और बांग्लादेश स्टैण्डर्ड्स एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट (बीएसटीआई) के बीच द्विपक्षीय सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए।

- 11 जून 2015 को बीआईएस और भूटान स्टैण्डर्ड्स ब्यूरो, द रॉयल गवर्नमेन्ट ऑफ भूटान के बीच द्विपक्षीय सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए।

- माननीय प्रधानमंत्री के किर्गिस्तान दौरे के दौरान 12 जुलाई 2015 को बीआईएस और किर्गिस्तान के आर्थिक मंत्रालय के बीच मानकों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। किर्गिस्तान में भारत के राजदूत श्री जयंत खोबरगड़े ने बीआईएस की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन मानकीकरण, अनुरूपता आकलन के क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने तथा परस्पर व्यापार में विशेषज्ञता को साझा करने तथा दोनों पक्षों के बीच आवश्यक जानकारी के आदान-प्रदान के लिए किया गया।

- 28 जुलाई 2015 को बीआईएस और स्लोवॉक गणराज्य के स्लोवाक ऑफिस ऑफ स्टैंड्डर्स, मैट्रोलॉजी एण्ड टेस्टिंग (एसओएसएमटी) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- 2-3 सितम्बर 2015 को नई दिल्ली में माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री की सह-अध्यक्षता में भारत-संयुक्त अरब अमीरात के संयुक्त आयोग की बैठक में बीआईएस और अमीरात ऑथरिटी फॉर स्टैंडर्ड्जाइजेशेन एण्ड मैट्रोलॉजी (ईएसएमए), संयुक्त अरब अमीरात के बीच महानिदेशक, बीआईएस और महानिदेशक, ईएसएमए ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ।

- भारत के माननीय राष्ट्रपति के जॉर्डन दौरे के दौरान 12 अक्तूबर 2015 को बीआईएस और जॉर्डन स्टैंड्डर्स एण्ड मैट्रोलॉजी आर्गेनाइजेशन (जेएसएमओ) के बीच मानकीकरण एवं अनुरूपता आकलन के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- **मानकीकरण, अनुरूपता आकलन तथा उत्पाद सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत-जर्मनी गुणता अवसंरचना का कार्यकारी समूह**

  11 अप्रैल 2013 को भारत-जर्मनी कार्यकारी समूह की स्थापना की गई थी। भारत-जर्मनी जेडडब्ल्यूजी की स्थापना द्विपक्षीय आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने; उपभोक्ताओं तथा उद्योगों के हित के लिए मानकीकरण, अनुरूपता आकलन और उत्पाद सुरक्षा के क्षेत्र में बातचीत में गति लाने तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के क्षेत्र में समन्वित क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी ताकि द्विपक्षीय व्यापार को आसान बनाया जा सके। वर्ष 2015-16 के दौरान भारत-जर्मनी के कार्यकारी समूह के अंतर्गत हुई महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:

  - स्मार्ट सिटी पर उप-समूह और स्मार्ट ग्रिड पर उप-समूह की स्थापना, जिसमें दोनों पक्षों के विशेषज्ञ हैं। जर्मन पक्ष ने 'स्मार्ट सिटी के लिए जर्मन मानकीकरण रोडमैप' पर दस्तावेजों को भी सांझा किया है।

  - 22 सितम्बर 2015 को दिल्ली में अस्पतालों और चिकित्सा उपस्करों में विद्युत सुरक्षा पर कार्यशाला आयोजित की गईं । चिकित्सा युक्तियों के निर्माताओं के लिए 23 जुलाई 2015 को मुंबई में आईएसओ 13485 (चिकित्सा युक्तियाँ- गुणता प्रबंध पद्धति) के कार्यान्वयन के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

  - व्यापार बढ़ाने के लिए चमड़े और तकनीकी वस्त्रादि पर क्रमशः चेन्नई और मुंबई में राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन किया गया।

  - हैदराबाद, पुणे (प्रसंस्कृत खाद्य) और मुंबई (मसाले), दिल्ली (ईयू विनियम) में खाद्य सुरक्षा कार्यान्वयन एवं खाद्य सुरक्षा मानकों पर आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम विशेष रूप से एसएमई क्षेत्र के उद्यमों के लिए किए गए।

- जर्मनी के खिलौना उद्योग की मांग जानने तथा भारत से आयात की गुणता एवं सुरक्षा को जानने के लिए खिलौनों की सुरक्षा पर अध्ययन किया गया। मानकों, परीक्षण पद्धतियों और विनियमों पर अध्ययन की प्रस्तुति के लिए संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई।
- उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 14-15 जनवरी 2016 को गुणता अवसंरचना पर भारत-जर्मनी कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक आयोजित की। दो दिन की कार्यकारी समूह की इस बैठक में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की अपेक्षाओं को समझने तथा 2016 में भविष्य में सहयोग देने की कार्यनीति तैयार करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुति दी। परस्पर परामर्श के बाद दोनों पक्षों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान के अनुभव और प्राथमिकताओं के आधार पर 2016 की कार्ययोजना पर हस्ताक्षर किए गए। अगले वर्ष की कार्ययोजना की रूपरेखा में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की गतिविधियों के अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्मार्ट ग्रिड/माइक्रो ग्रिड, एलवीडीसी, खाद्य सुरक्षा, चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद, वायु एवं जल की गुणता, उत्पाद सुरक्षा, सुरक्षित खिलौने, डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ तथा आईटी सुरक्षा भी शामिल हैं।
- गुणता अवसंरचना और उत्पाद सुरक्षा पर भारत-जर्मनी कार्यकारी समूह के तहत कार्ययोजना के अंग के रूप में आईएसओ 13485:2003 'चिकित्सा युक्तियाँ - गुणता प्रबंध पद्धति - नियामक प्रयोजन हेतु अपेक्षाएँ' पर 24-26 फरवरी 2016 को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीआईएस के 21 लोगों ने भाग लिया।

- 15 जनवरी 2016 को बीआईएस और जापानी शिष्टमंडल के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों ने पीएएससी मंच पर अधिक सक्रिय भागीदारी के बारे में बातचीत की ।
- कोरियन टेस्टिंग लेबोरेटरी, दक्षिण कोरिया के शिष्टमंडल ने 17 फरवरी 2016 को बीआईएस का दौरा किया। यह दौरा विद्युत एवं इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए एक-दूसरे के अनुरूपता आकलन के परीक्षण परिणामों की परस्पर स्वीकार्यता हेतु द्विपक्षीय सहयोग करार पर हस्ताक्षर करने की संभावनाएँ जानने के लिए किया गया।

तकनीकी सूचना सेवाएँ

उद्योगों, आयातकों, निर्यातकों, लोगों तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा मांगी गई जानकारी के प्रति उत्तर में बीआईएस तकनीकी सूचना सेवाएँ प्रदान करता है। अप्रैल 2015 से मार्च 2016 की अवधि में लगभग ऐसी 1 900 पूछताछों का उत्तर दिया गया।

डब्ल्यूटीओ-टीबीटी मामले

- वाणिज्य विभाग, भारत सरकार और सीआईआई ने बीआईएस एवं क्यूसीआई के साथ मिल कर 21-22 मई 2015 को नई दिल्ली में ''अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मानकों की भूमिका : चुनौतियाँ, अवसर और मुद्दे'' विषय पर मानक कन्क्लेव का आयोजन किया। बीआईएस ने ''औद्योगिक वस्तुओं में अंतर्राष्ट्रीय मानकों से एकरूपता एवं मेक इन इंडिया कार्यक्रम में मानकों की भूमिका'' पर एक प्रस्तुति दी।
- 20 नवम्बर 2015 को क्षेत्रीय मानक कन्क्लेव भी आयोजित किया जिसमें बीआईएस ने 'भारत में स्वैच्छिक मानक एवं तकनीकी विनियम' पर प्रस्तुति दी।
- वाणिज्य विभाग, भारत सरकार ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) और भारतीय निरीक्षण परिषद् (ईआईसी) के साथ मिल कर बीआईएस के सहयोग से 3 व 5 फरवरी और 2 मार्च 2016 को क्रमशः लखनऊ, अहमदाबाद और चेन्नई में क्षेत्रीय मानक कन्क्लेव आयोजित किये, जिसमें बीआईएस एक को-पार्टनर था ।

पहचान संख्याओं की स्पोन्सरशिप

(i) जारीकर्ता पहचान संख्या (आईआईएन)

आईएसओ/आईईसी 7812 'पहचान कार्ड - जारीकर्त्ता पहचान' अंतर्राष्ट्रीय और/अथवा अंतर-उद्योग विनिमय में प्रयुक्त पहचान कार्डों के जारीकर्ताओं की पहचान के लिए एक संख्यांकन पद्धति विनिर्दिष्ट करता है। यह मुख्य उद्योग और कार्ड जारीकर्त्ता की पहचान करता है । बीआईएस, आईएसओ/आईसी 7812 के अनुसार आईआईएन जारी करने को सुगम बनाता है। बीआईएस, बैंकों/वित्तीय संगठनों के आवेदनों को अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन (एबीए) को प्रायोजित करके यह करता है। मैसर्स नेशनल पेमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) (भारत में रिटेल भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अम्ब्रेला संगठन के रूप में संस्थापित स्वायत्त निकाय) के आवेदन को कार्ड योजना ब्लॉक धारक के अंतर्गत 3000 आईआईएन प्रक्रमण के लिए भेजा गया।

(ii) विश्व विनिर्माता पहचानकर्त्ता (डब्ल्यूएमआई) संख्या

सोसायटी ऑफ आटोमोटिव इंजीनियर्स (एसएई), यूएसए के समन्वय से बीआईएस भारत में ऑटोमोबाइल निर्माताओं एवं निर्यातकों को इस अवधि में आईएसओ 3780:2009 'सड़क वाहन - विश्व विनिर्माता पहचानकर्त्ता (डब्ल्यूएमआई) कोड' के अनुसार डब्लूएमआई कोड आबंटित करता है। इस अवधि के दौरान 112 डब्ल्यूएमआई कोड आबंटित किए गए।

प्रशिक्षण सेवाएँ

बीआईएस के अंतर्गत 1995 में राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) की स्थापना की गई । इस संस्थान की स्थापना मानकीकरण, गुणता आश्वासन, प्रबंध पद्धति, प्रमाणन, प्रयोगशाला परीक्षण इत्यादि के क्षेत्र में उद्योगों की बढ़ती अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणतापरक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु की गई थी। एनआईटीसी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लेटिन और दक्षिणी अमरीका के विकासशील देशों के लिए भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। ये कार्यक्रम बहुत अनुभवी, योग्य और प्रशिक्षित संकाय टीम द्वारा संचालित किए जाते हैं।

विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

कई विकासशील देशों से कुल 87 भागीदारों ने प्रबंध पद्धति पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, मानकीकरण एवं गुणता आश्वासन पर 48वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धति (एलक्यूएमएस) पर छठे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। भूटान स्टैण्डर्ड्स ब्यूरो के विशेष आग्रह पर 06 भागीदारों के लिए 14 से 19 मार्च 2016 तक ''मानक निर्धारण प्रक्रिया/मानदंडों'' पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

मानकीकरण एवं गुणता आश्वासन पर 48वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

उद्योगों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान एनआईटीएस ने इंडस्ट्री के लिए 2 075 प्रतिभागियों के लिए 12 लीड ऑडिटर कोर्स सहित 111 कार्यक्रम आयोजित किए। ये कार्यक्रम प्रबंध पद्धति और प्रयोगशाला से संबंधित विषयों पर कार्यक्रम, जैसे प्रयोगशाला गुणता प्रबंधन पद्धति, मापन अनिश्चितता, आईएलसी/पीटी, उत्पाद विशिष्ट परीक्षण पर आयोजित किए गए। इसके ग्राहकों में केबिनेट सचिवालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कोर्पोरेशन, एयर इंडिया और जेट एयरवेज जैसे कुछ नाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता संगठनों, विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थानों, भारतीय रेलवे, हॉलमार्किंग गतिविधियों और तकनीकी समिति सदस्यों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए।

बीआईएस के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान 21 कार्यक्रम विशेष रुप से भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारियों के लिए आयोजित किए गए, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

क) नए नियुक्त किये गए वैज्ञानिक बी के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण

ख) ऊर्जा प्रबंध पद्धति पर भारतीय मानक ब्यूरो के 37 वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ऑडिटर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

ग) तकनीकी सहायकों और निम्न श्रेणी लिपिकों (एलडीसी) के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण ।

घ) सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (एमएसीपी), आचरण नियम, छुट्टी के नियम, टिप्पण आलेखन आदि पर रिफ्रेशर कोर्स

ड़) हॉलमार्किंग पर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीओटी)।

च) अनुभाग अधिकारियों, निजी सचिवों की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से भर्ती के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण।

छ) एलडीसीई के माध्यम से निम्न श्रेणी लिपिकों की भर्ती के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण

ज) केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलेट प्राधिकारी (एफएए) हेतु आरटीआई अधिनियम पर सात प्रशिक्षण कार्यक्रम

झ) प्रमाणन अधिकारियों के लिए निवारक सतर्कता कार्यक्रम

ञ) जांच अधिकारियों (आइओ), प्रस्तोता अधिकारियों (पीओ) के लिए सतर्कता संबंधी मामलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम

बीआईएस के लगभग 541 अधिकारियों को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया।

एनआईटीएस द्वारा विकसित एवं संचालित किए गए नए कार्यक्रम

क) आईएस/आईएसओ 50001 : 2011 के अनुसार ऊर्जा प्रबंध पद्धति के लिए लीड ऑडिटर कोर्स

ख) उद्योगों तथा बीआईएस ऑडिटरों के लिए आईएस/आईएसओ 9001:2015 के पुनरीक्षित संस्करण में चेंजओवर के लिए क्यूएमएस पर ट्रांसिशन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन ।

उपभोक्ता मामले

बीआईएस अपने सभी स्टेकहोल्डरों को केन्द्रित रूप से अपनी सेवाएँ और मानकीकरण तथा प्रमाणन के लाभ केंद्रित और समयबद्ध तरीके से देने का प्रयास करता है। बीआईएस का उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता संबंधी विभिन्न गतिविधियाँ संचालित करता है। इन गतिविधियों में जन शिकायतों का निवारण, बीआईएस के स्टेकहोल्डरों के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार तथा विश्व मानक दिवस आयोजित करना शामिल है।

i) **उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम -** उपभोक्ताओं में मानकीकरण, प्रमाणन और गुणता चेतना की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के माध्यम से नियमित आधार पर उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिनमें से कुछ कार्यक्रम उपभोक्ता संगठनों के सहयोग से आयोजित किए गए । वर्ष के दौरान, देश भर में ऐसे 166 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ii) **उद्योग जागरूकता कार्यक्रम -** उद्योगों में मानकीकरण की अवधारणा, उत्पाद प्रमाणन, प्रबंध पद्धति प्रमाणन तथा बीआईएस की अन्य गतिविधियों के प्रचार के लिए वर्ष के दौरान 49 उद्योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में व्याख्यान तथा परिचर्चाएँ शामिल थीं। इन कार्यक्रमों में उद्योगों की जरूरत के अनुरूप विशेष औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित मानकों पर प्रकाश डाला गया।

20 फरवरी 2016 को अहमदाबाद में आयोजित उद्योग जागरूकता कार्यक्रम

iii) **मानक शैक्षणिक उपयोगिता कार्यक्रम -** स्कूल और कॉलेज इत्यादि के छात्रों और अध्यापकों के लिए बीआईएस मानक शैक्षणिक उपयोगिता कार्यक्रम आयोजित करता है, ताकि युवा मन मानकीकरण की अवधारणा तथा उससे होने वाले लाभ के बारे में समझ सकें। हमारे देश के औद्योगिक विकास में मानकीकरण के महत्त्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि तकनीकी संस्थानों के छात्रों को मानकीकरण के सिद्धांतों और रीतियों से अवगत कराया जाए। वर्ष के दौरान बीआईएस द्वारा 30 मानक शैक्षणिक उपयोगिता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

iv) **विश्व मानक दिवस -** बीआईएस ने 14 अक्तूबर 2015 को विश्व के उन सभी विशेषज्ञों के सामूहिक प्रयासों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए विश्व मानक दिवस मनाया, जिनके स्वेच्छा से विकसित किए गए तकनीकी करार अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित होते हैं। 2015-16 के दौरान विश्व मानक दिवस का थीम ''विश्व की आम भाषा - मानक'' था। बीआईएस ने विश्व मानक दिवस मनाने के लिए 28 अक्तूबर 2015 को संगोष्ठी का आयोजन भी किया।

नई दिल्ली में विश्व मानक दिवस का आयोजन

जमशेदपुर में विश्व मानक दिवस का आयोजन

v) **सार्वजनिक शिकायतें**- शिकायत निवारण प्रक्रिया के लिए बीआईएस सुव्यवस्थित प्रक्रिया अपनाता है। उपभोक्ता इसमें बीआईएस प्रमाणित उत्पादों के बारे में अपनी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से शिकायतें दर्ज कर सकते हैं । वर्ष के दौरान 51 शिकायतें (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन) प्राप्त हुईं एवं 35 शिकायतें निपटाई गईं।

vi) **सिटीजन चार्टर** - सिटीजन चार्टर कार्यान्वित किया गया है और प्रबंध नियंत्रण रिपोर्टो के माध्यम से प्रत्येक माह समय-सीमा की मॉनिटरिंग की जा रही है।

vii) **राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार (आरजीएनक्यूए)**- उत्कृष्ट प्रयास के लिए विनिर्माताओं और सेवा संगठनों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 1991 में ब्यूरो द्वारा राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार स्थापित किए गए। इन वार्षिक पुरस्कारों की तुलना यूएस के मैल्कम बाल्रिज राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार एवं

यूरोपियन गुणता पुरस्कार सदृश अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से की जाती है। इन पुरस्कारों का मूल्यांकन लीडरशिप, नीतियों, उद्देश्यों एवं कार्यनीतियों, मानव संसाधन प्रबंध, संसाधन, प्रक्रमण, उपभोक्ता पर केन्द्रित परिणामों, कर्मचारियों की संतुष्टि, व्यवसाय के परिणाम एवं पर्यावरण तथा समाज पर प्रभाव -इन नौ मानदंडों के आधार पर किया जाता है। लघु स्तर के संगठनों के लिए आकलन छह मानदंडों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2012 और 2013 के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार 28 अक्तूबर 2015 को आयोजित समारोह में प्रदान किए गए।

viii) **प्रवर्तन** - बीआईएस मानक मुहर (आईएसआई मुहर) गुणता की मुहर है। उपभोक्ताओं के साथ साथ संगठित क्रेता आईएसआई मुहर लगे उत्पादों को वरीयता देते हैं। कुछ धोखेबाज निर्माता बीआईएस से लाइसेंस प्राप्त किये बिना आईएसआई मुहर लगाकर उत्पादों का उत्पादन तथा मार्केटिंग करके उपभोक्ताओं को ठगने का प्रयास करते हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान बीआईएस ने देशभर में आईएसआई मुहर का दुरुपयोग करने वाली फर्मों पर तलाशी एवं जब्ती के अभियान चलाए और ऐसे उत्पाद जब्त किए गए। अपराधियों के खिलाफ न्यायालय में समय से अभियोजन शुरू करने के लिए प्रयास किए गए। बीआईएस ने मारे गए प्रवर्तन छापों के बारे में व्यापक प्रचार करते हुए कई प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी कीं, ताकि आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करने वाले निर्माताओं के विरूद्ध उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाई जा सके।

प्रचार

बीआईएस की प्रचार गतिविधियों का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं और उद्योगों के मध्य बीआईएस की गतिविधियों, मुख्य रूप से मानकीकरण, वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रमाणन और सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसके उल्लंघनकर्त्ताओं को रोकने के लिए नकली मुहरांकन जैसी अनैतिक व्यापारिक रीतियों को रोकने के लिए दंडात्मक प्रावधान किया गया। प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के साथ-साथ प्रचार के अन्य माध्यमों, जैसे आउटडोर प्रचार, मैट्रो रेल, रेल संपर्क 139, पब्लिक यूटिलिटी, एयरपोर्टो एवं रेलवे स्टेशनों, सिनेमा हाल इत्यादि पर होर्डिंग लगाकर प्रचार किया गया ।

बीआईएस द्वारा प्रमाणित आईएसआई मुहर लगी वस्तुएँ तथा हॉलमार्क किए गए स्वर्ण आभूषणों एवं खरीदने हेतु आम उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से जोर-शोर से प्रचार अभियान चलाया गया तथा बीआईएस प्रमाणित सामानों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई हेतु ब्यूरो द्वारा बनाई गई पद्धति के बारे में भी सूचित किया गया।

बीआईएस की विविध गतिविधियों की जानकारी प्रसारित करने के लिए बीआईएस ने लोकप्रिय उपभोक्ता और औद्योगिक व्यापार मेलों में भाग लिया । ऐसे मेलों एवं प्रदर्शनियों, जहाँ बहुत अधिक संख्या में लोगों के आने की संभावना रहती है, उन पर विशेष रूप से विचार किया गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से की गई प्रचार गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है :

टीवी माध्यम से प्रचार

- प्रमुख इंटरटेन्मेंट चैनलों एवं न्यूज चेनलों, डीडी न्यूज तथा दूरदर्शन के क्षेत्रीय केंद्रों पर त्यौहारों के सीज़न के दौरान नवंबर 2015 में 16 दिन के लिए हालमार्किंग पर स्पॉट प्रसारित किए गए। डीडी न्यूज तथा दूरदर्शन के क्षेत्रीय केंद्रों पर 3 दिनों के लिए (8-10 नवंबर 2015) हालमार्क स्पॉट प्रसारित किए गए। डीडी न्यूज तथा दूरदर्शन के क्षेत्रीय केंद्रों पर 7 दिनों के लिए (10-16 जनवरी 2016) आईएसआई स्पॉट प्रसारित किए गए। डीडी न्यूज पर यूनियन बजट दिवस 29 फरवरी 2016 को दो आईएसआई स्पॉट तथा एक हालमार्क स्पॉट प्रसारित किए गए।

रेडियो माध्यम से प्रचार

- वर्ष भर में 105 दिनों की अवधि के लिए आकाशवाणी के माध्यम से एफएम चैनलों एवं विविध भारती स्टेशनों, राष्ट्रीय समाचार, प्राइमरी चैनल/लोकल रेडियो स्टेशनों पर हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में आईएसआई मुहर एवं हॉलमार्किंग पर रेडियो स्पॉट प्रसारित किये गये। वर्ष 2015 में 30 अगस्त और 29 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री के "मन की बात" कार्यक्रम के दौरान आईएसआई मुहर एवं हॉलमार्किंग के विज्ञापन प्रसारित किये गये।

प्रिंट माध्यम से प्रचार

- अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर अप्रैल 2015 में हालमार्क का प्रचार करने हेतु 2 दिन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन जारी किये गये।
- प्रिंट मीडिया के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता के लिए अंग्रेजी-हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में वर्षभर विज्ञापन अभियान निम्नलिखित विवरणानुसार चलाये गये :

- आईएसआई मुहर एवं हॉलमार्क पर जून तथा जुलाई 2015 में विज्ञापन प्रकाशित किये गये।
- 'सड़क सुरक्षा' अभियान में हेलमेट तथा टायरों पर आईएसआई मुहर को बढ़ावा देने हेतु 23 दिसंबर 2015 से 4 सप्ताह के लिए सप्ताह में दो बार विज्ञापन जारी किये गये।
- गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2016 को हिंदी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में अखिल भारतीय स्तर पर एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया।
- उपभोक्ताओं एवं निर्माताओं हेतु मार्च 2016 में 'पंजीकरण योजना' पर अभियान 2 मार्च 2016 से 4 सप्ताह तक सप्ताह में दो बार विज्ञापन जारी करके चलाया गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान आउटडोर मीडिया के माध्यम से किये गये प्रचार-प्रसार के विवरण नीचे दिये गये हैं :

- उपभोक्ता जागरूकता के लिए तीन महीनों तक 139 रेल सम्पर्क पर आईएसआई मुहर एवं हॉलमार्किंग पर जिंगल चलाये गये।
- जून/जुलाई 2015 में एक माह के लिए पब्लिक यूटिलिटी पर होर्डिंग्स लगाकर, रेलवे स्टेशनों, दिल्ली मैट्रो पर डिस्प्ले स्क्रीन लगाकर और दिल्ली एयरपोर्ट पर डिजिटल स्क्रीन तथा वीडियो वॉल लगाकर प्रचार किया गया।
- ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी उपभोक्ताओं तक पहुँचने हेतु 24 दिसंबर 2015 से 30 दिन की अवधि के लिए देशभर के 746 सिनेमा हालों में आईएसआई मुहर तथा हालमार्क का प्रचार करने हेतु टीवी स्पॉट प्रसारित किये गये।
- डाक विभाग द्वारा जारी की गई 50 लाख पासबुकों के पीछे 'पैकेजबंद पेयजल' तथा 'हालमार्क' के संदेश प्रकाशित किये गये। ये पासबुक देशभर में वितरित की गई।
- सूरजकुंड मेले 2016 में 4 बड़े होर्डिंग्स (आईएसआई मुहर लगे घरेलू उत्पादों पर 2 होर्डिंग्स और पैकेजबंद पेयजल पर 2 होर्डिंग्स) लगाये गये ।

अन्य मीडिया कवरेज

- बीआईएस की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं लोकप्रिय बनाने के लिए महानिदेशक, बीआईएस एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साक्षात्कार रेडियो एवं टीवी पर वर्ष के दौरान आयोजित किये गये।
- वर्ष के दौरान बीआईएस प्रमाणित उत्पादों तथा हालमार्क, राष्ट्रीय भवन कोड, स्मार्ट सिटी पर मानक, वर्ष 2012 एवं 2013 के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार आदि सहित बीआईएस की विविध गतिविधियों के संबंध में विशिष्ट समाचार विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किये गये ।
- बीआईएस की विभिन्न गतिविधियों से संबद्ध 19 प्रेस नोट जारी किये गये एवं प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किये गये।

महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों संबंधी प्रचार

- **विश्व मानक दिवस समारोह-** विश्व मानक दिवस संबंधी विज्ञापन दिनांक 14 अक्तूबर 2015 को अखिल भारतीय स्तर पर 72 विभिन्न समाचार पत्रों में जारी किये गये।

मानकों एवं अन्य प्रकाशनों की बिक्री

ब्यूरो मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों में स्थित 24 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से भारतीय मानक और विशेष प्रकाशनों की बिक्री करता है। पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से भी बिक्री की जाती है। बीआईएस भारत में विदेशी मानकों (आईएसओ, आईईसी, बीएसआई लंदन, डीआईएन जर्मनी, जेआईएस, जापान) की भी बिक्री करता है। बीआईएस अपने ई-पोर्टल के माध्यम से भारतीय मानकों की बिक्री करता है। मानकों को बीआईएस के ई-पोर्टल से सॉफ्ट कॉपी के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है अथवा ई-पोर्टल द्वारा हार्ड कॉपी के लिए भी क्रयादेश दिया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड द्वारा पोर्टल पर भुगतान किया जा सकता है। बीआईएस के पास उन ग्राहकों के लिए भी भुगतान की प्रणाली है जिनकी ई-खरीद रू. 50,000 से अधिक की हो, ऐसे ग्राहक डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा भी भुगतान कर सकते हैं। बीआईएस के खाते में सीधे एनईएफटी/आरटीजीएस (ऑनलाइन अंतरण) द्वारा भी ग्राहक मानकों हेतु भुगतान कर सकते हैं।

भारतीय मानक पूरे सेट के रूप में अथवा सिविल इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग, यांत्रिक इंजीनियरिंग, टैक्सटाइल इत्यादि जैसे 14 क्षेत्रों के लिए अलग-अलग विशेष सेटों के रूप में डीवीडी पर लीज के लिए भी उपलब्ध हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए बीआईएस के ई-पोर्टल www.standardsbis.in से जुड़ा एक टच स्क्रीन कियोस्क मुख्यालय के बिक्री विभाग में लगाया गया है। ग्राहक इस पर अपनी आवश्यकता के मानक, मानकों का मूल्य, विषय क्षेत्र, संशोधन इत्यादि देख सकते हैं।

हिन्दी गतिविधियाँ

भारतीय मानक ब्यूरो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी राजभाषा संबंधी सभी निर्देशों का पालन करता है। तदनुरूप, वर्ष के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी निम्नलिखित कार्य किए गए:

हिन्दी कार्यान्वयन - बीआईएस मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चारों बैठकें समय से आयोजित की गईं। चार तिमाहियों की हिंदी की प्रगति रिपोर्ट समय पर उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को भेजी गई। वर्ष के दौरान बीआईएस के विभिन्न कार्यालयों में 26 हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें 400 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। मुख्यालय में 14 सितम्बर से 28 सितम्बर 2015 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें हिन्दी संबंधी निबंध लेखन, वाद-विवाद, स्लोगन लेखन और राजभाषा से संबंधित ज्ञान सहित 4 प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं के सफल विजेताओं को 01 अक्तूबर 2015 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में 25 पुरस्कार दिए गए। बीआईएस ने सरकार की हिंदी प्रोत्साहन की सभी योजनाओं का कार्यान्वयन करना जारी रखा। इसमें हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन की नकद पुरस्कार योजना, हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता योजना, राजभाषा शील्ड योजना आदि सम्मिलित हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान सभी कंप्यूटरों पर अंग्रेजी सहित हिंदी के अद्यतन द्विभाषी सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए गए। बीआईएस के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित के लिए 24 निरीक्षण किये गये ।

संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण एवं अन्य बैठकें - इस अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति ने ब्यूरो के विशाखापटनम, राजकोट तथा मुम्बई कार्यालयों का निरीक्षण किया। इसके अलावा संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य समिति ने उक्त अवधि के दौरान मुख्यालय तथा गाजियाबाद शाखा कार्यालय का निरीक्षण भी किया। समिति ने बीआईएस में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर संतुष्टि व्यक्त की। महानिदेशक, बीआईएस ने मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 08 जून 2015 तथा 12 फरवरी 2016 को क्रमशः दिल्ली एवं भुवनेश्वर में आयोजित बैठकों में भाग लिया। बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाइयाँ की गई ।

राजकोट शाखा कार्यालय में संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण

मानक एवं सामान्य अनुवाद - भारतीय मानकों के अनुवाद कार्यों को गति प्रदान करने हेतु पैनल में अनुवादकों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए और तदनुसार उन्हें अनुवाद हेतु मानक भेजे गए । अवधि के दौरान 68 मानकों का अनुवाद किया गया और 670 मानकों के शीर्षक भी द्विभाषी किए गए ।

मानकों के अनुवाद कार्यों के अतिरिक्त ब्यूरो ने अपने विभिन्न विभागों से प्राप्त कई प्रोफार्मों, वार्षिक रिपोर्ट, हॉलमार्किंग, विश्व मानक दिवस, निविदा सूचनाओं, संसदीय प्रश्न, राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार, संसद की स्थायी समिति के लिए सामग्री, राजपत्र अधिसूचना, प्रशिक्षण सामग्री, ब्यूरो बैठकों की कार्य सूची एवं कार्यवृत्त आदि के लगभग 800 पृष्ठों का अनुवाद किया।

योजनागत परियोजनाएँ

हॉलमार्किंग

बीआईएस केंद्रीय सहायता के साथ भारत में सोना एसेइंग एवं हालमार्किंग (ए एंड एच) केंद्रों को स्थापित हेतु योजनागत परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। हॉलमार्किंग की इस योजना का प्रचालन 10वीं योजना से किया जा रहा है तथा 12वीं योजना में भी इसे जारी रखा गया है। इस योजना के घटक नीचे दर्शाए गए हैं।

क) अवसंरचना निर्माण - एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों की स्थापना

ख) निम्नलिखित को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के माध्यम से क्षमता निर्माण :

i) हॉलमार्किंग में लगे शिल्पकारों को प्रशिक्षण

ii) प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पर बीआईएस के ऑडिटरों को प्रशिक्षण दिया गया

iii) एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों के कार्मिकों का प्रशिक्षण

वर्ष के दौरान अवसंरचना निर्माण योजना के अंतर्गत अवसंरचना के सृजन के लिए 2 किस्तों में केन्द्रीय सहायता दी गई। वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में 26 केन्द्रों को पहली किस्त तथा 24 केन्द्रों को दूसरी किस्त दी गई। इसके साथ योजना के आरंभ से लेकर अब तक ऐसे केन्द्रीय सहायता प्राप्त ए एंड एच केन्द्रों की संख्या बढ़कर 73 हो गई ।

2015-16 के दौरान बीआईएस ने सरकार से इस योजनागत योजना के अन्तर्गत रू. 375 लाख प्राप्त किये और रू. 372.69 लाख खर्च किये। शिल्पकार प्रशिक्षण पर 07 कार्यक्रम, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर 01 कार्यक्रम, एसेइंग व हॉलमार्किंग के कार्मिक प्रशिक्षण पर 04 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मानकीकरण की राष्ट्रीय पद्धति

ग्यारहवीं योजना के अन्तर्गत प्रचालित की जा रही मानकीकरण की राष्ट्रीय पद्धति पर योजना का प्रचालन निम्नलिखित घटकों के साथ जारी रखा गया है :

i) भारतीय मानकों की स्थापना/पुनरीक्षण हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ

ii) तकनीकी समिति बैठकों में बीआईएस तकनीकी समिति सदस्यों की सहभागिता को बढ़ाना

iii) संगोष्ठी/कार्यशाला और प्रशिक्षण

iv) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण में बीआईएस अधिकारियों, तकनीकी समिति के सदस्यों, अन्य अधिकारियों तथा विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/द्विपक्षीय बैठकों/प्रशिक्षणों में सहभागिता बढ़ाना

v) भारत में आईएसओ/आईईसी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/सार्क बहुपक्षीय/द्विपक्षीय बैठकें/ कार्यशालाएँ/ प्रशिक्षण आयोजित करना

वर्ष के दौरान बीआईएस ने सरकार से इस योजना के अंतर्गत ₹ 580 लाख प्राप्त किये, ₹ 273.96 लाख खर्च किए।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ

कंप्यूटरीकरण के लिए सरकार की पहलों के अनुरूप और बीआईएस के रोजमर्रा के कार्यों को पूर्णतया ऑनलाइन संचालित करने हेतु पद्धतियों के विकास एवं सतत सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति को संसाधन के रूप में योजनाबद्ध तरीके से समर्थ बनाया जा रहा है । इसका समग्र उद्देश्य बीआईएस के स्टेकहोल्डरों के लिए दक्षता, पारदर्शिता बढ़ाकर एवं विश्वसनीयता और उनकी समय से डिलीवरी सुनिश्चित करके सेवाओं में सुधार लाना है। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रगति हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना

भारतीय मानक ब्यूरो के सूचना प्रौद्योगिकी सेवा विभाग में दो अतिरिक्त सर्वर एवं सहायक सामग्री ली और स्थापित की गई है। हमारे नागपुर कार्यालय में एक लीज लाइन चालू की गई, इसके परिणामस्वरूप बैंडविड्थ 2 एमबीपीएस तक बढ़ी है। अपेक्षित हार्डवेयर लेने सहित हमारे नोएडा, कोच्ची, दुर्गापुर, जमशेदपुर तथा रायपुर कार्यालयों में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी की गई हैं।

बीआईएस मुख्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना/संसाधनों को सरल एवं कारगर बनाने हेतु एक यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट (यूटीएम) युक्ति भी खरीदी गयी है।

एकीकृत बीआईएस वेब-पोर्टल

बीआईएस की प्रमुख गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए एक एकीकृत वेब-पोर्टल विकसित किया जा रहा है । यह कार्य सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डेक), नोएडा को सौंपा गया है, जो इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) के अधीन कार्य कर रहा है। पोर्टल का विकास सी-डेक एवं बीआईएस के संबंधित विभाग के साथ समन्वय से चरणबद्ध तरीके से हो रहा है।

चरण 1 में उत्पाद प्रमाणन के लिए मॉड्यूल में विकास, प्रयोगशाला प्रक्रमणों का प्रमाणन के साथ एकीकरण, भुगतान गेटवे, उपयोगकर्ता डैशबोर्ड तथा केंद्रीय लॉग इन सम्मिलित है। सॉफ्टवेयर के चरण 2 में प्रबंध पद्धति प्रमाणन, हालमार्किंग, उपभोक्ता मामले प्रक्रियाएँ और उनके उत्पाद प्रमाणन के साथ एकीकरण के लिए मॉड्यूल विकसित किए जायेंगे।

चरण 1 का मॉड्यूल पूरा हो गया है और इसका परीक्षण किया जा रहा है। पोर्टल में आवेदकों/लाइसेंसधारियों के पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए भी एक अलग पंजीकरण मॉड्यूल बनाया गया है और मौजूदा लाइसेंसधारियों और आवेदकों हेतु पूर्व-पंजीकरण प्रमाण पत्र जेनरेट करके शाखा कार्यालयों को ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा जिससे वे बीआईएस पोर्टल पर ई-पंजीकरण करने में सक्षम होंगे ।

मानकीकरण गतिविधि हेतु सॉफ्टवेयर

बीआईएस में विभिन्न कार्यों को करने के लिए मानकीकरण गतिविधि हेतु एकीकृत सॉफ्टवेयर आपरेटिव बनाया गया है । इसके अलग-अलग माड्यूलों में मानक निर्धारण, समिति प्रबंध, सदस्यता प्रबंध, डिस्कशन फोरम, इंट्रा तथा इंटर विभागीय संपर्क इत्यादि शामिल हैं ।

यह सॉफ्टवेयर मानकों के निर्धारण से जुड़ी सभी स्थितियों को स्वचालित बनाता है। इन स्थितियों में नए विषय पर परियोजना के अनुमोदन से लेकर प्रारंभिक मसौदा तथा व्यापक परिचालन, मसौदा अपलोड करना, अंतिम मसौदे का परिचालन, अंतिम रूप से तैयार मानक/संशोधन इत्यादि का प्रकाशन शामिल है। यह सॉफ्टवेयर तकनीकी

विभागों के लिए रीयल टाइम प्रोग्राम ऑफ वर्क जेनरेट करता है। यह बीआईएस के अधिकारियों को सदस्य-सचिव के रूप में समिति एसाइन करने की स्वीकृति देता है, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय समितियों के संगत समिति के गठन, विषय क्षेत्र, बैठक मॉड्यूल तथा लाइजन डाटा को अद्यतन कर सकते हैं।

वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने और मानकीकरण गतिविधि की समग्र मॉनीटरिंग करने के लिए डाटाबेस बनाया गया है। इसमें विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए एक विचार-विमर्श मंच की भी सुविधा दी गई है ।

प्रमाणन मुहर प्रबंध पद्धति (सीएमएमएस)

सीएमएमएस सॉफ्टवेयर निरीक्षण की योजना बनाने उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के गुणता कार्यकारिता पैटर्न के डाटा के विश्लेषण, आवेदकों/लाइसेंसधारियों तथा कार्यशालाओं के लिए विभिन्न पत्र जेनरेट करने तथा लाइसेंस प्रदान करने, नवीकरण तथा लाइसेंस में अतिरिक्त वेरायटी शामिल करने, इत्यादि की आंतरिक प्रोसेसिंग हेतु डाटा फॉरमेट विकसित करने के लिए बहु-उपयोगी रूपों में डाटा की उपलब्धता को सुगम बनाता है ।

प्रयोगशाला सूचना प्रबंध पद्धति (एलआईएमएस)

मौजूदा प्रयोगशाला सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन प्रयोगशाला सूचना प्रबंध पद्धति (एलआईएमएस) के रूप में अपग्रेड किया गया है। ऑनलाइन परीक्षण आवेदन बनाने, नमूना प्राप्ति एवं स्वीकृति और परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने के अतिरिक्त अब यह पद्धति नमूना प्रकोष्ठों को संबंधित प्रयोगशालाओं को नमूने इलैक्ट्रॉनिक रूप में अग्रेषित करने में सक्षम बनाती है। इसके बाद प्रयोगशालाएँ इन परीक्षण रिपोर्टों को अपलोड कर सकती हैं जिन्हें संबंधित शाखा कार्यालय द्वारा तत्काल कार्रवाई हेतु ऑनलाइन देखा जा सकता है।

शिकायत सॉफ्टवेयर

शिकायत पंजीकरण के लिए वर्तमान सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया है। ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण तथा स्टेकहोल्डरों द्वारा ऑनलाइन ट्रेकिंग के अतिरिक्त यह पद्धति अब उपभोक्ता मामले विभाग (सीएडी) को ऑनलाइन शिकायतों को मॉनिटर करने, देखने तथा बंद करने की सुविधा देती है। आगे सीएडी को इस पद्धति में कागज/हार्डप्रति में की गई शिकायतों को सिस्टम में समावेश करने हेतु भी प्रावधान किया गया है।

स्मार्ट फोन से शिकायतें दर्ज कराने हेतु एक एंड्रॉइड एप्लिकेशन (बीआईएस केयर) भी विकसित किया गया है। यह माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान द्वारा 01 जून 2015 को नेशनल मीडिया सेंटर में लांच किया गया। उपरोक्त ऐप गूगल तथा एम-सेवा ऐप स्टोर पर भी होस्ट किया गया है।

मानव संसाधन विभाग मॉड्यूल

स्थानांतरण तथा पदोन्नति और कर्मचारियों की प्रोफाइल को अपडेट करना सुगम बनाने हेतु मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरडी) के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया गया है। यह उनके लिए स्थानांतरण तथा पदोन्नति आदेशों को स्वतः जेनरेट करना भी आसान बनाता है।

लोगो डिजाइन प्रतियोगिता

लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के लिए एक माड्यूल विकसित किया गया। इस माड्यूल ने भाग लेने वालों को अपने लोगो ई-सबमिट करने और ई-भुगतान करने में सक्षम बनाया है। इसे निर्णायकों द्वारा ऑनलाइन बहु-स्तरीय मूल्यांकन को सुगम बनाने हेतु भी अपग्रेड किया गया।

वेबसाइट विकास

भारतीय वेबसाइट दिशा निर्देशों (जीआईजीड्ब्ल्यू) के अनुरूप मौजूदा वेबसाइट के पुनर्निर्माण के आंतरिक कार्य का विकास पूरा कर लिया गया है। इस वेबसाइट में विषयवस्तु प्रबंध पद्धति (सीएमएस) जैसी विशेषताएँ सम्मिलित हैं जो विभिन्न विभागों के लिए अपनी विषयवस्तु को अपडेट करने को सुगम बनाएगी। वर्तमान में यह वेबसाइट परीक्षण की अवस्था में है।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित की वेबसाइट विकसित तथा ऑनलाइन की गई :

- पेसिफिक एरिया स्टैण्डर्ड्स कांग्रेस (पीएएससी) बैठक
- निम्न वोल्टता डायरेक्ट करंट (एलवीडीसी) पर आईईसी - बीआईएस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
- आईएसओ/ टीसी 207 की 22 वीं प्लेनरी बैठक - पर्यावरण प्रबंध
- आईएसओ/ टीसी 61 की बैठक - प्लास्टिक
- आईएसओ/ आईईसी / जेटीसी1 एससी 27 के कार्य समूह (डब्ल्यूजी) की बैठकें
- आईएसओ/ टीसी 85 - की 20वीं प्लेनरी बैठक - नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय प्रौद्योगिकियाँ एवं रेडियो लॉजिकल संरक्षण

इन वेबसाइटों ने भावी सदस्यों एवं अतिथियों के पंजीकरण के साथ-साथ ऑनलाइन संगत सूचना वितरण को आसान बनाया है। बीआईएस के लिए मॉनिटरिंग रिपोर्ट बनाने, निमंत्रण पत्र बनाने, आदि को सुगम बनाने हेतु एक प्रशासनिक मॉड्यूल भी विकसित किया गया है।

केंद्रीकृत लॉगइन

केंद्रीकृत लॉगइन का एक अद्यतन ऑनलाइन संस्करण बनाया गया है। यह लॉगइन एकलबिंदु से स्टेकहोल्डरों को बीआईएस की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं तक एक्सेस करने में समर्थ बनाता है।

डब्ल्यूटीओ-टीबीटी मॉड्यूल

ड्ब्ल्यूटीओ-टीबीटी अधिसूचनाएँ जेनरेट करने के लिए एक मॉड्यूल निर्माणाधीन है। इसके माध्यम से अन्य स्टेकहोल्डर अपनी सम्मतियाँ ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे।

डिजिटाइज्ड एप्लिकेशन की मॉनिटरिंग हेतु राष्ट्रीय पोर्टल

प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के निर्देशों के अनुसार 'राष्ट्रीय पोर्टल' हेतु वेब सेवा मॉड्यूल विकसित किया गया था। पीएमओ के परियोजना प्रबंध समूह (पीएमजी) के साथ इंटीग्रेशन परीक्षण करने के बाद होस्ट की गई वेब सेवा को ऑपरेशनल बनाया गया ।

परियोजना प्रबंधन और कार्य

बीआईएस कार्यालयों के नये भवनों के निर्माण एवं वर्तमान भवनों में नवीकरण का कार्य बीआईएस अपने परियोजना प्रबंधन एवं कार्य विभाग (पीएमड्ब्ल्यूडी) के माध्यम से कर रहा है।

भारतीय सौर ऊर्जा निगम के माध्यम से बीआईएस भवनों की छतों पर सौर पावर संयत्रों के संस्थापन हेतु पीएमड्ब्ल्यूडी ''हरित पहल'' परियोजनाएँ भी चला रहा है।

पीएमड्ब्ल्यूडी के अधीन विभिन्न कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है :

नई भवन परियोजनाएँ

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ भवन

भारतीय मानक ब्यूरो के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय ने मध्य मार्ग, चण्डीगढ़ में स्थित अपने नए भवन में दिसंबर 2015 से कार्य करना शुरू कर दिया है। नया भवन 4 044 वर्ग मीटर में निर्मित है, इसमें बेसमेंट तथा दो मंजिलें हैं। यह संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ प्रशासन से प्राप्त 4 492.43 वर्ग मीटर के प्लाट पर बनाया गया है। इस भवन का निर्माण सीपीड्ब्ल्यूडी द्वारा लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

हैदराबाद कार्यालय भवन

बीआईएस के हैदराबाद शाखा कार्यालय ने दिनांक 28 सितंबर 2015 से औद्योगिक विकास पार्क, मौला अली, रंगा रेड्डी जिले में स्थित नये भवन में कार्य आरंभ किया है। नये भवन में बेसमेंट और तीन तल हैं और लिफ्ट लगी है और इसका बिल्ड अप क्षेत्र 2 110 वर्ग मीटर है। यह भवन आंध्र प्रदेश औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम से प्राप्त 2 023.5 वर्ग मीटर के आकार के प्लॉट पर बनाया गया है। इस भवन का निर्माण सीपीड्ब्ल्यूडी द्वारा लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

हैदराबाद शाखा कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन

राजकोट कार्यालय भवन

बीआईएस राजकोट शाखा कार्यालय ने जुलाई 2015 से कलवड रोड, राजकोट में स्थित नये भवन में कार्य करना आरंभ किया है। नये भवन में बेसमेंट और तीन तल हैं, 1 000 वर्ग मीटर में बने क्षेत्र में लिफ्ट लगी हुई है। यह राजकोट नगर निगम से प्राप्त 861.5 वर्ग मीटर आकार के प्लॉट पर बनाया गया है। इस भवन का निर्माण सीपीड्ब्ल्यूडी द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

जम्मू कार्यालय भवन

बड़ी ब्रहमा, जम्मू में बीआईएस के जम्मू कार्यालय का भवन, जिसमें 2 तल हैं, का निर्माण 906 वर्गमीटर में लगभग पूरा होने वाला है। यह 2 094.35 वर्गमीटर के आकार के प्लॉट पर है, जिसे जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक विकास निगम से प्राप्त किया गया है। इसका निर्माण सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से लगभग रु. 4.3 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। बीआईएस का जम्मू एवं कश्मीर शाखा कार्यालय इस नये भवन से प्रचालित होगा। यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य में बीआईएस का पहला कार्यालय होगा और इस राज्य में बीआईएस को अपना आधार खड़ा करने में सहायक होगा।

नवीकरण परियोजनाएँ

बीआईएस (मुख्यालय), नई दिल्ली में केंद्रीय एयर कंडीशनिंग एवं अन्य अपग्रेडेशन कार्य

केलोनिवि द्वारा बीआईएस मुख्यालय में एक सेन्ट्रल एसी सिस्टम लगाया गया है । इसके अतिरिक्त, केलोनिवि द्वारा वायरिंग बदलना, विद्युतीय फिटिंग बदलना, अग्नि-शमन यंत्रों, अग्निशामक पद्धति को बृहत् बनाना, नया लैन सिस्टम एवं नया इपीएबीएक्स सिस्टम भी उपलब्ध कराया गया है । इन कार्यों पर लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत आयी है ।

इसके अतिरिक्त बीआईएस (मुख्यालय) में कैंटीन के नवीकरण के कार्य एवं बीआईएस (मुख्यालय) में लिफ्ट बदलने की योजना भी बनाई गई है एवं ये कार्य केलोनिवि को लगभग 1.3 करोड़ रुपये की कुल लागत पर सौंपे गये हैं ।

बीआईएस गुवाहाटी शाखा कार्यालय में इंटीरियर रिनोवेशन एवं फर्नीचर कार्य

बीआईएस ने बीआईएस गुवाहाटी शाखा कार्यालय के परिसर के इंटीरियर रिनोवेशन का कार्य हाउसफैड, असम सरकारी एजेंसी को रु. 81.14 लाख की अनुमानित लागत पर सौंपा है।

बीआईएस उक्षेका प्रयोगशाला, मोहाली में विविध मरम्मत एवं आंतरिक फिनिशिंग कार्य

बीआईएस ने केलोनिवि को 21 लाख रु. की लागत पर उक्षेका प्रयोगशाला, मोहाली की आंतरिक फिनिशिंग एवं मरम्मत का कार्य सौंपा था। कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त बंगलुरू और कोलकाता स्थित बीआईएस भवनों के नवीकरण संबंधी परियोजनाएँ भी बनाई गई हैं और उनके जल्दी ही शुरु करने की उम्मीद है ।

हरित पहलें-सौर ऊर्जा परियोजनाएँ

बीआईएस (मुख्यालय), नई दिल्ली में संस्थापित 100 किलोवॉट क्षमता के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के अतिरिक्त बीआईएस के विभिन्न भवनों में निम्नलिखित रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र संस्थापित किये गये :

क्रमांक	कार्यालय/प्रयोगशाला का नाम एवं स्थान	क्षमता	दिनांक को पूर्ण
1	बीआईएस, दक्षेका प्रयोगशाला चेन्नई	100 कि.वॉट	जून 2015
2	बीआईएस, पक्षेका, मुम्बई	40 कि.वॉट	दिसंबर 2015
3	निट्स, नोएडा	50 कि.वॉट	मार्च 2016

सतर्कता गतिविधियाँ

बीआईएस के सतर्कता सेट-अप में प्रमुख, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) तथा इसके अंतर्गत बीआईएस के मुख्यालय में सतर्कता विभाग है और समूह 'ख', 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी के सचिवालय, जो बीआईएस के अलग-अलग कार्यालयों में हैं, जिनके प्रमुख उपमहानिदेशक स्तर के अधिकारी हैं, में भी सतर्कता अनुभाग है ।

दिनांक 26 से 31 अक्तूबर 2015 तक बीआईएस में सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान **''सुशासन के औजार के रूप में निवारक सतर्कता''** के विषय पर बैनरों का प्रदर्शन, क्विज प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता एवं स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गयी। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों तथा केन्द्रीय प्रयोगशाला में सतर्कता सप्ताह मनाया गया ।

राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस), नोएडा में 19-20 नवंबर 2015 को बीआईएस के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सतर्कता संबंधी मामलों से संबद्ध विभिन्न पहलुओं सहित निवारक सतर्कता पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनमें सतर्कता संबंधी विभिन्न मुद्दे शामिल किए गए ।

8 एवं 9 फरवरी 2016 को बीआईएस के सभी जाँच प्राधिकारियों एवं प्रस्तोता अधिकारियों के लिए निट्स नोएडा में 'कन्डक्ट ऑफ इन्क्वायरी' विषय पर डेढ़ दिन की एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।

वर्ष के दौरान भोपाल शाखा कार्यालय, लखनऊ शाखा कार्यालय, नागपुर शाखा कार्यालय एवं हैदराबाद शाखा कार्यालय का निवारक सतर्कता के लिए ऑडिट किया गया ।

मानव संसाधन विकास, प्रशासन एवं सामान्य सेवाएँ

भर्ती

वर्ष के दौरान सीधी भर्ती के माध्यम से वैज्ञानिक बी के 71 पद भरे गये ।

31 मार्च 2016 तक कुल 1 532 व्यक्ति बीआईएस में कार्यरत थे । 2015-16 के दौरान बीआईएस की विभिन्न गतिविधियों में तैनात कार्मिक निम्नानुसार हैं :

गतिविधि	कार्मिको की समूहवार तैनाती (31 मार्च 2016 को)		
	ए (वैज्ञानिक संवर्ग)	(ए गैर वैज्ञानिक संवर्ग बी, सी एवं डी)	योग
मानक निर्धारण	95	59	154
प्रमाणन	340	328	668
प्रयोगशालाएँ	55	219	274
तकनीकी सहायी सेवाएँ	28	111	139
प्रशासन / एचआरडी / स्थापना	2	144	146
अन्य (कॉर्पोरेट)	8	143	151
योग	**528**	**1 004**	**1 532**

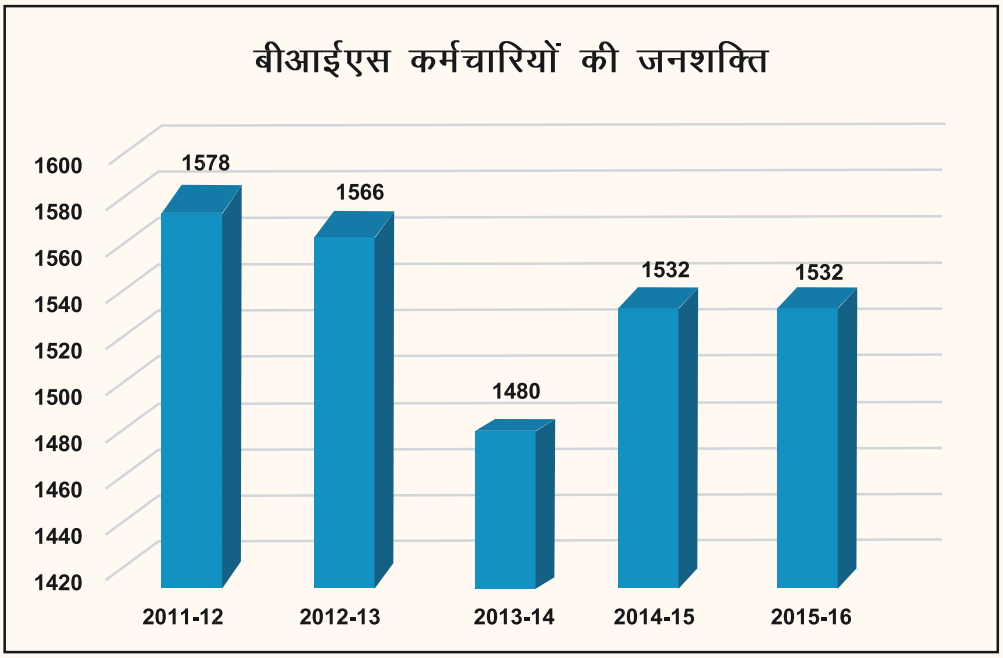

31 मार्च 2016 को समूहवार संख्या निम्नलिखित है :

समूह	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ओबीसी/ दिव्यांग /भूतपूर्व सैनिक का प्रतिनिधित्व	योग
ए (वैज्ञानिक संवर्ग)	223	528
ए (गैर-वैज्ञानिक संवर्ग)	19	40
बी	123	458
सी	143	323
डी*	86	183
योग	**594**	**1 532**

** सरकार के निर्णय के अनुसार पहले के समूह 'घ' कर्मचारियों को विहित प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें समूह 'ग' का कर्मचारी माना जाता है ।*

एससी/एसटी/ओबीसी और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान आरंभ किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन- उपभोक्ता मामले विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 22 जून 2015 से 15 अगस्त 2015 के दौरान बीआईएस के सभी कार्यालयों में विशेष सफाई अभियान चलाये गये। बीआईएस कर्मचारियों ने सफाई अभियानों में भाग लिया और अपने कार्यक्षेत्र एवं कार्यालय परिसरों को साफ किया एवं उन्हें धूलमुक्त बनाया। पुरानी फाइलों को वीड-आउट किया गया एवं अनुपयुक्त/सेवा देने में अक्षम उपकरणों एवं फर्नीचरों की पहचान की गई एवं उनका निपटान किया गया ।

1 अक्तूबर 2015 को बीआईएस (मुख्यालय) में 'स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन पर सुझावों' पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई एवं उस प्रतियोगिता में 41 बीआईएस कर्मचारियों ने भाग लिया ।

स्टाफ कल्याण - समूह बीमा योजना, होलीडे होम सुविधा, पार्ट-टाइम डॉक्टर की इन-हाउस सेवाएँ, आर्थिक सहायता प्राप्त अल्पाहार, चिल्ड्रन स्कॉलरशिप योजना इत्यादि जैसे कल्याण के कार्य बीआईएस ने अपने कर्मचारियों के लिए जारी रखे।

बीआईएस मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत निम्नलिखित हॉलीडे होम थे:

क) बीआईएस मुख्यालय - शिमला (11 सितम्बर 2015 से)

ख) पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय - पुरी (14 अक्टूबर 2015 तक)

ग) पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय - लोनावाला

पुस्तकालय सेवाएँ

बीआईएस के मुख्यालय में स्थित तकनीकी पुस्तकालय मानकों एवं संबद्ध विषयों पर जानकारी का एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र है और उद्योग, व्यापार, सरकार, अनुसंधानकर्ताओं और उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करता है। 1 000 वर्ग मीटर के फ्लोर एरिया में फैला यह पुस्तकालय आज दक्षिण एशिया क्षेत्र का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसके संग्रह में विश्वभर के लगभग 4 लाख मानक और 70 000 तकनीकी पुस्तकें हैं। 2 627 आगंतुकों को संदर्भ सेवाएँ प्रदान की गईं तथा विषयों के व्यापक संदर्भ ग्रंथ तैयार करके उनकी पसंद की संदर्भ सामग्रियां उन्हें उपलब्ध कराई गईं। इसने भारतीय व्यापार और उद्योग से प्राप्त होने वाली 1 840 छोटी-बड़ी पूछताछों इत्यादि का उत्तर तुरंत देकर उनकी सहायता की। पुस्तकालय प्राप्त मानकों के यंत्रीकृत डाटाबेस को नियमित रूप से

अद्यतन करके उसका रख-रखाव करता है। वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत 41 680 प्रकाशनों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से सूचीबद्ध किया गया है ।

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति का गठन

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के पालन के लिए फरवरी 1998 में भारतीय मानक ब्यूरो में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और चंडीगढ़ स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों में भी आईसीसी गठित की गई हैं ।

आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी-मुख्यालय) ने दिनांक 08 मार्च 2016 को बीआईएस (मुख्यालय) नई दिल्ली में 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' आयोजित किया, जिसमें बीआईएस (मुख्यालय) नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्थित फरीदाबाद, गाजियाबाद, केंद्रीय प्रयोगशाला एवं निट्स नोएडा के बीआईएस कार्यालयों में तैनात महिला कर्मचारियों ने भाग लिया।

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

लगाताार 27वें वर्ष अर्थात् 2015-16 में भी भारतीय मानक ब्यूरो अपनी व्यय और देयताएं स्वयं पूरी करके आत्मनिर्भर बना रहा । वर्ष 2015-16 के दौरान कुल आय (निवेश से प्राप्त आय को छोड़कर) रु0 39082.83 लाख थी, जबकि गत वर्ष यह आय रु0 34542.86 लाख थीं, जिसके परिणामस्वरूप 13.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, इस आय में सबसे बड़ा हिस्सा प्रमाणन मुहरांकन शुल्क का था, जो गत वर्ष के रु0 30252.43 लाख की तुलना में इस वर्ष रु0 32611.05 लाख रहा अर्थात् इसमें 7.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष 2015-16 के दौरान कुल राजस्व खर्च रु0 23503.26 लाख हुआ जबकि 2014-15 के दौरान यह रु0 21095.90 लाख था और इसमें 11.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

वर्ष 2015-16 के दौरान आय और व्यय का वर्ष 2014-15 के साथ तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित है :

(रु. लाखों में)

	2015-16	**2014-15**	**वृद्धि / गिरावट (-) (%)**
आय			
सेवाओं से आय	37 277.84	32 722.03	13.92
मानकों की बिक्री से आय	627.94	903.45	-30.50
आईएसओ एवं आईईसी से रेट्रोसेशन	476.75	340.68	39.94
शुल्क / अंशदान	234.53	222.46	5.43
अन्य आय	465.77	354.24	31.48
उप-योग	**39 082.83**	**34 542.86**	**13.14**
निवेशों से आय	2 743.58	1 739.50	57.72
योग	**41 826.41**	**36 282.36**	**15.28**
व्यय			
स्थापना व्यय	15 999.65	15 176.16	5.43
प्रशासनिक एवं प्रचालनात्मक व्यय आदि	7 076.50	5 506.42	28.51
मूल्यह्रास	427.11	413.32	3.34
उपयोग	**23 503.26**	**21 095.90**	**11.41**
पेंशन तथा ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में कमी के लिए अंशदान	17 732.12	0.00	
योग	**41 235.38**	**21 095.90**	
पूंजीगत निधि से अग्रनीत अधिशेष	591.03	15 186.46	

भारतीय मानक ब्यूरो
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का पक्का चिट्ठा

(राशि रू0 में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कार्पस निधि एवं देनदारियां			
कार्पस/पूंजी निधि	1	5,40,78,80,066	5,35,08,38,482
रिजर्व और निधियाँ		-	-
उदि्दष्ट/अक्षय निधि	2	14,49,41,34,257	11,88,43,92,402
प्रतिभूत ऋण और उधार		-	-
अप्रतिभूत ऋण और उधार		-	-
आस्थगित क्रेडिट देनदारियां		-	-
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	3	11,12,51,290	12,05,20,705
योग		**20,01,32,65,613**	**17,35,57,51,589**
परिसम्पत्तियां			
अचल परिसम्पत्तियां	4	1,31,76,90,186	1,26,71,32,873
निवेश : उदि्दष्ट/अक्षय निधि से	5	1,16,11,02,309	1,16,75,01,480
निवेश : अन्य	6	-	-
वर्तमान परिसम्पत्तियों ऋण, अग्रिम इत्यादि।	7	17,53,44,73,118	14,92,11,17,236
विविध खर्च (बट्टे खाते या समायोजित न करने की सीमा तक)		-	-
योग		**20,01,32,65,613**	**17,35,57,51,589**
महत्वपूर्णलेखा सम्बन्धी नीतियां	16		
आकस्मिक देनदारियां और लेखों पर टिप्पणियां	17		
निवेश का विवरण	18		

(अलका पंडा)
महानिदेशक

(एच.आर. आहूजा)
उपमहानिदेशक (वित्त)

(विनोद कुमार)
निदेशक (वित्त)

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा

(राशि रू0 में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
सेवा से आय	**8**	3,72,77,83,894	3,27,22,02,759
अनुदान/सब्सिडी		-	-
शुल्क/अंशदान	**9**	2,34,52,645	2,22,45,944
निवशों से आय	**10**	27,43,58,316	17,39,49,513
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	**11**	11,04,69,303	12,44,13,291
अर्जित ब्याज	**12**	7,60,185	9,11,641
अन्य आय	**13**	4,58,16,677	3,45,13,263
योग (ए)		**4,18,26,41,020**	3,62,82,36,411
व्यय			
स्थापना खर्च	**14**	1,59,99,65,486	1,51,76,16,219
प्रचालनात्मक एवं प्रशासनिक खर्च	**15**	70,76,50,008	55,06,42,239
अनुदान, सब्सिडी इत्यादि पर खर्च		-	-
ब्याज		-	-
मूल्यह्रास	**4**	4,27,10,544	4,13,31,748
पैंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में कमी के प्रति अंशदान		1,77,32,12,013	-
योग(बी)		**4,12,35,38,051**	2,10,95,90,206
कार्पस/पूंजी कोष में डाला गया शेष अधिशेष		5,91,02,969	1,51,86,46,205
महत्त्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियां	**16**		
आकस्मिक देनदारियां और लेखों पर टिप्पणियां	**17**		
निवेश का विवरण	**18**		

(अलका पंडा)
महानिदेशक

(एच.आर. आहूजा)
उपमहानिदेशक (वित्त)

(विनोद कुमार)
निदेशक (वित्त)

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च, 2016 को पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग

(राशि रू0 में)

अनुसूची 1 कार्पस/पूंजी निधि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में आरंभिक शेष	5,35,08,38,482	3,83,00,35,277
जोडें: कार्पस/पूंजी निधि में अंशदान		
i) सरकार द्वारा सौर ऊर्जा सयंत्र के लिए प्राप्त सब्सिडी	-	21,57,000
ii) योजनागत स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय की निधियों से पूंजीकृत परिसम्पतियों की लागत	33,440	-
iii) स्पाइस बोर्ड से प्राप्त निधियों से पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत	62,175	-
योग	**5,35,09,34,097**	3,83,21,92,277
घटायें: पिछले वर्ष में पूंजीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए सब्सिडी का रिवर्सल {संदर्भ अनुसूची 4(क–2)}	21,57,000	-
योग :	**5,34,87,77,097**	3,83,21,92,277
जमा : आय और व्यय लेखा से हस्तांतरित अधिशेष	5,91,02,969	1,51,86,46,205
वर्ष के अंत में शेष	**5,40,78,80,066**	5,35,08,38,482

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च, 2016 को पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग

(राशि रू0 में)

अनुसूची–2 उद्दिष्ट/अक्षय निधि	हॉलमार्किंग केन्द्रों की स्थापना हेतु योजनागत योजना के अंतर्गत उपभोक्ता मामले विभाग से सहायता	उपभोक्ता मामले मंत्रालय से योजनागत परियोजना के अंतर्गत सहायता: उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणता ढांचा (योजनागत)	सी.डब्ल्यू. एफ. के अंतर्गत उपभोक्ता मामले मंत्रालय से सहायता	हितकारी निधि	सामान्य भविष्य निधि	राष्ट्रीय पेंशन योजना निधि	पेंशन तथा ग्रेच्यूटी देयता लेखा	हॉलमार्किंग शिक्षा एवं संरक्षण निधि	योग	
									चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7	8	**9**	10
(क) निधियों का आरंभिक शेष	**18,55,163**	**6,49,15,298**	**4,39,672**	**4,78,860**	**1,47,58,34,856**	**1,05,45,509**	**10,32,99,17,613**	**4,05,431**	**11,88,43,92,402**	11,01,08,23,189
(ख) निधियों में जमा										
i) सहायता/अनुदान	3,75,00,000	5,00,00,000							8,75,00,000	5,00,00,000
ii) निधि खाते से किये गए निवेशों पर ब्याज से आय	8,47,825	15,96,670	6,377	13,766	12,63,41,423	5,09,528	1,06,18,74,650		1,19,11,90,239	1,16,59,86,635
iii) संबद्ध निधि में अंशदान				8,12,205	20,37,84,415	3,64,12,325	25,02,05,865	10,71,233	49,22,86,043	45,58,41,096
iv) पेंशन/ग्रेच्यूटी देयता निधि लेखा में कमी के लिए अंशदान							1,77,32,12,013		1,77,32,12,013	
v) अन्य		20,262					4,64,033		4,84,295	4,84,989
योग (क+ख)	**4,02,02,988**	**11,65,32,230**	**4,46,049**	**13,04,831**	**1,80,59,60,694**	**4,74,67,362**	**13,41,56,74,174**	**14,76,664**	**15,42,90,64,992**	12,68,31,35,909
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/खर्च										
i) पूंजीगत खर्च–अचल परिसम्पत्तियां		33,440							33,440	
ii) राजस्व खर्च										
– कर्मचारियों, पेंशनरों और हितधारियों को भुगतान				6,60,042	23,46,58,883	4,46,05,043	59,02,40,036		87,01,64,004	77,18,23,313
–हॉलमॉर्किंग केन्द्रों को सहायता	3,69,84,678								3,69,84,678	2,69,20,194
–बैठकें, यात्राएं एवं अन्य खर्च		2,77,48,613							2,77,48,613	
कुल राजस्व खर्च	3,69,84,678	2,77,48,613	0	6,60,042	23,46,58,883	4,46,05,043	59,02,40,036	0	93,48,97,295	79,87,43,507
योग (ग)	3,69,84,678	2,77,82,053	0	6,60,042	23,46,58,883	4,46,05,043	59,02,40,036	0	93,49,30,735	79,87,43,507
31.03.2016 के वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	**32,18,310**	**8,87,50,177**	**4,46,049**	**6,44,789**	**1,57,13,01,811**	**28,62,319**	**12,82,54,34,138**	**14,76,664**	**14,49,41,34,257**	11,88,43,92,402

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च, 2016 के पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग

(राशि रू. में)

अनुसूची 3 – चालू देनदारियाँ और प्रावधान		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ए. चालू देनदारियाँ			
	1. सामान और सेवाओं के लिए फुटकर लेनदारियाँ		
	क) अंतःदेशीय	5,30,93,179	6,18,61,591
	ख) विदेश	1,97,84,495	1,82,50,535
	2. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमः		
	क) बिक्री	4,94,625	4,70,576
	ख) प्रमाणन	1,32,03,134	1,08,69,537
	3. सांविधिक देनदारियाँ		
	अन्य – देय सेवाकर	2,44,357	34,38,857
	4. अन्य चालू देनदारियाँ		
	क) धरोहर राशि/प्रतिधारण मूल्य	2,09,49,862	2,20,51,971
	ख) लेखा कर्मचारियों को देय	9,28,054	11,66,583
	ग) गुजरात सरकार (एबीओ बिल्डिंग लेखा)	25,53,584	24,11,055
योग (क)		**11,12,51,290**	12,05,20,705
(ख) प्रावधान		**-**	-
योग (क+ख)		**11,12,51,290**	12,05,20,705

भारतीय मानक ब्यूरो
31 मार्च, 2016 को पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग

(राशि रू0 में)

	अनुसूची–4 अचल परिसम्पत्तियों	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	यथा वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान परिवर्धन पर	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	यथा चालू वर्ष 2015–16 के अंत पर	यथा पिछले वर्ष 2014–15 के अंत पर
क.	अचल परिसम्पत्तियां:										
1	भूमि	59,35,58,542	0	0	59,35,58,542	0	0	0	0	59,35,58,542	59,32,36,686
2	भवन	24,72,79,176	96,91,810	21,57,000	25,48,13,986	16,79,79,763	1,36,79,573	0	18,16,59,336	7,31,54,650	7,96,21,269
3	आवासीय फ्लैट	6,22,96,310	0	0	6,22,96,310	3,95,26,303	11,38,500	0	4,06,64,803	2,16,31,507	2,27,70,007
4	संयत्र, मशीनरी और उपस्कर	24,41,19,168	1,85,96,162	0	26,27,15,330	20,79,84,089	78,66,046	90	21,58,50,045	4,68,65,285	3,61,35,079
5	वाहन	40,28,549	0	0	40,28,549	24,55,954	2,35,890	0	26,91,844	13,36,705	15,72,595
6	फर्नीचर, कार्यालय उपस्कर और कम्प्यूटर	28,23,21,298	2,26,33,436	51,98,644	29,97,56,090	23,11,86,240	1,95,25,096	39,37,466	24,67,73,870	5,29,82,220	5,11,35,058
7	पुस्तकालय की पुस्तकें	2,70,48,008	2,36,174	1,52,935	2,71,31,247	2,69,62,016	2,65,439	1,52,935	2,70,74,520	56,727	85,992
	चालू वर्ष का योग (क)	**1,46,06,51,051**	**5,11,57,582**	**75,08,579**	**1,50,43,00,054**	**67,60,94,365**	**4,27,10,544**	**40,90,491**	**71,47,14,418**	**78,95,85,636**	78,45,56,686
	पिछले वर्ष	1,45,22,43,702	3,39,93,497	2,55,86,148	1,46,06,51,051	65,93,82,118	4,13,31,748	2,46,19,501	67,60,94,365		
ख.	**प्रगति में पूंजीगत कार्य**	**48,25,76,187**	**4,55,28,363**		**52,81,04,550**					**52,81,04,550**	48,25,76,187
									योग	**1,31,76,90,186**	1,26,71,32,873

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च, 2016 के पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग

(राशि रू0 में)

अनुसूची 5 उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निवेश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. पेंशन तथा ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा		
1.1. डिबेंचर ओर बंधपत्र	2,00,00,000	2,00,00,000
योग (1)	2,00,00,000	2,00,00,000
2. कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि		
2.1 भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	27,95,88,148	28,01,63,576
2.2 राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	40,71,14,749	35,91,65,640
2.3 डिबेंचर ओर बंधपत्र	13,29,90,818	19,54,63,670
2.4 आरबीआईके पास विशेष जमा	31,27,08,594	31,27,08,594
2.5 इक्विटी एवं संबंधित निवेश– मुच्यअल निधियॉ	87,00,000	-
योग (2)	**1,14,11,02,309**	1,14,75,01,480
योग (1)+(2)	**1,16,11,02,309**	1,16,75,01,480

(राशि रू0 में)

अनुसूची 6 – निवेश – अन्य	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. **निवेश –कार्पस/पूंजीगत निधि में निवेश**	-	-
योग	-	-

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च, 2016 का पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग

(राशि रू0 में)

अनुसूची 7 –चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू परिसम्पत्तियाँ		
1. वस्तुसूची		
क) प्रयोगशाला उपकरण और स्टोर का सामान	12,38,631	13,35,510
ख) स्टेशनरी	24,66,675	28,52,686
ग) मरम्मत एवं रख–रखाव उपभोग्य सामग्री	5,86,048	6,60,646
घ) स्वर्ण आभूषण	7,62,018	7,62,018
योग (1)	**50,53,372**	56,10,860
2. फुटकर लेदनारियाँ		
क) प्रकाशनों की बिक्री		
i) छह माह से अधिक	60,230	60,230
ii) अन्य	16,967	45,862
ख) प्रमाणन		
i) छह माह से अधिक	19,96,053	19,77,836
ii) अन्य	1,39,123	6,64,639
ग) वसूली योग्य लेखा		
i) वसूली योग्य लेखा (कर्मचारी) (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.10 देखें)	13,02,378	9,60,973
ii) सरकारी विभागों से वसूली योग्य (एमओएफ,एमईए एवं डीओसीए)	85,14,510	84,23,602
iii) वसूली योग्य लेखा (अन्य)	2,27,61,999	2,52,85,473
योग (2)	**3,47,91,260**	3,74,18,615
3. हाथ में रोकड़ शेष (अग्रदाय सहित)	5,24,230	7,27,728
4. बैंक में शेषः		
क) अनुसूचित बैंकों में		
i) चालू खातों में	12,68,43,372	8,71,96,034
ii) बचत खातों में	6,23,40,961	3,43,89,181
4(क) (i और ii) का उप–योग	**18,91,84,333**	12,15,85,215
iii) सावधि जमा खातों में		
क) निवेश–उद्दिष्ट निधि		
i) सामान्य भविष्य निधि	31,02,91,000	24,03,30,000
ii) अहमदाबाद शाखा कार्यालय भवन परियोजना खाता	23,33,410	23,33,410
iii) राष्ट्रीय पेंशन योजना निधि खाता	28,62,319	1,05,45,509
iv) पेंशन तथा ग्रेच्यूटी देयता निधि खाता	12,80,54,34,138	10,30,99,17,613
ख) निवेश –कार्पस/पूंजीगत निधि में सामान्य निवेश	2,15,95,03,543	2,66,43,36,878
4(क) (iii) का उप–योग	**15,28,04,24,410**	13,22,74,63,410
योग (4)	**15,46,96,08,743**	13,34,90,48,625
5. चैक हस्तांतरण में	6,50,000	0
6. फ्रैकिंग मशीन शेष	2,09,560	1,53,075
योग (ए)	**15,51,08,37,165**	13,39,29,58,903

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च, 2016 का पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग

(राशि रू0 में)

अनुसूची 7 –चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ		
1. स्टाफ को ऋण :		
i) वाहन खरीद के लिए	14,30,936	16,48,049
ii) आवास निर्माण के लिए	37,98,561	48,44,977
iii) कम्प्यूटर के लिए	6,67,340	11,06,718
योग (1)	**58,96,837**	75,99,744
2. अग्रिम और वसूली योग्य अन्य राशियाँ अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य		
क) बाहरी पार्टियों को पूंजीगत लेखा और अन्य		
i) परियोजना – मुख्यालय केलोनिवि (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.1(i) देखें)	70,11,676	1,18,01,872
ii) क्षेत्रीय/शाखा कार्या. में भवन निर्माण. केलोनिवि	1,27,99,773	2,37,30,142
iii) कंप्यूटीकरण परियोजना : सी–डीएसी	2,22,38,853	2,22,38,853
iv) अन्य (क्षे.कार्या/शा.कार्या/मुख्यालय)	1,13,74,256	1,33,43,889
v) उपभोक्ता कल्याण निधि (एनबीसीसी)	3,32,260	3,32,260
vi) परियोजना गत योजना *(अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.7देखें)*	12,17,436	26,52,699
योग (2क)	**5,49,74,254**	7,40,99,715
ख) पूर्व प्रदत्त व्यय	15,21,244	1,27,02,676
ग) स्टाफ को निम्नलिखित के लिए अग्रिमः		
i) त्यौहार	7,15,415	8,06,390
ii) प्राकृतिक आपदाएँ	1,58,400	0
iii) यात्रा व्यय	17,47,495	35,32,163
iv) छुट्टी यात्रा	8,58,670	15,37,630
v) सामान्य भविष्य निधि	85,12,793	90,64,186
योग (2ग)	**1,19,92,773**	1,49,40,369
घ) पंजीयक – लघुवाद न्यायालय – मुम्बई (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 1.3)	1,83,60,598	1,83,60,598
ङ) प्रतिभूति जमा	53,05,938	53,25,763
योग (2)	**9,21,54,807**	12,54,29,121
3. प्राप्त आय		
क) उद्दिष्टों/अक्षय निधियाँ एवं अन्य से निवेश		
i) बीआईएस निधियॉ	1,79,63,26,587	1,25,64,53,659
ii) सामान्य भविष्य निधि	10,82,74,830	8,16,94,307
योग (3)	**1,90,46,01,417**	1,33,81,47,966
4. प्राप्ति योग्य दावे		
क) आयकर वापसी	1,82,15,664	4,97,50,866
ख) प्राप्तियोग्य सेवाकर	27,67,228	72,30,636
योग (4)	**2,09,82,892**	5,69,81,502
योग (ख)	**2,02,36,35,953**	1,52,81,58,333
योग (क+ख)	**17,53,44,73,118**	14,92,11,17,236

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा की अनुसूची का भाग

(राशि रू0 में)

अनुसूची 8– बिक्री/सेवाओं से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 उत्पाद प्रमाणन	3,26,11,05,239	3,02,52,43,095
2 अनुरूपता आकलन (पंजीकरण)	22,20,45,630	5,60,71,441
3 हॉलमार्किंग प्रमाणन	20,05,56,091	15,37,22,578
4 पद्धति प्रमाणन	4,40,76,934	3,71,65,645
योग	**3,72,77,83,894**	3,27,22,02,759

(राशि रू0 में)

अनुसूची 9– शुल्क/अंशदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सम्मेलन व प्रशिक्षण शुल्क	2,06,63,245	1,92,25,246
2. पुस्तकालय सदस्यता शुल्क	27,04,000	28,79,000
3. स्टैंडर्ड्स इंडिया जर्नल का अंशदान	85,400	1,41,698
योग	**2,34,52,645**	2,22,45,944

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा की अनुसूची का भाग

(राशि रू0 में)

	ईयरमार्क्ड निधि से निवेश		निवेश – अन्य	
अनुसूची 10–निवेशों से आय	**चालू वर्ष**	पिछला वर्ष	**चालू वर्ष**	पिछला वर्ष
(उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निवेश से आय निम्नलिखित निधि में अंतरित)				
1. ब्याज	1,06,18,74,650	1,04,42,07,360	27,38,83,287	17,25,90,426
2. किराया	-	-	4,75,029	13,59,087
योग	**1,06,18,74,650**	1,04,42,07,360	**27,43,58,316**	17,39,49,513
(उद्दिष्ट/अक्षय निधियों को अंतरित) [(संदर्भ अनुसूची 2, मद ख)ii), कालम 7]	1,06,18,74,650	1,04,42,07,360		

(राशि रू0 में)

अनुसूची 11–रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	**चालू वर्ष**	पिछला वर्ष
क **मानकों की बिक्री से आय**		
1 इलैक्ट्रॉनिक मीडिया	3,92,82,629	6,74,59,705
2 हार्ड प्रतियॉ	2,15,58,445	2,21,59,625
3 विदेशी निकायों के प्रकाशनों की बिक्री पर मार्ज़िन	18,41,093	7,25,435
4 भारतीय मानकों के पुनरोत्पादन से रॉयल्टी	1,12,000	0
योग (क)	**6,27,94,167**	9,03,44,765
ख. **भारत में आईएसओ और आईईसी के प्रकाशनों की बिक्री से आय**	4,76,75,136	3,40,68,526
योग (क+ख)	**11,04,69,303**	12,44,13,291

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा की अनुसूची का भाग

(राशि रू0 में)

अनुसूची 12–अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बचत खाते पर	7,60,185	9,11,641
योग	**7,60,185**	9,11,641

(राशि रू0 में)

अनुसूची 13–अन्य आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वाहन, कम्प्यूटर व गृह निर्माण अग्रिम से ब्याज	54,12,839	58,37,158
ख) सीजीएचएस अंशदान	35,04,508	13,47,600
ग) स्टाफ क्वार्टरों से लाइसेंस शुल्क	4,51,844	3,91,256
घ) मुख्यालय में विविध आय	1,64,46,330	51,73,462
ड.) क्षे.कार्या./शा.कार्या. में विविध आय	1,10,72,148	69,10,786
च) प्रयोगशालाओं में विविध आय	89,29,008	1,48,53,001
योग	**4,58,16,677**	3,45,13,263

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा की अनुसूची का भाग

(राशि रू0 में)

अनुसूची 14–स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. वेतन और भत्ते		
क) वेतन	47,26,57,066	44,93,63,544
ख) भत्ते और बोनस	72,28,49,608	67,56,80,994
ग) टर्मिनल छुट्टी भुनाना	5,46,19,792	7,21,78,737
योग (1)	**1,25,01,26,466**	1,19,72,23,275
2. सेवा निवृत्ति लाभ		
क) पेशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में वार्षिक अंशदान (अनुसूची 17 की टिप्पणी संख्या 2.2..3(ii) देखें)	25,02,05,865	23,29,96,996
ख) नियोक्ता का राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदान	1,82,04,435	1,39,91,431
ग) सामान्य भविष्य निधि खाते में घाटा	3,72,550	48,17,735
योग (2)	**26,87,82,850**	25,18,06,162
3. कल्याण खर्च		
क) चिकित्सा लाभ – कर्मचारी	2,73,32,177	2,46,79,082
ख) चिकित्सा लाभ – पेंशनधारी	3,49,37,881	1,88,93,334
ग) स्टाफ कल्याण	77,39,164	84,94,333
घ) छुट्टी यात्रा रियायत	1,10,46,948	1,65,20,033
योग (3)	**8,10,56,170**	6,85,86,782
योग (1+2+3)	**1,59,99,65,486**	1,51,76,16,219

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा की अनुसूची का भाग

(राशि रू0 में)

अनुसूची 15–प्रचालनात्मक और प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. यात्रा व्यय		
क) विदेश	6,90,139	20,119
ख) घरेलू	3,84,14,752	4,22,56,549
ग) समिति सदस्य	3,68,359	3,60,393
योग (1)	**3,94,73,250**	4,26,37,061
2. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदे		
क) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन	3,09,45,885	2,88,47,095
ख) अंतराष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग	99,57,985	79,35,248
योग (2)	**4,09,03,870**	3,67,82,343
3. मुद्रण		
क) मानक	9,67,396	24,02,985
ख) बुलेटिन	5,77,614	2,60,615
योग (3)	**15,45,010**	26,63,600
4. परीक्षण और निगरानी		
क) परीक्षण शुल्क	13,30,72,280	7,38,79,756
ख) प्रयोगशाला एप्रिंटसों को छात्रवृत्ति	32,95,055	30,71,044
ग) प्रयोगशाला में खपत योग्य सामान और प्रयोगशाला उपस्कर की मरम्मत और रख–रखाव	93,71,043	52,93,039
घ) बाजार नमूने	38,43,034	38,22,175
ड.) बाहरी एजेंसियों को निरीक्षण प्रभार	-	14,06,029
च) निरीक्षण कार्य के लिए टैक्सी किराए पर लेना	44,16,328	37,72,272
छ) भाड़ा और ढुलाई	1,40,92,399	1,41,90,973
योग (4)	**16,80,90,139**	10,54,35,288
5. प्रचार	**17,08,99,480**	13,38,73,826
6. कार्यालय व्यय		
क) लेखन सामग्री	1,82,05,064	1,69,44,206
ख) पोस्टेज	56,61,754	52,75,709
ग) दूरभाष	1,35,54,265	1,27,40,696
घ) भर्ती	2,08,67,789	9,69,272
ड) जलपान और मनोरंजन	13,30,973	10,37,473
च) वर्दी	5,06,880	3,91,563
छ) बीमा और बैंक प्रभार	17,57,606	16,10,542
ज) विविध	20,69,393	30,51,597

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा की अनुसूची का भाग

(राशि रू0 में)

अनुसूची 15–प्रचालनात्मक और प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
झ) किराया और सांविधिक कर	2,80,96,806	3,03,57,977
ञ) बिजली और पानी प्रभार	4,45,76,412	4,34,78,277
ट) टैक्सी किराया प्रभार	89,57,065	72,31,388
योग (6)	**14,55,84,007**	12,30,88,700
7. मरम्मत और रखरखाव		
क) फर्नीचर एवं कार्यालय उपस्कर	76,70,116	54,53,291
ख) भवन	1,56,78,892	1,11,52,142
ग) वाहन	5,85,369	10,67,369
योग (7)	**2,39,34,377**	1,76,72,802
8. सम्मेलन, उपभोक्ता जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम		
क) सम्मेलन/संगोष्ठियाँ एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम	1,01,41,714	1,25,78,357
ख) एनआईटीएस में प्रशिक्षण व्यय	68,04,034	68,61,079
योग (8)	**1,69,45,748**	1,94,39,436
9. अन्य व्यय		
क) सूचना प्रौद्योगिक व्यय	1,88,35,210	1,23,26,481
ख) पुस्तकालय चंदा और व्यय	3,13,951	2,23,465
ग) लेखा परीक्षा शुल्क और अन्य परामर्श प्रभार	43,44,431	44,51,612
घ) विधि प्रभार	37,39,155	21,78,254
ड.) श्रम व्यय	5,42,00,305	3,50,92,616
च) गृह निर्माण ऋण पर ब्याज में छूट	-	1,76,147
छ) डूबा ऋण और घाटा बट्टे खाते में डाला (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.11 देखें)	2,64,800	7,63,794
ज) पूंजी निवेश (अचल परिसम्पत्तियाँ) बट्टे खाते में डाला (निवल)	2,82,303	-
झ) गुणता पद्धति प्रभार	99,84,532	1,03,53,586
ञ) हिन्दी प्रोत्साहन गतिविधियाँ	30,85,708	14,39,736
ट) प्रवर्तन आउटसोर्सिंग व्यय	2,14,566	2,23,465
ठ) विनिमय दर परिवर्तन	10,77,081	-
ड) सेनवेट क्रेडिट व्यय	39,32,085	18,20,027
योग (9)	**10,02,74,127**	6,90,49,183
योग (1 से 9)	**70,76,50,008**	55,06,42,239

भारतीय मानक ब्यूरो

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के लेखों की अनुसूची का भाग

अनुसूची 16– विशिष्ट लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण परिपाटी

अन्यथा नियत न होने पर प्रमाणन आय एवं चूक वाले निवेशों पर देय ब्याज को छोड़कर, जिसका लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है, वित्तीय विवरण एंतिहासिक लागत परिपाटी और सामान्यतः लेखांकन की उपार्जन पद्धति के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. माल सूचियां

भारतीय मानकों तथा अन्य प्रकाशनों के स्टॉक के मूल्य का लेखा–जोखा नीतिगत रूप से नहीं रखा जाता। तथापि, कागज, प्रयोगशाला की उपभोग्य मदों, स्पेयर पार्ट, लेखन सामग्री एवं स्वर्ण के स्टॉक का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है।

3. निवेश

3.1 निवेश का लेखा–जोखा सामान्यतः लागत पर रखा जाता है।

3.2 स्थायी निवेश के अधिग्रहण पर भुगतान किए गए प्रीमियम परिपक्वता तिथि तक समय अनुपात आधार पर परिशोधित किए जाते हैं।

4. अचल परिसम्पत्तियां

4.1 अचल परिसम्पत्तियों का लेखा–जोखा इन्वार्ड भाड़े, ड्यूटी एवं करों सहित अधिग्रहण की लागत पर रखा जाता है

4.2 मंत्रालयों की अनुदानों/सहायता से उपार्जित अचल परिसम्पत्तियां कार्पस/पूंजीगत निधि में वर्णित संगत मूल्य पर पूंजीगत की जाती है।

4.3 नॉन–मोनिटरी अनुदानों के रूप में प्राप्त अचल परिसम्पत्तियां कार्पस/पूंजीगत निधि पर संगत जमा द्वारा कथित मूल्य पर पूंजीकृत की जाती है।

5. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार रिटन डाउन मूल्य पद्धति पर किया जाता है।

6. सरकारी अनुदान/सहायता

6.1 सरकारी अनुदान/सहायता वसूली आधार पर लेखांकित होता है।

6.2 मंत्रालयों से प्राप्त सभी सरकारी अनुदान/सहायता एवं उनके उपयोग उद्धिष्ट/अक्षय निधि अनुसूची में दर्शाए गए हैं।

6.3 परियोजनाओं की नीतिगत लागत एवं अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रयुक्त सरकारी अनुदान/सहायता कार्पस/पूंजीगत निधि में जोड़ के रूप में दिखाई गई है।

7. विदेशी मुद्रा का लेनदेन

7.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन उसकी तिथि पर लागू विनियम दर पर लेखांकित होते हैं।

7.2 वर्तमान देनदारियां वर्ष के अंत में लागू विनियम दर पर परिवर्तनीय होती हैं तथा संबंधित लाभ/हानि आय एवं व्यय लेखा में अंतरित की जाती है।

8. वेतन और भत्ते

8.1 वेतन और भत्तों तथा छुट्टी नकदीकरण का भुगतान, वेतन एवं भत्तों के तहत नकद आधार पर आय एवं व्यय लेखा से प्रभारित किया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 एक्चुरियन मूल्यांकन पर आधारित सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के पेंशन एवं वर्तमान कर्मचारियों की पेंशन एवं ग्रेच्युटी की देयता पिछली सेवा का उपार्जित करके अनुसूची उद्धिष्ट/अक्षय निधि के तहत दर्शाए गए पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि के लेखा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।

9.2 एक्चुरियन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में संगत क्रेडिट सहित आय और व्यय खाते में निधि के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है।

9.3 वर्ष के दौरान सभी पेंशन लाभों के वास्तविक भुगतान पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा के नामे डाले जाते हैं।

10. कर्मचारियों को ऋण

कर्मचारियों को दिए गए भवन निर्माण, वाहन एवं कम्प्यूटर संबंधी ऋणों के ब्याज को ऋण के मूलधन की वसूली के बाद नकदी आधार पर लेखांकित किया जाता है।

11. सामान्य भविष्य निधि

कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अधिशेष/घाटे को ब्यूरो की आय/खर्च के रूप में माना जाता है।

भारतीय मानक ब्यूरो
दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लेखों की अनुसूची का भाग

अनुसूची 17– लेखा संबंधी तत्काल देयताएं एवं टिप्पणियां

1. तत्काल देयताएं

1.1 बीआईएस के निम्नलिखित कार्यालयों की सेवाकर संबंधी विवादित मांगे (जुर्माने एवं ब्याज को छोड़कर)

क्रम सं.		राशि (रू. लाखों में)
i	चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय	161.67
ii	मुम्बई शाखा कार्यालय	75.78
iii	पुणे शाखा कार्यालय	28.05
iv	कोच्ची शाखा कार्यालय	0.57
v	पटना शाखा कार्यालय	1.05
vi	भामा ब्यूरो, मुख्यालय, नई दिल्ली	192.87

1.2 **जयपुर भवन तथा प्रशिक्षण संस्थान नौएडा भवन के सलाहकार एनबीसीसी** ने जयपुर में भवन और प्रशिक्षण संस्थान, नौएडा के लिए क्रमशः रू. 27.60 लाख और रू. 17.04 लाख के भुगतान का दावा किया है, परन्तु संविदाकार द्वारा किए गए कार्य का भौतिक सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है चूंकि एनबीसीसी द्वारा कुछ सुधारात्मक कार्यवाहियां अभी की जानी हैं तथा उनके साथ लेखों का निपटान कार्य प्रगति पर है। चूंकि, करार के अनुसार राशि भौतिक सत्यापन पर दी जायेगी, इसलिए इसे 31-03-2016 तक परिसम्पत्तियों और देयताओं में एडीशन के रूप में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यालय के नए केन्द्रीकृत एसी संयंत्र संबंधी मामले का समाधान होने तक इन दो परियोजनाओं के लिए एनबीसीसी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

1.3 **मुम्बई में रिक्त कर दिए गए बीआईएस के बिक्री कार्यालय के किराये के मामले के संबंध में लघुवाद न्यायालय, मुम्बई को भुगतान** : यदि बीआईएस द्वारा माननीय बॉम्बे उच्च न्ययालय, मुंबई के आदेश दिनांक 05.10.2015की रिट पेटिशन सं.7380/2006 के विरूद्ध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर स्पेशल लीव पीटिशन की अनुमति न मिलने पर रू. 3,66,60,598/- की आकस्मिक देयता (रू.1,83,60,598/- डिमांड ड्राफ्ट द्वारा और रू. 1,83,00,000/- बैंक गारंटी द्वारा, दोनों ही रजिस्ट्रार, स्माल कॉसिस कोर्ट, मुम्बई के पक्ष में) की आवश्यकता पड़ सकती है।

आरंभ में, माननीय लघुवाद न्यायालय, मुम्बई ने अपने दिनांक 09 सितम्बर 2005 के निर्णय में मध्यवर्ती लाभ लगाया है जिसका ब्यूरो द्वारा 205/- प्रति वर्गफीट की दर से प्रति माह 3255 वर्गफीट के क्षेत्र के लिए 01 जून 2000 से 30 अप्रैल 2004 तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर से आवेदन की तिथि से अर्थात 27.02.2002 से मध्यवर्ती लाभ की पूर्ण राशि वादी को भुगतान किया जाना है। न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ मुम्बई, ने दिनांक 07.09.2006 के निर्णय में, अपील को आंशिक रूप से अनुमत किया तथा प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज 6 प्रतिशत की दर से और मध्यवर्ती लाभ को प्रतिमाह रू. 5,17,545/-की दर से कम करके ब्यूरो को कुछ राहत दी है, किन्तु यह ब्यूरो को स्वीकार्य नहीं था। इसलिए ब्यूरो द्वारा दिनांक 08.11.2006 को न्यायविधान के कानूनी न्यायालय, मुम्बई में रिट याचिका सं. 7380/2006 दायर की।

माननीय उच्च न्यायालय ने बीआईएस की याचिका सं.7380/2006 को आदेश संख्या दिनांक 05.10.2015 द्वारा खारिज कर दिया है और निर्णय की तिथि से 12 सप्ताह तक कुल डिक्रीटल एमांउट के निष्पादन पर स्टे दिया गया (बीआईएस द्वारा 50 प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट द्वारा और 50 प्रतिषत बैंक गारंटी द्वारा जमा करा दिया गया)।

किंतु भारतीय मानक ब्यूरो ने माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा घोषित दिनांक 05.10.2015 के आदेश को चुनौती दी है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 36289/2015 दायर की। उक्त एस.एल.पी. में माननीय उच्चतम न्यालयालय के दिनांक 14.03.2016 को निर्देश दिया है कि मामले का निपटान होने तक याचिकाकर्त्ता बैंक गारंटी का समय-समय पर नवीकरण करता रहे तथा प्रतिवादी ने विशेष रूप से कहा है कि न्यायालय की अनुमति के बिना वह उक्त बैंक गारंटी को इनकैश नहीं करायेगी। उक्त एसएलपी अभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है ।

रू. 1,83,60,598/- की दी गई राशि वर्तमान परिसम्पत्तियों, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 7 ख मद 2(घ), के अंतर्गत रखी गयी है। यदि बीआईएस की इस मामले में जीत होती है तो वापस प्राप्त राशि को समायोजित कर दिया जायेगा अन्यथा दी गई राशि को आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किया जाना अपेक्षित होगा, जिसके लिए बजट में कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से प्रावधान किया जायेगा।

1.4 माननीय मुबंई उच्च न्यायालय में 2010 का मुकदमा सं0 3016 :- मैसर्स नेशनल फूड प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्रा.लि. ने भारतीय मानक ब्यूरो से ब्याज सहित रू. 7382.90 लाख रूपये का आकस्मिक देयता के रूप में क्षति के लिए दावा किया, जो उसे पैकेजबंद पेयजल के लाइसेंस के नवीकरण में विलम्ब के कारण कथित नुकसान उसे उठाना पड़ा, के लिए था।

1.5 बैंक गारंटी :-सिंडिकेट बैंक द्वारा आपदा, प्रतिक्रिया एवं अग्नि शमन सेवा महानिदेशक, हैदराबाद के पक्ष में रू. 5.00 लाख की 05.01.2020 तक वैध बैंक गारंटी जारी की गई।

2. लेखा संबंधी टिप्पणियां

2.1 पूंजीगत वचनबद्धताएं : पूंजीगत लेखा पर ऐसी संविदा, जिस पर कार्य होना शेष है और जिसका प्रावधान (अग्रिमों के निवल) नहीं किया गया है, के मूल्य निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना	कुल अनुमानित लागत	सीपीडब्ल्यूडी को किया गया भुगतान	संविदा का मूल्य जिसका निष्पादन किया जाना है
(i)	मुख्यालय भवन का एयरकन्डीशनिंग	17.02	14.20	2.82
(ii)	चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय का भवन निर्माण	17.04	13.43	3.61
(iii)	राजकोट कार्यालय का भवन निर्माण	5.38	4.00	1.38
(iv)	हैदराबाद कार्यालय का भवन निर्माण	12.99	11.05	1.94
(v)	सरकार से योजना निधि के अंतर्गत प्राप्त सहायता से नोएडा प्रशिक्षण संस्थान के भवन का आधुनिकीकरण	6.51	6.43	0.08
(vi)	उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयोगशाला, मोहाली का नवीनीकरण	0.90	0.67	0.23

क्र.सं.	परियोजना	कुल अनुमानित लागत	सीपीडब्ल्यूडी को किया गया भुगतान	संविदा का मूल्य जिसका निष्पादन किया जाना है
(vii)	जम्मू कार्यालय का भवन निर्माण	4.33	4.22	0.11
(viii)	भामा ब्यूरो मुख्यालय की लिफ्ट बदलना	1.13	0.38	0.75
(ix)	भामा ब्यूरो मुख्यालय की कैन्टीन का नवीनीकरण	0.21	0.07	0.14

2.2 पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा (अनुसूची 2-कॉलम 7)

2.2.1 आईसीएआई के एएस-15 में दिये गये एवं एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के अनुपालन से सेबी में पंजीकृत मैसर्स नलिन कपाड़िया कंसल्टेंट एंड एक्चुरियल द्वारा प्रस्तुत की गई एक्चुरियल मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, 31.03.2016 तक बीआईएस की कुल प्रोद्भूत पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निम्नानुसार रू. 12,82,54 लाख हो गई है :

क्र.सं.	प्रोद्भूत देयता के प्रति	राशि लाख रूपयों में
1.	वर्तमान कर्मचारियों की प्रोद्भूत पेंशन देयता (विगत सेवा हेतु)	6,47,49.36
2.	वर्तमान कर्मचारियों की प्रोद्भूत ग्रेच्युटी देयता (विगत सेवा हेतु)	57,00.13
3.	वर्तमान पेंशनरों/फैमिली पेंशनरों हेतु प्रोदभूत पेंशन देयता	5,78,04.85
	योग	**12,82,54.34**

2.2.2 दिनांक 26.11.2015 को आयोजित की गई 56वीं वित्तीय समिति की अनुशंसा पर 05.05.2016 को आयोजित हुई कार्यकारी समिति ने अपनी 130 वीं बैठक में दिनांक 15.12.2015 के पत्र सं. बीआईएस/ईसी/ए-2. 130 के सर्कुलेशन के माध्यम से अपने अनुमोदन को अभिपुष्ट किया है कि 31.03.2016 तक पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता के एक्चुरियल मूल्यांकन में 7वें वेतन आयोग के प्रभाव का हिसाब लगाया जाये। कार्यकारी समिति ने यह भी अनुमोदित किया है कि 2015-16 के सरप्लस एवं यदि अपेक्षित हो तो, पूंजीगत निधि में विगत सरप्लसों को तदनुरूप पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि की कुल प्रोद्भूत देयता पर निर्भर पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि में हस्तांतरित किया जाये। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अभी अधिसूचित एवं कार्यान्वित किया जाना है कि एक्चुरियल मूल्यांकन वर्तमान वेतन एवं भत्तों के आधार पर किया गया है। 7वें वेतन आयोग रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद 2016-17 के दौरान पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता का एक्चुरियल मूल्यांकन फिर से किया जाएगा ।

2.2.3 दिनांक 31.03.2016 तक पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता की स्थिति निम्नानुसार है :

i) **निधि में आरंभिक शेष** :- दिनांक 01.04.2015 को पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि में उपलब्ध राशि **रू.10,32,99,17,613** थी ।

ii) वार्षिक अंशदान :- पिछले एक्चुरियल मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 के दौरान पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में अंशदान लेखा मद के अंतर्गत राशि **रू. 25,02,05,865** वर्तमान कर्मचारियों की भावी सेवा पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता के लिए वार्षिक अंशदान (वेतन का 25 प्रतिशत) आय एवं व्यय से प्रभारित किया गया है {अनुसूची 14 मद 2(क)} एवं 'पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा' (अनुसूची 2 कॉलम 7) लेखा शीर्ष में जमा हो गई है !

iii) **निधि द्वारा अर्जित अवकाश** :- उपार्जन आधार पर बीआईएस की विभिन्न निधियों के निवेशों पर कमाया कुल ब्याज **रू.1,33,62,67,465** है। जिसमें कार्पस/पूंजी निधि में बीआईएस के पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) निधि (ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनका पीआरएएन खाता अभी खुला नहीं है) के निवेश पर ब्याज शामिल है। इसमें से **रू. 5,09,528** की राशि का ब्याज आबंटित किया गया है और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) निधि खाते में जमा किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) अभिदाताओं को, कुल अर्जित **रू. 1,33,57,57,937** के शेष ब्याज को 'पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखे के लिए निवेश तथा कार्पस/पूंजी निधि लेखा के लिए सामान्य निवेश में पेंशन देयता खाते एवं आय तथा व्यय खाते के बीच 01.04.2015 तक के आरंभिक शेष के अनुपात में निम्नलिखित के अनुसार बांट दिया गया है:

(राशि रूपयों में)

निवेश	1.4.2015 के निवेश पर आरंभिक शेष	2015-16 हेतु 1.4.2015 के निवेश पर आरंभिक शेष अनुपात में विभाजित रू. 1,33,57,57,937 का ब्याज
पेंशन तथा ग्रेच्युटी देयता निधि खाते के लिए निवेश अनुसूची 5 (मद 1.1) तथा अनुसूची 7क मद 4क (iii) (क) (iv) का योग	10,32,99,17,613	1,06,18,74,650
कार्पस/पूंजीगत निधि लेखा के लिए सामान्य निवेश अनुसूची 7क मद 4(क) (iii) (ख)	2,66,43,36,878	27,38,83,287
योग	**12,99,42,54,491**	**1,33,57,57,937**

रू.1,06,18,74,650 के अर्जित ब्याज को 'पेंशन, ग्रेच्युटी देयता निधि खाते' (अनुसूची 2 कॉलम 7) में जमा कर दिया है तथा **रू0 27,38,83,287** को शेष ब्याज आय और व्यय लेखा (अनुसूची 10 देखें) में दिखाया गया है।

iv) निधि से किये गये भुगतान : वर्ष 2015-16 के दौरान पेंशन, ग्रेच्युटी तथा कम्यूटेशन के निवल भुगतानों की कुल राशि **रू. 58,97,76,003** (कुल भुगतान **रू. 59,02,40,036** में से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से प्राप्त **रू. 4,64,033** रूपये घटाने पर) थी। इसे **पेंशन तथा ग्रेच्युटी देयता निधि खाते** (अनुसूची 2 कॉलम 7) के नामे डाला गया है।

v) आय एवं व्यय लेखा से उपबंधित लेखा में कमी : उपरोक्त क्रमांक (ii), (iii) एवं (iv) **पर दिये गये लेन-देन के परिणाम स्वरूप 31.03.2016 को पेंशन तथा ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में रू. 11,05,22,22,125 की राशि निकाली गई।** चूंकि, पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में रू. 1,77,32,12,013 की कमी थी (अर्थात् रू. 12,82,54,34,138 में से घटाये रू. 11,05,22,22,125 की प्रोद्भूत देयता), अतः कार्यकारी समिति के निर्णय के अनुसार 'पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में कमी के लिए अंशदान' के रूप में आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किया गया है और 'पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा (अनुसूची 2, कॉलम 7) में जमा किया गया है ।

vi) निधि में अंतः शेषः- अतः आय एवं व्यय लेखा पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि में कमी के लिए प्रावधान करने के बाद **अतः दिनांक 31.03.2016** तक **रू. 12,82,54,34,138** की रकम थी (अनुसूची 2 कॉलम 7)।

2.3 1.1.2004 से भर्ती कर्मचारियों पर लागू अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) - बीआईएस में 1.1.2004 के बाद सभी नए भर्ती किए गए कर्मचारियों पर नई पेंशन योजना लागू है। जो कर्मचारी रेगूलेटर के साथ नामांकित हैं, उन कर्मचारियों का तथा बीआईएस का अंशदान पीएफडीआरए को मासिक आधार पर भेजा जाता है। तथापि, जिनका नामांकन अभी होना है उन कर्मचारियों तथा बीआईएस का अंशदान बीआईएस द्वारा अपने पास एनपीएस खाते में रखा जाता है और इसे निवेश किया जाता है। जबकि सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर के बराबर दर पर परिकलित ब्याज उनके खाते में जमा किया जाता है। दिनांक 31.03.2016 तक बीआईएस की अंशदायी नई पेंशन योजना निधि में शेष राशि **रू.28,62,319** थी (अनुसूची 2, कॉलम 6)।

2.4 बीआईएसनिधियों का निवेश

2.4.1 बीआईएस निधियों का कुल निवेश : दिनांक 31.03.2016 को बीआईएस का कुल निवेश **रू. 14,98,78,00,000** था जो निम्नानुसार विभिन्न निधियों का प्रतिनिधित्व करता है :

(राशि रूपयों में)

	निधियां जिनके लिए निवेश प्रतिनिधान है	पीएसयू बैंक में स्थायी जमा में निवेश	पीएसयू बॉण्ड में निवेश	कुल निवेश
i)	पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि	12,80,25,54,34,138	2,00,00,000	12,82,25,54,34,138
ii)	कार्पस/पूंजीगत निधि के बीआईएस के प्रतिनिधान सामान्य निवेश	2,15,95,03,543	-	2,15,95,03,543
iii)	राष्ट्रीय पेंशन योजना निधि	28,62,319	-	28,62,319
	कुल निवेश	**14,96,78,00,000**	**2,00,00,000**	**14,98,78,00,000**
		(अनुसूची 7(क)(मद 4 क) (iii) के अंतर्गत दर्शाये गये)	(अनुसूची 5 की मद सं. 1.1के अंतर्गत दर्शाये गये)	

31 मार्च 2016 तक कुल निवेश के विवरण अनुसूची 18 में भी दर्शाये गये हैं ।

2.4.2 बीआईएस ने यू.पी. कॉपरेटिव एंड स्पनिंग मिल्स फेडरेशन लि. (यूपीसीएसएमएफसल), उत्तर प्रदेश के उपक्रम के बॉण्ड में दिनांक 17.12.1998 को 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से रू. 2,00,00,000 का निवेश किया था। यूपीसीएसएमएफएल परिपक्वता तिथि को ब्याज एवं मूलधन के भुगतान में डिफाल्टर रहा था। मूलधन की परिपक्वता पर 30.04.2003 (33 प्रतिशत), 30.10.2003 (33 प्रतिशत) एवं 30.04.2004 (34 प्रतिशत) देय था। दिनांक 01.05.2000 से ब्याज देने में चूक हुई है, जो कूपन दर की परिपक्वता की तारीख तक रू. 1,28,00,000 था। बीआईएस ने माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष याचिका सं. 451/2002 के माध्यम से मुकदमा दायर किया था। माननीय एनसीडीआरसी ने दिनांक 01.02.016 को निर्णय सुनाया एवं वादी पक्ष सं. 01 (यूपीसीएसएमएफएल) एवं वादी पक्ष सं. 02 (उत्तर प्रदेश सरकार) को आदेश दिया कि वे प्रापण की तिथि तक 01.05.2000 से 9 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित बीआईएस को रू. 200 लाख का संयुक्त रूप से एवं अलग-अलग ढंग से भुगतान करें ।

माननीय एनसीडीआरसी के उक्त निर्णय के निष्पादन हेतु, बीआईएस ने रिकवरी प्रमाणन पत्र (अर्थात निष्पादन याचिका) जारी करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 25 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दायर किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 के अंतर्गत शिकायत 01.02.2016 के आदेश का

अनुपालन न करने के लिए दोषी पक्ष के विरूद्ध माननीय एनसीडीआरसी में भी दायर की गई है। इत्तलानामा याचिका दिनांक 03.03.2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीआईएस द्वारा दायर की गई है।

2.5 नोएडा में प्रशिक्षण संस्थान भवन के लिए ढांचागत सुविधाओं हेतु सरकार की उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता (अनुसूची 2, कालम 3) : 31.03.2016 को उपभोक्ता कल्याण निधि खाते में शुद्ध अव्ययित राशि **रू. 1,13,789** राशि हो गई (अर्थात अनुसूची 2 के अनुसार रू. 4,46,049 के अग्रिम में से एनबीसीसी को अग्रिम के रूप में दिए रू.3,32,260 घटा कर राशि का समायोजन किया गया है। (अनुसूची 7 (ख) मद 2(क) (iv)}।

2.6 केन्द्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केन्द्र स्थापित करने की योजनागत योजनाः बीआईएस द्वारा यह योजना खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही है। उपभोक्ता मामले विभाग ने अपने पत्र दिनांक 8.2.2004- बीआईएस, दिनांक 30.09.2005 के तहत भारत में केन्द्रीय सहायता से स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केन्द्रों की स्थापना की योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। 2015-16 के दौरान मंत्रालय से रू. 3,75,00,000 प्राप्त हुए। 31.03.2016 को इस योजना के अंतर्गत अव्ययित अधिशेष रू. 32,18,310/- थे, जिन्हें वर्ष 2016-17 में अग्रानीत किया गया है (अनुसूची 2, कॉलम 1)।

2.7 उपभोक्ता संरक्षण हेतु गुणता अवसंरचना के लिए भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाएँ (अनुसूची 2, कॉलम 2) : दो योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों की स्थिति, 2015-16 के दौरान बीआईएस द्वारा व्यय निधियॉ एवं 31.03.2016 को खर्च नहीं की गई राशि, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं विवरण सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से बीआईएस द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजना का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	योजना/विवरण	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण सुदृढ़ करना	उपभोक्ता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मानव संसाधन एवं क्षमता विकास	योग
(i)	1.4.2015 को शेष	32,18,065	6,16,97,233	6,49,15,298
(ii)	2015-16 में उपभोक्ता मामले विभाग से प्राप्त निधियां	5,00,00,000	-	5,00,00,000
(iii)(क)	योजना खाते में उपार्जित ब्याज नामे	15,65,361	31,309	15,96,670
(iii)(ख)	अन्य प्राप्तियां	-	20,262	20,262
(iv)	कुल {(i)+(ii)+ (iii)}	**5,47,83,426**	**6,17,48,804**	**11,65,32,230**
(v)	2015-16 में व्यय			
(क)	पूँजी	33,440	-	33,440
(ख)	राजस्व	2,77,48,613	-	2,77,48,613
	2015-16 में कुल व्यय अ{(क) (ख)}	**2,77,82,053**	**-**	**2,77,82,053**

क्र.सं.	योजना/विवरण	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण सुदृढ़ करना	उपभोक्ता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मानव संसाधन एवं क्षमता विकास	योग
(vi)	31.3.2016 को शेष {(iv)-(v)}{अनुसूची 2, कॉलम 2 के अनुसार}	2,70,01,373	6,17,48,804	8,87,50,177
(vii)	निधि के प्रति पूंजीगत कार्य - प्रगति में (संदर्भ अनुसूची 4)	-	6,42,82,564	6,42,82,564
(viii)	31.03.2016 को उपलब्ध निधि	2,70,01,373	(25,33,760)*	
*उपलब्ध निधियों से ज्यादा खर्च राशि को उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार से वसूली योग्य लेखों के रूप में दर्शाया गया है। {अनुसूची 7 (क) मद 2ग (ii)}				

2.8 **एनबीसीसी. द्वारा मानक भवन की इमारत के लिए नया केन्द्रीय एसी संयंत्र-** मुख्यालय के मानक भवन के लिए नए केन्द्रीय एसी संयंत्र की स्थापना की परियोजना वर्ष 2003-04 में शुरू की गई थी। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी.) को परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) नियुक्त किया गया। जून 2006 में यह परियोजना बंद कर दी गई अतः यह निर्णय लिया गया कि एनबीसीसी को उनकी अन्य परियोजनाओं अर्थात् जशाका-भवन तथा एनआईटीएस., नोएडा के निर्माण के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। 2008-09 में **रू. 86,07,396** का भुगतान किया गया था। स्थिर परिसम्पत्तियों की अनुसूची (अनुसूची 4) में इस परियोजना को पूंजीगत कार्य में प्रगति के रूप में दर्शाया गया है। कार्यकारी समिति (ईसी) की 27 मार्च 2008 को हुई 79वीं बैठक में एनबीसीसी. के साथ संविदा और करार समाप्त करने का निर्णय लिया गया और कार्यकारिणी समिति ने यह अनुमोदन भी किया कि मानक भवन और मानकालय, दोनों के एयरकंडीशनिंग से संबद्ध सिविल और विद्युत कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कराया जाए। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा यह परियोजना प्रगति पर है {(संदर्भ टिप्पणी सं. 2.1 (i)}।

2.9 भारतीय मानक ब्यूरो की निधियों में से पूंजीगत व्यय

2.9.1 वर्ष 2015-16 के दौरान (समायोजित अग्रिम तथा पूंजी डब्ल्यूआईपी में परिवर्धन सहित) बीआईएस के निधि निकायों में से किया गया पूंजीगत व्यय **रु. 9,66,85,945** निम्नानुसार है (अनुसूची 4 देखें) :

(राशि रूपयों में)

स्थिर सम्पत्तियों में बढ़ोतरी	2015-16
क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय भवनों में-सौर उर्जा संयंत्र	96,91,810
फर्नीचर, कार्यालय उपकरण एवं कंप्यूटर	2,26,33,436
प्रयोगशाला उपस्कर	1,85,96,162
पुस्तकालय में पुस्तकें	2,36,174
योग	**5,11,57,582**
वर्ष के दौरान चालू विभिन्न भवन परियोजनाओं में जारी पूँजीगत कार्य में वृद्धि	4,55,28,363
योग	**9,66,85,945**

2.9.2 जारी पूंजीगत कार्य : स्थिर परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाए गए पूंजीगत कार्य (अनुसूची 4) में हैदराबाद शाखा कार्यालय, उत्तरी क्षेत्रीय शाखा कार्यालय चंडीगढ़, राजकोट शाखा कार्यालय की भवन परियोजनाएँ और मुख्यालय में एयर-कंडीशनिंग परियोजना भी शामिल हैं। ये तीन भवन बीआईएस ने 2015-16 में लिए हैं और मुख्यालय में एयर-कंडीशनिंग परियोजना का कार्य जारी है। इन भवनों तथा मुख्यालय में एयर-कंडीशनिंग परियोजना पर हुए व्यय को 31.03.2016 तक पूंजीकृत नहीं किया गया है क्योंकि सीपीडब्लूडी द्वारा इसका श्रेणीवार और मदवार सूचीगत ब्यौरा नहीं दिया गया है। अतएवं, इन भवनों तथा मुख्यालय में एयर-कंडीशनिंग परियोजना पर मूल्यह्रास नहीं दिया जा सकता। इन भवनों तथा मुख्यालय में एयर-कंडीशनिंग परियोजना पर हुए व्यय को सीपीडब्लूडी से ब्यौरा मिलने के बाद पूंजीकृत किया जाएगा और उस पर मूल्यह्रास लगाया जाएगा।

2.10 अनुसूची 7क (मद 2(ग) (i) के अंतर्गत वसूली योग्य राशि (कर्मचारी) -इसमें श्री मोहन सिंह, भूतपूर्व उ.श्रे.लि. के द्वारा जानबूझकर की गई जालसाजी/गबन के **रू 12,000/-** शामिल हैं। आईपीसी की धारा 420, 468 तथा 471 के अंतर्गत आई पी एस्टेट पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में 30.01.2003 को एफआईआर. 23/03 पंजीकृत की गई थी। मामले की कार्यवाही तीस हजारी, नई दिल्ली के माननीय मैट्रोपोलिटन न्यायालय में चल रही है।

श्री मोहन सिंह के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक जांच पूरी कर ली गई है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट दे दी गई है। चूंकि, श्री मोहन सिंह पेंशनर हैं और उनका मामला सीसीएस (पेशन) नियम 1972 के नियम 9 के अंतर्गत चलाया गया था, इसलिए जांच रिपोर्ट बीआईएस के महानिदेशक के अनुमोदन से 03.03.2016 को प्रशासनिक मंत्रालय को भेज दी गई है। श्री मोहन सिंह के सेवानिवृत्ति लाभ रोक दिए गए हैं।

2.11 अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण : अशोध्य ऋणों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान **रू. 2,64,800** के अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालने के लिए बीआईएस के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किया गया है। इसे अनुसूची 15-मद 9(छ) में दर्शाया गया है।

2.12 सामान्य भविष्य निधि खातों में घाटा : 2015-16 के दौरान बीआईएस कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि खातों में **रू. 3,72,550** का घाटा (अर्थात आय से अधिक खर्च) हुआ। लेखा नीति [(अनुसूची 14 मद (2ग), के अनुसार इसे ब्यूरो के खर्च के रूप में लिया गया है।

2.13 आय कर छूट :

2.13.1 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने दिनांक 23.12.2014 की अधिसूचना संख्या 88/2014 द्वारा बीआईएस को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (46) के अंतर्गत मूल्यांकन वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक अधिसूचित किया गया है, इस अधिसूचना के परिणामस्वरूप मूल्यांकन वर्ष 2016-17 तक बीआईएस की आय कर योग्य नहीं थी। बीआईएस ने उपभोक्ता मामले विभाग के माध्यम से सीबीडीटी के साथ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (46) के प्रावधानों के अंतर्गत स्थायी छूट के लिए आवेदन किया है।

2.13.2 बीआईएस को धारा 10(23) (सी) (iv) द्वारा प्रदान की गई आयकर में छूट डीजीआईटी (ई) द्वारा 24.02.2012 के आदेश द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2009-10 और उसके बाद के लिए वापिस ले ली गई थी, जिसे माननीय

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 04.12.2012 के आदेश द्वारा रेस्टोर कर किया गया। अतः आयकर अधिनियम की धारा 10(23)(सी)(iv) केअंतर्गत बीआईएस को दी गई छूट भी उपलब्ध है। डीजीआईटी (ई) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत ब्यूरो की रिट पेटीशन पर माननीय हाईकोर्ट द्वारा अनुमति देने के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी फाइल की है। डीजी आईटी (ई) द्वारा फाइल एसएलपी सिविल अपील में कंवर्ट कर दी गई है, जो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

2.14 बीआईएस के वार्षिक लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित एकीकृत प्रारूप में तैयार किया गया है।

2.15 विगत वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक पाया गया है पुनः समूहबद्ध किया गया है, ताकि उन्हें चालू वर्ष के समूहों और आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके। पिछले वर्ष के निम्नलिखित आंकडों को पुनः समूहबद्ध किया गया है :

(राशि रूपयों में)

अनुसूची / समूह	**31.03.2015 को अधिशेष**	**01.04.2015 को आरंभिक शेष**	**वृद्धि (+) / कमी (-)**	**टिप्पणी**
स्थिर परिसंपत्तियां- अनुसूची 4, क्रम क. 1 - भूमि	59 32 36 686	59 35 58 542	(+)3 21 856	केन्द्रीय प्रयोगशाला और मुख्यालय की रू. 3 21 856 की भूमि के लागत को 31.03.2015 को ''भवन'' में दर्शाया गया था, इसे अब आरंभिक शेष में ''भूमि'' के अंतर्गत दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप अनुसूची 4 के आरंभिक शेष के योग में कोई परिवर्तन नहीं हैं।
स्थिर परिसंपत्तियां- अनुसूची 4, क्रम क 2 - भवन	24 76 01 032	24 72 79 176	(-)3 21 856	

2.16 अंतिम लेखों में आंकड़े निकटतम रूपयों में पूर्णांकित किए गए हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि का विवरण

अनुसूची 18
निवेश

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	लागत पर निवेश		निवेश का सांकेतिक बाजार मूल्य'
1	**बीआईएस की निधियों के निवेश**			
1.1	**बैंकों में सावधिक जमा राशियों पर निवेश**			
1.1.1	आंध्रा बैंक	2 640.00		2 640.00
1.1.2	बैंक ऑफ इंडिया	7 249.00		7 249.00
1.1.3	केनरा बैंक	5 700.00		5 700.00
1.1.4	कॉर्पोरेशन बैंक	29 066.00		29 066.00
1.1.5	इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया	5 920.00		5 920.00
1.1.6	ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	9 285.00		9 285.00
1.1.7	पंजाब एंड सिंध बैंक	8 592.00		8 592.00
1.1.8	पंजाब नेशनल बैंक	12 986.00		12 986.00
1.1.9	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	10 740.00		10 740.00
1.1.10	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	500.00		500.00
1.1.11	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	5 150.00		5 150.00
1.1.12	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	490.00		490.00
1.1.13	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	18 470.00		18 470.00
1.1.14	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	9 165.00		9 165.00
1.1.15	सिंडिकेट बैंक	23 725.00		23 725.00
	कुल (1.1)	**1 49 678.00**		**1 49 678.00**
1.2	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में बांडों तथा जमा राशियों में निवेश**			
1.2.1	उ.प्र. सहकारी कताई मिल संघ लि. (यूपीसीएसएमएफएल) बॉन्ड (अनुसूची 17 की टिप्पणी 2.4.2 देखें)	200.00		200.00
	कुल (1.2)	**200.00**		**200.00**
	कुल (1)	**149 878.00**		**149 878.00**
	निम्नलिखित निधियों में कुल रू. 149878.00 लाख का बीआईएस का कुल निवेश			
	(अनुसूची 17 का नोट 2.4.1 देखें)			
क)	**पेंशन तथा ग्रच्युटी देयता निधि खाता**			
	अनुसूची 7(क), मद 4(क), (iii), (क) (IV) के अंतर्गत अनुसूची 5 (मद 1.1)के	**1 28 054.34**		
	अनुसूची 5 (मद 1.1) के अंतर्गत	**200.00**	**1 28 254.34**	

क्र.सं.	संस्थान का नाम	लागत पर निवेश		निवेश का सांकेतिक बाजार मूल्य'
ख)	**कार्पस/पूंजी निधि**		**21 595.04**	
	अनुसूची 7 (क), मद 4(क) (iii) (ख) के अंतर्गत			
c)	**राष्ट्रीय पेंशन योजना निधि**		**28.62**	
	7(क), मद 4(क) (iii) (A) (III) के अंतर्गत			
	बीआईएस निधियों का कुल निवेश		**1 49 878.00**	
2	**कर्मचारी निधि निवेश**			
2.1	**{सामान्य भविष्य निधि (अनुसूची 5 देखें) और अनुसूची 7क. मद 4 (क)(iii)(क)(I)}**			
2.1.1	भारत सरकार में प्रतिभूतियाँ – उद्धरित		2 795.88	2 838.52
2.1.2	राज्य सरकार में प्रतिभूतियाँ – उद्धरित		4 071.15	4 178.84
2.1.3	आरबीआई में विषेष जमा		3 127.08	3 127.08
2.1.4	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में डिबेंचर तथा बांड में		1 329.91	1 351.61
2.1.5	निवेश – उद्धरित		87.00	87.23
2.1.6	अन्य निवेश – बैंकों में सावधि जमा		3 102.91	3 102.91
	कुल (2)		**14 513.93**	**14 686.19**
3	**निवेश – अन्य**			
3.1	एबीओ भवन परियोजना – सावधि जमा – सिंडिकेट बैंक में (देखें अनुसूची 7(क) मद 4 (क) (iii) (क) (II)		23.34	23.34
	कुल योग (1+2+3)		**1 64 415.27**	**1 64 587.53**
*टिप्पणी**	*निवेशों का बाजार मूल्य बीआईएस के निधि प्रबंधक मैसर्स आई.डी.बी.आई. कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. मुम्बई द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्य पर किया गया है, जहाँ बाजार कोट उपलब्ध थे अथवा यदि बाजार कोट उपलब्ध नहीं थे, वहाँ अंकित/क्रय मूल्य पर किया गया। यू.पी.सी.एफ.एम.एफ.एल. बांड, में बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं थे, बैंकों की सावधि जमा अंकित मूल्य पर दर्शाई गई है। इसका ब्रेक–अप निम्नानुसार है:*			

सकल उद्धरित निवेश	8 283.94	(बाजार मूल्य 8,456.20)
सकल अनुद्धरित निवेश (फिक्स्ड डिपोजिट सहित)	1 56 131.33	
कुल निवेश	**1 64 415.27**	

भारतीय मानक ब्यूरो
वर्ष 2015–16 का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

(राशि लाख रू. में)

क. भारतीय मानक ब्यूरो का वर्ष 2015–16 का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा					
प्राप्तियाँ			भुगतान		
विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
I. आरंभिक रोकड़ एवं बैंक अधिशेष	12,04,57,154	12,72,74,566	**I.** खर्चे		
			–स्थापना	1,26,07,83,175	1,20,84,00,477
II. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	8,75,00,000	5,00,00,000	–प्रशासन	76,64,24,617	58,19,48,076
			II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया भुगतान		
III. निवेश पर प्राप्त ब्याज	79,63,92,351	89,59,50,978	विभिन्न परियोजनाएं		
			क) हॉलमार्किंग केन्द्र स्थापित करने के लिय योजना	3,69,84,678	49,76,484
IV. उद्दिष्ट अक्षय से आय	24,64,639	5,73,600	ख) उपभोक्ता संरक्षण हेतु गुणता ढांचा – ग्यारहवीं योजना	2,77,48,613	2,19,43,710
V. ब्याज प्राप्त – बचत बैंक प्राप्त खाते	7,60,185	9,11,641	**III.** किया गया निवेश और जमा (निवल)	1,98,30,00,000	1,82,49,00,000
VI. उपभोक्ता संरक्षण योजना के लिए गुणता अवसंरचना 11वीं योजना	0	2,81,433	**IV.** स्थायी परिसम्पत्तियों पर खर्च	4,97,59,175	2,64,01,914
			V. अन्य भुगतान		
VII. आय–सेवाएँ, बिक्री और विविध	3,90,46,18,829	3,42,41,57,624	क) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, वर्तमान देयताएं तथा अंतर लेखा (निवल)	60,19,09,660	71,00,43,278
			ख) पेंशन/ग्रेच्युटी लाभ	59,02,40,036	53,35,39,865
VIII. अन्य प्राप्तियाँ			ग) परोपकारी निधि लाभ	6,60,042	5,00,000
क) पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि	59,14,64,033	53,32,03,556	VI रोकड़ षेश		
ख) परोपकारी निधि	8,12,205	7,57,560	–नकद और अग्रदाय	5,24,230	7,27,728
			– बैंक	18,64,35,170	11,97,29,426
योग	**5,50,44,69,396**	5,03,31,10,958	योग	**5,50,44,69,396**	5,03,31,10,958
ख. वर्ष 2015–16 का सामान्य भविष्य निधि का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा					
I. आरंभिक बैंक अधिशेष	18,55,789	58,96,511	**I.** वापसी एवं अंतिम भुगतान	23,46,58,883	21,26,89,363
II. निवेश पर प्राप्त ब्याज	10,15,58,527	9,56,55,444	**II.** कर्मचारियों को अग्रिम	16,50,828	19,00,151
III. कर्मचारियों का अंशदान	19,34,98,377	19,31,57,654	**III.** मृत्यु बीमा	3,96,000	2,39,783
IV. अग्रिम की वापसी	22,02,221	26,40,589	**IV.** किया गया निवेश एवं जमा (निवल)	17,11,90,161	17,42,81,809
V. अन्य प्राप्तियाँ – वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	11,13,50,605	9,35,28,502	**V.** अन्य भुगतान		
			क) वर्तमान देयताएं		
VI. सेविंग बैंक खाते से प्राप्त ब्याज	1,83,976	94,374	ख) बैंक प्रभार	4,459	6,179
			VI. बैंक रोकड़ शेष	27,49,164	18,55,789
योग	**4,10,649,495**	3,90,973,074	योग	**41,06,49,495**	39,09,73,074

दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा रिपोर्ट

हमने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 22(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के दिनांक 31 मार्च 2016 तक के तुलन–पत्र एवं इस दिनांक को समाप्त वर्ष की आय एवं खर्चों की लेखा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखाओं का ऑडिट किया है। इन वित्तीय विवरणों में भारतीय मानक ब्यूरो के 23 शाखा कार्यालयों, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं साहिबाबाद स्थित केन्द्रीय परीक्षण और अंशशोधन केन्द्र व राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान के खातों को सम्मिलित किया गया है। इन वित्तीय विवरणों के लिए बीआईएस का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

2. इस पृथक ऑडिट रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की वर्गीकरण, लेखा संबंधी सर्वोत्तम रीतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों एवं डिस्कलोजर नार्म्स इत्यादि से संबद्ध लेखाकरण समाधान पर टिप्पणी भी शामिल है। कानूनों, नियम एवं विनियमों (प्रोप्रियटी एवं रेगुलेटरी) तथा दक्षता–सह–कार्यकारिता पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हों, के अनुपालन से संबद्ध वित्तीय लेन–देनों पर निरीक्षण रिपोर्टों/अलग से सीएजी की ऑडिट रिपोर्टों के माध्यम से ऑडिट टिप्पणियां की गई हैं।

3. हमने यह ऑडिट भारत में लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकृत मानदंडों के अनुसार किया है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि इन वित्तीय विवरणों की सामग्री गलत बयानी से मुक्त होने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करके ऑडिट की योजना बनाई जाए। ऑडिट में रकमों के समर्थक सबूतों एवं वित्तीय विवरणों में प्रकटन संबंधी जांचें, परीक्षण के आधार पर सम्मिलित होती हैं। ऑडिट में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए विशेष अनुमानों तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को उपयुक्त आधार प्रदान करती है।

4. हमारे ऑडिट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमने अपने ऑडिट के प्रयोजनार्थ अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सभी जानकारियॉ एवं स्पष्टीकरण लिए हैं।

(ii) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलन–पत्र, आय एवं खर्च/लेखा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा संबंधी एकरूप फार्मेट में लिया गया है।

(iii) हमारी राय में, खाता बहियों एवं अन्य संबंधित रिकॉर्डों की समुचित जांच करने के बाद लगता है कि इन्हें भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 22(1) के तहत सही ढंग से बनाया गया है।

(iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क. तुलन पत्र

क.1 परिसम्पत्तियॉः

क.1.1 स्थिर परिसम्पत्तियॉ (अनुसूची–4): रू 131.77 करोड़

कोयम्बटूर शाखा कार्यालय, कोयम्बटूर (सीबीटीओ) ने 37.67 लाख रूपये में चार फ्लैट खरीदे। फ्लैटों की कीमत में शामिल रू. 5.83 लाख की कीमत की भूमि पर विचार किए बिना @5 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है। वार्षिक लेखों में भूमि की राशि पर मूल्यह्रास को सही करने की आवश्यकता है।

क.1.2 चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि (अनुसूची–7): रू 1753.45 करोड़

बंगलुरू शाखा कार्यालय (बीएनबीओ) में 31.3.2016 को फ्रेकिंग मशीन की अप्रयुक्त रू 0.34 लाख की राशि शेष है। इस राशि को शाखा कार्यालय के अंतिम शेष में प्रदर्शित नहीं किया गया था, जिसके कारण इस राशि का 'चालू परिसम्पत्तियों' में न्यून विवरण दिया गया है।

ख. आय और व्यय खाता :

ख.1. प्रचालनात्मक और प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–15) : रू 70.76 करोड़

ख.1.1 मार्च 2015 से संबंधित रू 107.27 लाख के बिल वर्ष 2015–16 के दौरान लंबित थे, जिनके लिए 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में किसी देयता का प्रावधान नहीं किया गया था। इन बिलों का भुगतान 2015–16 में किया गया। चूंकि, इस बकाया भुगतान के लिए देयता का प्रावधान नहीं किया गया था अतः इस राशि का अधिविवरण दिया गया है।

ख.1.2 31 मार्च 2016 को रू. 5.70 लाख के बिल भुगतान के लिए लंबित थे। बीआईएस ने 2015–16 के वार्षिक लेखा के लिए इस व्यय की देयता का प्रावधान नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप सदृश लेखा में व्यय का न्यून विवरण और देयताएं दी गई हैं।

ग. प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

ग.1 बंगलौर शाखा कार्यालय (बीएनबीओ) में वार्षिक लेखों में निम्नलिखित अंतर नोटिस किया गया:

(राशि रू. में)

कम सं.	लेखा शीर्ष	लेजर के अनुसार राशि	आरएंडपी लेखा के अनुसार राशि
1.	फर्नीचर तथा फिक्सचर	130587	120282
2.	कार्यालय उपकरण	95486	101341
3.	कंप्यूटर तथा सहायक उपकरण	371572	22886
4.	प्रयोगशाला उपकरण	1127209	928793
5.	लेखन सामग्री	601792	556639

इसी प्रकार, प्राप्तियों में अंतर का विवरण नीचे दिया गया है :

(राशि रू. में)

कम सं.	लेखा शीर्ष	आरएंडपी लेखा के अनुसार राशि	लेजर के अनुसार राशि
1.	उत्पाद प्रमाणन	208175657	191108228
2.	स्वर्ण हॉलमार्किंग प्रमाणन	26939822	5566374

इन अंतरों को समाशोधित करने की आवश्यकता है।

ग.2 बंगलौर शाखा कार्यालय (बीएनबीओ) की लाइसेंस से प्राप्त शुल्क के रूप में सकल आय रू 14.68 लाख थी। तथापि, लाइसेंस धारकों से रू. 1.45 लाख के टीडीएस की कटौती की गई, चूँकि बीआईएस की आय को छूट प्राप्त है, अतः टीडीएस की कटौती के परिणामस्वरूप रू. 1.45 लाख की आय का न्यून विवरण दिया गया है।

ग.3 बंगलौर शाखा कार्यालय (बीएनबीओ) में मद VII अन्य भुगतान (क) मुख्यालय लेखा के अंतर्गत निधि अंतरण का भुगतान के अंतर्गत प्राप्तियों और भुगतान लेखा में भुगतान में रू 2123.20 लाख की राशि दिखाई गई है, जबकि वास्तव में रू. 2121.75 लाख की राशि की निधि मुख्यालय को अंतरित की गई। इस अंतर के समाशोधन की आवश्यकता है।

घ. सामान्य :

घ.1.1 स्थिर परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के दौरान यह रिपोर्ट किया गया कि बीआईएस–एनआईटीएस नोएडा के स्थिर परिसंपत्तियों के रजिस्टर में स्थिर परिसंपत्तियां (993 मदें) नहीं दिखाई गई हैं। अतएवं, बीआईएस के वार्षिक लेखा में दर्शाई गई स्थिर परिसंपत्तियों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

ड. सहायक अनुदानः

2015–16 के दौरान बीआईएस को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से रू. 875.00 लाख (हॉलमार्किंग केन्द्र स्थापित करने के लिए रू. 375.00 लाख तथा उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणता ढांचे हेतु रू. 500.00 लाख) का सहायक अनुदान मिला। इसमें रू. 24.71 लाख 'ब्याज एवं अन्य प्राप्तियों' के रूप में और पिछले वर्ष का रू. 672.11 लाख का अव्ययित शेष था। कुल उपलब्ध रू. 1571.82 लाख की राशि में से रू. 647.67 लाख की राशि वर्ष के दौरान प्रयुक्त की गई जिसके बाद वर्ष के अंत में रू. 924.15 की राशि शेष थी।

v पहले के अनुच्छेदों में दिए गए हमारे पर्यवेक्षण के अधीन हम यह रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा को हमने इस रिपोर्ट में लेखा पुस्तकों के करार के अनुसार लिया गया है।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण तथा इस पृथक ऑडिट रिपोर्ट के उपरोक्त महत्त्वपूर्ण मामले और अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा संबंधी सिद्धांतों के अधीन हैं और इनके अनुरूप सत्य और निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करते हैं;

क. अभी तक चूंकि यह भारतीय मानक ब्यूरो के 31 मार्च, 2016 तक के मामलों के संदर्भ में तुलन पत्र से संबंधित है; और

ख. अभी तक चूंकि यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के अधिशेष के आय और व्यय लेखा से संबंधित है।

भारत के महा लेखा परीक्षक की ओर से एवं उनके हेतु

हस्ता/–

ऑडिट महानिदेशक

केन्द्रीय व्यय

स्थानः नई दिल्ली

तिथिः 26.12.2016

संलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति की पर्याप्तता

- चार्टेड अकाउंटेंट फर्म द्वारा मार्च 2016 तक आंतरिक ऑडिट कराया गया।

2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता

- बीआईएस–गाजियाबाद शाखा द्वारा विविध व्यय से संबंधित 10,036 रुपये का लेन–देन अर्थात् लंच, पानी की टंकियों को भरना तथा तालों की मरम्मत संबंधी विविध स्टॉक रजिस्टर में दर्शाया गया, जिसे रोकड़ पुस्तिका/फुटकर रोकड़ पुस्तिका में दर्शाया जाना चाहिए था।
- राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान में मार्च 2016 को 2009–10 से 2011–12 तक अवधि के लिए रु. 2.56 लाख की राशि विविध देनदारों पर बकाया थी।
- देहरादून शाखा कार्यालय, देहरादून (डीबीओ) के मामले में रू. 3.93 लाख की सर्विस न की जा सकने वाली वस्तुओं का निपटान नहीं किया गया। आईएसआई मुहर हेतु लाइसेंस प्रदान करने में 25 से 480 दिन की देरी हुई।
- बीआईएस–एनआईटीएस, नोएडा से संबंधित अचल परिसम्पत्ति रजिस्टर में अचल परिसम्पत्तियाँ (993 वस्तुएँ) नहीं दर्शाई गईं।
- एनआईटीएस में पुस्तकालय से संबंधित भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

उपरोक्त को देखते हुए बीआईएस की आंतरिक नियंत्रण पद्धति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की पद्धति

- मार्च 2016 तक अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।
- अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के दौरान रिपोर्ट किया गया कि बीआईएस–एनआईटीएस, नोएडा से संबंधित अचल परिसंपत्ति रजिस्टर में अचल परिसंपत्तियाँ (993 वस्तुएँ) नहीं दर्शाई गई हैं। इस प्रकार बीआईएस के वार्षिक लेखा में दर्शाई गई अचल परिसंपत्तियों की सत्यता सत्यापित नहीं की जा सकी।

4. मालसूची का भौतिक सत्यापन की पद्धति

- मालसूची का मार्च 2016 तक भौतिक सत्यापन किया गया और यह पर्याप्त पाई गई।
- एनआईटीएस में पुस्तकालय से संबंधित भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

5. देय राशि के भुगतान में नियमितता

- बीआईएस के वार्षिक लेखा के अनुसार, दिनांक 31.03.2016 को छह माह से अधिक सांविधिक देय के संबंध में कुछ भी बकाया नहीं है।

नोटः–'प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रुप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती हैं तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।'

भारतीय मानक ब्यूरो की संरचना

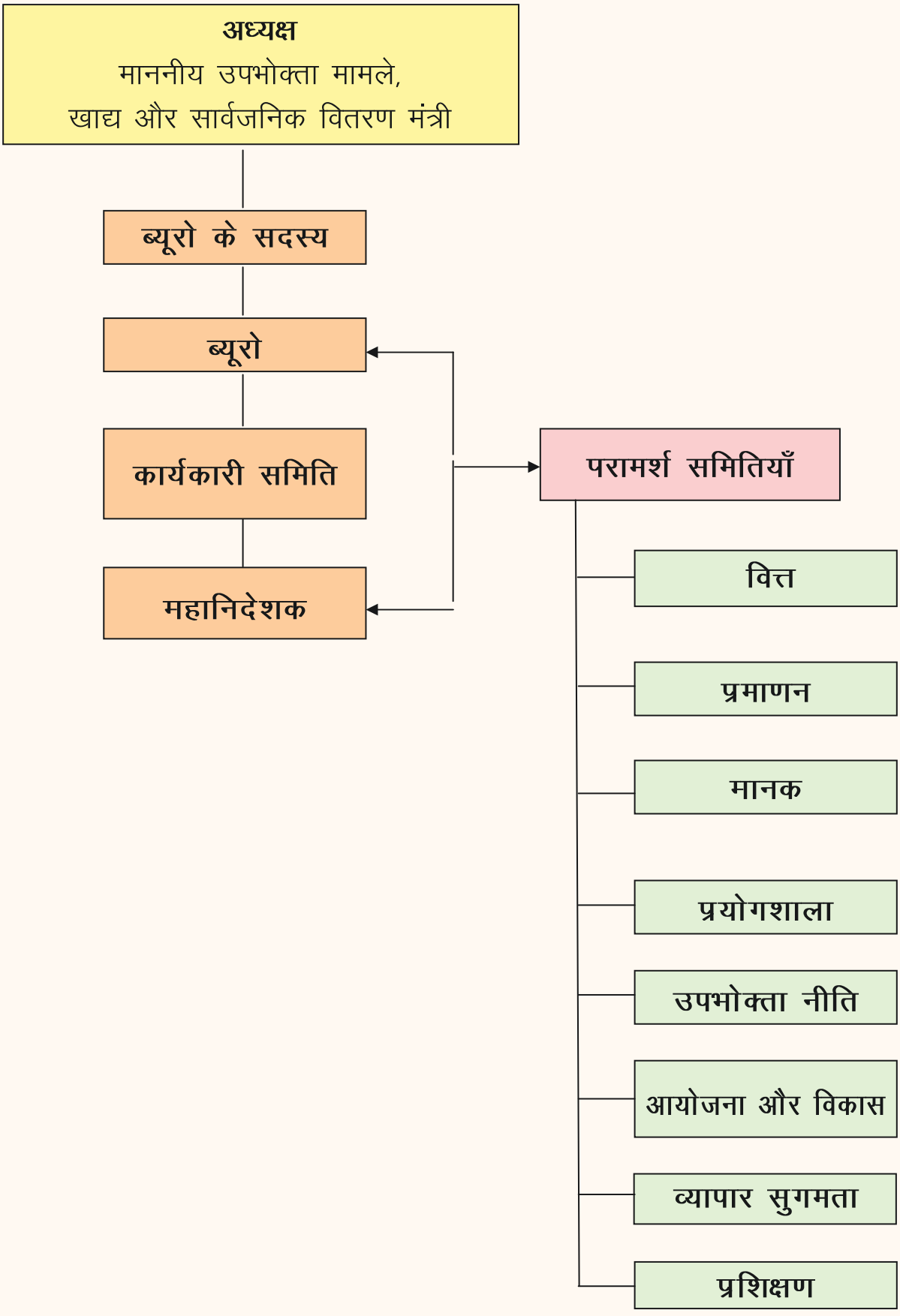

CONTENTS

S. NO.	CHAPTER	PAGE NO.
1.	OVERVIEW	1
2.	STANDARDIZATION	8
3.	CERTIFICATION	17
4.	LABORATORY SERVICES	21
5.	HALLMARKING	23
6.	MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION	25
7.	INTERNATIONAL ACTIVITIES AND TECHNICAL INFORMATION SERVICES	28
8.	TRAINING SERVICES	34
9.	CONSUMER AFFAIRS	36
10.	PUBLICITY	39
11.	SALE OF STANDARDS AND OTHER PUBLICATIONS	41
12.	HINDI ACTIVITIES	42
13.	PLAN SCHEMES	44
14.	INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES	45
15.	PROJECT MANAGEMENT AND WORKS	48
16.	VIGILANCE ACTIVITIES	52
17.	HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT, ADMINISTRATION AND GENERAL SERVICES	53
18.	FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT	56

OVERVIEW

Much before the country gained Independence in 1947, the role, relevance and importance of standardization was well understood by the manufacturing sector in the country. The early manufacturing industry adhered to the then benchmarks of specifications and quality control. The Indian Standards Institution (ISI) came into being on 6 January 1947. The objective of setting ISI was *inter-alia* for promoting standardization and quality control. The ISI formulated standards and provided quality by drawing on different facets of the economic community, namely, industrialists, scientists, administrators and consumers. ISI accommodated all legitimate interests of the stakeholders through consensus.

With the expansion of standards formulation and consequent to the spurt in the manufacturing of diverse range of products in the economy, it was felt necessary to introduce the Certification Marks Scheme. The authority for this was derived from the *ISI (Certification Marks) Act*, 1952. The Certification Marks Scheme was launched in 1955. The growth and popularity of this scheme led to unscrupulous sections of market forces adopting unethical means by misusing the popular ISI mark. The legal and the regulatory framework to deal with this menace, however, lacked teeth to either deter or punish the wrongdoers. This structural weakness led to the enactment of the *Bureau of Indian Standards (BIS) Act,* 1986, with a broader scope added to its mandate and enhanced powers to curb the misuse of the ISI mark. The Bureau assumed the assets, liabilities and functions of the erstwhile Indian Standards Institution (ISI). The *BIS Act*, 1986 broadly focused on the harmonious development of the activity of standardization, marking and quality certification of goods and other related matters.

The economic reform process in the country initiated in the 1990's and subsequent financial and real sector reforms unshackled the domestic economy and accelerated the pace of economic growth. This led to Standardization increasingly becoming a common tool for creating competitive advantage, spreading best practices and entering new markets.

The Bureau, in its present form, is a body corporate consisting of 25 members representing both the Central and the State Governments, Members of Parliament, industries, scientific and research institutions, consumer organizations and professional bodies. The Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution is the President and the Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution is the Vice-President of the Bureau.

The 25th Governing Body meeting was held on 23 September 2015. The Executive Committee which advises BIS in implementation of its new policies/ directives had four meetings during 2015-16.

25th Meeting of Governing Body of BIS

BIS Act, 2016 has been notified by the Central Government on 22 March 2016 to enable BIS align its policies and programmes to provide further fillip to domestic production and growth of trade. The main features of the *BIS Act*, 2016, *inter-alia* includes :

(i) Establishing the Bureau of Indian standards (BIS) as the National Standards Body of India;

(ii) Allowing multiple types of conformity assessment schemes;

(iii) Enabling the Government to bring under the mandatory certification regime such goods, article, process system or service which it considers necessary from the point of view of public interest; human, animal, or plant health, safety of the environment, prevention of unfair trade practices, and national security;

(iv) To enable the Government to make hallmarking of precious metal articles, mandatory;

(v) To provide for recall of products bearing the Standard Mark, but not conforming to relevant Indian Standards; and

(vi) To strengthen penal provisions, enable compounding of offences, and also make certain offences as cognizable.

In line with global developments, BIS has introduced different schemes for conformity assessment of products and systems. Schemes for the Hallmarking of jewellery items of gold and silver were introduced in 2000 and 2005, respectively.

BIS MANDATE

The Mandate of BIS is to satisfy the customer needs for quality of goods and services.

OBJECTIVES OF BIS

- Harmonious development of the activities of standardization, marking and quality certification of goods.
- To provide thrust to standardization and quality control for growth and development of industry on one hand and to meet the needs of consumers on the other.

ORGANIZATIONAL NETWORK

BIS has its Headquarters at New Delhi. It has 5 Regional Offices (ROs) located at Kolkata (Eastern), Chennai (Southern), Mumbai (Western), Chandigarh (Northern) and Delhi (Central). Under the Regional Offices are the Branch Offices (BOs). There are 32 BOs located at 27 different locations namely Ahmedabad, Bengaluru, Bhubaneswar, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dehradun, Delhi, Durgapura, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jamshedpur, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Raipur, Rajkot and Vishakhapatnam. The BOs serve as an effective link between State Governments, industries, technical institutions, consumer organizations, etc, of the region.

ACTIVITIES

The activities of BIS can be broadly grouped under the following heads:

a) Standards formulation

b) Certification : product, hallmarking and management systems

c) Laboratory services

d) Consumer affairs

e) International activities

f) Training services

g) Vigilance

h) Publicity

J) Sales of Indian Standards and other publications

k) Information technology services

m) Administration

n) Project management and works

p) Finance and Accounts

HIGHLIGHTS OF BIS ACHIEVEMENTS DURING 2015-16:

- 609 Indian Standards covering wide ranges of subjects were formulated during the year. Some important standards formulated during the period include the following:
  - a.c. Static direct connected watthour smart meter class 1 and 2 (IS 16444:2015)
  - Agro textiles — Nylon knitted seamless gloves for tobacco harvesters (IS 16390:2015)

- Agro textiles — Insect nets for agriculture and horticulture purposes (IS 16513:2016)
- Biodiesel, diesel Fuel Blend (B6 to B20) (IS 16531:2016)
- Hydrometry — Hydrometric data transmission systems — Specification of system (IS 16274:2015)
- Habitat and welfare requirements for construction workers – Guidelines
- Construction project management – Guidelines – Part 12 – Integration Management [IS 15883 (Part 12):2016]
- Sustainability in Building Construction – General Principles
- Road transport and traffic telematics – Electronic fee collection (EFC) – Interface specification for clearing between operators (IS/ ISO/ TS 14904:2002)
- Electronic fee collection – Systems architecture for vehicle-related tolling (IS/ ISO 17573:2010)
- Electronic fee collection – Guidelines for security protection profiles (IS/ ISO 17574:2009)
- Organic production system and labelling of organically produced products: Part I crop based [IS 16550 (Part 1):2016]
- Solid waste management – Segregation, collection and utilization at household/ community level – Guidelines (IS 16557:2016)

- As on 31 March 2016, the number of standards in force were 18 781. A total of 5 119 Indian Standards have been harmonized with the International Standards.
- Government of India, has notified 30 Electronics and IT goods under the Compulsory Registration Scheme. As on 31 March 2016, total number of registrations granted to manufacturers located throughout the world was 4 279.
- During the year, 3 555 Product Certification licences have been granted. As on 31 March 2016, total number of product certification operative licences were 31 347.
- During the year, following 27 products were covered for the first time under the product certification scheme. These products are namely:
  - IS 11928 (Parts 1 and 2):1987 Roundslings made of man-made fibres for general service;
  - IS 12866:1989 Plastic translucent sheets made form thermosetting polyester resin (glass fibre reinforced);
  - IS 6365:1971 Laboratory electric ovens;
  - IS 6419:1996 Welding rods and bare electrodes for gas shielded arc welding of structural steel;
  - IS 6911 :1992 Stainless steel plates, sheet and strip;
  - IS 1170:1992 Ferrochromium;
  - IS 7898:2001 Manually operated chaff cutter;

- IS 1180 (Part 1):2014 Outdoor type oil Immersed distribution transformer upto 2 000 kVA, 33 kV;
- IS 15532:2004 Plastic crates for fruits and vegetables;
- IS 5522:2014 Stainless steel sheets and strips for utensils;
- IS 13692:1993 Metalaxyl mancozeb (8+64)%WP;
- IS 16111:2013 Elastic bandages;
- IS 14613:1998 Roasted bengal gram flour (*Channa Sattu*);
- IS 7123:1993 Hair oil;
- IS 11241:1985 Portable liquefied petroleum gas appliances operating at vapour pressure – Stove;
- IS 4505:2015 Sodium formaldehyde sulphoxylate;
- IS 952:1986 Fog nozzle for fire brigade use;
- IS 902:1992 Suction hose couplings for fire fighting purposes;
- IS 907:1984 Suction strainer cylindrical type for firefighting purposes;
- IS 6312:1994 Polyethylene containers for the transport of materials;
- IS 73:2013 Paving bitumen;
- IS 4761:1968 Unsupported PVC rainwear;
- IS 15965:2012 Pre-painted aluminium zinc alloy metallic coated steel strip and sheet (plain);
- IS 2185 (Part 1):2005 Concrete masonry units-hollow and solid concrete blocks;
- IS 16186:2014 Light weight jute sacking bags for packing 50 kg food grains;
- IS 10264:1982 Trolley, hot food, for hospital and industrial canteens;
- IS 5035:1969 Sterilizers, bowl and utensils (pedal type).

■ 68 licences were issued under the Foreign Manufacturers Certification Scheme (FMCS), taking the total number of operative licences to 511 issued under this scheme against 73 Indian Standards and manufacturers spread over 44 countries.

■ As on 31 March 2016, the number of operative licences for hallmarking of gold and silver jewellery was 14 820 and 1 067, respectively. The number of operative BIS recognized assaying and hallmarking centres was 370. During the year about 3.49 crore articles of gold and silver jewellery/ artefacts were hallmarked.

■ 43 Quality Management System (QMS) Certification licences, 8 Environmental Management Systems (EMS) Certification licences, 18 Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS) Certification licences, 2 Food Safety Management System (FSMS) Certification licences, 37 Service Quality Management System (SQMS) Certification licences and 6 Energy Management System (EnMS) Certification licences were granted during the year. As on 31 March 2016, the total number of operative licences under Management Systems Certification was 1 336.

■ BIS launched the EnMS as per IS/ISO 50001 in 2013. Implementation of this scheme essentially enables an organization to achieve and maintain optimum energy procurement and utilization,

throughout the organization thereby minimizing energy costs and mitigating environmental effects. As on 31 March 2016, 12 EnMS licences were in operation.

- 18 374 samples were tested by BIS laboratories. Gold referral assaying laboratory at Chennai issued 2 559 test reports. As on March 2016, 160 outside laboratories, stood recognised by BIS including 23 laboratories for testing of IT products, laboratories covered under Electronics and Information Technology Goods (Requirement for Compulsory Registration) Order, 2012.
- During the year, 166 consumer awareness programs, 49 industry awareness programs and 30 programs for educational utilization of standards were organized. 51 grievances/complaints were received and 35 grievances/complaints were redressed during the year.
- During the year, BIS carried out 128 search and seizures all over the country on firms misusing ISI mark and such products were seized. Efforts were made for timely launching of prosecution against the offenders in the Court of law.
- The 12th International Training Programme on Management Systems, the 48th International Training Programme on Standardization and Quality Assurance and the 6th International Training Programme on Laboratory Quality Management Systems (LQMS) were organised by National Institute of Training for Standardization (NITS) during the year. These training programmes were attended by 87 participants from several developing countries.
- BIS organized 38th Pacific Area Standards Congress (PASC) meeting from 04 to 08 May 2015 at New Delhi. PASC is a regional standardization body consisting of 24 members, mainly from the Pacific Rim, dedicated towards improving the quality and capacity of standardization in member Countries.
- BIS organized meetings of ISO/TC 61 'Plastics', its subcommittees, working groups and related symposia during 04 to 09 October 2015 at New Delhi. ISO/TC 61 Plastics technical committee is involved in the development of ISO standards for nomenclature, methods of test, and specifications applicable to materials and products in the field of plastics, excluding rubber and lac.
- Revision of National Building Code of India (NBC) - It is a special publication which serves as a model Code for adoption and use by building regulatory authorities, government construction departments and other construction agencies and is also useful for all connected with building planning, design and construction, etc.
- Bureau of Indian Standards (BIS) in collaboration with Data Security Council of India (DSCI) hosted the global standards' meeting – ISO/IEC/ JTC 1/SC 27 working group meeting at Jaipur during 26 to 30 October 2015.
- BIS organized first International Conference on *LVDC* in association with International Electrotechnical Commission (IEC) during 26 - 27 October 2015 in New Delhi.
- A MoU between Bureau of Indian Standards and Ministry of Economy of Kyrgyzstan, Kyrgyzstan was signed on 12 July 2015 during Hon'ble PM's visit to Kyrgyzstan, on cooperation in the sphere of Standards.

- A MoU between Bureau of Indian Standards and Slovak Office of Standards, Metrology and Testing (SOSMT), Slovak Republic was signed on 28 July 2015.
- Ministry of Finance has launched Gold Monetization Scheme on 5 November 2015. BIS has played an important role in finalization and implementation of the Gold Monetization Scheme in association with Department of Economic Affairs and Reserve Bank of India. For the first time, certification of gold bullion was started in October 2015.
- As part of the Green Initiative of BIS, a rooftop solar power plant of 100 kW capacity installed in BIS HQ, 100 kW capacity installed in SRO Laboratory at Chennai, 40 kW capacity installed in WRO at Mumbai and 50 kW installed in NITS, Noida for supplementing the energy requirements.
- World Standards Day was celebrated on 14 October 2015 to commemorate the establishment of the International Organization for Standardization (ISO). The theme for the year 2015 for World Standards Day was 'Standards – the world's common language'.
- Vigilance Awareness Week was observed at BIS headquarters and in all the regional and branch offices from 26 to 31 October 2015.
- *Hindi Pakhwada* was celebrated at BIS headquarters and in all the regional and branch offices from 14 to 28 September 2015, during which various competitions in Hindi such as essay writing and slogan writing and debating were organized.
- During the year, 71 scientists were recruited for the post of Scientist B by direct recruitment. As on 31 March 2016, a total of 1 532 employees were on the rolls of BIS.
- BIS maintained a satisfactory progress in all its activities during the year. It recorded a total income (excluding interest from investment) of about ₹ 390.83 crore, compared to ₹ 345.43 crore during the previous year, thus marking an increase of about 13.14% in total income during 2015-16 compared to the previous year. BIS continued to be self-sufficient in meeting its expenditure and other liabilities from its own income for the twenty seventh consecutive year.

Director General

STANDARDIZATION

STANDARD FORMULATION

Standards form the fundamental base for the development of goods, articles, process, system and services by establishing consistent protocols which can be universally understood and adopted.

Providing the need-based globally relevant Indian standards in a time-bound manner to the industries and consumers has always been the endeavour of BIS. For formulation of such Indian Standards, BIS functions through the Technical Committee structure in terms of Sectional Committees, Subcommittees and Panels set up for dealing with specific group of subjects under their respective Division Councils. These Technical Committees include representatives of various interests such as organized consumers, consumer bodies, regulatory and other government bodies, industries, scientists, technologists, testing organizations and individual experts. It also includes concerned officials of BIS.

The appropriate Sectional Committee of BIS takes up a subject for formulation of Indian Standard(s) based on proposals which may be submitted by any Ministry of the Central Government, State Governments, Union Territory Administrations, Consumer Organizations, Industrial Units, Industry Associations, Professional Bodies, Members of the Bureau and Members of its Technical Committees with the approval of the concerned Division Council.

A total of 264 Technical Committee meetings were held during 2015-16 to consider draft standards and related technical documents. It is the policy of BIS to formulate Indian Standards on emerging technologies and to withdraw obsolete standards.

During the year, 609 (new 336 and revised 273) standards were formulated. The total number of standards in force, as on 31 March 2016 was 18 781.

REVIEW OF STANDARDS

Indian Standards are reviewed as and when considered necessary, but at least once in five years to establish whether these standards are still relevant and also to take appropriate action for reaffirmation, revision, issuing amendments, declare obsolescence or withdrawal.

HARMONIZATION

The role of standards in international competitiveness and their potential to act as non-tariff barriers to trade is being more widely recognized. To sustain competitiveness in the global markets it is important to harmonize Indian Standards, as far as possible, with International Standards formulated by International Organization for Standardization (ISO) and the International Electro-technical Commission (IEC). Further, India is a signatory to the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT). As per the agreement, member countries of WTO are required to align their National Standards with International Standards. However, country specific concerns on health, safety, environment, national security and prevention of deceptive practices can be considered/ incorporated while formulating National Standards. BIS considers International Standards, wherever they exist as a basis for standards development. During the year, 129 Indian Standards were harmonized with International

Standards. A total of 5 119 Indian Standards have so far been harmonized with International Standards which are more than 83% of the corresponding available Standards.

IMPORTANT STANDARDS FORMULATED DURING 2015-16 :

1. **IS 16444:2015 a.c. Static direct connected watthour smart meter Class 1 and 2 -** This standard specifies static watt-hour smart meters of accuracy class 1 and 2 for the measurement of alternating current electrical active energy of frequency 50 Hz for single phase and three phase balanced and unbalanced loads. Smart meter is a very important constituent of the Smart Grid programs initiated by the Government to reform power sector.

2. **IS 16390:2015 Agro textiles — Nylon knitted seamless gloves for tobacco harvesters -** This standard prescribes the constructional details and performance requirements of knitted seamless gloves, white, made from nylon yarn. Five different sizes of gloves designated as size 0 to size 4 has been included in this standard. Use of these gloves by the workers, while cultivating and harvesting the tobacco plants, can significantly reduce the Green Tobacco Sickness.

3. **IS 16513:2016 Agro textiles — Insect nets for agriculture and horticulture purposes -** This standard prescribes constructional and other requirements for insect nets for agriculture and horticulture purposes in protecting crop from insects such as aphids, whitefly, carrot fly, cabbage root fly and caterpillars etc. Based on the mesh, insect nets of Type I to Type III have been included in this standard.

4. **IS 16531:2016 Biodiesel, diesel fuel blend (B6 to B20) -** This specification prescribes the requirements, sampling procedure and test methods for B6 to B20 biodiesel blends at the time and place of delivery. The properties of commercial B6 to B20 blends depend on the refining practices employed and the nature of the distillate fuel oils and biodiesel from which they are produced. This fuel is not suitable for all vehicles. Accordingly, the requirements of B6 to B20 diesel fuel for suitably designed vehicles meeting Bharat Stage III and Bharat Stage IV Emission Norms are furnished in this standard.

5. **IS 16274:2015 Hydrometry — Hydrometric data transmission systems — Specification of system requirements -** This specifies the requirements that should be considered in designing and operating hydrometric data transmission systems and the necessary functions of those systems. Hydrometric data transmission systems provide data for the day-to-day management of water resources and for warning and forecasting of floods, droughts and conditions affecting water quality and public health.

6. **IS 16601:2016 Indian Standard on habitat and welfare requirements for construction workers – Guidelines -** This standard is aimed at providing practical guidance to user, consultants, clients and construction organizations on the processes and norms that should be applied to the provision of accommodation of construction workers. This standard covers general guidelines for the habitat and welfare requirements for the construction workers.

7. **IS 15883 (Part 12):2016 Construction project management – Guidelines – Part 12 Integration management** - This standard covers aspects on Integration management function and aims to provide processes necessary for coordination among all the project stakeholders. Adherence to this standard facilitates coordination between various disciplines like civil, architecture,

mechanical and electrical, etc, in the project and also amongst various other functions of the project like scope management, time management, cost management, quality management and procurement management, etc.

8. **IS/ISO 15392:2008 Indian Standard on Sustainability in building construction – General principles -** This Standard identifies and establishes general principles for sustainability in building construction. It is based on the concept of sustainable development as it applies to the life cycle of buildings and other construction works, from their inception to the end of life. This Standard is applicable to buildings and other construction works, as well as to the materials, products, services and processes related to the life cycle of buildings and other construction works

9. **IS/ISO/ TS 14904:2002 Road transport and traffic telematics – Electronic fee collection (EFC) – Interface specification for clearing between operators -** This standard specifies the interfaces for clearing between the operators and gives a framework of the common message structure and data elements to be used on the interfaces.

10. **IS/ISO 17573:2010 Electronic fee collection – Systems architecture for vehicle-related tolling -** This Standard defines the architecture of a toll system environment in which a customer with one contract can use a vehicle in a variety of toll domains and with a different toll charger for each domain.

11. **IS/ISO 17574:2009 Electronic fee collection – Guidelines for security protection profiles -** This standard provides a guideline for preparation and evaluation of security requirements specifications, referred to as Protection Profiles (PP) in the ISO/IEC 15408 series and in ISO/IEC TR 15446. By a Protection Profile (PP) is meant a set of security requirements for a category of products or systems that meet specific needs.

12. **IS 16550 (Part 1):2016 Organic production system and labelling of organically produced products: Part 1 Crop based** - This standard prescribes the uniform requirements for organically produced crop based products both for export and domestic markets.

13. **IS 16557:2016 Solid waste management – Segregation, collection and utilization at household/ community level – Guidelines -** This standard prescribes guidelines for segregation, collection and utilization of solid waste (SW) generated at household and/or community levels. To advance the objective of Swachh Bharat Abhiyan, Solid Waste Management is very important.

IMPORTANT STANDARDS REVISED DURING 2015-16:

1. **IS 15351:2015 Agro textiles — Laminated high density polyethylene (HDPE) woven geomembrane for water proof lining (*second revision*) -** This standard prescribes requirements for high density polyethylene (HDPE) woven geomembrane laminated with low density polyethylene (LDPE) or suitable combination of LDPE and LLDPE for use as lining for canal, pond and reservoir to control seepage. Based on the thickness and mass of the HDPE woven geomembrane, four varieties (Type I to Type IV) of geomembranes have been included in this standard.

2. **IS 16008 (Part 1):2016 Agro textiles — Shade nets for agriculture and horticulture purposes: Part 1 Shade nets made from tape yarns (*first revision*) -** This standard prescribes constructional and other performance requirements for synthetic agro shade nets

manufactured from tape yarns for agriculture and horticulture purposes for protecting/increasing crop yield by providing partially controlled climatic conditions for the intended crops. Based on the shading percentage, shade nets of 50, 75 and 90 percent has been included in this standard.

3. **IS 16046:2015/IEC 62133:2012 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes — Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications (*first revision*) -** This Standard specifies requirements and tests for the safe operation of portable sealed secondary cells and batteries (other than button) containing alkaline or other non-acid electrolyte, under intended use and reasonably foreseeable misuse. This type of battery is widely used for applications like laptop, power banks, etc.

4. **IS 14534:2016 Plastics – Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste (*first revision*) -** This standard prescribes guidelines for the selection, segregation and processing of plastics waste/ scrap. It establishes the different options for the recovery of plastics waste arising from pre-consumer and post-consumer sources.

5. **IS/ISO 9001:2015 Quality Management Systems (*fourth revision*) -** This standard specifies requirements for a quality management system when an organization needs to demonstrate its ability to consistently provide products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements. All the requirements of this standard are generic and are intended to be applicable to any organization, regardless of its type or size, or the products and services it provides.

6. **IS 616/IEC 60065:2014 Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements (*fifth revision*) -** This standard primarily concerns apparatus intended for household and similar general use. It applies to electronic apparatus designed to be fed from the mains, from a supply apparatus, from batteries or from remote power feeding and intended for reception, generation, recording or reproduction of audio, video and associated signals.

7. **IS/ISO/IEC 27001:2013 Information technologies – security techniques – information security management systems – Requirements *(first revision)* -** This standard specifies the requirements for establishing, implementing, maintaining and continually improving an information security management system within the context of the organization. The requirements set out in this standard are generic and are intended to be applicable to all organizations, regardless of type, size or nature.

8. **IS 383:2016 Coarse and fine aggregates for concrete (*third revision*) -** This revision covers provisions regarding quality requirements and those relating to the extent of utilization of iron slag, steel slag, copper slag, bottom ash from thermal power plants, recycled concrete aggregates (RCA) and recycled aggregate (RA), along with necessary provisions relating to their utilization. RCA and RA may in turn be sourced from construction and demolition wastes.

9. **IS 3024:2015 Grain oriented electrical steel sheet and strip (*third revision*) -** This standard covers the requirements of flat rolled, fully processed (in final annealed condition) grain-oriented, electrical steel sheets or strips and intended for the construction of transformer cores operating at moderate to high induction at commercial power frequencies and other magnetic circuits. The electrical steel grades described in this standard included conventional and high permeability grain oriented electrical steel tested as 1.7 Tesla, 50 Hz to 60 Hz.

SPECIAL PUBLICATION

Revision of National Building Code of India (NBC) - It is a special publication which serves as a model code for adoption and use by building regulatory authorities, government construction departments and other construction agencies, and is also useful for all connected with building, planning, design and construction, etc. A mammoth exercise for revision of National Building Code of India, 2005 was undertaken which involved about 1 000 experts. The draft National Building Code of India has been finalized incorporating more elaborate provisions on barrier-free environment for persons with disabilities and the aged, fire safety of modern high-rise buildings, more focus on prefabricated construction, elaborate provisions on building and plumbing services and addition of new chapters on structural glazing, IT enabled buildings, solid waste management and asset and facility management.

SEMINARS/ CONFERENCES ORGANIZED:

In order to spread awareness about Indian Standards, get feedback on existing standards and to identify new areas of standardization, BIS organises conferences/ seminars/workshops in identified sectors involving stakeholders such as manufacturers, users, R&D and scientific organizations, Government bodies and professional institutions, etc. During the year, BIS organised a number of seminars/ workshops, important ones are as under:

1. **Seminar on 'Standardization in technical textiles – Gateway to make in India' -** A seminar was organized by BIS on 20 July 2015. Around 100 delegates from technical textiles Industry, trade, regulatory bodies, testing laboratories, Government and important users attended the above seminar. The salient recommendations that emerged from the seminar include chalking out a roadmap for fast track standardization especially in Geotech, Agrotech, Medtech, Protech, Packtech technical textiles field keeping in view health, safety and environment concerns and in close association with Ministry of Textiles and Centres of Excellence.

2. **Curtain Raiser of Technotex 2016 'Technical Textiles – Towards a smart future' -** A curtain raiser of TECHNOTEX-2016 (21-23 April 2016 at Mumbai), was held on 29 January 2016 at New Delhi. Five Indian Standards of national importance on Agro Textiles were released by Shri Santosh Kumar Gangwar, Hon'ble Minister of State for Textiles (Independent Charge), Government of India at the ceremony.

Curtain Raiser - Seminar on 'Standardization in technical textiles - Gateway to make in India'

3. **Workshop on 'Standardization of flame retardants in technical textiles' -** A Workshop was organized jointly by BIS and Confederation of Indian Industries (CII) on 1 September 2015 at New Delhi. Around 70 delegates from Fire Retardant Industry, trade, regulatory bodies, testing laboratories, Government and important users attended the above workshop. The salient outcome of the workshop includes development of consensus amongst the stakeholders on implementation of the draft order called 'Fire Retardant Textile Materials (Quality Control) Order for mandatory use of Standard Mark on Fire Retardant textiles items'.

4. **Indo-German roundtable seminar on 'Trade potential in technical textiles' -** Within the framework of Indo-German Working Group on Quality infrastructure for cooperation in standardization, conformity assessment and product safety, the roundtable seminar was held on 30 September 2015 at Mumbai. This roundtable was jointly organized by GIZ and the BIS. The participants (about 50) were technical textile manufacturers of SME and multinational scale, traders, related associations from the German and Indian side, research institutes, as well as testing institutes. The Roundtable highlighted the role of quality infrastructure and especially standardization in the Indo-German trade in technical textiles.

5. **Industry meet of 'HDPE/PP woven sack manufacturers for packing foodgrains' -** An Industry meet was held on 20 February 2016 in Ahmedabad. The meet was attended by about 60 participants from HDPE/PP woven sacks industry, testing laboratories, raw material suppliers like GAIL and IOCL. In the industry meet, presentations were made on the status of standardization and certification of HDPE/PP woven sacks. It emerged during the seminar that implementation of standards on HDPE/PP woven sacks is of utmost importance so as to ensure that the essential commodities like food grains, sugar, etc, can be stored.

6. **Seminar on 'Standards for tourism sector'-** Management and Systems Department of BIS organised a seminar on 29 March 2016 at New Delhi. Around 45 delegates representing various industry associations, Government and tour operators participated in the seminar. The seminar achieved its objective of raising awareness on need of standards in this sector and invigorating stakeholders to identify potential areas in the tourism sector where national standards could be developed. BIS requested for active participation of all stakeholders in development process of both national and international standards in this field.

7. **International meeting of ISO/IEC/JTC 1/SC 27 'IT security techniques'-** BIS in collaboration with Data Security Council of India (DSCI) hosted the global standards' meeting – ISO/IEC/ JTC 1/SC 27 Working Group Meetings in Jaipur during 26-30 October 2015. This is the first time that an international meeting on information security standards was held in India. ISO/IEC/JTC 1/ SC27 is a joint technical committee of the international standards bodies – ISO and IEC on Information Technology security techniques. The five-day meetings witnessed over 300 experts deliberating on forging international standards on Privacy, Security and Risk management in Internet on Things (IoT) Cloud Computing and many other contemporary technologies.

ISO/IEC/JTC 1/SC 27 'IT security techniques' Working Group Meeting and International Conference on Cyber Security and Privacy Standards organized at Jaipur

8. **International conference on 'Cyber security and privacy standards' –** An International conference was also organized on 30 October 2015 at Jaipur. This conference was attended by delegates from more than 30 countries including Prof. Edward Humphreys, Convener WG 1of ISO/IEC/JTC1/SC 27 and Dr. Gulshan Rai, National Cyber Security Coordinator, National Security Council Secretariat, Govt of India. The seminar was successful in sensitizing the various stakeholders about the need of global cyber security standards and also discussed various ways and means of implementing the same in existing framework.

9. **Seminar on 'Standardized pumps for energy conservation' –** A seminar was organized by BIS on 3 September 2015 at Ahmedabad. The seminar was attended by more than 60 participants from various stakeholders such as Pump manufacturers, consumers, BIS pump licensees, concerned Government departments and officers of BIS. During the seminar, various presentations were made on the subjects such as alternate techniques for improvement of hydraulic and electrical performance of existing pump sets, energy conservation in agricultural pumping system, design optimisation of energy efficient motors and pumps through analytics.

10. **Workshop on 'Smart Grid: Standardization and Implementation Experience' –** As a part of Indo-German collaboration, BIS organized the workshop on Smart Grid standardization and its implementation experience in collaboration with GIZ. This workshop was organized on 14 March 2016 at New Delhi to sensitize the industry, academia and various Government bodies about the latest developments in the field of Smart Grid Standards.

Workshop on Smart Grid Standardization held at New Delhi on 14 March 2016

11. **International Conference on 'Low Voltage Direct Current (LVDC)' –** Redefining Electricity - BIS organized first International Conference on LVDC in association with International Electro-technical Commission (IEC) during 26-27 October 2015 in New Delhi. LVDC is a new concept /emerging technology which explores the use of Direct Current (d.c.) for both generation and distribution of electricity with the use of renewable energy sources like solar, wind, etc, to the extent possible. In the recent past, LVDC has gained the attention of scientists and technologists around the globe because of its immense potential to address spreading global concerns like ever growing demand for electrical energy, depleting fossil fuels, energy security, energy conservation and clean environment.

12. **Seminar on 'Standard for food-grain storage godowns' –** BIS organized a seminar on Standard for food-grain storage godowns on 07 October 2015 at New Delhi. This seminar was a part of the promotional drive by BIS to create awareness about the Indian Standards related to food-grain storage, especially, IS 16144:2014 'Food-Grain Storage Godowns – Code of Practice'. The seminar focused on a brief insight about the standards formulated by BIS in the field of food-grain storage godowns, various schemes initiated by government to encourage and promote building of scientific food-grain storage structures, regulations governing warehousing in the country.

13. **Seminar on 'Assessment of seepage losses and lining of canals' –** A seminar on assessment of seepage losses and lining of canals was organized by Water Resources Department of BIS in association with Brahmaputra Board on 22 January 2016 at Guwahati. The seminar which was the first of its kind in the north eastern region was organized to provide an opportunity for exchange of ideas and knowledge between diverse groups of the scientific community and field engineers concerned with the current issues on seepage losses and Lining of Canals. It is envisaged to help in making new standards in the field and update the existing Indian Standards for advancing innovation, development and communication of best practices.

Seminar on 'Assessment of Seepage Losses and Lining of Canals' organized at Guwahati

PUBLICATION OF STANDARDS

BIS, through its publication department handles the electronic publishing of Indian Standards and amendments and the notification of published standards and amendments in the gazette. During the year, 327 new standards, 128 revised standards and 169 amendments were published.

CERTIFICATION

PRODUCT CERTIFICATION

BIS operates a product certification scheme, which is governed by The *Bureau of Indian Standards Act*, 1986 and Rules and Regulations framed thereunder. Presence of BIS standard mark (popularly known as ISI mark) on a product indicates its conformity to the relevant Indian Standard. Before granting licence to any manufacturer, BIS ascertains the availability of required infrastructure and capability of the manufacturer to produce and test the product conforming to the relevant Indian standard on a continuous basis. Samples are also drawn from the production line as well as from market and tested in independent laboratories to ensure their conformance to the relevant Indian Standard.

The certification scheme is basically voluntary in nature, but for a number of products, in public interest, it has been made mandatory by the Central Government under various statutes such as *The Food Safety & Standards Act, The Essential Commodities Act, The Explosive Substances Act, The Atomic Energy Regulation Board, the Environment Protection Act, The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Food Act and The Bureau of Indian Standards Act,* etc. Some of the items under mandatory certification are LPG cylinders valves and regulators, milk powder, condensed milk, cereal food for infant, skimmed milk powder, infant milk substitute, hexane food grade, clinical thermometers, packaged drinking water, packaged natural mineral water, safety requirements for electric iron and immersion water heater, cables, switches, electric lamps and CFLs, circuit breakers, energy meters, dry batteries, steel tubes, oil pressure stoves, X-Ray equipment, plastic feeding bottles, cement, steel and steel products, pneumatic tyres and tubes for automotive vehicles, centrally cast ductile iron pressure pipes, ductile iron fittings for pressure pipes, electrical transformers, etc.

During the year, 3 555 new licences were granted, which included 27 products covered for the first time under the scheme. These products are IS 11928 (Part 1 and 2):1987 - Round slings made of man-made fibres for general service; IS 12866:1989 Plastic translucent sheets made form thermosetting polyester resin (glass fibre reinforced); IS 6365:1971 - Laboratory electric ovens; IS 6419:1996 - Welding rods and bare electrodes for gas shielded arc welding of structural steel; IS 6911:1992 - Stainless steel plates, sheet and strip; IS 1170:1992 - Ferrochromium; IS 7898:2001 - Manually operated chaff cutter; IS 1180 (Part-1):2014 - Outdoor type oil immersed distribution transformer up to 2000 kVA,33 kV; IS 15532:2004 - Plastic crates for fruits and vegetables; IS 5522:2014 - Stainless steel sheets and strips for utensils; IS 13692:1993 - Metalaxyl mancozeb (8+64)%WP; IS 16111:2013 - Elastic bandages; IS 14613:1998 - Roasted bengal gram flour (*channa sattu*); IS 7123:1993 - Hair oil; IS 11241:1985 - 'Portable liquefied petroleum gas appliances operating at vapour pressure' - Stove; IS 4505:2015 - Sodium formaldehyde sulphoxylate; IS 952:1986 - Fog nozzle for fire brigade use; IS 902:1992 - Suction hose couplings for fire fighting purposes; IS 907:1984 - Suction strainer cylindrical type for firefighting purposes; IS 6312:1994 - Polyethylene containers for the transport of materials; IS 73:2013 - Paving bitumen; IS 4761:1968 - Unsupported PVC rainwear; IS 15965:2012 - Pre-painted aluminium zinc alloy metallic coated steel strip and sheet (plain); IS 2185 (Part 1):2005 - Concrete masonry units - hollow and solid concrete blocks; IS 16186:2014 - Lightweight jute sacking bags for packing 50 kg food grains;

IS 10264:1982 – Trolley, hot food, for hospital and industrial canteens; IS 5035:1969 – Sterilizers, bowl and utensils (pedal type).

The total number of Indian Standards which have been covered under BIS Certification Marks Scheme are 941. The total number of operative licences as on 31 March 2016 was 31 347.

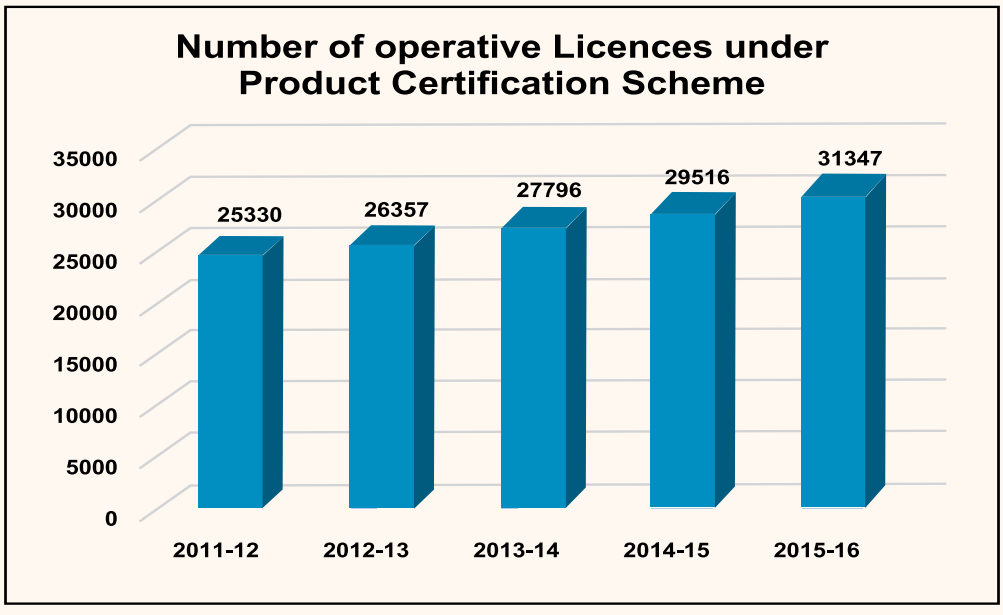

Surveillance and Licensees Meet

In order to monitor the operation of licences, during the year, a total number of 11 763 inspections and 6 665 lot inspections were carried out. In addition, about 22 288 samples (including samples procured from market) were drawn for independent testing.

In order to acquire feedback on the operation of the BIS Certification Marks Scheme, review meetings with the licensees were organized on a regular basis. During the year, 49 review meetings/licensee meets were organized covering the areas of packaged drinking water; milk and milk products; electrical appliances; cement; pumps; PVC products; steel and plastic products; precast concrete products; plywood products; irrigation equipment; PVC insulated cables; transformers; LPG cylinders, valves and regulators, etc.

Licensees meet organized at Thrissur

FOREIGN MANUFACTURES CERTIFICATION SCHEME (FMCS)

BIS has been operating separate scheme for foreign manufacturers. Under this scheme, foreign manufacturers can seek certification from BIS for use of BIS Standard Mark on their product(s). During 2015-16, 68 licences were granted under FMCS, taking the total number of operative licences to 511 against 73 Indian Standards. The licences granted covered various products such as steel and steel products; cement; PVC insulated cables; tyres and tubes for automobile vehicles; plastic feeding bottles; switchgear products; plugs and socket-outlets and switches; HDPE and UPVC pipes; infant formula; a.c. static energy meters etc. from around 45 countries.

COMPULSORY REGISTRATION SCHEME (CRS)

Department of Electronics and Information Technology (DeitY) in consultation with BIS, notified '**Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012**' on 3 Oct 2012 mandating Compulsory Registration from BIS for 15 Electronics and IT products based on its safety compliance to Indian Standards. A second Order was notified on 13 November 2014, bringing 15 more electronics and IT products under the ambit of the Scheme. The Compulsory Registration Scheme is being operated by BIS under the *BIS Act*, 1986 and the Rules framed thereunder.

The introduction of this Scheme is an alternative mechanism to the Compulsory Certification to facilitate growth of fast growing sectors like IT and protect consumers from spurious and substandard imports.

The scheme envisages that no person shall manufacture or import or sell or distribute Goods which do not conform to the Specified Standards and do not bear the words '***Self declaration – conforming to IS....'.*** Such Goods can be imported after obtaining Registration from the Bureau.

The major products under the Scheme are:

- LED fixtures, lamps and drivers
- Mobile phones, portable power banks
- Rechargeable cells/ batteries
- UPS and invertors of capacity 5 kVA and below
- Microwave ovens
- Plasma/ LCD/ LED TVs / visual display units/ monitors of screen size 32' and above
- Adapters for IT, AV and electronic products
- Point-of-sale terminals, ADP machine
- Laptop/ notebook/tablet
- Printers and plotters, photocopiers, scanners
- Set top box

The first registration was granted by BIS on 12 June 2013. As on 31 March 2016, BIS has granted 4 279 registrations to manufacturers in various countries. During the period the system for grant of registration was streamlined, forms and procedures simplified to facilitate ease of doing business and the time for grant of registration was reduced to almost 12 days.

LABORATORY SERVICES

In order to support the activities of the product certification marks scheme, BIS has established eight laboratories in the country to cater to the testing need of samples. The first BIS Central laboratory was established at Sahibabad in 1962. Subsequently, four regional laboratories at Mohali, Kolkata, Mumbai and Chennai and three branch office laboratories at Patna, Bangalore and Guwahati were established. BIS laboratories have facilities for testing of products in the field of chemical, microbiological, electrical and mechanical discipline.

In order to ensure that BIS laboratories are abreast with the latest developments at the International level, the laboratories at Mumbai, Kolkata, Chennai, Mohali, and Sahibabad have been accredited by the National Accreditation Board for Calibration and Testing Laboratories (NABL) as per the international standard IS/ISO/IEC 17025.

BIS labs have complete test facilities for 374 Indian Standards and in addition, partial test facilities are also available for 362 Indian Standards. During the year, the BIS laboratories have tested 15 815 samples of various products covered under Certification. In addition, to support the Hallmarking Scheme of gold and silver jewellery/ artefacts, the Gold Referral Assaying Laboratory at Chennai has issued 2 559 test reports during the year.

CREATION/ UP-GRADATION OF TESTING FACILITIES

In order to modernize and upgrade BIS laboratories, some major test equipments were purchased by BIS labs during the year, these include Optical emission spectrometer and ion chromatograph. Test facilities for wood products have been completed and made functional at Mohali laboratory. In addition the facility for testing of Gold in Referral Assaying Laboratory at Chennai has been doubled during the year.

QUALITY ASSURANCE ACTIVITIES

Quality Assurance is a regular part of testing in BIS laboratories by way of which the quality of testing is assured. During the year, 885 samples were tested under quality assurance activities by BIS laboratories. This includes the samples tested during participation in proficiency testing/ inter-lab comparison program.

TRAINING

a) The manpower in laboratories are being trained on a regular basis to keep them abreast with the latest developments. During the year, six officials from BIS labs were trained in the assaying and hallmarking. In addition, 14 officials were trained in IS/ISO/IEC 17025 laboratory quality management system.

b) During the year, BIS labs organized 14 training programmes for the industry in various fields.

LABORATORY RECOGNITION SCHEME

As the volume of work for testing of samples generated from product certification scheme is much

larger than the available capacity in BIS laboratories, BIS has established Laboratory Recognition Scheme (LRS) for recognition of outside laboratories (OSLs). The services of such laboratories are utilized when it is economically not viable to develop test facilities in BIS laboratories or when BIS laboratories are overloaded. The scheme is based on International Standard IS/ISO/IEC 17025:2005, and in line with the criteria adopted by the NABL for accreditation of laboratories. OSLs recognized by BIS are required to be accredited by the NABL in the respective field, should have complete testing facilities as per relevant Indian Standard and also competence to test the products as per Indian Standard.

During the year, 27 new labs were recognized and 7 labs were derecognized. As on 31 March 2016, the total number of operative BIS recognized labs were 160, which include R&D organizations, technical institutions, Government laboratories and private sector laboratories. Besides this, there are 47 Government Laboratories of specialized nature, whose services are utilized as and when required.

To support the newly launched BIS Registration Scheme, 23 outside laboratories have been recognized so far for testing of IT products covered under Electronics and Information Technology Goods (Requirement for Compulsory Registration) Order, 2012.

HALLMARKING

HALLMARKING SCHEME OF GOLD/SILVER JEWELLERY

(i) Hallmarking of jewellery

Hallmarking of gold jewellery was started by BIS in April 2000 to provide third party assurance to consumers on the purity of gold jewellery or its fineness. The scheme for Hallmarking of silver jewellery/ artefacts was launched in October 2005. Under the Scheme, while the jewellers are granted licence to sell hallmarked jewellery, Assaying & Hallmarking (A&H) centres are recognized to assay the purity of the jewellery submitted by the licensed jeweller and to apply hallmark on such jewellery which conforms to relevant Indian Standard.

As on 31 March 2016, the number of operative licences for Hallmarking of gold and silver jewellery was 14 820 and 1 067, respectively. The number of operative BIS recognized A&H centres was 370. During the year, about 3.49 crore articles of gold and silver jewellery/ artefacts were hallmarked.

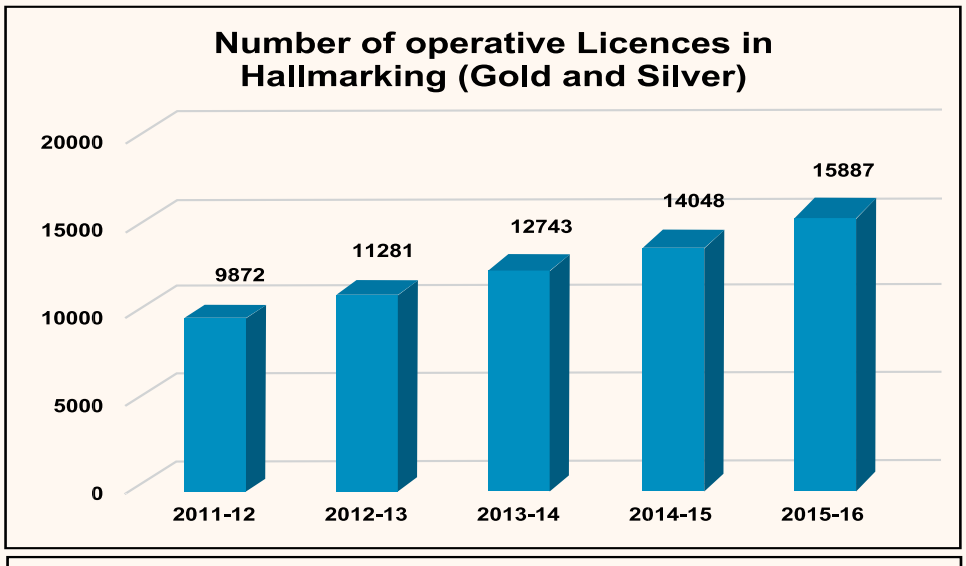

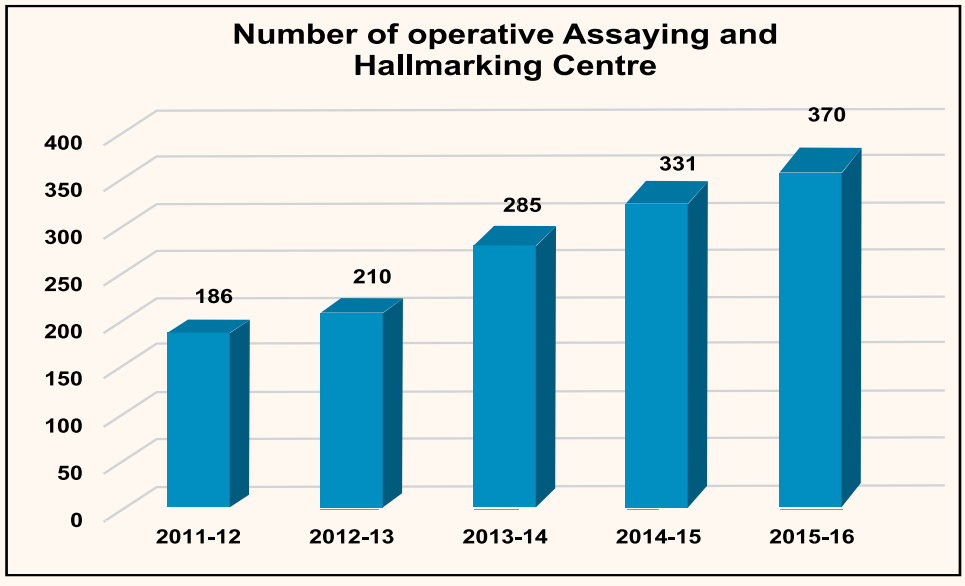

(ii) Promotion of Hallmarking

To promote hallmarking in the country for providing effective protection to the consumer in gold jewellery trade, awareness programmes for jewellers are organized by BIS through its various Regional and Branch offices across the country. During the year, 36 such jewellers' awareness programmes were organized.

(iii) Gold Monetization Scheme

Ministry of Finance has launched Gold Monetization Scheme on 5 November 2015. BIS has played an important role in finalization and implementation of the Gold Monetization Scheme (GMS) in association with Department of Economic Affairs and Reserve Bank of India. Under the scheme Assaying & Hallmarking Centres recognized by BIS have been qualified to act as Collection and Purity Testing Centres (CPTC) and the gold collected by CPTCs is refined by refineries licensed by BIS. So far 47 A&H centres and one jeweller have been qualified to act as CPTC. Also licenses have been granted to eight refineries for refining of gold under the GMS.

To implement the GMS, policy guidelines were prepared by BIS to enable A&H centres and jewellers to act as CPTCs. Guidelines were prepared and implemented for the refineries under the GMS. In October 2015, for the first time in the country certification of gold bullion was started by BIS.

(iv) Indian Gold Coin

Hon'ble Prime Minister released on 5 November 2015 the first ever National Gold Coin with national emblem of Ashok Chakra engraved on one side and the face of Mahatma Gandhi on the other side. It is a matter of pride for BIS that the coin is engraved with BIS Hallmark. For manufacturing this Hallmarked coin of 999 purity, initially the India Government Mint, Mumbai and then India Government Mint, Kolkata were granted a license as per IS 1417:1999. The Indian Gold Coin is unique in many respects as it carries advanced anti-counterfeit features, tamper-proof packaging and also the unique serial number.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

BIS continued to provide the following Management Systems Certification services as per the corresponding standards and there has been a steady growth.

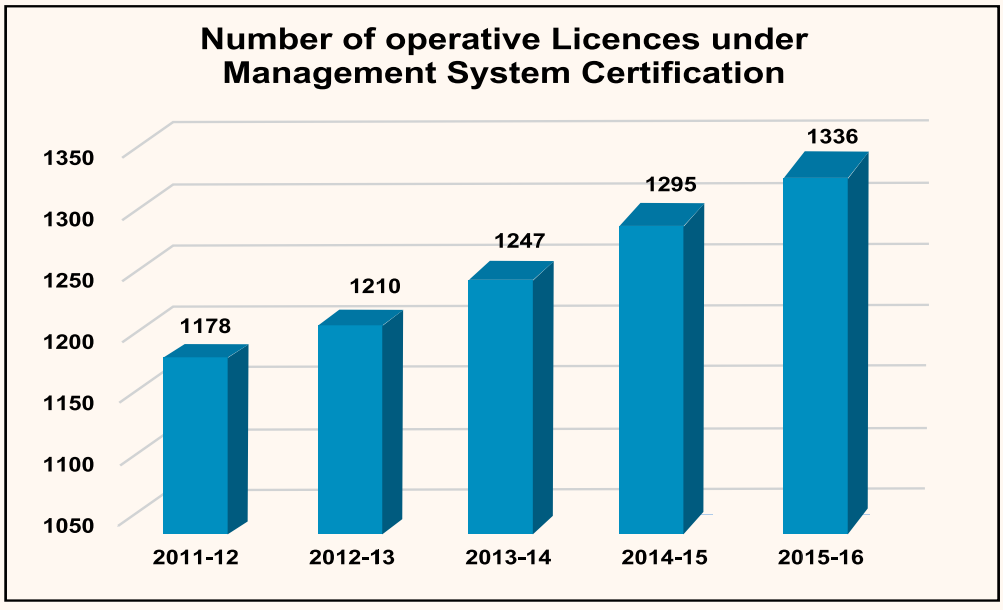

i) Quality Management System (QMS) Certification Scheme as per IS/ISO 9001:2015

BIS Quality Management System Certification Scheme (QMSCS) was launched in September 1991. The Scheme is being operated in accordance with standard ISO/IEC 17021 'Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems'.

During the year, 43 new QMSCS licences were granted. As on 31 March 2016, a total of 893 QMSCs licences are in operation, covering industrial sectors such as chemicals, metal and metal products, cement, construction, dairy plants, education, electricity generation, engineering services, mining, machinery, petroleum, plastic, pharmaceuticals, textiles, etc. QMSCs licences have also been taken by organizations in the service sectors such as financial sector, health sector, insurance, information technology, telecommunications, transport, etc.

ii) Environmental Management System (EMS) Certification Scheme as per IS/ISO 14001:2004

The Environmental Management System (EMS) Certification Scheme was launched by BIS as per IS/ISO 14001 and it is being operated as per the International criteria laid down in ISO/IEC 17021. During the year, 8 new EMS licenses were granted, bringing the total number of operative licences to 205. These licences cover technology areas like integrated steel plants, thermal power plants, aeronautical industries, atomic power, wagon workshops, pharmaceuticals, machinery, mining, public administration, etc.

iii) Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) Certification Scheme as per IS 18001:2007

BIS has launched Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) Certification Scheme as per IS 18001:2007. This essentially enables an organization to define, plan and manage policies and objectives, taking into account the legislative requirements and the information about significant hazards and risks, which the organization can control and with a view to protect its employees and others, whose health and safety may be affected by the activities of the organization. 18 new OHSMS licences were granted during the year, bringing the total operative licenses to 98 as on 31 March 2016. The licences cover technology areas like thermal power plants, ceramic industry, cycle industry, gas power stations, health services and employee development centres, textiles, plastic, cement, construction, electrical and telecommunication cables, petroleum refinery, insecticides, industrial and explosive chemicals, railways etc.

iv) Hazards Analysis and Critical Control Point (HACCP) Scheme as per IS 15000:1998

BIS also offers a standalone HACCP Certification Scheme as per IS 15000:1998. As on 31 March 2016, two HACCP stand-alone licences and 39 licences integrated with QMS, were in operation.

v) Food Safety Management System (FSMS) Certification Scheme as per IS/ISO 22000:2005

BIS has launched Food Safety Management System (FSMS) as per IS/ISO 22000. This system is designed to allow all types of organization within the food chain to implement a food safety management system. As on 31 March 2016, 10 FSMS licences were in operation.

vi) Service Quality Management System (SQMS) Certification Scheme as per IS 15700:2005

The Service Quality Management System (SQMS) Certification was launched by BIS in April 2007, based on the Indian Standard IS 15700. This standard focuses on delivery of quality service across the counter by public service organisations and the organizations implementing this standard can be certified by BIS. 37 new licenses were granted during the year 2015-16. Total number of 77 licences were operative as on 31 March 2016.

vii) Energy Management System (EnMS) Certification Scheme as per IS/ISO 50001:2011

BIS launched the Energy Management Systems Certification Scheme as per IS/ISO 50001:2011 in 2013. Implementation of this scheme essentially enables an organization to achieve and maintain optimum energy procurement and utilization, thereby minimizing energy costs and mitigating environmental effects. As on 31 March 2016, 12 EnMS licences were in operation.

viii) Accreditation of QMS and EMS

The Quality Management systems Certification and the Environmental Management Systems Certification Schemes of BIS are accredited by the National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB), Quality Council of India for a number of sectors.

ix) Promotion of Management Systems Certification

For Promotion of Energy Management System Certification, meetings were conducted with the Controller General of Defence Accounts, New Delhi; Directorate General of Shipping, Mumbai; National Research Development Council, New Delhi and Ministry of External Affairs, New Delhi.

A workshop on IS 15700 was organized for SQMS licensees at BIS, New Delhi, apprising them about the changes in the revised version of IS 15700.

x) Auditors' Meet

Auditors' Meets, one each in the Central, Eastern, Northern, Southern and Western Regional Offices were organized, which were attended by external auditors and BIS officers, registered for carrying out system certification audits.

xi) Licensees' Review Meet

For the purpose of creating awareness and to receive first hand feedback about BIS services from the licensees, 5 Management systems licensees review meetings were organized, one each by the Central, Eastern, Northern, Southern and Western regional offices.

Management System Licensees meet organized at Bengaluru on 07 March 2016

INTERNATIONAL ACTIVITIES AND TECHNICAL INFORMATION SERVICES

INTERNATIONAL ACTIVITIES

BIS in its capacity as the National Standards Body of India, is a member of International Organization for Standardization (ISO) and International Electro-technical Commission (IEC) and actively participates in the activities of these International bodies. It is actively involved in development of International Standards by acting as Participating (P) member or Observer (O) member on various Technical Committees and sub-committees; and nominating technical experts in working groups. As on 31 March 2016, BIS is a 'P' member in 418 Technical Committees/ Subcommittees of ISO and 80 Technical Committees/Subcommittees of IEC, and 'O' Member in 224 Technical Committees/Subcommittees of ISO and 76 Technical Committees/ Subcommittees of IEC. BIS also participates in various policy-making committees of these international standards bodies having 'P' membership in three policy development committees (CASCO, COPOLCO and DEVCO) of ISO and holds the secretariat of some important ISO Committees dealing with subjects that are of trade interest to India. India is a member in Standards Management Board (SMB) of IEC and was a member of the ISO Technical Management Board (ISO TMB) during 1 January 2013 to 31 December 2015. Both these Boards deal with policy related matters concerning standardisation in IEC and ISO. Such participation by BIS in the development of International Standards helps in protecting the interests of Indian trade and industry.

BIS has been playing an active role in the work of Pacific Area Standards Congress (PASC) and significantly contributing in the formulation and implementation of regional standards and conformity assessment schemes for the SAARC countries under the South Asian Regional Standards Organization (SARSO). BIS is also actively involved in regional and bilateral cooperation programmes pertaining to standardization, testing, certification, training, etc. So far, BIS has signed 28 Memorandum of Understanding (MoUs) and 5 Mutual Recognition Agreements (MRAs) with National Standards Bodies of different countries, and is in the process of having such arrangements with 15 other countries.

Participation in ISO

- A three member delegation led by Secretary, Department of Consumer Affairs attended the ISO General Assembly (GA) and related meetings at Seoul, South Korea during 15-18 September 2015. During ISO GA 2015, meetings of DEVCO (ISO Committee on developing country matters) and General Assembly were attended. On the sidelines, meetings were held with British Standards Institute (BSI), American National Standards Institute (ANSI), Association Française de Normalization (AFNOR), France and Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) for bilateral cooperation with these National Standards Bodies.

- BIS organized meetings of ISO/TC 207 'Environmental Management Technical Committee', its subcommittees, working groups and adhoc groups and others associated to the 22nd plenary meeting of ISO/TC 207 during 04 - 12 Sept 2015 at New Delhi. ISO/TC 207 is involved in the development of ISO standards in the field of Environmental Management Systems and tools which includes subjects like greenhouse gases, life cycle assessment, environmental labelling

and communication of footprint requirements, etc. The meeting discussed standardization in the field of Environmental Management Systems and tools in support of sustainable development.

- BIS organized meetings of ISO/TC 61 'Plastics', its subcommittees, working groups and related symposia during 04-09 October 2015 at New Delhi. ISO/TC 61 Plastics Technical Committee is involved in the development of ISO standards for nomenclature, methods of test, and specifications applicable to materials and products in the field of plastics, excluding rubber and lac.

- ISO is running an institutional strengthening project for a set of ISO members in developing countries within the framework of the ISO Action Plan for developing countries 2011-2015. Under the above project, two personnel from the Nepal Bureau of Standards and Metrology (NBSM) participated in a five days mentoring at BIS during 03-07 August 2015.

- BIS jointly with Data Security Council of India (DSCI) organized meetings of working groups under ISO/IEC/JTC 1/SC 27 'IT Security Techniques' during 26-30 October 2015 at Jaipur, Rajasthan.

Participation in IEC

- A three member delegation led by DG, BIS participated in the IEC GM 2015 from 15 to 16 October 2015 at Minsk, Belarus. Apart from IEC meeting, sideline meetings, with French National Committee was also held with a view to enhance bilateral cooperation in the field of standards and conformity assessment.

- The 13th meeting of Indian National Committee (INC)-IEC was held at New Delhi on 30 September 2015 to discuss and deliberate on IEC related issues prior to the IEC General Meetings at Minsk, Belarus during 12-16 October 2015.

- 2nd IEC-BIS-IEEMA CEOs Roundtable was held on 08 May 2015 at New Delhi. During the meeting, discussion was held on 'How the IEC can respond to the needs of emerging industries and how the role of Indian industry in IEC work can be strengthened'.

- IEC-BIS International Conference on 'LVDC; Redefining Electricity' was organized by BIS on 26-27 October 2015 at New Delhi.

- BIS organized meeting of IEC-SEG 4/WG 6 'LVDC for Electricity Access' on 28-29 October 2015 at New Delhi.

Participation in ISO / IEC Technical Committee Meetings

- Members of technical committees of BIS participated in various ISO/IEC Technical Committee meetings and contributed effectively in the development of various International Standards. Indian experts have also been taking leadership roles in various working groups for driving the work related to international standardization in the areas where India has specific interest.

Participation in Regional Co-operation Programmes

- BIS organized 38th Pacific Area Standards Congress (PASC) meeting from 04 to 08 May 2015 at New Delhi. PASC is a regional standardization body consisting of 24 members, mainly countries

on the Pacific Rim, dedicated towards improving the quality and capacity of standardization in member economics. The theme of the PASC for the year 2015 was 'PASC Standardization Strategy for Services: Current work and Future initiatives'. 68 International delegates including representatives of WTO, ISO and IEC and various Indian stakeholders apart from BIS officials attended the meeting. During the PASC meeting, one day workshop was also organized on 04 May 2015 to deliberate the status of standardization in the service sectors of Education, Tourism, Information and Communication Technologies (ICT), Logistics and Retail services.

- An Indian delegation attended the PASC Executive Committee meeting held on 16 September 2015 on the sideline of ISO GA.
- Indian delegation participated in the meetings of SARSO Sectoral Technical Committee (STC) on 'Food and Agricultural Products' and 'Chemical and Chemical Products' held in May 2015 at Colombo, Sri Lanka.
- The Fourth Meeting of SARSO STC on Jute, Textiles and Leather of SARSO was held on 23-24 June 2015 at Noida. Director, MEA (SAARC Division), Director, SAARC Secretariat, Nepal and Deputy Director SARSO Secretariat, Bangladesh along with representatives from India, Bhutan, Nepal, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka participated in the SARSO STC meeting.
- Under the project, 'Capacity Building Initiative for Trade Development (EU–CITD)' of India-EU Cooperation steered by Ministry of Commerce, training on the 'EU best practices in Standards formulation-Capacity building and training' was provided to BIS and other identified beneficiaries from 16 to 28 November 2015 at New Delhi.
- BIS representative chaired the Third Meeting of Technical Management Board (TMB) of South Asian Regional Standards Organization (SARSO) held on 12 December 2015 at Dhaka, Bangladesh. During this meeting, finalization of draft SARSO Directives, Part I and II and finalization of draft SAARC Standards for biscuits, refined sugar, code of practice for hygienic conditions for dairy sector, hessian, cotton twill and cotton drill and jute twine, prepared by concerned SARSO Sectoral Technical Committees were discussed. The BIS representative also attended the Fourth Meeting of Governing Board of SARSO held on 14-15 December 2015 at Dhaka, Bangladesh in capacity of Chairperson, SARSO TMB. India has been actively pursuing the co-operation among SAARC countries and regional standardization activity is one of the means to facilitate trade within the region.

Participation in Bilateral Cooperation Programmes

BIS continued to work towards closer bilateral cooperation with countries such as Germany, Japan, Bangladesh, Bhutan, Brazil, South Africa, Russia, Oman, Slovakia, Taiwan and, Kyrgyzstan in close association with the Ministry of Commerce and the Ministry of External Affairs. The important events from April 2015 to March 2016 are as under:

- A Memorandum of Understanding (MoU) between BIS and the State Committee for Standardization of the Republic of Belarus was signed on 3 June 2015 in Minsk, Belarus.
- A Bilateral Cooperation Agreement (BCA) was signed between BIS and Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) on 6 June 2015.

- A Bilateral Cooperation Agreement was signed between BIS and Bhutan Standards Bureau (BSB), the Royal Government of Bhutan on 11 June 2015.
- A MoU between BIS and Ministry of Economy of Kyrgyzstan, Kyrgyzstan was signed on 12 July 2015 during Hon'ble PM's visit to Kyrgyzstan, on cooperation in the sphere of Standards. Mr. Jayant Khobragade, India's Ambassador to Kyrgyzstan signed the MoU on behalf of BIS. The purpose of the MoU is to strengthen and enhance technical cooperation in the fields of standardization, conformity assessment and sharing of expertise on mutual trade with the aim of exchanging necessary information and expertise between the two parties.
- A MoU between BIS and Slovak Office of Standards, Metrology and Testing (SOSMT), Slovak Republic was signed on 28 July 2015.
- During the India-UAE Joint Commission meeting held on 2-3 September 2015 at New Delhi under the co chairmanship of Smt. Sushma Swaraj, Hon'ble External Affairs Minister, a MoU between BIS and Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA), UAE was signed by DG, BIS and DG, ESMA.
- A MoU for cooperation in the fields of Standardization and Conformity Assessment has been signed between BIS and Jordan Standards and Metrology Organization (JSMO) on 12 October 2015 during the visit of Hon'ble President of India to Jordan.
- **Indo-German Working Group Quality Infrastructure for cooperation in Standardization, Conformity Assessment and Product Safety**:

  Indo-German Working Group was established on 11 April 2013. The objective of the Indo German JWG is for advancing bilateral economic and technical cooperation; intensifying dialogue on standardization, conformity assessment, and product safety for the benefit of consumers and industry; and to promote coordinated activities in the sphere of international standardization in order to facilitate bilateral trade. During the year 2015-16, important activities carried out under the framework of Indo-German working group are as under:

  - Establishment of Sub-group on Smart Cities and Sub-Group on Smart Grid comprising of experts from both sides. German side has also shared document on 'German standardization Roadmaps on smart Cities'.
  - Workshop on Electrical safety in hospital and in medical equipment was organized on 22 September 2015 in Delhi. Awareness programme on Implementation of ISO 13485:2003 Medical devices - Quality management systems was organized for medical device manufacturers on 23 July 2015 in Mumbai.
  - Roundtable Conferences on Leather and Technical Textile were organized in Chennai and Mumbai respectively with the focus to enhance trade.
  - Basic training programs on Food safety implementation & Food safety standards were organized in Hyderabad, Pune (on Processed Food) and Mumbai (spices), Delhi (EU Regulations) especially targeting the SME sector enterprises.

- Study was conducted on toy safety to map the demands of the German toy industry *vis-a-vis* quality and safety of imports from India. Workshop to present the studies on standards, test methods and Regulations was jointly organized.
- Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distributions hosted the third meeting of Indo-German Working Group on Quality Infrastructure at New Delhi during 14-15 January 2016. During the two days working group meeting, presentations were made by both sides on different topics with a view to appreciate each other's expectations and to device a future strategy of cooperation for 2016. After mutual consultations, a work plan for 2016 was signed based on the exchange of information, experiences and priorities of both sides. The work plan outlines various activities for the next year which include amongst others, cooperation in the area of Solid Waste Management, smart grids/ micro grid, LVDC, food safety, leather and leather products, air and water quality, product safety, toy safety, digital technologies and IT security.
- A training programme on ISO 13485:2003 'Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes' was organized on 24-26 February 2016 as part of the Work Plan under Indo-German Working Group on Quality Infrastructure and Product Safety. The programme was attended by 21 participants from BIS.

- A Bilateral Meeting between BIS and Japanese Delegation was held on 15 January 2016. Discussion was held with regard to more active participation by both country at the PASC forum.
- A delegation from Korean Testing Laboratory, South Korea visited BIS on 17 February 2016 to explore possibilities of signing a BCA for mutual acceptance of test results of each other's conformity assessment for electrical and electronics products.

TECHNICAL INFORMATION SERVICES

BIS provides technical information services to industry, importers, exporters, individuals and government agencies in response to their enquiries. Around 1 900 enquiries were responded during the period April 2015 to March 2016.

WTO-TBT Matters

- The Department of Commerce, Govt. of India and CII organized a Standards Conclave in partnership with BIS and QCI on 'Role of Standards in International Trade: Challenges, Opportunities and Issues' on 21-22 May 2015 at New Delhi. BIS made presentations on 'Harmonization with International Standards in Industrial Goods and Role of Standards in Make in India Programme'.
- A Regional Standards Conclave was also organized on 20 November 2015 at Kolkata, in which BIS gave a presentation on 'Voluntary Standards and Technical Regulations in India'.
- Regional Standards Conclaves were organized on 3 and 5 February and 2 March 2016 at Lucknow, Ahmedabad and Chennai, respectively by Department of Commerce, Govt. of India in collaboration with Confederation of Indian industry (CII) and Export Inspection Council of India (EIC), co-partnered by BIS.

Sponsorship of Identification Numbers

(i) Issuer Identification Number (IIN)

The International Standard ISO/IEC 7812 'Identification Cards - Identification of issuers' specifies a numbering system for the identification of issuers of the identification cards used in international and/ or inter-industry interchange. It identifies the major industry and the card issuer. BIS facilitates issue of IIN as per ISO/IEC 7812 by sponsoring applications of Banks/ Financial Organizations to the American Bankers Association (ABA). An application from M/s National Payment Corporation of India (NPCI) (an autonomous body set up by the Reserve Bank of India as an Umbrella organization for retail payments in India) was processed for 3 000 IINs under Card Scheme Block holder.

(ii) World Manufacturer Identifier (WMI) Number

In coordination with the Society of Automotive Engineers (SAE), USA; BIS issues WMI Codes as per ISO 3780:2009 'Road Vehicles - World Manufacturer Identifier (WMI) Code' to automobile manufacturers and exporters in India. 112 WMI Codes have been allotted during the period.

TRAINING SERVICES

National Institute of Training for Standardization (NITS) was set up under the aegis of BIS in 1995 to meet the growing needs and expectations of the industry for quality training in the fields of standardization, quality assurance, management systems, certification, laboratory testing, etc. NITS has also been organizing various International Training Programmes for the developing countries of Asia, Africa, Europe and Latin and South America. The programmes are conducted by a team of well-experienced, qualified and trained faculty.

International Training Programmes (ITP) for Developing Countries and International Events

The 12th International Training Programme on Management Systems**,** the 48th International Training Programme on Standardization and Quality Assurance and the 6th International Training Programme on Laboratory Quality Management Systems (LQMS) were attended by 87 participants from several developing countries. An International Training Programme was also conducted on specific request from the Bhutan Standards Bureau on 'Standard Formulation Procedures/Norms' for 06 participants between 14 to 19 March 2016.

48th International Training Programme on Standardization and Quality Assurance

Training Programmes for Industry

During the year, NITS organized 111 programmes for Industry including 12 Lead Auditors courses for about 2 075 participants. The programmes have been conducted on the subjects of Management Systems and Laboratory related programmes such as Laboratory Quality Management System, Measurement Uncertainty, ILC/PT, Product specific Testing. The clientele include participant from Cabinet Secretariat, Indian Space Research Organisation, Hindustan Aeronautics Limited, Bharat Heavy Electricals, National Productivity Council, National Thermal Power Corporation, National Hydroelectric Power Corporation, Air India and Jet Airways to name a few. In addition, Programmes were conducted for consumer organizations, various defence establishments, Indian Railways, hallmarking activities and technical committee members, etc.

Training Programmes for BIS Employees

During the year, 21 programmes were exclusively organized for BIS officials, which includes:

a) Induction Training of newly appointed Scientists B

b) Auditors Training Courses on Energy Management Systems for 37 senior officers of BIS

c) Induction Training for Technical Assistants and Lower Division Clerks (LDC).

d) Refresher course on General Financial Rules (GFR), Modified Assured Career Progression Scheme (MACP), conduct rules, leave rules, noting drafting, etc.

e) Training of trainers (TOT) programme on Hallmarking

f) Pre exam Training Programme for recruitment of Section Officer/Private Secretary through Limited Departmental Competitive Examination (LDCE)

g) Pre-exam Training Programme for recruitment of LDC through LDCE

h) Seven Training programmes on *RTI Act* for Central Public Information Officer (CPIO) and First Appellate Authority (FAA)

j) Preventive Vigilance programmes for Certification officers

k) Training Programme for Inquiry Officers (IOs), Presenting Officers (POs) in Vigilance related Matters

Around 541 BIS employees have been trained in these programmes.

New Programmes developed and conducted by NITS

a) Lead Auditors Course for Energy Management Systems as per IS/ISO 50001:2011

b) Transition Training programmes conducted on QMS for changeover to the revised version of IS/ISO 9001:2015 for the industry as well as for BIS Auditors.

CONSUMER AFFAIRS

BIS endeavours to provide its services and the benefits of standardization and certification to all its stakeholders in a focused manner. The Consumer Affairs department of BIS handles various consumer related activities which include redressal of public grievances, organizing various awareness programmes for the stakeholders of BIS, organising Rajiv Gandhi National Quality Award and World Standards Day.

i) Consumer Awareness Programmes:

For promoting the concept of standardization, certification and quality consciousness among consumers, awareness programmes were organized on a regular basis through various Regional and Branch Offices, some of them in association with Consumer Organizations. During the year, 166 such programmes were organized throughout the country.

ii) Industry Awareness Programmes:

To propagate the concept of standardization, product certification, management systems certification and other BIS activities amongst Industries, 49 Industry awareness programmes were organized during the year. These programme consisted of lectures and discussions. Standards relating to specific industrial sectors, depending on concentrations of industries in that area were also highlighted during these programmes.

Industry Awareness Programme Organized at Ahmedabad on 20 February 2016

iii) Educational Utilization of Standards Programmes:

BIS organizes Educational Utilization of Standards Programmes (EUS) for students and teachers of schools, colleges, etc, to inculcate the young minds with the concepts and benefits of standardization. The need for familiarizing the students of technical institutions with the principles and practices of standardization is being increasingly felt due to the importance of standardization in the industrial development of our country. During the year, BIS has organized 30 EUS Programmes.

iv) World Standards Day:

BIS celebrated the World Standards Day on 14 Oct 2015 to pay tribute to the collaborative efforts of thousands of experts worldwide, who develop voluntary technical agreements that are published as International or National Standards. During 2015-16, the theme for World Standards Day was 'Standards - The World's Common Language'. BIS had also organized a seminar on 28 October 2015 to celebrate World Standards Day.

World Standards Day Celebrated at New Delhi

World Standards Day Celebrated at Jamshedpur

v) Public Grievances :

BIS follows a well established complaint redressal procedure. Consumers can lodge their grievances relating to BIS certified products through offline and online methods. Complaints are monitored regularly for redressal. During the year, 51 complaints were received and 35 complaints were redressed.

vi) Citizen Charter :

Citizen's Charter has been implemented and time lines are being monitored every month through Management Control Reports.

vii) Rajiv Gandhi National Quality Award (RGNQA):

With a view to encourage manufacturers and service organizations to strive for excellence, Rajiv Gandhi National Quality Award was instituted by the Bureau of Indian Standards in 1991. This annual award compares well with similar international awards such as the Malcolm Baldrige National Quality Award of US and the European Quality Award. The assessment for this award is made on the basis of nine parameters namely Leadership; Policies, Objectives and Strategies; Human Resource Management; Resources; Processes; Customer focused results; Employees' satisfaction; Business results and Impact on environment and society. For small scale organizations the assessment is carried out on the basis of six parameters. Rajiv Gandhi National Quality Awards for 2012 and 2013 were given in a ceremony conducted on 28 October 2015.

viii) Enforcement:

The BIS Standard Mark (ISI Mark) is a mark of quality. Consumers as well as the organized purchasers prefer ISI marked products. Some unscrupulous manufacturers try to deceive the consumers by producing and marketing products with ISI mark without obtaining license from BIS.

During 2015-16, BIS carried out 128 search and seizures all over the country on firms misusing ISI mark and such products were seized. Efforts were made for timely launching of prosecution against the offenders in the Court of law. BIS also issued press releases regarding the enforcement raids for giving wide publicity with the intention to create awareness among the consumers about the unscrupulous manufacturers misusing the ISI mark.

PUBLICITY

The publicity activity of BIS is aimed at creating awareness of various BIS activities among the Industry and the Consumer, mainly relating to standardization, certification of goods and services and Hallmarking of Gold Jewellery. The penal provision for unscrupulous practices like spurious marking was also publicized to deter violators. The publicity was done through print, electronic and other media like outdoor publicity, Metro Rail, 139 Rail Sampark , Public Utilities, Hoardings at Airports and Railway Stations, Cinema Halls, etc.

Aggressive publicity campaigns were taken up aimed at persuading consumers to buy ISI Marked goods and Hallmarked Gold Jewellery certified by BIS and they were also informed of the mechanism for redressal of complaints relating to BIS certified goods.

BIS participated in popular consumer and industrial trade fairs to disseminate information on the various activities of BIS. Fairs and exhibitions where heavy footfall is expected were specially considered.

The details of the publicity carried through electronic and print media during 2015-16 are as under:

Publicity through TV:

- Spots were telecast on Hallmark on leading Entertainment and News Channels, DD News and regional kendras of Doordarshan for 16 days in Nov 2015 coinciding with festival season. Hallmark spots were telecast for 3 days (8-10 November 2015) on DD News and regional kendras of Doordarshan. ISI Mark spots were telecast for 7 days (10-16 January 2016) on DD News and regional kendras of Doordarshan. Two ISI spots and one Hallmark spot were telecast on Union Budget Day, 29 February 2016 on DD News.

Publicity through Radio

- Spots on ISI Mark and Hallmarking were broadcast in Hindi and regional languages on FM channels and Vividh Bharati Stations, National News, Primary Channels/Local Radio Stations through All India Radio for a period of 105 days, spread throughout the year. ISI mark and hallmark advertisements were broadcasted on 30 August and 29 November of the year 2015 during the 'Maan Ki Baat' talk program of the Hon'ble Prime Minister.

Publicity through PRINT

- Advertisement for 2 days in April 2015 on the auspicious occasion of *Akshay Tritiya* to publicize Hallmark was released on all India basis
- Advertisement campaigns ran throughout the year for consumer awareness through print media in English, Hindi and regional languages are as under :
    - Advertisement on ISI Mark and hallmark were published in June and July 2015.

- Campaign on 'Road Safety' to promote ISI Mark on helmets and tyres through release of advertisement twice a week for 4 weeks commencing 23 December 2015.
- An advertisement published on 25 January 2016 on the eve of Republic Day in Hindi, English and regional languages on all India basis.
- Campaign on 'Registration Scheme' in March 2016 through release of advertisement for consumers and manufacturers twice a week for 4 weeks from 2 March 2016.

The details on the publicity carried through outdoor media during 2015-16 are as under :

- Jingles on ISI Mark and Hallmarking were run on 139 Rail Sampark for total three months for consumer awareness.
- Publicity was done through hoardings, public utilities, display screens at railway stations, Delhi metro, digital screens and video wall at Delhi airport for a month in June/July 2015.
- Publicity of ISI Mark and hallmark was done through telecast of TV spots in 746 cinema halls across the country for a duration of 30 days from 24 December 2015 to reach rural and semi-urban consumers.
- Printing of 'Packaged Drinking Water' and 'Hallmark' message at the back cover of 50 lakh passbooks issued by the Department of Posts. The passbooks were distributed throughout the country.
- 4 Mega hoardings were displayed at Surajkund mela 2016 (2 hoardings on Household products with ISI mark and 2 hoardings on Packaged Drinking Water).

Other MEDIA COVERAGE

- To promote and popularize BIS activities, interviews of DG, BIS and other senior BIS officials were organized during the year on radio and TV.
- Specialized news stories relating to BIS certified products and various activities of BIS including hallmark, National Building Code, Standards on Smart Cities, and Rajiv Gandhi National Quality Awards for the year 2012 and 2013, etc, were published by various newspapers during the year.
- 19 press notes relating to various BIS activities were issued and published in print media.

Publicity on important events

- **World Standards Day Celebrations** – An advertisement on World Standards Day was released on all India basis on 14 October 2015 in 72 different newspapers.

SALE OF STANDARDS AND OTHER PUBLICATIONS

BIS sells Indian Standards and Special publications through 24 different sales outlets located at the Headquarters (HQs), Regional offices and Branch Offices. Sale is also done through registered booksellers. BIS also sells foreign standards (ISO, IEC, BSI London, DIN Germany, JIS Japan) in India. BIS sells Indian Standards through its e-portal. Standards can be downloaded in the form of soft copy. Alternatively, an order for hard copy can be placed through the e-portal. Online payment can be made over the portal through credit/debit card. BIS also has a system of payment through DD/ pay order for customers whose e-purchase is more than ₹ 50,000. Customers can also make payment for standards through NEFT/RTGS (online transfer) in BIS bank account directly.

The Indian Standards are also available as a complete set in DVD or 14 different department/ sector specific sets like civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, textiles, etc, on lease. For the ease of customers, a touch screen kiosk, connected to BIS e-portal (www.standardsbis.in), has been installed at the Sales Department of BIS HQs. The customer can search the standard of their requirement, see the price of standards, scope, amendments, etc.

HINDI ACTIVITIES

BIS is following all the directions issued by the Department of Official Language regarding official language. Major initiatives relating to progressive use of Hindi undertaken during the year are as under.

Hindi implementation - Official Language Committee of BIS HQ conducted all its four quarterly meetings on time. All the four quarterly reports of Hindi were sent in time to the Ministry of Consumer Affairs, Foods and Public Distribution. 26 Hindi workshops were organized in different offices of BIS in which 400 officers and employees were trained. Hindi fortnight was celebrated from 14 to 28 September 2015 at BIS HQ in which four competitions in Hindi covering essay writing, debating, slogan writing and test of knowledge regarding official language were organized. 25 Prizes were awarded to the successful participants in these competitions in a prize distribution function held on 01 October 2015. BIS continued to carry out all incentive schemes of the Government to promote Hindi. This included, Cash Incentive Scheme on Hindi Noting and Drafting, Hindi Incentive Allowance Scheme, Raj Bhasha Shield Scheme, etc. The latest bilingual software covering Hindi along with English were provided in all the computers during the course of 2015-16. 24 inspections were carriedout in different offices of BIS to ensure progressive use of Hindi.

Inspection of Official Language Parliamentary Committee and other Meetings - During the period, the Second Sub Committee of Committee of Parliament on Official Language inspected Vishakhapatnam, Rajkot and Mumbai offices. Besides, the Drafting and Evidence Committee of Committee of Parliament on Official Language also inspected the HQ, Delhi during the said period. The Committee expressed satisfaction towards the progressive use of Hindi in BIS. DG, BIS took part in meetings of Hindi Advisory Committee of Ministry held at New Delhi and Bhubaneswar on 08 June 2015 and 12 February 2016 respectively. Follow up actions were taken on the decisions taken in the meeting.

Inspection of Rajkot Branch office by Parliamentary Committee on Official Language

Standard and General Translation - In order to accelerate translation works of Indian Standards, steps were taken to increase number of translators in the panel and standards were sent to them for translation accordingly. During the period, 68 standards were translated and titles of 670 standards were also made bilingual.

Besides standards translation, BIS also translated approximately 800 pages of different types of work such as Proformae, Annual Report, Hallmarking material, World Standards Day material, Tender Notices, Parliament Questions, RGNQA material, Parliamentary Standing Committee Questions, Gazette Notifications, Training material, Agenda and Minutes of Bureau meeting, etc.

PLAN SCHEMES

HALLMARKING

BIS has been implementing the Plan scheme for setting up of gold Assaying and Hallmarking (A&H) centres in India with central assistance. The scheme on Hallmarking, operative since the Xth Plan has continued in the XIIth Plan. The components of the scheme are indicated below:

a) Infrastructure building- Setting up of Assaying and Hallmarking Centres

b) Capacity building by way of providing training to:

   i) Artisans engaged in Hallmarking

   ii) BIS auditors under training on trainers programme

   iii) Personnel of A&H Centres

Under the infrastructure building scheme Central Assistance for creating infrastructure is provided in two instalments. During the year 1st instalment to 26 centres, and 2nd instalment to 24 centres were provided as central assistance. With this the total number of such centrally assisted A&H centres increased to 73 since the commencement of the scheme.

During 2015-16, BIS received ₹375 lakhs under the Plan scheme from the Government and spent ₹ 372.69 lakhs. Seven artisan training programmes, one Training of Trainers programme and four A&H personnel training programmes were conducted.

NATIONAL SYSTEM FOR STANDARDIZATION

The scheme on National System of Standardization which commenced during the XIth Plan continued to operate with the components as indicated below:

i) Research & Development projects for establishment/revision of Indian Standards

ii) Intensifying participation of BIS technical committee members in technical committee meetings

iii) Seminars/ workshops and training

iv) Intensifying participation of BIS officials, technical committee members, other officials and experts in International Standardization by participation in international / regional/ bilateral meetings/ trainings

v) Organizing ISO/IEC and other international/ regional/ SAARC multilateral/ bilateral meetings/ workshops/ trainings in India

During the year, BIS received ₹ 580 lakhs from the Government under this Plan scheme and spent ₹ 273.96 lakhs during course of the year.

INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES

In line with the Government's initiatives for computerization and to make day-to-day functioning of BIS completely online, IT is being enabled as a strategic resource for development and continual improvement of systems. The overall objective is to improve services by increasing efficiency, transparency and ensuring reliability and timely delivery to BIS stakeholders. Keeping this perspective in view, the progress made during the year is given below:

IT INFRASTRUCTURE

Two additional servers and accessories have been procured and installed in IT Services Department, BIS. A leased line was commissioned in our office at Nagpur thereby enhancing the bandwidth to 2 Mbps. Also, necessary steps were taken for enhancement of bandwidth in our offices at Noida, Kochi, Durgapur, Jamshedpur and Raipur as well as procurement of requisite hardware.

An Unified Threat Management (UTM) device has also been procured to streamline the management of IT infrastructure/resources in BIS HQ.

INTEGRATED BIS WEB PORTAL

An integrated web portal is being developed to automate the major activities of BIS. The work has been entrusted to Centre for Development of Advanced Computing (CDAC), Noida, functioning under the aegis of Department of Electronics & Information Technology (DeitY). The development of the portal is underway in phases in coordination with CDAC and respective user departments of BIS.

Phase 1 involves development of module for product certification, integration of laboratory processes with certification, payment gateway, user dashboards and central login. Phase 2 of the software involves the development of modules of management system certification, hallmarking, consumer affairs processes and their integration with product certification.

Development of phase 1 modules has been completed and is under testing. Also, for the process of registration of applicants/licenses into the portal, a separate registration module has been developed and made online to enable BOs to generate pre-registration credentials for existing licenses and applicants which will enable them to e-register on the BIS Portal.

SOFTWARE FOR STANDARDIZATION ACTIVITY

An integrated software for Standardization activity has been made operative in BIS to cater to its various functions. Its various modules include Standards formulation, committee management, membership management, discussion forum, Intra and inter departmental interaction, etc.

This software automates all the stages involved in the formulation of standards and amendments. The stages include project approval of new subjects, uploading of preliminary draft and wide circulation draft, circulation of final draft, publication of finalized standards/amendments, etc. This software generates real-time programme of work for technical departments. It also allows assigning of committees to BIS technical officers who as member secretary can update the committee composition, scope, meeting schedules and liaison data with corresponding international committees.

An interface has been created for setting annual targets and overall monitoring of standardization activity. It also facilitates a discussion forum for coordination between various departments.

CERTIFICATION MARKS MANAGEMENT SYSTEM (CMMS)

The CMMS software facilitates availability of data in versatile forms to enable inspection planning, analysis of data on quality performance patterns of various sectors of industry, generating various letters to the applicants/licensees and laboratories and evolving data format for internal processing of grant of licence, renewals, inclusion of additional varieties in the licence, etc.

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM (LIMS)

The existing Laboratory Software has been upgraded to online Laboratory Information Management System (LIMS). In addition to online test requests generation, sample receipt and acceptance and test report uploading, this system now enables sample cells to e-forward the samples to concerned laboratories. The laboratories can subsequently upload the corresponding test reports which are viewable to the concerned branch offices for immediate action.

COMPLAINT SOFTWARE

The existing complaint registration module has been upgraded. In addition to online complaint registration and tracking by stakeholders, this system now facilitates Consumer Affairs Department (CAD) to monitor, view and close the online complaints. Further, provision for incorporating paper/ hardcopy complaints in the system has also been provided to CAD.

An android application (BIS CARE) has also been developed for lodging complaints from smart phones. The same was launched by Shri Ram Vilas Paswan, Hon'ble minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution on 01 June 2015, at National Media Centre. The aforesaid app has also been hosted on google and m-seva app store.

HRD MODULE

A module has been developed for Human Resource Development Department (HRD) to facilitate transfer, promotion and profile up-dation of the employees. This also facilitates them to auto generate transfer and promotion Orders.

LOGO DESIGN COMPETITION

A module for the logo design competition was developed. This module enabled participants to e-submit their logos and make e-payments. It was further upgraded to facilitate multi-level evaluation by judges online.

WEBSITE DEVELOPMENT

The revamping of existing website has been completed in-house in conformance to the Guidelines for Indian Government Website (GIGW). This website contains features like Content Management System (CMS) that will facilitate various departments to update their content on BIS website. This website is presently under testing stage.

Further, websites for the following were developed and made online:

- Pacific Area Standards Congress (PASC) meeting
- IEC-BIS International Conference on Low Voltage Direct Current (LVDC)
- 22nd Plenary Meeting of ISO/TC 207- Environmental Management
- Meetings of ISO/TC 61 - Plastics
- Working Group (WG) meetings of ISO/IEC/JTC 1 SC 27
- 20th Plenary Meeting of ISO/TC 85 - Nuclear energy, nuclear technologies and radiological protection

These websites facilitated registration as well as disbursement of relevant information online to the intended members and guests. A module for administrative use was also developed for BIS to facilitate monitoring, report generation, invitation letter generation, etc.

CENTRALIZED LOGIN

An updated version of centralized login has been made online. This login enables the stakeholders to access various online services of BIS from a single point.

WTO-TBT MODULE

A module is under development for generating WTO-TBT notifications. It will also facilitate other stakeholders to submit their comments online.

NATIONAL PORTAL FOR MONITORING DIGITIZED APPLICATIONS

As per directives of the Prime Minister Office (PMO), a web service module was developed for 'National Portal'. The integration testing with the Project Management Group (PMG) of the PMO was completed and the hosted web service has been made operational.

PROJECT MANAGEMENT AND WORKS

The works relating to construction of new office buildings for BIS offices and renovation works in existing buildings is undertaken by Project Management and Works Dept (PMWD) of BIS.

PMWD has also undertaken a 'green' initiative under which projects for installation of Rooftop solar power plants in BIS buildings are being undertaken through the Solar Energy Corporation of India.

The progress of various works under PMWD are as under:

NEW BUILDING PROJECTS

NORTHERN REGIONAL OFFICE, CHANDIGARH BUILDING:

BIS Northern Regional Office has started functioning from a new building located at madhya marg, Chandigarh with effect from Dec 2015. The new building comprises of a basement and 2 floors with built up area of 4 044 m^2. It has been constructed on a plot measuring 4 492.43 m^2 procured from Union Territory Administration at Chandigarh. Construction of the building has been undertaken through CPWD at a cost of about ₹ 17 crore.

HYDERABAD OFFICE BUILDING

BIS Hyderabad branch office has started functioning from a new building located at Industrial Development Park, Moula Ali, Ranga Reddy district, Telangana with effect from 28 September 2015. The new building comprises of a basement and three floors, is equipped with a lift and has a built up area of 2 110 m^2. It has been constructed on a plot measuring 2 023.5 m^2 procured from Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation. Construction of the building has been undertaken through CPWD at a cost of about ₹ 12 crore.

Inauguration of New Building - Hyderabad Branch Office

RAJKOT OFFICE BUILDING

BIS Rajkot Branch Office has started functioning from a new building located at Kalawad Road, Rajkot with effect from July 2015. The new building comprises of a basement and 3 floors, is equipped with a lift and has a built up area of 1 000 m^2. It has been constructed on a plot measuring 861.5 m^2 acquired from Rajkot Municipal Corporation. The construction has been undertaken through CPWD at a cost of about ₹ 4 crore.

JAMMU OFFICE BUILDING:

Construction of BIS Jammu Office Building comprising of 2 floors at Bari Brahma, Jammu with a built up area of 906 m^2 is nearing completion. The building is situated on a plot of size 2 094.35 m^2 acquired from J&K State Industrial Development Corporation. Construction has been undertaken through CPWD at a cost of about ₹ 4.3 crore. Jammu and Kashmir Branch Office of BIS, which will operate from this new building, will be the first BIS office in the State of Jammu and Kashmir and will enable BIS to establish a base in this State.

RENOVATION PROJECTS

Central AC and Other up gradation works at BIS HQ, New Delhi

A Central AC System has been installed in BIS HQ through CPWD. In addition, replacement of wiring, electrical fittings, augmentation of fire fighting system, providing of new fire alarm system, new LAN system, and new EPABX system has also been provided by CPWD. These works have been undertaken at a cost of about ₹ 17 crore.

Further, the work of renovation of canteen at BIS HQ and replacement of lifts of BIS HQ have also been planned and these works have been entrusted to CPWD at a total cost of around ₹ 1.3 crore.

Interior Renovation and Furniture Work at BIS Guwahati Branch Office

BIS has entrusted the work of interior renovation of BIS Guwahati Branch Office premises to HOUSEFED, Government of Assam agency at an estimated cost of ₹ 81.14 lakh.

Miscellaneous Repairs and internal finishing work at BIS NRO Laboratory, Mohali

BIS had entrusted the work of internal finishing and repairs of the NRO Laboratory, Mohali, to CPWD at a cost of ₹ 21 lakh. The work is in progress. In addition, projects for renovation of BIS buildings at **Bengaluru** and **Kolkata** have been planned.

GREEN INITIATIVE - SOLAR POWER PROJECTS

In addition to the Rooftop Solar Power Plant of 100 KW capacity installed in BIS HQ, New Delhi, the following rooftop solar power plants were installed in various BIS buildings:

S No.	Name and Location of Office/Lab	Capacity	Completed on
1	BIS SRO Laboratory, Chennai	100 kW	June 2015
2	BIS WRO, Mumbai	40 kW	December 2015
3	NITS, Noida	50 kW	March 2016

VIGILANCE ACTIVITIES

The vigilance set up of BIS is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO) and comprises of Vigilance department at BIS Headquarters and a Vigilance section in the secretariat of each of the Disciplinary Authority for Group B, C and D employees in the respective Regional offices of BIS headed by a Deputy Director General level Officer.

Vigilance Awareness Week was celebrated in BIS from 26 to 31 October 2015. During the Week, a number of activities, including display of banners, quiz competition, essay writing competition and slogan writing competition, on the theme '**Preventive Vigilance as a Tool of Good Governance'** were organized.

A two-day training programme on 'Preventive Vigilance' covering various aspects related to vigilance matters for senior officers of BIS was conducted on 19-20 November 2015 at National Institute of Training for Standardization (NITS), Noida.

A special one and a half day workshop on the subject of 'Conduct of Inquiry' was organized at NITS, Noida for all Inquiring Authorities and Presenting Officers of BIS on 8-9 February 2016.

Preventive vigilance audits of Bhopal Branch office, Lucknow Branch Office, Nagpur Branch Office and Hyderabad Branch Office were carried out during the year.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT, ADMINISTRATION AND GENERAL SERVICES

RECRUITMENT

During the year, 71 scientists were recruited for the post of Scientist B through direct recruitment.

As on 31 March 2016, a total of 1 532 persons were on roll in BIS. The deployment of personnel in the various activities of BIS during 2015-16 is given below:

Activity	Group Wise Deployment of Personnel (as on 31 March 2016)		
	A (Scientific Cadre)	A (Non Scientific Cadre), B, C and D	Total
Standards Formulation	95	59	154
Certification	340	328	668
Laboratories	55	219	274
Technical Support Services	28	111	139
Admin/ HRD/ Estt.	2	144	146
Others (Corporate)	8	143	151
Total	**528**	**1 004**	**1 532**

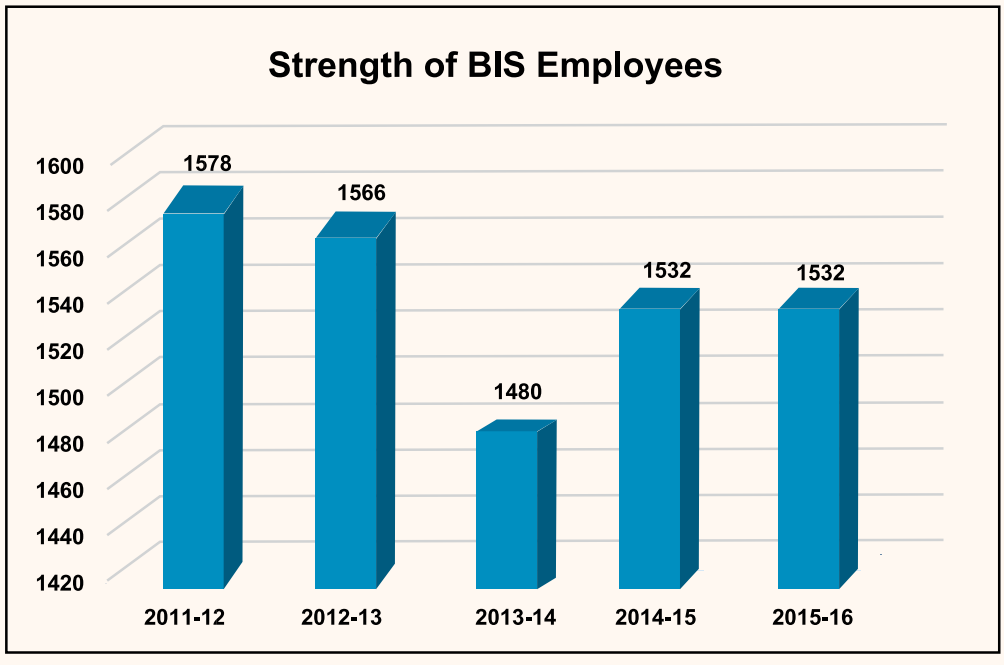

As on 31 March 2016, the Group wise strength is as under:

Group	Representation of SC/ST/OBC/PH/Ex Ser.	Total
A (Scientific Cadre)	223	528
A (Non-Scientific cadre)	19	40
B	123	458
C	143	323
D*	86	183
Total	**594**	**1 532**

*Subsequent to completion of training as per the decision of the Government, the earlier Group 'D' employees have now been made Group 'C' employees.

A special recruitment drive was launched for filling-up the backlog vacancies in different categories reserved for SC/ST/OBC and persons with disabilities.

Swachh Bharat Mission - Special cleanliness drive was undertaken in all offices of BIS during 22 June to 15 August 2015 as per instructions received from Department of Consumer Affairs. BIS employees participated in the cleanliness drives and work area and office premises were cleaned and made dust free. Old files were weeded out and unused/unserviceable equipment and furniture were identified and disposed off.

A competition seeking 'Suggestions on the implementation of the Swachh Bharat Mission' was organized at BIS HQ on 1 October 2015 and 41 BIS employees participated in the competition.

Staff Welfare - BIS continued its welfare measures for its employees, namely, Group Insurance Scheme, facility of holiday homes, in-house service of a part-time doctor at HQ, subsidized refreshment, children scholarship scheme, etc.

The following Holiday Homes were functional under BIS HQs and Regional Offices:

a) BIS HQs - Shimla (w.e.f. 11 September 2015)

b) Eastern Regional Office - Puri (up to 14 October 2015)

c) Western Regional Office - Lonavala

LIBRARY SERVICES

BIS technical Library located at headquarters is a national resources centre for information on standards and related matters and meets the needs of industry, trade, government, researchers and consumers alike. It is today the largest library of standards in the South Asian Region, covering a floor area of 1 000 m^2. The collection includes about 4 lakh standards from all over the world and 70 000 technical books. Reference Services were provided to 2 627 visitors by way of preparing exhaustive subject bibliographies and making available, the reference materials of their choice. It assisted the Indian Trade and Industry by answering 1 840 queries as received from them. The Library maintains regular up-dation of mechanized database of standards received in the library. Under the Annual Action Plan 41 680 numbers of publications have been electronically indexed.

CONSTITUTION OF COMPLAINTS COMMITTEE ON SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORK PLACE

In compliance with the guidelines of the Supreme Court of India on the prevention of sexual harassment of women at the work place, an Internal Complaints Committee was constituted in BIS in February 1998. In addition, ICCs have also been constituted in the four Regional Offices at Mumbai, Kolkata, Chennai and Chandigarh.

The Internal Complaints Committee (ICC-HQ) celebrated 'International Women's Day' at BIS Hqs, New Delhi on 08 March 2016 with the participation of women employees posted at BIS Hqs, New Delhi, BIS offices in National Capital Region (NCR), i.e. Faridabad, Ghaziabad, Central Laboratory and NITS, Noida.

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

For the Twenty Seventh consecutive year i.e. 2015-16, Bureau of Indian Standards continued to be self reliant in meeting its expenditure and other liabilities. Total income (excluding income from investment) during the year 2015-16 amounted to Rs. 39082.83 lakh as against Rs. 34542.86 lakh in the previous year resulting in an increase of 13.14%. The largest contribution to the income was from Product Certification Marking Fee which stood at Rs. 32611.05 lakh against Rs. 30252.43 lakh in the previous year i.e. an increase of 7.80%. The total revenue expenditure during the year 2015-16 amounted to Rs. 23503.26 lakh as against Rs. 21095.90 lakh in 2014-15 registering an increase of 11.41%.

A Comparative Statement of Income & Expenditure during the year 2015-16 vis-a-vis 2014-15 is as under:

(Rupees in lakh)

Sl. No.		2015-16	2014-15	Increase/ Decrease (-) (%)
	INCOME			
1	Income from Services	37 277.84	32 722.03	13.92
2	Income from Sales of Standards	627.94	903.45	-30.50
3	Retrocession from ISO and IEC	476.75	340.68	39.94
4	Fees/Subscription	234.53	222.46	5.43
5	Other Income	465.77	354.24	31.48
	Sub Total	**39 082.83**	**34 542.86**	**13.14**
6	Income from Investment	2 743.58	1 739.50	57.72
	TOTAL	**41 826.41**	**36 282.36**	**15.28**
	EXPENDITURE			
7	Establishment Expenses	15 999.65	15 176.16	5.43
8	Operational and Administrative Expenses etc.	7 076.50	5 506.42	28.51
9	Depreciation	427.11	413.32	3.34
	Sub Total	**23 503.26**	**21 095.90**	**11.41**
10	Contribution towards shortfall in Pension & Gratuity Liability Fund A/c	17 732.12	0.00	
	Total	**41 235.38**	**21 095.90**	
11	Surplus carried to Capital Fund	591.03	15 186.46	

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2016

(Amount in ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS FUND AND LIABILITIES			
Corpus/Capital Fund	1	5,40,78,80,066	5,35,08,38,482
Reserves and Surpluses		-	-
Earmarked/Endowment Fund	2	14,49,41,34,257	11,88,43,92,402
Secured Loans and Borrowings		-	-
Unsecured Loans and Borrowings		-	-
Deferred Credit Liabilties		-	-
Current Liabilities and Provisions	3	11,12,51,290	12,05,20,705
TOTAL		**20,01,32,65,613**	**17,35,57,51,589**
ASSETS			
Fixed Assets	4	1,31,76,90,186	1,26,71,32,873
Investments-from Earmarked/ Endowment Funds	5	1,16,11,02,309	1,16,75,01,480
Investment-Others	6	-	-
Current Assets, Loans, Advances etc.	7	17,53,44,73,118	14,92,11,17,236
Miscellaneous Expenditure(to the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		**20,01,32,65,613**	**17,35,57,51,589**
Significant Accounting Policies	16		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	17		
Details of Investment	18		

(ALKA PANDA)
DIRECTOR GENERAL

(H.R. AHUJA)
DY. DIRECTOR GENERAL (FINANCE)

(VINOD KUMAR)
DIRECTOR (ACCOUNTS)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016

(Amount in ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Income from Sales/Services	**8**	3,72,77,83,894	3,27,22,02,759
Grants/Subsidies		-	-
Fees/Subscriptions	**9**	2,34,52,645	2,22,45,944
Income from Investments	**10**	27,43,58,316	17,39,49,513
Income from Royality, Publications etc.	**11**	11,04,69,303	12,44,13,291
Interest Earned	**12**	7,60,185	9,11,641
Other Income	**13**	4,58,16,677	3,45,13,263
TOTAL (A)		**4,18,26,41,020**	3,62,82,36,411
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	**14**	1,59,99,65,486	1,51,76,16,219
Operational and Administrative Expenses	**15**	70,76,50,008	55,06,42,239
Expenditure on Grants, Subsidies etc.		-	-
Interest		-	-
Depreciation	**4**	4,27,10,544	4,13,31,748
Contribution towards Shortfall in Pension & Gratuity Liability Fund Account		1,77,32,12,013	-
TOTAL (B)		**4,12,35,38,051**	2,10,95,90,206
BALANCE BEING SURPLUS CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND		5,91,02,969	1,51,86,46,205
Significant Accounting Policies	**16**		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	**17**		
Details of Investment	**18**		

(ALKA PANDA)	(H.R. AHUJA)	(VINOD KUMAR)
DIRECTOR GENERAL	DY. DIRECTOR GENERAL (FINANCE)	DIRECTOR (ACCOUNTS)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

SCHEDULE FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2016

(Amount in ₹)

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND		Current Year	Previous Year
Balance at the beginning of the year		5,35,08,38,482	3,83,00,35,277
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund			
i)	Subsidy received from Govt. for Solar Power Plant	-	21,57,000
ii)	Cost of Assets capitalized from Funds from Ministry under Plan Schemes	33,440	-
iii)	Cost of Assets capitalized from funds received from Spice Board	62,175	-
	Total	**5,35,09,34,097**	3,83,21,92,277
Less:	Reversal of Subsidy for Solar Power Plant capitalized in the previous year [Refer Schedule 4(A-2)]	21,57,000	-
	TOTAL	**5,34,87,77,097**	3,83,21,92,277
Add:	**Surplus transferred from Income & Expenditure Account**	5,91,02,969	1,51,86,46,205
	BALANCE AT THE END OF THE YEAR	**5,40,78,80,066**	5,35,08,38,482

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2016

(Amount in ₹)

SCHEDULE 2 - EARMARKED/ENDOWNMENT FUNDS	Assistance from MOCA under plan scheme for setting up of Hallmarking Centres	Assistance from MOCA under the Plan Project:Quality Infrastracture for consumer protection (Plan)	Assistance from MOCA under C.W.F.	Benevolent Fund	General Provident Fund	National Pension Scheme Fund	Pension & Gratuity Liability Fund Account	Hallmarking Education & Protection Fund	TOTAL	
									Current Year	Previous Year
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) Opening balance of the funds	**18,55,163**	**6,49,15,298**	**4,39,672**	**4,78,860**	**1,47,58,34,856**	**1,05,45,509**	**10,32,99,17,613**	**4,05,431**	**11,88,43,92,402**	11,01,08,23,189
b) Additions to the Funds:										
i) Assistance/Grants	3,75,00,000	5,00,00,000							8,75,00,000	5,00,00,000
ii) Income from Interest on Investments of the funds	8,47,825	15,96,670	6,377	13,766	12,63,41,423	5,09,528	1,06,18,74,650		1,19,11,90,239	1,16,59,86,635
iii) Contribution to the respective fund				8,12,205	20,37,84,415	3,64,12,325	25,02,05,865	10,71,233	49,22,86,043	45,58,41,096
iv) Contribution towards shortfall in Pension & Gratuity Liability Fund A/c							1,77,32,12,013		1,77,32,12,013	
v) Others		20,262					4,64,033		4,84,295	4,84,989
TOTAL (a+b)	**4,02,02,988**	**11,65,32,230**	**4,46,049**	**13,04,831**	**1,80,59,60,694**	**4,74,67,362**	**13,41,56,74,174**	**14,76,664**	**15,42,90,64,992**	12,68,31,35,909
c) Utilization/Expenditure towards objectives of funds										
i) Capital Expenditure - Fixed Assets		33,440							33,440	
ii) Revenue Expenditure										
- Payments to employees, pensioners & beneficiaries				6,60,042	23,46,58,883	4,46,05,043	59,02,40,036		87,01,64,004	77,18,23,313
- Assistance to Hallmarking Centres	3,69,84,678								3,69,84,678	2,69,20,194
- Meetings, Travels & Others		2,77,48,613							2,77,48,613	
Total Revenue Expenditure	3,69,84,678	2,77,48,613	0	6,60,042	23,46,58,883	4,46,05,043	59,02,40,036	0	93,48,97,295	79,87,43,507
TOTAL(c)	3,69,84,678	2,77,82,053	0	6,60,042	23,46,58,883	4,46,05,043	59,02,40,036	0	93,49,30,735	79,87,43,507
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END 31.03.2016 (a+b-c)	**32,18,310**	**8,87,50,177**	**4,46,049**	**6,44,789**	**1,57,13,01,811**	**28,62,319**	**12,82,54,34,138**	**14,76,664**	**14,49,41,34,257**	11,88,43,92,402

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2016

(Amount in ₹)

SCHEDULE 3 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		Current Year	Previous Year
A.	**CURRENT LIABILITIES**		
	1 **Sundry creditors for Goods and Services**		
	a) Inland	5,30,93,179	6,18,61,591
	b) Abroad	1,97,84,495	1,82,50,535
	2 **Advances received from Customers**		
	a) Sales	4,94,625	4,70,576
	b) Certification	1,32,03,134	1,08,69,537
	3 **Statutory Liabilities**		
	Others Service Tax Payable	2,44,357	34,38,857
	4 **Other Current Liabilities**		
	a) Earnest Money/Retention Money	2,09,49,862	2,20,51,971
	b) Accounts Payable Employees	9,28,054	11,66,583
	c) Govt.of Gujarat (ABO Building A/c)	25,53,584	24,11,055
TOTAL (A)		**11,12,51,290**	12,05,20,705
B. PROVISIONS		**-**	-
TOTAL (A+B)		**11,12,51,290**	12,05,20,705

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2016

(Amount in ₹)

	SCHEDULE 4 - FIXED ASSETS	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	DESCRIPTION	Cost/Valuation As at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/valuation at the year end	As at the beginning of the year	On Additions during the year	On Deductions during the year	Total up to the Year-end	As at the Current year-end 2015-16	As at the Previous year-end 2014-15
A.	**FIXED ASSETS:**										
1	LAND	59,35,58,542	0	0	59,35,58,542	0	0	0	0	59,35,58,542	59,32,36,686
2	BUILDINGS	24,72,79,176	96,91,810	21,57,000	25,48,13,986	16,79,79,763	1,36,79,573	0	18,16,59,336	7,31,54,650	7,96,21,269
3	RESIDENTIAL FLATS	6,22,96,310	0	0	6,22,96,310	3,95,26,303	11,38,500	0	4,06,64,803	2,16,31,507	2,27,70,007
4	PLANT, MACHINERY & EQUIPMENTS	24,41,19,168	1,85,96,162	0	26,27,15,330	20,79,84,089	78,66,046	90	21,58,50,045	4,68,65,285	3,61,35,079
5	VEHICLES	40,28,549	0	0	40,28,549	24,55,954	2,35,890	0	26,91,844	13,36,705	15,72,595
6	FURNITURE, OFFICE EQUIPMENTS & COMPUTERS	28,23,21,298	2,26,33,436	51,98,644	29,97,56,090	23,11,86,240	1,95,25,096	39,37,466	24,67,73,870	5,29,82,220	5,11,35,058
7	LIBRARY BOOKS	2,70,48,008	2,36,174	1,52,935	2,71,31,247	2,69,62,016	2,65,439	1,52,935	2,70,74,520	56,727	85,992
	TOTAL(A) OF CURRENT YEAR	**1,46,06,51,051**	**5,11,57,582**	**75,08,579**	**1,50,43,00,054**	**67,60,94,365**	**4,27,10,544**	**40,90,491**	**71,47,14,418**	**78,95,85,636**	78,45,56,686
	PREVIOUS YEAR	1,45,22,43,702	3,39,93,497	2,55,86,148	1,46,06,51,051	65,93,82,118	4,13,31,748	2,46,19,501	67,60,94,365		
B.	**CAPITAL WORK IN PROGRESS**	**48,25,76,187**	**4,55,28,363**		**52,81,04,550**					**52,81,04,550**	48,25,76,187
									TOTAL	**1,31,76,90,186**	1,26,71,32,873

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2016

(Amount in ₹)

SCHEDULE 5 INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUND	Current Year	Previous Year
1 Pension & Gratuity Liability Fund Account		
1.1 Debentures and Bonds	2,00,00,000	2,00,00,000
TOTAL (1)	2,00,00,000	2,00,00,000
2 General Provident Fund of Employees		
2.1 Government of India Securities	27,95,88,148	28,01,63,576
2.2 State Government Securities	40,71,14,749	35,91,65,640
2.3 Debentures and Bonds	13,29,90,818	19,54,63,670
2.4 Special Deposits with RBI	31,27,08,594	31,27,08,594
2.5 Equities & related investments-Mutual Funds	87,00,000	-
TOTAL (2)	**1,14,11,02,309**	1,14,75,01,480
TOTAL (1+2)	**1,16,11,02,309**	1,16,75,01,480

(Amount in ₹)

SCHEDULE 6 INVESTMENTS-OTHERS	Current Year	Previous Year
1 Investments towards the Corpus/Capital Fund	-	-
TOTAL	-	-

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2016

(Amount in ₹)

SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES ETC.	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS		
1 **Inventories:**		
a) Laboratory apparatus and stores	12,38,631	13,35,510
b) Stationery	24,66,675	28,52,686
c) Repair & Maintenance Consumables	5,86,048	6,60,646
d) Gold Jewellery	7,62,018	7,62,018
Total (1)	**50,53,372**	56,10,860
2 **Sundry Debtors**		
a) Sale of Publications		
i) Exceeding six months	60,230	60,230
ii) others	16,967	45,862
b) Certification		
i) Exceeding six months	19,96,053	19,77,836
ii) others	1,39,123	6,64,639
c) Accounts Recoverable		
i) Accounts recoverable (employees) *(See Note No. 2.10 of Sch. 17)*	13,02,378	9,60,973
ii) Recoverables from Government Departments (From MOF, MEA & DoCA)	85,14,510	84,23,602
iii) Accounts Recoverable (Others)	2,27,61,999	2,52,85,473
Total (2)	**3,47,91,260**	3,74,18,615
3 **Cash Balance in Hand (Including Imprest)**	5,24,230	7,27,728
4 **Bank Balances:**		
a) With Schedule Banks		
i) On Current Accounts	12,68,43,372	8,71,96,034
ii) On Saving Accounts	6,23,40,961	3,43,89,181
Sub Total of 4(a) (i & ii)	**18,91,84,333**	12,15,85,215
iii) On Fixed Deposit Accounts		
A) Investment - Earmarked Funds		
i) General Provident Fund	31,02,91,000	24,03,30,000
ii) ABO Building Project A/c	23,33,410	23,33,410
iii) National Pension Scheme Fund A/c	28,62,319	1,05,45,509
iv) Pension & Gratuity Liability Fund A/c	12,80,54,34,138	10,30,99,17,613
B) General Investments towards Corpus/Capital Fund	2,15,95,03,543	2,66,43,36,878
Sub Total of 4(a)(iii)	**15,28,04,24,410**	13,22,74,63,410
Total (4)	**15,46,96,08,743**	13,34,90,48,625
5 Cheque in Transit	6,50,000	0
6 Franking Machine Balance	2,09,560	1,53,075
TOTAL (A)	**15,51,08,37,165**	13,39,29,58,903

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2016

(Amount in ₹)

SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES ETC.	Current Year	Previous Year
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1 **Advances to Staff for**		
i) Purchase of Conveyance	14,30,936	16,48,049
ii) House Building	37,98,561	48,44,977
iii) Computer	6,67,340	11,06,718
TOTAL (1)	**58,96,837**	75,99,744
2 **Advances and other amounts recoverable or for value to be received**		
a) On capital Account & others to outside parties		
i) Projects - HQ CPWD (*see Note No. 2.1(i) of Sch.17)*	70,11,676	1,18,01,872
ii) Building Construction ROs/BOs -CPWD	1,27,99,773	2,37,30,142
iii) Computerization Project:C-DAC	2,22,38,853	2,22,38,853
iv) Others (ROs/BOs/HQ)	1,13,74,256	1,33,43,889
v) Consumer Welfare Fund(NBCC)	3,32,260	3,32,260
vi) Plan Project Schemes*(See Note No. 2.7 of Sch. 17*)	12,17,436	26,52,699
TOTAL (2a)	**5,49,74,254**	7,40,99,715
b) **Prepaid Expenses**	15,21,244	1,27,02,676
c) **Advances to Staff for**:		
i) Festival	7,15,415	8,06,390
ii) Natural calamities	1,58,400	0
iii) Travel	17,47,495	35,32,163
iv) Leave Travel Concession	8,58,670	15,37,630
v) General Provident Fund	85,12,793	90,64,186
TOTAL (2c)	**1,19,92,773**	1,49,40,369
d) Registrar-Small Causes Court - Mumbai(*see Note No. 1.3 of Sch. 17)*	1,83,60,598	1,83,60,598
e) Security Deposits	53,05,938	53,25,763
TOTAL (2)	**9,21,54,807**	12,54,29,121
3 **Income Accrued**		
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds & Others		
i) BIS Funds	1,79,63,26,587	1,25,64,53,659
ii) General Provident Fund	10,82,74,830	8,16,94,307
TOTAL (3)	**1,90,46,01,417**	1,33,81,47,966
4 **Claim Receivable**		
a) Income Tax Refund	1,82,15,664	4,97,50,866
b) Service Tax Receivable	27,67,228	72,30,636
TOTAL (4)	**2,09,82,892**	5,69,81,502
TOTAL (B)	**2,02,36,35,953**	1,52,81,58,333
TOTAL (A+B)	**17,53,44,73,118**	14,92,11,17,236

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016

(Amount in ₹)

SCHEDULE 8 - INCOME FROM SALE/SERVICES	Current Year	Previous Year
1 Product Certification	3,26,11,05,239	3,02,52,43,095
2 Conformity Assessment (Registration)	22,20,45,630	5,60,71,441
3 Hallmarking	20,05,56,091	15,37,22,578
4 Systems Certification	4,40,76,934	3,71,65,645
TOTAL	**3,72,77,83,894**	3,27,22,02,759

SCHEDULE 9 - FEE/SUBSCRIPTION	Current Year	Previous Year
1 Conference & Training Fees	2,06,63,245	1,92,25,246
2 Library Membership Fee	27,04,000	28,79,000
3 Subscription for Standards India Journal	85,400	1,41,698
TOTAL	**2,34,52,645**	2,22,45,944

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016

SCHEDULE 10 - INCOME FROM INVESTMENTS

(Amount in ₹)

	Investment from Earmarked Fund		Investment-Others	
	Current Year	Previous Year	**Current Year**	Previous Year
(Income on Investment from Earmarked/Endowment Fund transferred to fund)				
1 Interest	1,06,18,74,650	1,04,42,07,360	27,38,83,287	17,25,90,426
2 Rent	-	-	4,75,029	13,59,087
TOTAL	**1,06,18,74,650**	1,04,42,07,360	**27,43,58,316**	17,39,49,513
(TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS) [Refer Schedule 2, Item b(ii) - Col 7]	1,06,18,74,650	1,04,42,07,360		

(Amount in ₹)

SCHEDULE 11 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	**Current Year**	Previous Year
A. **INCOME FROM SALE OF STANDARDS**		
1 Electronic Media	3,92,82,629	6,74,59,705
2 Hard copies	2,15,58,445	2,21,59,625
3 Margin on Sale of Publications of Overseas Bodies	18,41,093	7,25,435
4 Royalty from reproduction of Indian Standards	1,12,000	0
TOTAL (A)	**6,27,94,167**	9,03,44,765
B. **Retrocession from ISO and IEC on Sale of their Publications in India**	4,76,75,136	3,40,68,526
TOTAL (A+B)	**11,04,69,303**	12,44,13,291

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016

(Amount in ₹)

SCHEDULE 12 - INTEREST EARNED	Current Year	Previous Year
On Saving Account	7,60,185	9,11,641
TOTAL	**7,60,185**	9,11,641

(Amount in ₹)

SCHEDULE 13 - OTHER INCOME	Current Year	Previous Year
a) Interest from Conveyance, Computer & House Building Advances	54,12,839	58,37,158
b) CGHS Contribution	35,04,508	13,47,600
c) Licence Fee- Staff Quarters	4,51,844	3,91,256
d) Miscellaneous Income at HQ	1,64,46,330	51,73,462
e) Miscellaneous Income at RO/BOs	1,10,72,148	69,10,786
f) Miscellaneous Income at Laboratories	89,29,008	1,48,53,001
TOTAL	**4,58,16,677**	3,45,13,263

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016

(Amount in ₹)

SCHEDULE 14 - ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year	Previous Year
1 PAY & ALLOWANCES		
a) Pay	47,26,57,066	44,93,63,544
b) Allowances and Bonus	72,28,49,608	67,56,80,994
c) Terminal Leave Encashment	5,46,19,792	7,21,78,737
TOTAL(1)	**1,25,01,26,466**	1,19,72,23,275
2 RETIREMENT BENEFITS		
a) Annual Contribution to Pension & Gratuity Liability Fund A/c *(See Note No. 2.2.3(ii) of Sch. 17)*	25,02,05,865	23,29,96,996
b) Employer's Contribution to National Pension Scheme	1,82,04,435	1,39,91,431
c) Deficit in General Provident Fund A/c	3,72,550	48,17,735
TOTAL (2)	**26,87,82,850**	25,18,06,162
3 WELFARE EXPENSES		
a) Medical Benefits-Employees	2,73,32,177	2,46,79,082
b) Medical Benefits-Pensioners	3,49,37,881	1,88,93,334
c) Staff Welfare	77,39,164	84,94,333
d) Leave Travel Concession	1,10,46,948	1,65,20,033
TOTAL (3)	**8,10,56,170**	6,85,86,782
TOTAL (1+2+3)	**1,59,99,65,486**	1,51,76,16,219

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016

(Amount in ₹)

SCHEDULE 15 - OPERATIONAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES	Current Year	Previous Year
1 TRAVELLING EXPENSES		
a) Overseas	6,90,139	20,119
b) Domestic	3,84,14,752	4,22,56,549
c) Committee Members	3,68,359	3,60,393
TOTAL (1)	**3,94,73,250**	4,26,37,061
2 SUBSCRIPTION TO INTERNATIONAL ORGANISATIONS		
a) International Standards Organization	3,09,45,885	2,88,47,095
b) International Electrotechnical Commission	99,57,985	79,35,248
TOTAL (2)	**4,09,03,870**	3,67,82,343
3 PRINTING		
a) Standards	9,67,396	24,02,985
b) Bulletin	5,77,614	2,60,615
TOTAL (3)	**15,45,010**	26,63,600
4 TESTING & SURVEILLANCE		
a) Testing Charges	13,30,72,280	7,38,79,756
b) Stipend to Laboratory Apprentices	32,95,055	30,71,044
c) Laboratory Consumables and Repair & Maintenance of Laboratory Equipment	93,71,043	52,93,039
d) Market Samples	38,43,034	38,22,175
e) Inspection Charges to outsource agencies	-	14,06,029
f) Hiring of Taxies for Inspection Work	44,16,328	37,72,272
g) Freight and Cartage	1,40,92,399	1,41,90,973
TOTAL (4)	**16,80,90,139**	10,54,35,288
5 PUBLICITY	**17,08,99,480**	13,38,73,826
6 OFFICE EXPENSES		
a) Stationery	1,82,05,064	1,69,44,206
b) Postage	56,61,754	52,75,709
c) Telephone	1,35,54,265	1,27,40,696
d) Recruitment	2,08,67,789	9,69,272
e) Refreshment and Entertainment	13,30,973	10,37,473
f) Liveries	5,06,880	3,91,563
g) Insurance and Bank Charges	17,57,606	16,10,542

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016

(Amount in ₹)

SCHEDULE 15 - OPERATIONAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES	Current Year	Previous Year
h) Miscellaneous	20,69,393	30,51,597
i) Rent and Statutory Taxes	2,80,96,806	3,03,57,977
j) Electricity and Water Charges	4,45,76,412	4,34,78,277
k) Taxi Hiring Charges	89,57,065	72,31,388
TOTAL (6)	**14,55,84,007**	12,30,88,700
7 REPAIRS AND MAINTENANCE		
a) Furniture and Office Equipment	76,70,116	54,53,291
b) Building	1,56,78,892	1,11,52,142
c) Vehicles	5,85,369	10,67,369
TOTAL (7)	**2,39,34,377**	1,76,72,802
8 CONFERENCES, CONSUMER AWARENESS AND TRAINING PROGRAMME		
a) Conferences, Seminars and Consumer Awareness Programmes	1,01,41,714	1,25,78,357
b) Training Expenses in NITS	68,04,034	68,61,079
TOTAL (8)	**1,69,45,748**	1,94,39,436
9 OTHER EXPENSES		
a) IT Services Expenses	1,88,35,210	1,23,26,481
b) Library Subscription and Expenses	3,13,951	2,23,465
c) Audit Fees and other Consultancy Charges	43,44,431	44,51,612
d) Legal charges	37,39,155	21,78,254
e) Labour Expenses	5,42,00,305	3,50,92,616
f) Interest subsidy on House Building Loan	-	1,76,147
g) Bad Debts & losses written off *(See Note No. 2.11 of Sch. 17)*	2,64,800	7,63,794
h) Capital Investments (Fixed Assets) Written off (Net)	2,82,303	-
i) Quality System Charges	99,84,532	1,03,53,586
j) Hindi Promotional Activities	30,85,708	14,39,736
k) Enforcement outsourcing Expenses	2,14,566	2,23,465
l) Exchange Rate Variation	10,77,081	-
m) CENVAT Credit Expenses	39,32,085	18,20,027
TOTAL (9)	**10,02,74,127**	6,90,49,183
TOTAL (1 To 9)	**70,76,50,008**	55,06,42,239

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31 MARCH 2016

SCHEDULE 16 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The Financial Statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and generally on the accrual method of accounting except the Certification Income and the interest due on default investments which are accounted on cash basis.

2. INVENTORIES

The value of Stock of Indian Standards and other publications are not accounted for as a matter of policy. However, the Stock of Paper, Laboratory Consumables, Spares, Stationery and gold are valued at cost.

3. INVESTMENT

3.1 The Investments are usually carried at cost.

3.2 The premium paid on acquisition of permanent investment is amortized on a time proportion basis upto the date of maturity.

4. FIXED ASSET

4.1 Fixed Assets are stated at Cost of acquisition inclusive of inward Freight, Duties and Taxes.

4.2 Fixed Assets acquired out of Grants/Assistance from Ministries are capitalized at values stated, by corresponding credit to Corpus/ Capital Fund.

4.3 Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at values stated by corresponding credit to Corpus/Capital Fund.

5. DEPRECIATION

Depreciation is provided on written down value method as per the rates specified in the Income Tax Act 1961.

6. GOVERNMENT GRANTS/ASSISTANCE

6.1 Government Grants/Assistance are accounted on realization basis.

6.2 All Government Grants/Assistance from Ministries and their utilization are shown in the Earmarked/Endowment Fund Schedule.

6.3 The Government Grants/Assistance utilized towards Capital Cost of setting of projects and acquisition of Fixed Asset are shown as addition to Corpus/Capital Fund.

7. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

7.1 Transactions denominated in Foreign Currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

7.2 Current Liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the end of the year and the relevant gain/loss is transferred to Income & Expenditure Account.

8. PAY & ALLOWANCES

The payments of Pay & Allowances and leave encashment are charged to Income & Expenditure Account on cash basis under Pay and Allowances.

9. RETIREMENT BENEFITS

9.1 Liability towards Pension of retired employees and pension & gratuity of existing employees for past service based on the Actuarial Valuation is accrued and provided in the Pension & Gratuity Liability Fund Account shown under the Schedule - Earmarked/Endowment Fund.

9.2 Based on the Actuarial Valuation Report, Annual Contribution to the Fund is provided in the Income & Expenditure Account with corresponding credit to Pension & Gratuity Liability Fund Account.

9.3 The actual payments of all pensionary benefits and recurring pension during the year are debited to Pension & Gratuity Liability Fund Account.

10. LOANS TO EMPLOYEES

The Interest on House Building, Conveyance and Computer Loan given to employees is accounted on cash basis after the recovery of the principal amount of Loan.

11. GPF ACCOUNTS

The surplus/deficit in the GPF Account of employees are treated as income/expense of the Bureau.

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31 MARCH 2016

SCHEDULE 17 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Disputed Demands of Service Tax(excluding penalty and interest) at following offices of BIS:

Sl. No.		Amount (₹ in lakh)
i	Chennai Regional Office	161.67
ii	Mumbai Regional Office	75.78
iii	Pune Branch Office	28.05
iv	Kochi Branch Office	0.57
v	Patna Branch Office	1.05
vi	BIS (HQ) New Delhi	192.87

1.2 NBCC, the consultant for the Jaipur Building and Training Institute Building NOIDA has claimed payment of **Rs. 27.60 lakh** and **Rs. 17.04 lakh** in respect of work at Jaipur Building and Training Institute, NOIDA Building respectively. However, physical verification of work done by the contractor(s) is not yet completed as some corrective actions are yet to be taken by NBCC and the settlement of accounts with them is under progress. As the amount payable is subject to physical verification as per the contract, therefore, these have not been taken as Addition to Assets and Liabilities as on 31.03.2016. It has been decided by BIS that no payment shall be released to NBCC against these two projects till settlement of the issues in the New Central AC Plant at Headquarter.

1.3 Payments to Small Causes Court, Mumbai regarding the rent case of vacated BIS Sales Office in Mumbai : The contingent liability of Rs. 3,66,60,598/- (Rs. 1,83,60,598/- by way of Demand Draft and Rs. 1,83,00,000/- by way of Bank Guarantee, both in favour of Registrar Small Causes Court, Mumbai) may arise, in case the Special Leave Petition(SLP) filed by the Bureau before the Hon'ble Supreme Court of India against the order dated 05.10.2015 of the Hon'ble Bombay High Court, Mumbai, in Writ Petition No. 7380/2006, is not allowed.

Initially, the Hon'ble Small Causes Court, Mumbai, vide its judgement dated 09 September 2005 had fixed mesne profit, to be paid by BIS at the rate of 205/- per sq. feet per month for the area of 3255 sq. ft. from 01 June 2000 to 30.04.2004 with interest @ 6% p.a. from the date of application, i.e. 27.02.2002 till entire amount of mesne profits paid to plaintiff. On the appeal filed by Bureau, the Hon'ble Appellate Court(Double Bench) of Small Causes, Mumbai, vide its judgement dated 07.09 2006, partly allowed the appeal and reduced the mesne profit @ Rs. 5,17,545/- per month with 6% interest p.a. thereby giving the Bureau some relief, which was also not acceptable to the Bureau. Hence, Bureau filed the Writ Petition No. 7380/2006 on 08.11.2006 before the Hon'ble High Court of Judicature at Mumbai.

The Hon'ble High Court, vide Order dated 05.10.2015, has dismissed the Petition No. 7380/2006 filed by BIS, and granted stay on execution of the total decreetal amount (50 percent deposited by BIS through Bank Drafts and 50 percent through Bank Guarantee) upto 12 weeks from the date of judgement.

However, BIS has challenged the order dated 05.10.2015 pronounced by the Hon'ble Bombay High court and filed a Special Leave Petition(Civil) No. 36289/2015 before the Hon'ble Supreme Court. In the said SLP, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 14.03.2016 has directed that the Bank guarantee would be renewed by the Petitioner from time to time until the matter is disposed of and that the Respondent has specifically stated that it will not encash the said Bank guarantee without the leave of the court. The said SLP is still pending before the Hon'ble Supreme Court for adjudication.

The paid amount of Rs. 1,83,60,598/- has been kept under Current Assets, Loans and Advances{Schedule 7(B), Item 2(d)}. In case BIS wins the subject case, the amount received back will be adjusted else the amount paid will be required to be charged to Income and Expenditure Account for which provision shall be made in the Budget with the approval of Executive Committee.

1.4 Suit No. 3016 of 2010 in Hon'ble Bombay High Court:- Contingent Liability of Rs. 7382.90 lakh alongwith interest may arise due to damages claimed by M/s. National Food Products(India) Pvt. Ltd. from BIS, for the alleged loss suffered by it for delay in renewal of its licence for Packaged Drinking Water.

1.5 Bank Guarantee : Bank Guarantee of Rs. 5.00 lakh valid upto 05.01.2020 was got issued from Syndicate Bank in favour of Director General of Disasters, Response & Fire Services, Hyderabad.

2. NOTES ON ACCOUNTS

2.1 Capital Commitments : The value of the contract remaining to be executed on Capital Account and not provided for (net of Advances) are given as under:

(Amount in crores)

Sl. No.	Project	Total Estimated Cost	Payment made to CPWD	Value of contract remaining to be executed
(i)	Air Conditioning of HQ Building	17.02	14.20	2.82
(ii)	Construction of Chandigarh Regional Office Building	17.04	13.43	3.61
(iii)	Construction of Rajkot Office Building	5.38	4.00	1.38
(iv)	Construction of Hyderabad office building	12.99	11.05	1.94
(v)	Modernization of Training Institute Building at Noida from the assistance received from the Government under Plan Fund	6.51	6.43	0.08

Sl. No.	Project	Total Estimated Cost	Payment made to CPWD	Value of contract remaining to be executed
(vi)	Renovation of Northern Regional Office Laboratory Building, Mohali	0.90	0.67	0.23
(vii)	Construction of Jammu Office Building	4.33	4.22	0.11
(viii)	Replacement of lifts of BIS: HQ	1.13	0.38	0.75
(ix)	Renovation of Canteen of BIS: HQ	0.21	0.07	0.14

2.2 Pension & Gratuity Liability Fund Account (Schedule 2-column 7)

2.2.1 According to the Actuarial Valuation Report submitted by M/s. Nalin Kapadia, Consultant & Actuaries registered with SEBI, by following the guidelines given in AS-15 of I.C.A.I. and the guidelines of the Actuaries Society of India, the total accrued Pension & Gratuity Liability of BIS as on 31.03.2016 amounted to Rs. 12,82,54 lakh as under:

Sl. No.	Accrued Liability towards	Amount in lakh
1	Accrued Pension Liability (for past service) of existing employees.	6,47,49.36
2	Accrued Gratuity Liability(for past service) of existing employees	57,00.13
3	Accrued pension liability for existing pensioners/family pensioners	5,78,04.85
	Total	**12,82,54.34**

2.2.2 On the recommendation of the 56th Financial Committee held on 26.11.2015, the EC in its 130th meeting held on 05.05.2016 ratified its approval through circulation vide Letter No. BIS/EC/A-2.130 dated 15.12.2015 that the effect of the 7th Pay Commission may be factored in the actuarial valuation of the Pension & Gratuity Liability as on 31.03.2016. EC also approved that the surplus of 2015-16 and if required, past surpluses in the Capital Fund may be accordingly transferred to Pension & Gratuity Liability Fund depending upon the total accrued liability of Pension & Gratuity Liability Fund. As the 7th Pay Commission Report is yet to be notified and implemented, the actuarial valuation has been done on the basis of existing Pay and Allowances. The actuarial valuation of the Pension & Gratuity Liability will be again conducted during 2016-17 after the implementation of the 7th Pay Commission Report.

2.2.3 The position of the Pension & Gratuity Liability Fund as on 31.03.2016 is given as under:

i) Opening Balance in the Fund: The amount available in the Pension & Gratuity Liability Fund as on 01.04.2015 amounted to **Rs. 10,32,99,17,613**.

ii) Annual Contribution: An Annual Contribution (25% of Salary) towards the future service pension & gratuity liability of the existing employees amounting to **Rs. 25,02,05,865** has been charged to Income and Expenditure Account under the account head '**Contribution to Pension & Gratuity Liability Fund Account**' [Schedule 14, Item 2(a)] and credited to Account Head ' **Pension & Gratuity Liability Fund Account**' (Schedule 2, column 7) during

2015-16 in accordance with the previous Actuarial Valuation Report.

iii) Interest earned by the Fund: The total interest earned on investments of various funds of BIS on accrual basis amounted to **Rs. 133,62,67,465.** This includes the interest on the Investment towards Pension & Gratuity Liability Fund A/c, Investment towards National Pension Scheme(NPS) Fund (in respect of employees whose PRAN Accounts are not yet opened) and the General Investment of BIS against Corpus/Capital Fund. Out of this, the interest amounting to Rs. 5,09,528 have been allocated and credited to National Pension Scheme (NPS) Fund Account. The remaining interest earnings of Rs. 133,57,57,937 have been apportioned between Pension & Gratuity Liability Fund A/c and Income & Expenditure A/c in the ratio of opening balance as on 01.04.2015 in the 'Investment towards Pension & Gratuity Liability Fund A/c' and 'General Investments towards Corpus/Capital fund A/c' as under:

(Amount in ₹)

Investment	**Opening Balance of Investments as on 01.04.2015**	**Interest of Rs. 1,33,57,57,937 for 2015-16 apportioned in the ratio of opening balance of Investments as on 01.04.2015**
Investment towards Pension & Gratuity Liability Fund A/c {total of Schedule 5 (Item1.1) and Schedule 7A, Item 4(a)(iii)(A)(IV)}	10,32,99,17,613	1,06,18,74,650
General Investments towards Corpus/ Capital fund A/c {Schedule 7A, Item 4(a)(iii)(B)}	2,66,43,36,878	27,38,83,287
Total	**12,99,42,54,491**	**1,33,57,57,937**

The interest earnings of **Rs. 1,06,18,74,650** have been credited to '**Pension & Gratuity Liability Fund Account**'(Schedule 2 Column 7) and the remaining interest earnings of **Rs. 27,38,83,287** appear in the **Income & Expenditure Account** (Refer Schedule 10).

iv) Payments made from the Fund:-The total net payments of pension, gratuity and commutation during 2015-16 amounted to **Rs. 58,97,76,003 {Gross payments Rs.59,02,40,036 minus** receipts from deputationists **Rs.4,64,033}** This has been debited to '**Pension & Gratuity Liability Fund Account'** {Schedule 2, column 7}.

v) Shortfall in the Fund provided from Income & Expenditure Account:- **As a result of the transactions given at Sl. No. (ii), (iii) and (iv) above, the balance in the Pension & Gratuity Liability Fund A/c as on 31.03.2016 worked out to Rs. 11,05,22,22,125**. Since there was a shortfall of Rs. 1,77,32,12,013 in the Pension & Gratuity Liability Fund Account (i.e. accrued liability of Rs. 12,82,54,34,138 LESS Rs. 11,05,22,22,125), therefore, it **has been charged to the Income & Expenditure Account as 'Contribution towards shortfall in Pension & Gratuity Liability Fund Account' and credited to 'Pension & Gratuity Liability Fund Account'** (Schedule 2, column 7) in consonance with the decision of the Executive Committee**.**

vi) Closing balance in the Fund:- **Therefore, after providing for the shortfall from Income & Expenditure Account the Pension & Gratuity Liability Fund thus, amounts to Rs. 12,82,54,34,138 as on 31.03.2016** (Schedule 2, column 7).

2.3 **National Pension Scheme(NPS) applicable to recruits from 01.01.2004 onwards:-** The National Pension Scheme(NPS) is applicable to all employees who joined BIS after 01.01.2004. The employees contribution and BIS contribution in respect of those who are enrolled with the Regulator are remitted to PFDRA on monthly basis. However the employees contribution and BIS contribution in respect of employees who are yet to be enrolled with the Regulator is kept with BIS under NPS Fund Account and is invested by BIS. The interest calculated at the rate equivalent to the interest rate of GPF is credited to their accounts. The balance in the NPS Fund with BIS as on 31.03.2016 amounted to **Rs.28,62,319** {Schedule 2, column 6}.

2.4 Investment of BIS Funds

2.4.1 **The total investments of BIS Funds: The total Investments of BIS** as on 31.03.2016 amounted to **Rs. 14,98,78,00,000** which represents various funds as under:

(Amount in ₹)

	Funds against which the Investment is represented	Investment in Fixed Deposits of PSU Bank	Investment in Bonds of PSUs	Total Investment
i)	Pension & Gratuity Liability Fund	12,80,25,54,34,138	2,00,00,000	12,82,25,54,34,138
ii)	General Investment of BIS representing Corpus/ Capital Fund	2,15,95,03,543	-	2,15,95,03,543
iii)	National Pension Scheme Fund	28,62,319	-	28,62,319
	Total Investment	**14,96,78,00,000**	**2,00,00,000**	**14,98,78,00,000**
		(shown under Schedule 7(A) (item 4(a)(iii)	(shown under item No. 1.1 of Schedule 5)	

The details of total investments as on 31st March 2016 are also given in Schedule 18.

2.4.2 BIS had made investment of Rs. 2,00,00,000 in the bonds of U.P. Cooperative & Spinning Mills Federation Ltd. (UPCSMFL), an undertaking of Uttar Pradesh Government on 17.12.1998 @ 16% per annum. UPCSMFL had defaulted in the payment of interest and principal on maturity dates. The maturity of principal was due on 30.04.2003(33%), 30.10.2003(33%) and 30.04.2004(34%). The interest is under default since 01.05.2000 which amounts to Rs. 1,28,00,000 till date of maturity at coupon rate. BIS had filed a case through Petition No. 451/2002 before the Hon'ble National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC). The Hon'ble NCDRC pronounced its judgement on 01.02.2016 and ordered the opposite party No. 01(UPCSMFL) & opposite

party No. 02(Government of Uttar Pradesh) to pay a sum of Rs. 200 lakh jointly and severally to BIS alongwith the interest @ 9% only from 01.05.2000 till the date of realization.

For the execution of the aforesaid judgement of Hon'ble NCDRC, BIS has filed an application under section 25(3) of the Consumer Protection Act, 1986 for issuance of a recovery certificate (i.e. Execution Petition). A complaint under section 27 of the Consumer Protection Act 1986 has also been filed in the Hon'ble NCDRC against the accused person for non-compliance of the order of the Commission dated 01.02.2016. A Caveat Petition has also been filed by BIS in the Hon'ble Supreme Court on 03.03.2016.

2.5 **Financial Assistance from Consumer Welfare Fund of Govt. for the Infrastructure Facilities for the Training Institute Building at Noida** [Schedule 2, column 3]: The net unspent balance in Consumer Welfare Fund Account as on 31.03.2016 amounted to **Rs. 1,13,789** [i.e. Rs.4,46,049 as per Schedule 2 less Rs. 3,32,260 of advances to NBCC yet to be adjusted [Schedule 7(B), Item 2(a)(iv)].

2.6 **Plan Scheme for setting up of Gold Hall Marking/Assaying Centres in India with central assistance:** This scheme is being operated by BIS on behalf of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Govt. of India. The Department of Consumer Affairs vide its letter No. 8/2/2004-BIS dated 30.09.2005 had conveyed the sanction to the Scheme for setting up of Gold Hall Marking/Assaying Centres in India with central assistance. The funds of Rs.3,75,00,000 were received from the Government during 2015-16. The unspent balance under the Scheme as on 31.03.2016 amounted to **Rs. 32,18,310** which has been carried over to 2016-17. (Schedule 2, column 1).

2.7 **Plan Schemes of Govt. of India- 'Quality Infrastructure for Consumer Protection'** (Schedule 2, column 2): The position of funds received, funds spent by BIS during 2015-16 and the unspent balance as on 31.03.2016 under the two schemes which are being implemented by BIS on behalf of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Govt. of India is given as under:

(Amount in ₹)

Sl. No.	Scheme/Particulars	Strengthening Standardization at National and International Level	Consumer Education and Training, HRD and Capacity Building	Total
(i)	Balance as on 01.04.2015	32,18,065	6,16,97,233	6,49,15,298
(ii)	Funds received from DoCA in 2015-16	5,00,00,000	-	5,00,00,000
(iii)(a)	Interest earned credited to Scheme A/c	15,65,361	31,309	15,96,670
(iii)(b)	Other Receipts	-	20,262	20,262
(iv)	**Total {(i) + (ii) + (iii)}**	**5,47,83,426**	**6,17,48,804**	**11,65,32,230**
(v)	Expenditure in 2015-16			

Sl. No.	Scheme/Particulars	Strengthening Standardization at National and International Level	Consumer Education and Training, HRD and Capacity Building	Total
(a)	Capital	33,440	-	33,440
(b)	Revenue	2,77,48,613	-	2,77,48,613
	Total Expenditure in 2015-16 v{(a)+(b)}	**2,77,82,053**	**-**	**2,77,82,053**
(vi)	Balance as on 31.03.2016 {(iv) – (v)} {as per Schedule 2,column 2}	2,70,01,373	6,17,48,804	8,87,50,177
(vii)	Capital Work in Progress against the fund (refer Schedule 4)	-	6,42,82,564	6,42,82,564
(viii)	Funds Available as on 31.03.2016	2,70,01,373	(25,33,760)*	
*The amount spent in excess of the funds available has been reflected as Accounts Recoverable from DoCA,GOI [Refer Sch. 7 (A) Item 2C (ii)]				

2.8 **New Central AC Plant for Manak Bhawan Building by NBCC -** The project of Installation of New Central AC Plant for Manak Bhawan at HQ was initiated in the year 2003-04. National Building Construction Corporation (NBCC) was appointed as Project Management Consultant(PMC) for the project. The project was stopped in June 2006. It was decided that no payment shall be released to NBCC against other projects namely Construction of JBO Building and NITS Noida. The settlement of accounts with NBCC is not to be made. The payments of **Rs. 86,07,396** made upto 2008-09 under this project have been shown as Capital work in progress in the Schedule of Fixed Assets[Schedule 4]. Executive Committee(EC) in its 79th meeting held on 27 March 2008 had decided to close the contract and agreement with NBCC and also approved the project related to air conditioning of both Manak Bhawan & Manakalaya and related civil and electrical works to be undertaken through the CPWD. This Project by CPWD is in progress [(refer Note No. 2.1(i)].

2.9 Capital Expenditure out of BIS Funds

2.9.1 The capital expenditure out of BIS Funds (including adjustment of advances and Additions to Capital WIP) during 2015-16 amounted to **Rs. 9,66,85,945** as under (Refer Schedule 4):

(Amount in ₹)

Addition to Fixed Assets	2015-16
ROs/BOs Buildings - Solar Power Plant	96,91,810
Furniture, Office Equipments & Computers	2,26,33,436
Laboratory Equipments	1,85,96,162
Library Books	2,36,174
Total	**5,11,57,582**
Addition to Capital work in progress during the year in various ongoing Building projects	4,55,28,363
TOTAL	**9,66,85,945**

2.9.2 **Capital Work-in-Progress:** The Capital work-in-progress reflected under Fixed Assets Schedule(Schedule 4) also includes Building Projects of Hyderabad Branch Office, Northern Regional Office-Chandigarh, Rajkot Branch Office & Air-Conditioning project at HQ. These three buildings have been occupied by BIS during 2015-16 and the Air Conditioning project at HQ is in progress. The expenditure incurred on these buildings and Air-Conditioning project-HQ has not been capitalized as on 31.03.2016 as the category-wise & item-wise inventory statements have not been provided by CPWD. Therefore, depreciation on these Buildings & Air-Conditioning Project-HQ could not be provided. The expenditure made on these Buildings & Air-Conditioning Project-HQ will be capitalized and depreciation will be charged after the detailed statements are received from CPWD.

2.10 **Accounts Recoverable(Employees) under** Schedule 7A, item 2(c)(i): This includes **Rs. 12,000/-** towards forgery/embezzlement allegedly committed by Shri Mohan Singh, Ex-UDC. An FIR No. 23/03 dated 30.01.2003 was registered against Shri Mohan Singh under section 420, 468 and 471 of IPC at IP Estate Police Station, New Delhi. The case proceedings are in progress in the Hon'ble Metropolitan Court of Tees Hazari, Delhi.

The Departmental Disciplinary Enquiry against Sh. Mohan Singh has been completed and enquiry report has been submitted by the disciplinary authority. Since Shri Mohan Singh is a Pensioner and his case is deemed to be proceeded under Rule 9 of CCS(Pension) Rules, 1972, therefore, the inquiry report has been sent to the Administrative Ministry on 03.03.2016 with the approval of DG, BIS. The retirement benefits of Shri Mohan Singh have been withheld.

2.11 **Bad and Doubtful Debts:** The bad debts are charged to Income & Expenditure Account after the same are approved by the competent authority. During 2015-16 bad debts of **Rs. 2,64,800** have been charged to Income & Expenditure Account which were approved by the Competent Authority of BIS for write-off. These have been shown under Schedule 15 -Item 9(g).

2.12 **Deficit in General Provident Fund Accounts:** There was a deficit (i.e. excess of expenditure over income) of **Rs. 3,72,550** in BIS Employees General Provident Fund Accounts during 2015-16. This has been treated as expense of the Bureau as per the Accounting Policy [Schedule 14 Item 2(c)].

2.13 Income Tax Exemption:

2.13.1 Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, Govt. of India, vide its Notification No. 88/2014 dated 23.12.2014 had notified BIS under Section 10 (46) of Income tax Act, 1961 for the Assessment Years 2012-13 to 2016-17. As a result of this notification of Govt. of India, the income of BIS was not taxable till Assessment Year 2016-17. BIS has applied with CBDT through DoCA for permanent exemption of BIS under the provisions of section 10(46) of Income Tax Act, 1961.

2.13.2 Income Tax Exemption granted to BIS under section 10(23)(c)(iv) which was withdrawn by DG:IT(E) vide order dated 24.02.2012 from Assessment Year 2009-10 and onwards was restored vide order dated 04.12.2012 in compliance with the order of Hon'ble High Court. Therefore, the tax exemption of BIS under section 10(23)(c)(iv) of Income Tax Act is also available. The DG IT(E) had filed SLP in Hon'ble Supreme Court under Article 136 of the Constitution of India

against allowing the Writ Petition of BIS by the Hon'ble High Court. The SLP filed by DG:IT(E) has been converted into Civil Appeal which is pending in the Hon'ble Supreme Court.

2.14 The Annual Accounts have been prepared in the Uniform Formats of Accounts prescribed by the Ministry of Finance.

2.15 The previous year figures have been regrouped wherever found necessary to make them comparable with current year groups and figures. The following previous years figures have been regrouped:

(Amount in ₹)

Schedule/Group	Closing Balance as on 31.03.2015	Opening Balance as on 01.04.2015	Increase(+)/ Decrease(-)	Remarks
Fixed Assets–Schedule 4, Sl. A.1- Land	59,32,36,686	59,35,58,542	(+)3,21,856	The land cost of Rs. 3,21,856 in respect of Central Laboratory and HQ which was shown under 'Buildings' as on 31.03.2015 has now been regrouped and shown under 'Land' in the opening balance. As a result of this, there is no change in total of opening balance of the Schedule 4.
Fixed Assets–Schedule 4, Sl. A.2 -Buildings	24,76,01,032	24,72,79,176	(-)3,21,856	

2.16 Figures in Final Accounts have been rounded off to the nearest rupee.

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

SCHEDULE 18 - INVESTMENT

DETAILS OF INVESTMENT AS ON 31.3.2016

(Amount in Lakhs)

Sl. No.	Name of Institution		Investment at cost	Indicative Market Value of investment*
1	**INVESTMENT OF BIS FUNDS**			
1.1	**Investment with Banks in Fixed Deposits**			
1.1.1	Andhra Bank		2 640.00	2 640.00
1.1.2	Bank of India		7 249.00	7 249.00
1.1.3	Canara Bank		5 700.00	5 700.00
1.1.4	Corporation Bank		29 066.00	29 066.00
1.1.5	Industrial Development Bank of India		5 920.00	5 920.00
1.1.6	Oriental Bank of Commerce		9 285.00	9 285.00
1.1.7	Punjab & Sind Bank		8 592.00	8 592.00
1.1.8	Punjab National Bank		12 986.00	12 986.00
1.1.9	State Bank of Bikaner & Jaipur		10 740.00	10 740.00
1.1.10	State Bank of Hyderabad		500.00	500.00
1.1.11	State Bank of India		5 150.00	5 150.00
1.1.12	State Bank of Mysore		490.00	490.00
1.1.13	State Bank of Patiala		18 470.00	18 470.00
1.1.14	State Bank of Travancore		9 165.00	9 165.00
1.1.15	Syndicate Bank		23 725.00	23 725.00
	TOTAL (1.1)		**1 49 678.00**	**1 49 678.00**
1.2	**Investment with PSUs & Financial Institutions in Bonds & Deposits**			
1.2.1	U.P. Co-operative Spinning Mills Federation Ltd. (UPCSMFL) Bonds (see note 2.4.2 of Schedule 17)		200.00	200.00
	TOTAL (1.2)		**200.00**	**200.00**
	TOTAL (1)		**1 49 878.00**	**1 49 878.00**
	TOTAL INVESTMENT OF Rs. 1 49 878 LAKHS OF BIS REPRESENTS FOLLOWING FUNDS:			
	(see Note 2.4.1 of Schedule 17)			
a)	**Pension & Gratuity Liability Fund Account:**			
	Under Schedule 7(A), Item 4(a) (iii) (A) (IV)	**1 28 054.34**		
	Under Schedule 5 (Item 1.1)	**200.00**	**1 28 254.34**	
b)	**Corpus/Capital Fund**		**21 595.04**	
	under Schedule 7(A) Item 4(a)(iii)(B)			

Sl. No.	Name of Institution	Investment at cost	Indicative Market Value of investment*
c)	**National Pension Scheme Fund**	**28.62**	
	Under Schedule 7(A) Item 4(a)(iii)(A)(III)		
	Total Investments of BIS Funds	**1 49 878.00**	
2	**INVESTMENT OF EMPLOYEES FUND**		
2.1	**General Provident Fund{(see Schedule 5 and Schedule 7(A), item 4(a)(iii)(A)(I)}**		
2.1.1	Government of India Securities - Quoted	2 795.88	2 838.52
2.1.2	State Government Securities - Quoted	4 071.15	4 178.84
2.1.3	Special Deposits with RBI	3 127.08	3 127.08
2.1.4	Debentures and Bonds of PSUs & Financial institutions - Quoted	1 329.91	1 351.61
2.1.5	Equities and related investment-Mutual Funds - Quoted	87.00	87.23
2.1.6	Fixed Deposits with Banks	3 102.91	3 102.91
	TOTAL (2)	**14 513.93**	**14 686.19**
3	**INVESTMENT-OTHERS**		
3.1	ABO Building Project- Fixed Deposit- with Syndicate Bank (See Schedule 7(A), item 4(a)(iii)(A)(II)	23.34	23.34
	GRAND TOTAL (1+2+3)	**1 64 415.27**	**1 64 587.53**
NOTE*	*Market Value of investments have been made available by BIS Fund Manager M/s. IDBI Capital Market Services Ltd., Mumbai . The securities have been valued at market price where market quotes were available or at face value/purchase price if the market quotes are not available. The market quotes were not available in respect of UPCSMFL Bonds. The Fixed Deposits with Banks have been shown at face values. The break-up is as follows:*		

The aggregate quoted investment	8 283.94	(Market Value 8 456.20)
The aggregate unquoted investment (including fixed deposits)	1 56 131.33	
Total Investment	**1 64 415.27**	

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2015-16

(Amount in ₹)

A. RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT OF BUREAU OF INDIAN STANDARDS FOR THE YEAR 2015-16					
RECEIPTS			**PAYMENTS**		
PARTICULARS	**Current Year**	Previous Year	**PARTICULARS**	**Current Year**	Previous Year
I Opening Cash and Bank Balances	12,04,57,154	12,72,74,566	**I. Expenses**		
			- Establishment	1,26,07,83,175	1,20,84,00,477
II Grants received from Govt. of India	8,75,00,000	5,00,00,000	**- Administration**	76,64,24,617	58,19,48,076
			II. Payments made against Funds for		
III Interest received on Investments	79,63,92,351	89,59,50,978	**various Projects**		
			a) Scheme for setting up of Hall Marking Centres	3,69,84,678	49,76,484
IV Income from Earmarked Endowment	24,64,639	5,73,600	**b) Quality Infrastructure for Consumer Protection-XIth Plan**	2,77,48,613	2,19,43,710
V Interest received- Saving Bank Accounts	7,60,185	9,11,641	**III. Investments and Deposits made (Net)**	1,98,30,00,000	1,82,49,00,000
VI Quality Infrastrucutre for Consumer Protection-XIth Plan	0	2,81,433	**V. Expenditure on Fixed Assets**	4,97,59,175	2,64,01,914
			V. Other Payments		
VII Income- Services, Sales and Miscellaneous	3,90,46,18,829	3,42,41,57,624	a) Current Assets, Current Liabilities and Inter Accounts (Net)	60,19,09,660	71,00,43,278
			b) Pension/Gratuity Benefits	59,02,40,036	53,35,39,865
VIII Other Receipts			c) Benevolent Fund Benefits	6,60,042	5,00,000
a) Pension & Gratuity Liability Fund	59,14,64,033	53,32,03,556	VI Closing Balance		
b) Benevolent Fund	8,12,205	7,57,560	**- Cash and Imprest**	5,24,230	7,27,728
			- Bank	18,64,35,170	11,97,29,426
TOTAL	**5,50,44,69,396**	5,03,31,10,958	**TOTAL**	**5,50,44,69,396**	5,03,31,10,958
B. RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT OF GENERAL PROVIDENT FUND FOR THE YEAR 2015-16					
I Opening Bank Balance	18,55,789	58,96,511	**I. Withdrawals & Final Payments**	23,46,58,883	21,26,89,363
II Interest Received on Investments	10,15,58,527	9,56,55,444	**II. Advances to employees**	16,50,828	19,00,151
III Employees' Subscriptions	19,34,98,377	19,31,57,654	**III. Death Linked Insurance**	3,96,000	2,39,783
IV Refund of advances	22,02,221	26,40,589	**IV. Investments and Deposits made(net)**	17,11,90,161	17,42,81,809
V Other Receipts - Current Assets	11,13,50,605	9,35,28,502	**V. Other Payments**		
			a) Current Liabilities		
VI Interest received- Saving Bank Accounts	1,83,976	94,374	b) Bank Charges	4,459	6,179
			VI. Closing Bank Balance	27,49,164	18,55,789
TOTAL	**41,06,49,495**	39,09,73,074	**TOTAL**	**41,06,49,495**	39,09,73,074

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Bureau of Indian Standards for the year ended 31 March 2016

We have audited the attached Balance Sheet of Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi as at 31 March 2016, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 22(2) of the Bureau of Indian Standards Act, 1986. These financial statements include the accounts of twenty three Branch Offices, Four Regional Offices and the Central Testing and Calibration Centre at Sahibabad and the Training Institute of BIS. These financial statements are the responsibility of the BIS's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This draft Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the Uniform Format of Accounts as prescribed by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained, under section 22(1) of Bureau of Indian Standards Act, 1986, in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Assets:

A.1.1 Fixed Assets (Schedule-4): Rs. 131.77 crore

In the case of Branch Office, Coimbatore (CBTO), four flats were purchased at Rs. 37.67 lakh. The depreciation @ 5 per cent was calculated without considering the value of land of Rs. 5.83 lakh

included in the cost of flats. Depreciation on land amount needs to be corrected in the Annual Accounts.

A.1.2 Current Assets, Loans, Advances etc. (Schedule-7): Rs. 1753.45 crore

Bengaluru Branch Office (BNBO) had unutilized balance of Franking Machine of Rs. 0.34 lakh as on 31.3.2016. The same was not shown under closing balance of the branch office, which resulted in understatement of 'Current Assets' by the like amount.

B. Income & Expenditure Account:

B.1. Operational and Administrative Expenses (Schedule-15): Rs. 70.76 crore

B.1.1 BIS had pending bills of Rs. 107.27 lakh pertaining to March 2015 for which no liability was created for the year ending 31 March 2015. These bills were paid during 2015-16. Since, no liability was created for the outstanding payment, the expenditure during 2015-16 was overstated by the like amount.

B.1.2 There were pending bills for payment of Rs. 5.70 lakh as at 31 March 2016. BIS had not created the liability for these expenditure in the annual accounts for 2015-16. This has resulted in understatement of Expenditure as well as Liabilities by the like amount.

C. Receipts & Payments Account:

C.1 In the case of Bengaluru Branch Office (BNBO), the following differences were noticed in the Annual Accounts:

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Head of Account	Amount as per ledger	Amount as per R&P Account
1.	Furniture & Fixture	130587	120282
2.	Office equipments	95486	101341
3.	Computer & Associated equipments	371572	22886
4.	Lab equipments	1127209	928793
5.	Stationery	601792	556639

Similarly, there were differences in Receipts also as detailed below:

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Head of Account	Amount as per R&P Account	Amount as per ledger
1.	Product Certification	208175657	191108228
2.	Gold Hallmarking Certification	26939822	5566374

These differences need to be reconciled.

C.2 Bengaluru Branch Office (BNBO) had gross income of Rs. 14.68 lakh as fees from the licenses. However, TDS of Rs. 1.45 lakh was deducted by the licensees. As the income of BIS was exempted, deduction of TDS had resulted in understatement of income by Rs. 1.45 lakh.

C.3 In the case of Bengaluru Branch Office (BNBO), the payment side of Receipts & Payments Accounts under item VII Other Payments (a) Payments of Fund transfer under Headquarter Account exhibited an amount of Rs. 2123.20 lakh. However, the actual fund transferred to Headquarters was Rs. 2121.75 lakh. The difference needs to be reconciled.

D. General:

D.1.1 During physical verification of fixed assets, it was reported that fixed assets (993 items) were not shown in the fixed assets register pertaining to BIS-NITS, Noida. Thus, the veracity of fixed assets shown in the annual accounts of BIS could not be verified.

E. Grants-in-aid:

During 2015-16, BIS received Grants-in-aid of Rs. 875.00 lakh (Rs. 375.00 lakh for Setting up of Hallmarking Centres and Rs. 500.00 lakh for Quality Infrastructure for Consumer Protection) from the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution. It had Rs. 24.71 lakh as 'interest & other receipts' and unspent balance of Rs. 672.11 lakh of the previous year. Out of total available amount of Rs. 1571.82 lakh, a sum of Rs. 647.67 lakh was utilized during the year leaving a balance of Rs. 924.15 lakh at the end of the year.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Bureau of Indian Standards as at 31 March 2016; and

b. In so far as it related to Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of C& AG of India

Sd/-

Director General of Audit
Central Expenditure

Place: New Delhi
Date: 26.12.2016

Annexure

1. Adequacy of internal audit system

- Internal audit has been conducted by Chartered Accountant Firm up to March 2016.

2. Adequacy of Internal Control System

- Transaction of Rs. 10,036 related to miscellaneous expenditure viz. lunch, filling water tanks and repair of locks were depicted in the miscellaneous stock register by BIS-Ghaziabad Branch, which should have been depicted in the cash book/petty cash book.
- Sundry Debtors amounting to Rs. 2.56 lakh were outstanding as of March 2016 which pertained to the period 2009-10 to 2011-12 in NITS.
- In the case of Branch Office, Dehradun (DBO), unserviceable articles of Rs.3.93 lakh were not disposed off. There was delay in granting of license for use of ISI mark ranging from 25 to 480 days.
- Fixed Assets (993 items) were not shown in the fixed assets register pertaining to BIS- NITS, Noida.
- Physical verification of Library at NITS, Noida has not been conducted.

In view of the above, the internal control system of BIS needs to be strengthened.

3. System of physical verification of assets

- The physical verification of fixed assets has been conducted up to March 2016.
- During physical verification of fixed assets, it was reported that fixed assets (993 items) were not shown in the fixed assets register pertaining to BIS-NITS, Noida. Thus, the veracity of fixed assets shown in the annual accounts of BIS could not be verified.

4. System of physical verification of inventory

- Physical verification of inventory had been conducted up to March 2016 and found to be adequate.
- Physical verification pertaining to Library at NITS had not been conducted.

5. Regularity in payment of dues

- As per annual accounts of BIS, no Payment over six month in respect of statutory dues were outstanding as on 31.03.2016.

STRUCTURE OF BIS

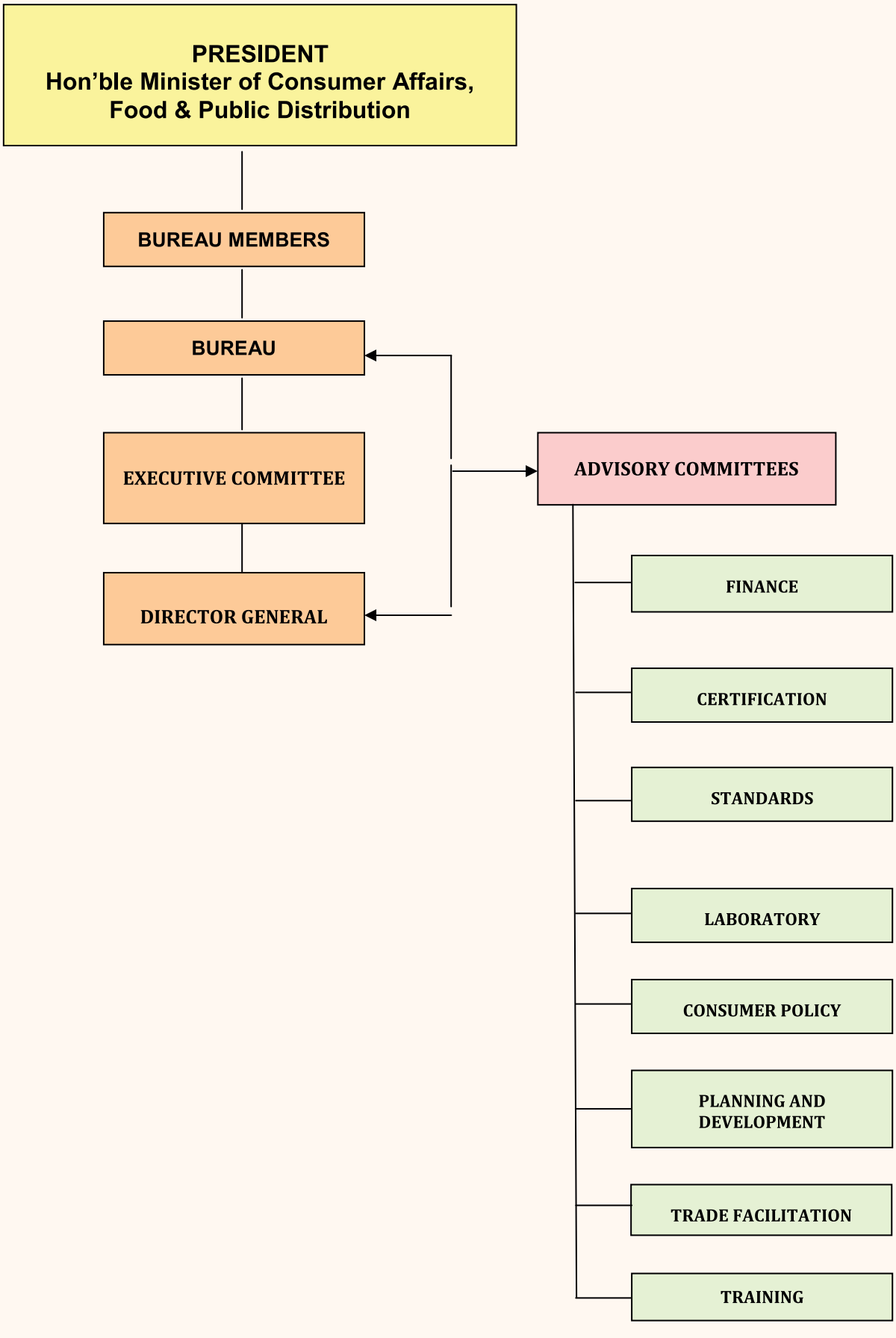

INDIA
BIS - LOCATIONS
Mohali
Chandigarh
Parwanoo
Dehradun
Delhi
Ghaziabad
Noida
Faridabad
Jaipur
Lucknow
Patna
Guwahati
Ahmedabad
Durgapur
Jamshedpur
Kolkata
Bhopal
Rajkot
Nagpur
Raipur
Bhubaneshwar
Mumbai
Pune
Vishakhapatnam
Hyderabad
HEADQUARTERS
BRANCH OFFICES (32 IN 27 PLACES)
REGIONAL OFFICES (5)
LABORATORIES (8)
TRAINING INSTITUTE (NITS)
Bangalore
Chennai
Coimbatore
Kochi
NORTHERN REGION
CENTRAL REGION
EASTERN REGION
WESTERN REGION
SOUTHERN REGION

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
मानक भवन, 9 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
वेबसाइट : www.bis.org.in
Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Website: www.bis.org.in

Printed by : Dolphin Printo-Graphics # 011-23593541/42